



वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
2 0 1 3 - 1 4



यूको बैंक



UCO BANK

सम्मान आपके विश्वास का

Honours Your Trust

हमसे संपर्क करें Visit us at - www.ucobank.com

यूको बैंक

UCO BANK

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700 001

Head Office : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001

विषय-सूची / CONTENTS

मद / Item	पृष्ठ सं. / Page No.	मद / Item	पृष्ठ सं. / Page No.
• सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक Statutory Central Auditors	02	• तुलन-पत्र 2013-14 Balance Sheet 2013-14	79-80
• निदेशक मंडल Board of Directors	03	• लाभ-हानि लेखा Profit & Loss A/c	81-82
• वार्षिक आम बैठक हेतु सूचना एवं कार्यसूची Notice for AGM and Agenda	04-08	• लेखों से संबंधित अनुसूची/Schedule to Accounts	83-131
• वित्तीय विशिष्टताएं Financial Highlights	09	• भारत के राष्ट्रपति को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट Auditor's Report to the President of India	132-134
• शाखा नेटवर्क /प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र (तालिका I एवं II) Branch Network/Priority Sector Credit (Table I & II)	10	• नकदी प्रवाह विवरण / Cash Flow Statement	135-136
• निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	11-46	• बासेल-III प्रकटीकरण / Basel-III Disclosures	137-210
• कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट Report on Corporate Governance	47-74	• ग्रीन पहल के तहत अपील Green Initiative Appeal	211
• कारपोरेट अभिशासन से संबंधित लेखापरीक्षकों का प्रमाण पत्र Auditor's Certificate on Corporate Governance	75-78	• परोक्षी फार्म / Proxy Form	212-213
		• ईसीएस अधिदेश / ECS Mandate	214-215
		• उपस्थिति पर्ची / Attendance Slip	216

महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं तारीखें / IMPORTANT PROGRAMME & DATES

कार्यक्रम / Programme	तारीख / Date	कार्यक्रम / Programme	तारीख / Date
• वार्षिक आम बैठक 2013-14 हेतु बही-खाता बंद रहने की अवधि 26.06.2014 से 30.06.2014 Period of Book closure for AGM 2013-14	26.06.2014 से to 30.06.2014	वार्षिक आम बैठक 2013-14 की तारीख, समय एवं बैठक-स्थल Date, time & Venue of Annual General Meeting 2013-14	30.06.2014 प्रातः 11.00 A.M.
• परोक्षी फार्म की प्राप्ति की अंतिम तारीख Last date for receipt of proxy form	25.06.2014	भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेल्वेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता-700 027 Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road Alipore, Kolkata 700 027	

सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक / STATUTORY CENTRAL AUDITORS

मे. एसबीए एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
M/s SBA Associates
Chartered Accountants

मे. वेद एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
M/s Ved And Company
Chartered Accountants

मे. दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
M/s Dass Gupta & Associates
Chartered Accountants

मे. गुप्ता शर्मा एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
M/s Gupta Sharma & Associates
Chartered Accountants

मे. ए. कैस एंड कं.
सनदी लेखाकार
M/s A. Kayes & Co.
Chartered Accountants

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट/REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
(इकाई : यूको बैंक)
प्लॉट नं. 17 से 24, विट्टलराव नगर
माधापुर, हैदराबाद - 500 081
टेलीफोन सं. (040) 44655000
फैक्स सं. (040) 23420814
ई.मेल आईडी einword.ris@karvy.com
वेबसाइट www.karvycomputershare.com

M/s Karvy Computershare Private Limited
(Unit : UCO Bank)
Plot Nos. 17 to 24 Vittalrao Nagar
Madhapur, Hyderabad – 500 081
Telephone No. (040) 44655000
FAX No. (040)23420814
E.Mail ID einword.ris@karvy.com
Website www.karvycomputershare.com

शेयरधारक आवश्यकतानुसार रजिस्ट्रार के निम्नलिखित कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं
The Shareholders may also contact the following offices of the Registrar in case of need.

मुंबई : महाराष्ट्र चेम्बर ऑफ कॉमर्स लेन, फोर्ट, मुंबई - 400 023
फोन : 022-2286-2425/2427
At Mumbai : Maharashtra Chamber of Commerce Lane, Fort, Mumbai - 400 023
Phone 022-2286-2425 / 2427
चेन्नै : 22, विजय राघवन रोड, टी. नगर, चेन्नै - 600 017
फोन : 044-2815-1034/3445
At Chennai : 22, Vijaya Raghavan Rd. T. Nagar, Chennai - 600 017
Phone : 044-2815-1034 / 3445
नई दिल्ली : 105-108 अरुणाचल भवन, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001
फोन : 011-4350-9200
At New Delhi : 105-108 Arunachal Building, Connaught Place, New Delhi -110 001
Phone : 011-4350-9200
कोलकाता : 49, जतीन दास रोड (देशोप्रिय पार्क के पास), कोलकाता - 700 029
फोन : 033-2464-7231/ 32
At Kolkata : 49, Jatin Das Road (Opp. Deshapriya Park), Kolkata - 700 029
Phone : 033-2464-7231 / 32

निदेशक मंडल /BOARD OF DIRECTORS



श्री अरुण कौल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Shri ARUN KAUL
Chairman & Managing Director




श्री एस. चन्द्रशेखरन्
कार्यपालक निदेशक
Shri S. CHANDRASEKHARAN
Executive Director



श्री जे. के. गर्ग
कार्यपालक निदेशक
Shri J. K. GARG
Executive Director



श्री प्रवीण रावल
निदेशक
Shri PRAVIN RAWAL
Director



श्री बी. पी. विजयेन्द्र
निदेशक
Shri B. P. VIJAYENDRA
Director



श्री एस. के. महेश्वरी
निदेशक
Shri S. K. MAHESHWARI
Director



सीए मनोज कुमार गुप्ता
निदेशक
CA MANOJ KUMAR GUPTA
Director



श्री डी. एन. ठाकुर
निदेशक
Shri D. N. THAKUR
Director



श्री पी चन्द
निदेशक
Shri P. CHANDA
Director



मो. सलाहुद्दीन अंसारी
निदेशक
MD. SALAHUDDIN ANSARI
Director

यूको बैंक  UCO BANK

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700 001
Head Office : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001

सूचना

NOTICE

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि यूको बैंक के शेयरधारकों की 11वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, दिनांक 30 जून, 2014 को पूर्वाह्न 11.00 बजे भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता-700 027 में आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्यवाही की जाएगी:-

1. दिनांक 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि लेखे, लेखे की अवधि के लिए बैंक के क्रियाकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन-पत्र एवं लेखे के संबंध में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करने एवं उन्हें अंगीकृत करने हेतु।
2. दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए ईक्विटी शेयरों पर अंतिम रूप से लाभांश अनुमोदित एवं घोषित करने हेतु।

NOTICE is hereby given that the 11th Annual General Meeting of the Shareholders of UCO Bank will be held on Monday, the 30th June, 2014 at 11.00 A.M. at Bhasha Bhavan, National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027 to transact the following business:-

1. To discuss approve and adopt the Balance Sheet as at 31st March 2014 Profit and Loss Account of the Bank for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To approve and declare final dividend on Equity Shares for the year ended 31st March, 2014.

निदेशक मंडल के
आदेश से

By order of the Board
of Directors

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 28 मई, 2014

(अरुण कौल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध
निदेशक

Place: Kolkata
Date: 28.05.2014

(Arun Kaul)
Chairman & Managing
Director

नोट

परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए हकदार कोई शेयरधारक अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी परोक्षी को नियुक्त करने का भी हकदार है और यह जरूरी नहीं है कि ऐसा परोक्षी बैंक का कोई शेयरधारक ही हो। परोक्षी फार्म को प्रभावी करने के लिए यह जरूरी है कि वह बैंक को उसके शेयर अनुभाग, वित्त विभाग, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, 3रा तल, कोलकाता-700001 में उक्त बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व यानी बुधवार, दिनांक 25 जून, 2014 को बैंक के कार्य-समय की समाप्ति के पूर्व प्राप्त हो जाए। कृपया नोट करें कि बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति बैंक के किसी शेयरधारक निगमित निकाय के सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित होने या मतदान करने का तबतक हकदार नहीं होगा जबतक प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे सम्यक् रूप से नियुक्त करनेवाले संकल्प की एक प्रति, जो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति हो, जिसमें संकल्प पारित किया गया था, बैंक के प्रधान कार्यालय के शेयर अनुभाग, वित्त विभाग, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, 3रा तल, कोलकाता-700001 में उक्त बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व यानी बुधवार, दिनांक 25 जून, 2014 को बैंक के कार्य-समय की समाप्ति के पूर्व प्राप्त न हो जाए। ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित प्रोक्सी फार्म तभी प्रभावी होगा, जब यह उपर्युक्त दस्तावेज के साथ उक्त पते पर बुधवार, दिनांक 25 जून, 2014 के कार्य-समय की समाप्ति के पूर्व बैंक को जमा कर दिया जाए।

बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

उपस्थिति पर्ची -सह-प्रवेश पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास संलग्न किया जा रहा है। शेयरधारकों/परोक्षीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसे भरें और उसमें उपलब्ध कराए गए खाली स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा बैठक-स्थल पर उसे अभ्यर्पित करें। शेयरधारकों के परोक्षी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची -सह-प्रवेश पास में यथास्थिति "परोक्षी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" उल्लिखित करना चाहिए। शेयरधारकों/परोक्षीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि कृपया अपने साथ पैन कार्ड, मतदाता पहचानपत्र, पासपोर्ट आदि लाएं और सही पहचान के बाद ही उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

शेयरधारकों के रजिस्टर की बंदी

वार्षिक खाताबंदी एवं बैठक में घोषित लाभांश के भुगतान के प्रयोजनार्थ गुरुवार, दिनांक 26 जून, 2014 से सोमवार, दिनांक 30 जून, 2014 (दोनों दिन सहित) तक शेयरधारकों का रजिस्टर एवं बैंक की अंतरण बही बंद रहेगी।

Notes

APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The proxy form in order to be effective must be received at the Head Office of the Bank at its Share Section, Finance Department, at 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata – 700 001 not later than FOUR DAYS before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on Wednesday, 25th June, 2014. Please note that any employee or officer of the Bank cannot be appointed as proxy as per provision of UCO Bank (Share and Meeting) Regulation 2003.

APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank with Share Section, Finance Department, at 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata – 700 001 not later than FOUR DAYS before the date of the meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank on Wednesday, 25th June, 2014. The proxy form if any executed by such authorized representative will be effective provided the same is also deposited with the Bank along with the above documents on or before the closing hours of the Bank on Wednesday, 25th June, 2014 at the above mentioned address.

An employee or officer of the Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation 2003.

ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance slip-cum-Entry Pass is annexed to the Annual Report. Shareholders/Proxy holders /Authorised Representative are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of shareholders should state in their Attendance Slip-cum-Entry Pass as 'Proxy or Authorised Representative' as the case may be. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives must carry a valid Photo identity card like PAN Card, Election ID, Passport etc with them and will be allowed entry only after proper identification.

CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Registrar of Shareholders and the Transfer Books of the Bank will remain closed from Thursday, the 26th June, 2014 to Monday, the 30th June, 2014 (both days inclusive) for the purpose of Annual Book Closure and payment of dividend declared at the Meeting.

लाभांश का भुगतान

बोर्ड ने अपनी 21 मई 2014 को आयोजित बैठक में ₹10/- के सांकेतिक मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर हेतु वर्ष 2013-14 के लिए ₹1/- के इक्विटी लाभांश की अंतिम रूप से संस्तुति की है। निदेशक मंडल द्वारा यथासंस्तुत तथा 11वीं वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित लाभांश उन शेयरधारकों को दिया जाएगा:-

- जो बुधवार, 25 जून, 2014 को कार्य-समय की समाप्ति पर निक्षेपागारों, यानी एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करते हैं, या
- जो बुधवार, 25 जून, 2013 को या 30 जून 2014 को बैंक के कार्य समय की समाप्ति के पूर्व शेयरधारकों से प्राप्त वैध अंतरण को प्रभावी करने के बाद शेयरधारकों के रजिस्टर में मूर्त रूप में शेयर धारित करते हैं।

बैंक द्वारा लाभांश की घोषणा की तारीख के 30 दिन के भीतर ऐसे शेयरधारकों को लाभांश वारंट उनके रजिस्ट्रीकृत पते पर रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट यानी मे. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के जरिए भेजा जाएगा।

अदत्त / अदावाकृत लाभांश

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 10 ख के अनुसार यदि कोई राशि अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की जाती है और ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अदत्त / अदावाकृत रहती है तो उसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 ग(1) के अधीन स्थापित "निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि" में अंतरित किया जाएगा।

जिन शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2012-13 तक लाभांश का दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट मे. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के पास वैध दावा(वे) प्रस्तुत करें।

डाक पता / बैंक अधिदेश में परिवर्तन एवं एनईसीएस के माध्यम से लाभांश का भुगतान

क) मूर्त रूप में धारित शेयर

मूर्त रूप से शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि डाक पता, बैंक खाता विवरण यथा बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, ईसीएस अधिदेश आदि में परिवर्तन होने की सूचना रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट यानी मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि., 17 से 24, विडुल राव नगर, माधापुर, हैदराबाद - 500 081, को दें ताकि वे अपना लाभांश सीधे अपने खाते में प्राप्त कर सकें और इसकी सूचना समय रहते ही दी जा सके। ईसीएस अधिदेश फार्म का प्ररूप वार्षिक प्रतिवेदन में संलग्न है।

ख) इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों का धारण

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारण करनेवाले हिताधिकारी मालिकों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अपने निक्षेपागार भागीदार के पास पता, बैंक का विवरण यानी बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, ईसीएस अधिदेश आदि अद्यतित हैं ताकि वे अपना लाभांश सीधे अपने खाते में प्राप्त कर सकें और अन्यथा इसकी सूचना समय रहते दी जा सके।

PAYMENT OF DIVIDEND

The Board in its meeting held on 21st May, 2014 has recommended final dividend of ₹1/- for the year 2013-14 per equity share of nominal value of ₹10/- each. The dividend as recommended by the Board of Directors and approved at the 11th Annual General Meeting will be paid to those shareholders:-

- who hold in electronic form, as per the list furnished by the depositories, i.e., NSDL/CDSL as at the close of business hours on Wednesday, 25th June, 2014 or
- who hold in physical form in the Register of Shareholders as on Wednesday, 25th June, 2014 after giving effect to the valid transfer requests from the shareholders received before close of business hours of the Bank on 30th June, 2014.

Dividend warrants to such shareholders would be sent by the Bank through Registrar and Share Transfer Agents viz, M/s Karvy Computershare Private Limited within 30 days from the date of declaration of dividend on their registered addresses.

UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND

As per section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1970 any money which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid/unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" established under section 205C(1) of the Companies Act 1956.

Shareholders who have not claimed their dividend upto the financial year 2012-13 are requested to lodge valid claim(s) with Registrar and Transfer Agent M/s Karvy Computershare Private Limited.

CHANGE IN ADDRESS/BANK MANDATE AND PAYMENT OF DIVIDEND THROUGH NECS:

a) Holding of shares in Physical Form

Shareholders holding shares in physical form are requested to inform the Registrar and Share Transfer Agent i.e. M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., 17 to 24, Vittal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad – 500 081, in respect of change of address, Bank Account details, viz, Name of Bank, Name of Branch, Account Number, ECS Mandate so that they receive dividend directly in their account & communication etc. in time, if not already done. The format for ECS Mandate form is enclosed in Annual Report.

b) Holding of shares in Electronic Form

Beneficial owners holding shares in electronic form, are requested to ensure that the address, Bank details i.e. Name of Bank, Name of Branch, Account Number, ECS Mandate etc. are duly updated with their Depository Participant so that they may receive dividend directly in their account & the communications, well in time, if not already done.

शेयरधारक कृपया यह नोट करें कि अपने खाते में लाभांश सीधे प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली (एनईसीएस) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिपादित एक पद्धति है। यह सुविधा उन शेयरधारकों को उपलब्ध है जिनका खाता वैसे बैंक में है जिसकी सभी शाखाएं सीबीएस से जुड़ी हैं एवं हिताधिकारी मालिकों के एनईसीएस अधिदेश निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास दर्ज है। मूल रूप से शेयरधारण करनेवाले शेयरधारक रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास ईसीएस अधिदेश प्रस्तुत कर इस सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। इस पद्धति से लाभांश वारंट के मार्ग में खोने या अन्य किसी प्रकार की हानि से बचा जा सकता है।

8. अदावाकृत शेयर

बैंक के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के बाद जारी कुछ शेयर प्रमाणपत्र शेयरधारकों के आवेदन पत्र में उल्लिखित पत्र अधूरे डाक पते एवं तदनुसार परिवर्तित पते की वजह से हमारे रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास वापस लौट आए। बैंक को ऐसे शेयरों के असली शेयरधारकों / मालिकों से दावा / अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। सूचीबद्ध करार के अनुसार बैंक ऐसे शेयरों को अमूर्तिकृत घोषित करेगा जिनका दावा असली शेयरधारकों / मालिकों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

दिनांक 31.03.2014 तक अदावाकृत शेयरों के विवरण निम्नप्रकार हैं :

क्रम सं. SI. No.	विवरण Particulars	शेयरधारकों की संख्या No. of shareholders	शामिल शेयरों की संख्या No. of shares involved
i.	दिनांक 01.04.2013 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर Shares unclaimed as on 01.04.2013	206	28400
ii.	वर्ष 2013-14 के दौरान दावा किए गए और / हिताधिकारी के खाते में अंतरित शेयर Shares claimed and transferred to Beneficiary account during the year 2013-14	NIL	NIL
iii.	दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर Shares unclaimed as on 31.03.2014	206	28400

अदावाकृत शेयरों के मामले में सही मालिक द्वारा दावा नहीं किए जाने तक मताधिकार अवरुद्ध रखे जाएंगे।

ई-मतदान

बैंक अपने शेयरधारकों को ई-मतदान की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है ताकि वे इस नोटिस में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना मतदान कर सकें। सभी शेयरधारकों को ई-वोटिंग के जरिए अपने मत देने में सक्षम बनाने के संबंध में एक अलग सूचना/नोटिस भेजा जा रहा है।

बैठक में चुनाव

दोनों कार्यसूची मदों पर विचार-विमर्श हो जाने के बाद अध्यक्ष दोनों मदों के संबंध में चुनाव का आदेश करेंगे। चुनाव किया जाएगा जो इस प्रयोजन से नियुक्त किए गए जाँचकर्ताओं के पर्यवेक्षण में होगा। चुनाव समाप्त होने पर अध्यक्ष द्वारा बैठक के समाप्त होने की घोषणा की जा सकती है। ई-मतदान के परिणामों के जरिए संग्रहीत चुनाव परिणाम बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट में घोषित किए जाएंगे स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किए जाएंगे।

Shareholders please note that National Electronic Clearing System (NECS) is a procedure stipulated by Reserve Bank of India for receiving dividend directly in their account. This facility is available to the shareholder provided his account is with a branch of a Bank having all of its branches under Core Banking Solution (CBS) and NECS Mandate of the Beneficial owners recorded with their Depository Participant (DP). The shareholders holding shares in physical form can also avail this facility by submitting ECS mandate to Registrar & Share Transfer Agent. This procedure avoids loss of dividend warrant (s) in transit or otherwise.

UNCLAIMED SHARES

Few of the share certificates issued after the Bank's Initial Public Offer returned undelivered to our Registrar & Share Transfer Agents on account of improper address mentioned in the application forms and subsequent change in addresses of the shareholders. Bank is yet to receive claim/request from the bonafide shareholders/owners of such shares. As per the Listing Agreement, the Bank is required to dematerialize the shares which remained unclaimed by the bonafide shareholders/owners of such shares.

Following are details of the shares unclaimed as on 31.03.2014 :

The voting rights in respect of the unclaimed shares will remain frozen till the claim by the rightful owner.

E-Voting

The Bank is pleased to provide e-voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice. A separate communication / Notice is being sent to all the shareholders to enable them to cast their votes through e-voting.

Poll at the Meeting

After both the agenda items have been discussed, the Chairman will order Poll in respect of both the items. Poll will be conducted and supervised under Scrutinizers to be appointed for the purpose. After conclusion of the Poll, the Chairman may declare the meeting as closed. The Results of the Poll aggregated with the results of e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.

बैंक के शेयरों का अनिवार्य रूप से अमूर्तीकृत(डिमाट) रूप में क्रय-विक्रय

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा दिए गए दिशानिर्देश के अनुसारण में सभी निवेशकों के लिए बैंक के शेयरों का क्रय-विक्रय अमूर्तीकृत रूप में किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। बैंक की आईएसआईएन कूट संख्या आईएनई 691ए01018 है।

बैंक के शेयरों के अमूर्तीकरण हेतु निर्गमनकर्ता कंपनी के रूप में राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (एनएसडीएल) और केंद्रीय निक्षेपागार सेवा (भारत) लि. (सीडीएसएल) के साथ बैंक ने करार किया है।

संबंधित निक्षेपागार सहभागियों के माध्यम से अमूर्तीकरण का अनुरोध हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के पास भेजा जा सकता है।

तुलन-पत्र/ वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियां

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक आम बैठक के स्थल पर वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियां वितरित नहीं की जाएंगी।

शेयरधारकों द्वारा पूछताछ

हमें प्रसन्नता होगी यदि शेयरधारक विचारार्थ कार्यसूची की मदों से संबंधित पूछताछ, यदि कोई हो, बैंक में पर्याप्त समय रहते प्रस्तुत करें, ताकि बैंक को प्रभावी रूप से प्रत्युत्तर देने में सहूलियत हो।

शेयर अंतरण एजेंटों के साथ पत्राचार

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पंजीकृत पते या किसी अन्य प्रकार के विवरण में परिवर्तन, यदि कोई हो, संबंधी सूचना अमूर्तीकृत शेयरों के मामले में अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से एवं मूर्त शेयरों के मामले में सीधे बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को इस पते पर दें :

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड

यूनिट : यूको बैंक

प्लॉट सं. 17 से 24, विडुलराव नगर, माधपुर, हैदराबाद -500 081

दूरभाष : (040) 44655000; फैक्स (040)23420814

ऑनलाइन पूछताछ/शिकायत दर्ज करने हेतु बैंक के शेयरधारक मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट

www.karvycomputershare.com पर लॉग ऑन करें और अपनी पूछताछ/शिकायत, यदि कोई हो, दर्ज करने हेतु निवेशक सेवा पृष्ठ पर क्लिक करें।

13. शेयर अनुभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष

शेयरधारकों को शीघ्र एवं बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में निवेशक शिकायत कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक एवं निवेशक किसी भी प्रकार की सहायता के लिए इस कक्ष से निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं :

श्री एन.पूर्णचंद्र राव, कंपनी सचिव, शेयर अनुभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 2 - इंडिया एक्सचेंज प्लेस (3रा तल), कोलकाता- 700001

दूरभाष : 033-44557227, फैक्स : (033) 22485625

निदेशक मंडल के
आदेश से

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 28.05.2014

(अरुण कौल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

COMPULSORY TRADING OF SHARES OF THE BANK IN DEMATERIALISED (DEMAT) FORM

Pursuant to the directive of SEBI, trading of our Bank Shares in dematerialised form has been made compulsory for all investors. ISIN Code Number of the Bank is INE691AO1018

The Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd (CDSL) as an issuer Company for dematerialisation of Bank's Shares.

Request for dematerialisation may be sent through respective depository participants to our Registrars and Share Transfer Agent.

COPIES OF BALANCE SHEET/ANNUAL REPORT

Shareholders are advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting.

Shareholders Queries

It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, on the agenda items to be considered at the Meeting sufficiently in advance to facilitate effective response from the Bank.

COMMUNICATION WITH SHARE TRANSFER AGENTS

Shareholders are requested to intimate changes, if any, in their registered address or any other particulars through their Depository Participant in case of DEMAT shares and directly in case of physical shares to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address :

M/S Karvy Computershare Private Limited

Unit : UCO BANK,

Plot No. 17 to 24, Vittalrao Nagar, Madhapur,

Hyderabad – 500 081

Tel : (040) 44655000; Fax : (040)23420814

For on line queries/grievances, shareholders of the Bank may login on the website of M/s Karvy Computershare Private Limited i.e., www.karvycomputershare.com and click on Investor Services page to register their queries/grievances, if any.

SHARE SECTION & INVESTORS GRIEVANCE CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up Investors Grievance Cell at its Head Office, Kolkata, Shareholders and investor may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance :

Shri N Purna Chandra Rao, Company Secretary, Share Section & Investors Grievance Cell, UCO Bank, Head Office : 2, India Exchange Place (3rd Floor), Kolkata – 700 001

Telephone : 033-44557227, Fax : (033) - 22485625

By Order of the
Board of Directors

Place: Kolkata
Date: 28.05.2014

(Arun Kaul)
Chairman & Managing Director

दिनांक 31.03.2014 को समाप्त 7 वर्ष की अवधि के महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन निर्देशक
KEY PERFORMANCE INDICATORS FOR 7 YEARS PERIOD ENDED ON 31.03.2014

(करोड़ ₹. में/ ₹. in Crore)

कारोबार मानदंड Business Parameters	मार्च 2014 March 2014	मार्च 2013 March 2013	मार्च 2012 March 2012	मार्च 2011 March 2011	मार्च 2010 March 2010	मार्च 2009 March 2009	मार्च 2008 March 2008
कुल जमा / Total Deposits	199534	173431	154003	145278	122416	100222	79909
कुल अग्रिम / Total Advances	153163	131569	117504	100561	83371	69669	55627
कुल कारोबार / Total Business	352697	305000	271507	245839	205787	169891	135536
निवेश / Investment	67846	52515	46185	43124	43700	29512	24629
ब्याज आय / Interest Income	18230	16752	14632	11371	9526	8121	6509
ब्याज व्यय / Interest Expenditure	12171	12170	10730	7526	7202	6477	5021
निवल ब्याज आय / Net Interest Income	6059	4582	3902	3845	2324	1644	1488
परिचालन लाभ / Operating Profit	4940	3357	2811	2695	1706	1202	954
निवल लाभ / Net Profit	1511	618	1109	907	1012	558	412
ऋण जमा अनुपात / Credit Deposit Ratio	76.76	75.86	76.30	69.22	68.10	69.51	69.61

दिनांक 31.03.2014 को समाप्त 7 वर्ष की अवधि की वित्तीय विशिष्टताएं
FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR 7 YEARS PERIOD ENDED ON 31.03.2014

विवरण Particulars	मार्च 2014 March 2014	मार्च 2013 March 2013	मार्च 2012 March 2012	मार्च 2011 March 2011	मार्च 2010 March 2010	मार्च 2009 March 2009	मार्च 2008 March 2008
कुल आय के % के रूप में शुद्ध ब्याज आय Net Interest Income as % to Total Income	30.99	25.88	25.02	31.27	22.15	17.98	20.44
जमा की औसत लागत (%) Average Cost of Deposits (%)	6.17	7.12	7.30	5.74	6.44	7.25	6.74
अग्रिमों से औसत आय (%) Average Yield on Advances (%)	9.91	10.63	11.28	10.00	10.13	10.67	9.96
निवल ब्याज मार्जिन (%) / Net Interest Margin (%)	2.82	2.34	2.77	3.07	2.19	1.97	1.87
पूंजी पर्याप्तता (%) / Capital Adequacy (%)							
बासेल-I / BASEL - I		12.43	11.03	11.87	11.35	9.75	10.09
बासेल-II / BASEL - II	13.40	14.15	12.35	13.71	13.21	11.93	11.02
बासेल-III /BASEL - III	12.68						
प्रति शाखा कारोबार (करोड़ ₹) Business per Branch (₹ Crore)	121.87	116.95	113.60	111.44	95.63	82.15	69.12
प्रति कर्मचारी कारोबार (करोड़ ₹) Business per Employee (₹ Crore)	15.28	13.43	12.47	11.36	9.01	7.32	5.80
सकल अनर्जक आस्ति अनुपात (%)/Gross NPA Ratio(%)	4.32	5.42	3.48	3.13	1.99	2.21	2.97
निवल अनर्जक आस्ति अनुपात (%) / Net NPA Ratio (%)	2.38	3.17	1.96	1.84	1.17	1.18	1.98
आस्तियों पर प्रतिफल (%) / Return on Assets (%)	0.70	0.33	0.69	0.66	0.87	0.59	0.52
प्रति शेयर बही मूल्य/ Book Value per Share (in ₹)	104.85	97.19	94.72	82.00	65.74	50.88	31.08
प्रति शेयर अर्जन (₹ में) Earning per Share (in ₹)*	*19.44	*6.28	*15.02	*14.29	*18.42	*7.63	5.16

*शेयरों की संख्या का भारित औसत/*Weighted average number of Share

तालिका/TABLE — I

शाखा नेटवर्क \ Branch Network

क्रम संख्या Sl. No.	स्थान/देश Places/Countries	18.07.1969 की स्थिति के अनुसार As on 18.07.1969	31 दिसम्बर, 1985 की स्थिति के अनुसार As on 31st December 1985	31 मार्च की स्थिति के अनुसार				
				2010	2011	2012	2013	2014
1	भारत में (देशी) / In India (Domestic)	351	1712	2148	2202	2390	2610	2890
2	भारत के बाहर / Overseas	6	9	4	4	4	4	4
3	यूनाइटेड किंगडम / United Kingdom	1	2	-	-	-	-	-
4	सिंगापुर / Singapore	3	3	2	2	2	2	2
5	हांग कांग / Hong Kong	2	4	2	2	2	2	2
6	शाखाओं की कुल संख्या (वैश्विक) Total Number of Branches (Global)	357	1721	2152	2206	*2394	*2614	*2894
7	विस्तार काउंटरों की संख्या No. of Extension Counters	-	80	7	4	3	3	2

*दिनांक 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार सभी शाखाएं सीबीएस समर्थित हैं।

*As on 31.3.2014 All Branches are CBS enabled.

तालिका/TABLE — II

वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों की क्षेत्रवार स्थिति Sector-wise Position of Priority Sector Advances of the Bank for the Years 2009-10 to 2013-14

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

क्रम संख्या Sl. No.	निम्नलिखित को वित्तपोषण Financing of	निम्नलिखित के अनुसार बकाया शेष Balance Outstanding as on				
		मार्च March	मार्च March	मार्च March	मार्च March	मार्च March
		2010	2011	2012	2013	2014
1	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम / Priority Sector Advances	27600	28253	28301	34962	51965
2	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम/एएनबीसी / Priority Sector Advances/ANBC (%)	43.91	39.16	33.56	32.13	42.71
3	कृषि क्षेत्र को अग्रिम / Agriculture Advances	14309	11643	9653	12625	16642
4	कृषि क्षेत्र को अग्रिम / एएनबीसी / Agriculture Advances/ANBC (%)	22.76	16.14	11.45	11.60	13.68
5	कमजोर वर्गों को अग्रिम / Advances to Weaker Sections	6733	7496	7861	10327	14319
6	कमजोर वर्गों को अग्रिम/एएनबीसी / Adv. To Weaker Sections/ANBC (%)*	10.71	10.39	9.32	9.49	11.77
7	एमएसएमई अग्रिम / MSME Advances	12316	14790	17860	20871	30828
8	जिनमें से एमएसई अग्रिम / Of Which MSE Advances	9077	11973	13437	16421	26389

निदेशक मंडल की रिपोर्ट : 2013-14

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS : 2013-14

I. प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण

1. वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक आर्थिक प्रगति लगभग अपरिवर्तित रही है और 2013 की दूसरी छमाही में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है। ताजा अनुमान के अनुसार वैश्विक वृद्धि 2014 के 3½ प्रतिशत के आसपास रहने की संभावना है, जो 2013 में वृद्धि से लगभग ½ प्रतिशत अधिक है। वैश्विक उत्पादन के विस्तार में विकसित अर्थव्यवस्थाओं, खासकर अमेरिका का योगदान सबसे अधिक रहने की उम्मीद है। हालांकि अमेरिका में मात्रात्मक प्रचुरता में निरंतर कमी आने, यूरो क्षेत्र में जारी मुद्रा अपस्फीति से जुड़ी चिंताओं एवं कमजोर तुलन पत्रों और उभरते हुए बाजारों तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के दबावों के कारण विकास रेखा के नीचे गिरने का जोखिम भी सामने आ सकता है। हाल के वर्षों में ऋणों में तेजी के कारण चीन में पैदा हुई वित्तीय अस्थिरता से वैश्विक व्यापार एवं विकास के लिए बड़ा जोखिम उत्पन्न हो सकता है।

विकसित अर्थव्यवस्थाओं तथा कुछ बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में गतिविधियों का स्तर क्षमता से कम रहने के कारण वैश्विक मुद्रास्फीति नियंत्रण में बनी रही है और 2014 में वैश्विक पण्य मूल्यों के कम रहने की आशा है। हालांकि कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति की दर अधिक बनी हुई है, फिर भी मौद्रिक नीति को सख्त बनाने के लिए उठाए गए कदमों और उत्पादन में कमी की प्रत्याशा कुछ हद तक अपस्फीति के हालात पैदा करने में मदद कर सकती है। विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों में अंतर के कारण वैश्विक वृद्धि के लिए जोखिम बढ़ गया है।

मई 2013 से अमेरिकी संघ से मिल रहे मंदी के रद्धान से लगे अप्रत्याशित झटके के बाद वैश्विक वित्तीय बाजारों ने मात्रात्मक प्रचुरता में वास्तविक कमी के आरंभिक प्रभाव को बहुत हद तक निष्प्रभावी कर दिया था। हालांकि वैश्विक ब्याज दर चक्र में परिवर्तन की शुष्कता हो चुकी है। इसके अलावा विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा मौद्रिक निवेश के एक बड़े हिस्से की निकासी की जानी अभी बाकी है। इसके बाद विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को पूंजी प्रवाह अस्थिर रह सकता है, यदि उनके द्वारा कटौती नहीं की जाती है तब भी। कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कार्पोरेट लिक्विडिटी बढ़ने के साथ-साथ पूंजी प्रवाह की अस्थिरता लिक्विडिटी शॉक में भी बदल सकती है, जिसका प्रभाव आरिस्त मूल्यों पर पड़ेगा।


I. Management Discussion and Analysis

1. GLOBAL ECONOMIC SCENARIO :

Global economic growth remains broadly unchanged and economic activity had strengthened in H2 of 2013. On the current reckoning, global growth is likely to be in the vicinity of 3½ per cent in 2014, about ½ a percentage point higher than in 2013. The expansion in global output is expected to be led by advanced economies (AEs), especially the US. However, downside risks to growth trajectory arise from ongoing tapering of quantitative easing (QE) in the US, continuing deflation concerns and weak balance sheets in the euro area and, inflationary pressures in the emerging market and developing economies (EMDEs). Weakening growth and financial fragilities in China that have arisen from rapid credit in recent years which pose a large risk to global trade and growth.

Global inflation remains benign with activity levels staying below potential in the AEs as well as in some large EMDEs and a softer bias for global commodity prices is continuing into 2014. However, inflation in many EMDEs remains high, though actions in tightening monetary policy and slack in output are expected to help generate some disinflationary momentum. The divergent trends in inflation between AEs and EMDEs pose an added risk to global growth.

After the unexpected shock from the May 2013 tapering indication by the US Fed, global financial markets have weathered the initial dose of actual tapering of the quantitative easing (QE) quite well. However, the global interest rate cycle has just begun to turn. Moreover, a large part of the withdrawal of monetary accommodation by AEs remains to play out. Consequently, capital flows to EMDEs could remain volatile, even if they do not retrench. Also, with corporate leverage rising in many EMDEs, capital flow volatility could translate into liquidity shocks impacting asset prices.



आईएमएफ आर्थिक अनुमान के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका की अनुमानित वृद्धि 2014 में 2.8 प्रतिशत रहेगी, जो 2013 से 1.9 प्रतिशत अधिक है। यूरो क्षेत्र मंदी के दौर से उबर रहा है। वृद्धि का अनुमान 2014 में 1 प्रतिशत अधिक तथा 2015 में 1.4 प्रतिशत अधिक लगाया गया है, लेकिन मंदी से उबरने की प्रक्रिया एक जैसी नहीं रहेगी। ब्रिटेन सुविधाजनक ऋण परिस्थितियों की मदद से उत्साहित और आत्मविश्वास से भरपूर है। वृद्धि 2014-15 में औसतन 2¼ प्रतिशत रहने की उम्मीद है, लेकिन आर्थिक मंदी का उँचा असर बना रहेगा। जापान में अक्टूबर, 2013 की तुलना में वृद्धि की दर क्रमशः और धीमी होगी। इसके अग्रगामी प्रभाव से 2015 में 1 प्रतिशत तक गिरने से पहले 2014 में वार्षिक वृद्धि के 1.7 प्रतिशत के आसपास अपरिवर्तित रहने की आशा है। कुल मिलाकर उभरते बाजारों एवं विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि का स्तर 2014 में 5.1 प्रतिशत तथा 2015 में 5.4 प्रतिशत रहने की आशा है। चीन में निवेश के बढ़ने से 2013 की दूसरी छमाही में वृद्धि की दर मजबूती हुई। कुल मिलाकर वैश्विक वृद्धि के 2013 के 3 प्रतिशत से बढ़कर 2014 में 3.7 प्रतिशत तथा 2015 में 3.9 प्रतिशत होने का अनुमान है।

घरेलू आर्थिक परिदृश्य

वर्ष 2013-14 के लिए केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के पूर्व अनुमान के अनुसार वर्ष 2013-14 में स्थिर मूल्य (2004-05) पर फैक्टर कॉस्ट पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के ₹57.5 लाख करोड़ के स्तर को छूने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2012-13 के लिए जीडीपी का प्रथम संशोधित अनुमान ₹54.8 लाख करोड़ था। वर्ष 2013-14 में जीडीपी में वृद्धि की दर 2012-13 के 4.5 की तुलना में 4.9 रहने का अनुमान है।

“कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन” क्षेत्र ने 2013-14 के दौरान जीडीपी में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई थी, जबकि उसके पिछले वर्ष वृद्धि की दर 1.4 प्रतिशत ही थी।

2013-14 के दौरान “विनिर्माण”, “खनन एवं उत्खनन”, “विद्युत, गैस एवं जल प्रदाय” और “निर्माण” में वृद्धि का अनुमान क्रमशः (-) 0.2 प्रतिशत, (-) 1.9 प्रतिशत, 6.0 प्रतिशत एवं 1.7 प्रतिशत है, जबकि 2012-13 में क्रमशः 1.1 प्रतिशत, (-) 2 प्रतिशत, 2.3 प्रतिशत एवं 1.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। सेवाओं के अंतर्गत व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार के क्षेत्रों में जीडीपी में पिछले वर्ष 5.1 प्रतिशत के मुकाबले 2013-14 के दौरान 3.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। सेक्टर फायनेंसिंग, बीमा, रियल इस्टेट एवं व्यावसायिक सेवाओं में 2012-13 की वृद्धि दर 10.9 प्रतिशत की तुलना में 2013-14 के दौरान 11.2 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। सामुदायिक, सामाजिक एवं निजी सेवाओं में 2013-14 के दौरान वृद्धि की दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

कृषि क्षेत्र में रिकार्ड उत्पादन हुआ है। तृतीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2013-14 में कुल खाद्यान्न उत्पादन के लगभग 264 मिलियन टन रहने की उम्मीद है, जो 2012-13 से 2.8 प्रतिशत अधिक है। हालांकि प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार मार्च 2014 की शुरुआत में देश के विभिन्न भागों में तूफान एवं पाले के साथ बेमौसमी बरसात के कारण गेहूँ, सरसों बीज, प्याज एवं ज्वार जैसी रबी फसलों बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। एल नीनो के मानसून पर संभावित असर के कारण भी भविष्य की फसलों पर अनिश्चितता के बादल मँड़रा रहे हैं।

मुद्रा एवं बैंकिंग

2013-14 के लिए (21 मार्च, 2014 तक) ब्रांड मनी (एम3) पिछले वर्ष की इसी अवधि के 13.8 प्रतिशत की तुलना में 13.5 प्रतिशत से बढ़ गया

According to IMF economic outlook, the projected growth in the United States is to be 2.8 percent in 2014, increase from 1.9 percent in 2013. The euro area is turning the corner from recession to recovery. Growth is projected to strengthen to 1 percent in 2014 and 1.4 percent in 2015, but the recovery will be uneven. United Kingdom has been buoyed by easier credit conditions and increased confidence. Growth is expected to average 2¼ percent in 2014-15, but economic slack will remain high. Japan, growth is now expected to slow more gradually as compared with October 2013. Annual growth is expected to remain broadly unchanged at 1.7 percent in 2014, given carryover effects, before moderating to 1 percent in 2015. Overall, growth in emerging market and developing economies is expected to increase to 5.1 percent in 2014 and to 5.4 percent in 2015. Growth in China rebounded strongly in the second half of 2013, due to largely on account of acceleration in investment. In sum, global growth is projected to increase from 3 percent in 2013 to 3.7 percent in 2014 and 3.9 percent in 2015.

2. DOMESTIC ECONOMIC SCENARIO :

As per the Central Statistical Organization's Advance Estimate for the year 2013-14, Gross Domestic Product (GDP) at factor cost at constant (2004-05) prices in the year 2013-14 is likely to attain a level of ₹57.5 lakh crore, as against the First Revised Estimate of GDP for the year 2012-13 of ₹54.8 lakh crore. The growth in GDP during 2013-14 is estimated at 4.9 per cent as compared to the growth rate of 4.5 percent in 2012-13.

The 'agriculture, forestry and fishing' sector is likely to show a growth of 4.6 per cent in its GDP during 2013-14, as against the previous year's growth rate of 1.4 percent.

The estimated growth in the 'manufacturing' 'mining and quarrying', 'electricity, gas and water supply', and 'construction' is estimated to be (-) 0.2 per cent, (-) 1.9 percent, 6.0 percent and 1.7 percent, respectively, during 2013-14 as compared to growth of 1.1 percent, (-) 2 percent, 2.3 percent and 1.1 percent, respectively, in 2012-13. In the services sector, the estimated growth in GDP for the trade, hotel, transport and communication sectors during 2013-14 is placed at 3.5 percent as against of 5.1 percent in the previous year. The sector financing, insurance, real estate and business services is expected to show a growth rate of 11.2 percent during 2013-14 as compared to growth rate of 10.9 percent in 2012-13, The growth rate of community, social and personal services during 2013-14 is estimated to be 7.4 percent.

Agriculture sector has witnessed record production. As per the Third advance estimates, the total food grains production in the 2013-14 is expected to be around 264 Million tonnes, almost 2.8 percent more than 2012-13. However, preliminary reports suggest that the unseasonal rains accompanied by hailstorm, and frost during early March 2014 in various parts of the country has adversely affected rabi crops like wheat, mustard seeds, onions and jowar. The possible effects of El Nino on the monsoon also add to an additional element of uncertainty for future harvests.

Money and Banking

Broad money (M3) for 2013-14 (up to March 21, 2014) increased by 13.5 percent as compared to 13.8 percent during the

है। 21 मार्च, 2014 को वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि पिछले वर्ष के 13.8 प्रतिशत की तुलना में 13.5 प्रतिशत रही। वित्तीय वर्ष 2013-14 (21 मार्च, 2014 तक) के दौरान बैंक ऋण में वर्ष-दर-वर्ष 14.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह वृद्धि 14.1 प्रतिशत थी। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) में स्थित सकल जमाओं में पिछले वर्ष की 14.2 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में (21 मार्च, 2014 तक) 14.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मार्च, 2014 में बैंक दर, रेपो दर एवं रिवर्स रेपो दर क्रमशः 9 प्रतिशत, 8 प्रतिशत एवं 7 प्रतिशत रही।

चलनिधि

2013-14 के दौरान एलएएफ (टर्म रिपो सहित) के अंतर्गत शुद्ध औसत उधार लगातार गिरते हुए मार्च 2013 में ₹1.2 ट्रिलियन से अक्टूबर एवं नवंबर 2013 (13 नवंबर, 2013 तक) में ₹0.9 ट्रिलियन रह गया। चलनिधि की स्थिति में 2013-14 की पहली तिमाही के दौरान लगातार सुधार आया। इसके अलावा, आरबीआई ने 2013-14 की पहली तिमाही के दौरान दो बार ओएमओ क्रय नीलामी कराई, जिसके द्वारा ₹165 बिलियन की नकदी की आवक हुई। एलएएफ के अंतर्गत शुद्ध औसत उधार 2013-14 की पहली तिमाही के ₹827 बिलियन से गिर कर जुलाई 2013 में ₹526 बिलियन रह गया। एलएएफ में कमी कुल मिलाकर एनडीटीएल के 1 प्रतिशत के नीचे रही और मनी मार्केट दरें भी एमएसएफ दर के नीचे रहीं।

फरवरी 2014 के पूर्वार्द्ध में रिज़र्व बैंक के पास केन्द्र सरकार का रोकड़ शेष अधिक रहने और चलन में मुद्रा की वृद्धि करने के कारण उत्पन्न अवरोधी दबावों से चलनिधि में कमी की स्थिति बनी रही। हालांकि 17 फरवरी, 2014 को वोट ऑन अकाउंट प्रस्तुतिकरण के बाद सरकार द्वारा रोकड़ शेष में उल्लेखनीय कमी लाई गई और टर्म रिपो के जरिये अतिरिक्त चलनिधि डाली गई, जिसके कारण चलनिधि पर दबावों में कमी आई। इसका असर ओवरनाइट एलएएफ के अंतर्गत लिमिट के उपयोग में कमी एवं एमएसएफ के अंतर्गत उधार में कमी के रूप में सामने आया। एलएएफ का दैनिक परिमाण (रिपो एवं एमएसएफ को मिलाकर) फरवरी मध्य के ₹1.3 ट्रिलियन से घटकर मार्च 2014 के आरंभ में ₹0.9 ट्रिलियन रह गया। ऋण एवं जमा वृद्धि में अंतराल के घटने से चलनिधि में कमी से कुछ राहत मिली। चलनिधि पर पड़ रहे दबावों को नियंत्रित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने ओवरनाइट रिपो, एमएसएफ एवं टर्म रिपो के जरिये चलनिधि उपलब्ध कराने के अलावा 2013-14 की चौथी तिमाही के दौरान ओएमओ तत्काल क्रय नीलामी के जरिये लगभग ₹95 बिलियन चलनिधि जुटाई। हालांकि अग्रिम कर अदायगी के कारण मार्च 2014 के मध्य में चलनिधि में कमी की स्थिति बन गई थी। मार्च के अंत में चलनिधि की अनुमानित कमी से निपटने और बैंकिंग प्रणाली के चलनिधि प्रबंधन को लचीलापन उपलब्ध कराने के लिए रिज़र्व बैंक ने मार्च 2014 में विभिन्न अवधि के टर्म रिपो की घोषणा की। इसके साथ-साथ 29 एवं 31 मार्च, 2014 को छुट्टी के दिन होने पर भी वार्षिक खाताबंदी को संभव बनाने के लिए एमएसएफ सुविधा उपलब्ध कराई गई।

2013-14 के दौरान एलएएफ, एमएसएफ एवं टर्म रिपो के जरिये ₹906 बिलियन तथा निर्यात ऋण पुनर्वित्तीयन (ईसीआर) के जरिये ₹294 बिलियन की औसत दैनिक शुद्ध चलनिधि उपलब्ध कराने के साथ-साथ तत्काल ओएमओ के जरिये लगभग ₹520 बिलियन की शुद्ध चलनिधि उपलब्ध कराई गई। चौथी तिमाही के दौरान एलएएफ, एमएसएफ एवं टर्म रिपो के जरिये ₹1.1 ट्रिलियन तथा ईसीआर के जरिये ₹397 बिलियन उपलब्ध कराया गया।

corresponding period of the last year. The year-on-year growth, as on March 21, 2014 was 13.5 percent vis-à-vis 13.8 percent in the previous year. During the financial year 2013-14 (up to March 21, 2014), bank credit registered a growth of 14.3 percent year-on-year, as compared to 14.1 percent during the corresponding period last year. The aggregate deposits with Scheduled Commercial Banks (SCBs) increased by 14.6 percent (up to March 21, 2014), as compared to 14.2 percent in the previous year. As on March 2014, Bank rate, Repo Rate and Reverse Repo rate stood at 9 percent, 8 percent and 7 percent respectively.

Liquidity

During 2013-14 net average borrowings under the LAF (including term repos) have declined gradually from ₹1.2 trillion in March 2013 to ₹0.9 trillion in October and November 2013 (up to November 13, 2013). Liquidity conditions eased gradually during Q1 of 2013-14. In addition, the RBI conducted two OMO purchase auctions during the quarter, thereby injecting liquidity to the tune of ₹165 billion. The average net borrowings under LAF declined to ₹526 billion in July 2013 from ₹827 billion in the first quarter of 2013-14. The overall LAF deficit remained below 1 percent of NDTL and money market rates also fell below the MSF rate.

Frictional pressures arising from elevated central government cash balances with the Reserve Bank and a rise in currency in circulation contributed to tight liquidity conditions in the first half of February 2014. However, on the back of significant drawdown in the government's cash balances post the 'Vote on Account' presentation on February 17, 2014, and the injection of additional liquidity through term repos, the strains on liquidity eased. This was reflected in the under-utilisation of the limit under the overnight LAF and reduced borrowings under MSF. The daily recourse to LAF (including term repo and MSF) declined from around ₹1.3 trillion in Mid-February to ₹0.9 trillion in early March 2014. Narrowing of the wedge between credit and deposit growth also contributed to a reduction in the liquidity deficit. To manage evolving liquidity pressures, the Reserve Bank injected liquidity of about ₹95 billion through OMO outright purchase auction during Q4 of 2013-14, in addition to providing liquidity through overnight repo, MSF and term repos. However, liquidity conditions tightened from mid-March 2014 on the back of advance tax outflows. In order to address the anticipated tightening in liquidity conditions and with a view to providing flexibility to the banking system in its liquidity management towards end-March, the Reserve Bank announced term repos of various tenors in March 2014. Besides, it extended the MSF facility on March 29 and 31, 2014, both being holidays, to facilitate annual closing of accounts.

During 2013-14, net liquidity to the tune of about ₹520 billion has been injected through outright OMOs, besides an average daily net liquidity injection of Rs 906 billion through LAF, MSF and term repos and ₹294 billion through export credit refinance (ECR). During Q4, an average ₹1.1 trillion has been injected on a daily basis via LAF, MSF and term repos and Rs 397 billion through ECR.

बाँड मार्केट

केन्द्र सरकार द्वारा अप्रैल-नवंबर 2013 के दौरान लिया गया सकल उधार अनुमानित सकल उधार का 75.0 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 78.7 प्रतिशत से कम है। यद्यपि सरकार द्वारा उधार लेने का कार्यक्रम दिनांकित प्रतिभूतियों के चुकौती कार्यक्रम की तरह पूर्व निर्धारित ही था, फिर भी नकदी प्रवाह अनुमानों को देखते हुए पूरे वर्ष की अवधि में इसका वितरण अधिक व्यस्थित था। आरबीआई द्वारा नीति में दी गई ढील तथा अनुकूल मुद्रास्फीति अनुमानों के कारण इस वर्ष सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्त की शुरुआत सकारात्मक रही। हालांकि मई के मध्य में प्राप्तियों के बढ़ने की शुरुआत यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा मात्रात्मक प्रचुरता में कमी की आशंकाओं से हुई, जिसके कारण भारतीय ऋण बाजार से विदेशी संस्थागत निवेशों की निकासी की शुरुआत भी हो गई। फलस्वरूप रुपये पर विनिमय दर दबाव पड़ा और आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति को सख्त बनाया गया, जिसके कारण प्राप्तियां और बढ़ गईं। फ्लैट/इन्वर्टेड यील्ड कर्व, दीर्घ अवधि ऋण के लिए बेहतर रुझान और ऋण प्रबंधन प्रतिफल को देखते हुए वर्ष के दौरान निर्गम की परिपक्वता अवधि को भी और अधिक बढ़ा दिया गया। 2013-14 के दौरान (19 नवंबर 2013 तक) जारी प्रतिभूतियों (इन्फ्लेशन इन्डेक्सड बांड को छोड़कर) की भारित औसत परिपक्वता 14.37 वर्ष रही, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 13.49 प्रतिशत थी। उक्त अवधि में भारित औसत प्राप्त 8.31 प्रतिशत रही, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 8.42 प्रतिशत थी।

शोक विक्री मूल्य मुद्रा स्फीति

पिछले 12 माह के लिए औसत डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन दर (अप्रैल 2013 से मार्च 2014) 5.93 प्रतिशत रही, जबकि 2012-13 की समान अवधि के लिए यह 7.35 प्रतिशत थी। वर्ष के दौरान सब्जियों के मूल्यों में तेजी और स्मये के मूल्य में कमी के कारण ईंधन समूह के मूल्यों में उछाल के कारण हेडलाइन इन्फ्लेशन में वृद्धि हुई, जिसका असर हेडलाइन डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन पर भी पड़ा। फुड इन्फ्लेशन भी अधिक बना रहा, जिसके कारक समय के साथ बदलते रहे। वर्ष 2013-14 के दौरान अनाज, दालें, सब्जी, अंडे, मांस एवं मछली, चीनी एवं खाद्य तेल सहित भोज्य पदार्थों के सभी प्रमुख उप समूहों में मुद्रास्फीति पूरे वर्ष उँचे स्तर पर बनी रही। मुद्रा-स्फीति के उँचे स्तर पर होने का प्रमुख कारण ईंधन समूह में स्फीति था। गैर-खाद्य विनिर्मित खंड में मुद्रा स्फीति में कमी मुख्यतः धातुओं, रसायनों तथा मशीनरी और मशीन एवं उपकरणों में स्फीति का कम होना था। धातुओं, कार्बनिक रसायनों एवं उर्वरक की स्फीति में कमी का कारण इन वस्तुओं के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट था।

2013 के दौरान अंतरराष्ट्रीय वस्तु मूल्यों में कमी का कारण था उभरती एवं विकसित अर्थव्यवस्थाओं में छाई मंदी। धातुओं और भोज्य पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय कीमतें गिरीं, जबकि ऊर्जा का मूल्य चढ़ा। स्मये में गिरावट के ताजा दौर से दूसरी तिमाही में घरेलू हेडलाइन डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन पर वैश्विक वस्तु मूल्यों में कमी के प्रभाव को कुछ हद तक बेअसर कर दिया। धातु मूल्यों में कमी की मुख्य वजह धातु खनिज आपूर्ति में लगातार वृद्धि के साथ-साथ चीन (डब्ल्यूईओ, अक्टूबर, 2013) के रियल इस्टेट क्षेत्र में मंदी के मिल रहे कुछ संकेत भी हैं। कच्चे तेल की स्पॉट कीमत (ब्रेन्ट) यूएस डॉलर 105 प्रति बैरल के ऊपर बनी रही, जिसके मूल में आपूर्ति में आ रही कई प्रकार की बाधाएं और मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका में भौगोलिक राजनीतिक चिंताएं हैं।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी जाने वाली खुदरा मूल्य स्फीति मार्च 2014 में पिछले माह के 8 प्रतिशत से बढ़कर 8.3 प्रतिशत हो गई। पिछले

Bonds Market

Gross borrowings raised by the Central Government during April-November 2013 constituted 75.0 percent of budgeted gross borrowings, lower than 78.7 percent in the corresponding period of the previous year. The borrowing programme of the Government, though continued to be front-loaded in line with repayment schedule of dated securities, was more evenly distributed across the year in view of the cash flow projections. Yields on government securities began on a positive note this year due to policy easing by the RBI and a benign inflation outlook. The yields, however, began to rise in end-May due to apprehensions of tapering of quantitative easing by the US Federal Reserve which triggered exit of FIs from the Indian debt market. The resulting exchange rate pressure on Rupee and monetary tightening by the RBI drove yields further up. The maturity of issuance during the year was elongated further in view of the flat/inverted yield curve, better appetite for longer term debt and debt management considerations. The weighted average maturity of securities issued (excluding inflation indexed bonds) during 2013-14 (up to 19 November 2013) was 14.37 years as compared to 13.49 years in the corresponding period of the previous year. The weighted average yield during the same period was 8.31 percent as compared to 8.42 percent in the corresponding period of the previous year.

Whole Sale Price Inflation

The average WPI inflation rate for the last 12 month (April 2013 to March 2014) was 5.93 percent as compared to 7.35 percent during the corresponding period in 2012-13. Head line inflation increased during the year due to spike in vegetable prices and high inflation in fuel group on account of depreciation of rupee led to rebound in headlines WPI inflation. Food inflation remained elevated, its drivers have been changing overtime. During the year 2013-14, inflation remained elevated across the board for all major subgroups of food including Cereals, Pulses, Vegetable, eggs, meat and fish, sugar and edible oils. Inflation in fuel group was the main contributor to elevated level of inflation. Inflation in non- food manufactured segment declined mainly backed by lower inflation in Metals, Chemicals and Machinery and Machine tools. Moderation in Metals, Organic Chemicals and Fertiliser inflation was in line with the fall in International Prices of these commodities.

Slowdown in emerging and developing economies was one of the factors behind lower international commodity prices during 2013. International commodity prices for metals, and food declined, while energy prices have edged up. The recent bout of depreciation of the rupee has slightly offset the impact of moderation in global commodities prices on domestic headline WPI inflation in the second quarter. Metals prices have declined mainly on account of continuing rise in metals mine supplies coupled with some signs of slowdown in the real estate sector in China (WEO, October 2013). Crude oil spot prices (Brent) remained above US\$ 105 per barrel, reflecting various supply disruptions and renewed geo political concerns in Middle East and North Africa.

Retail price inflation, measured by the Consumer price Index, inched up to 8.3 percent in March 2014 from eight percent in the

चार महीनों में स्फीति पहली बार बढ़ी है। यह नवंबर 2013 के 11.2 प्रतिशत से गिरती हुई फरवरी 2014 में 8 प्रतिशत तक पहुँच गई थी।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, तेलशोधन उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट एवं विद्युत, इन आठ प्रमुख उद्योगों का प्रदर्शन 2013-14 में बहुत धीमा रहा। इनके कुल उत्पादन में 2012-13 में दर्ज 6.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में इस वर्ष केवल 2.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। 2012-13 में प्रदर्शित वृद्धि 2013-14 के मुकाबले बहुत बेहतर नजर आती है। लेकिन इसका कारण अधिकांशतः तेलशोधन उत्पादों के आँकड़ों के नमूना आकार में परिवर्तन है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 का समापन भारतीय उद्योग के लिए नकारात्मक सुर के साथ हुआ। भारत की औद्योगिक गतिविधियों का आधिकारिक पैमाना, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) मार्च 2014 में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में 0.5 प्रतिशत गिरा है। अप्रैल-मार्च 2014 अवधि के पूरे वर्ष के लिए आईआईपी ने पिछले वर्ष की इसी अवधि के 1.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 0.1 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की। इस गिरावट का मुख्य कारण विनिर्माण क्षेत्र था। पिछले कुछ महीनों में देखी गई प्रवृत्ति को जारी रखते हुए विनिर्माण क्षेत्र ने मार्च 2014 के उत्पादन में 1.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है। पिछले महीनों की तरह ही मार्च में भी गिरावट का कारण पूंजीगत माल एवं उपभोक्ता टिकाऊक्षेत्र ही रहे। पूंजीगत माल के उत्पादन में 12.5 प्रतिशत और उपभोक्ता टिकाऊ माल के उत्पादन में 11.8 प्रतिशत की गिरावट आई।

खनन क्षेत्र ने भी, जिसने नवंबर 2013 में वापसी करते हुए वृद्धि प्रदर्शित की थी, मार्च 2014 में पिछले वर्ष के इसी माह के उत्पादन से 0.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है। उद्योग जगत का मार्च 2014 में वृद्धि प्रदर्शित करने वाला एकमात्र प्रमुख उप-खंड विद्युत है। मार्च 2013 की तुलना में विद्युत उत्पादन 5.4 प्रतिशत बढ़ा है। 2013-14 के दौरान औद्योगिक गतिविधियाँ कमजोर बनी हुई हैं। वर्ष-दर-वर्ष आधे महीनों में उत्पादन गिरा है। इस वित्तीय वर्ष में उत्पादन में औसत गिरावट 0.1 प्रतिशत रही। पिछले तीन दशकों में पहली बार उत्पादन में गिरावट देखी गई है। निवेश एवं उपभोग दोनों में आपूर्ति में कमी के साथ-साथ माँग में कमजोरी भी औद्योगिक उत्पादन में गिरावट का कारण रही।

चालू खाता घाटा

आयात में गिरावट के कारण चालू खाता घाटे (सीएडी) में सुधार आया है। जुलाई-अक्टूबर 2013 में भारत के निर्यात में सुधार की शुस्कात हुई, जिसमें समय के मूल्य में गिरावट और प्रमुख सहयोगी अर्थव्यवस्थाओं में सुधार से मदद मिली। हालांकि निर्यात में वृद्धि स्थायी नहीं रह सकी। निर्यात में वृद्धि नवंबर 2013 में घटनी शुरू हुई और फरवरी 2014 में यह ऋणात्मक हो गया। हाल के महीनों में निर्यात के धीमे होने के लिए कुछ क्षेत्र विशेष की समस्याओं और वैश्विक कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आयात में लगातार 9 महीनों से गिरावट आने के कारण उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है, जो मुख्यतः जुलाई 2013 से सोने के आयात में हुई तेज कमी की वजह से है। भारत का पीओएल (पेट्रोलियम, तेल एवं लुब्रिकेन्ट्स) का आयात बिल भी कुल मिलाकर स्थिर बना रहा, जो मुख्यतः कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के स्थिर रहने और आयात की मात्रा में केवल मामूली वृद्धि की वजह से संभव हुआ। भारत का कुल निर्यात 2012-13 के यूएस \$300.40 बिलियन की तुलना में डॉलर टर्म में 3.98 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2013-14 के दौरान यूएस

preceding month. Inflation has risen for the first time in the last four months. It had fallen from 11.2 per cent in November 2013 to eight per cent in February 2014.

Index of Industrial Production

The eight core industries - coal, crude oil, natural gas, refinery products, fertilisers, steel, cement and electricity - put up a lukewarm performance in 2013-14. Their aggregate output grew by a mere 2.7 percent, as compared to the 6.5 per cent growth clocked in 2012-13. The growth recorded in 2012-13 looks much better than 2013-14. But, this is largely due to a change in the sample size of the refinery products data.

The Indian industry ended the fiscal year 2013-14 on a negative note. Index of Industrial Production (IIP), the official measure of industrial activity in India, declined by 0.5 per cent in March 2014 compared to the year-ago month. IIP for the whole year covering period April - March 2014 stood at a negative growth of 0.1 percent as compared to 1.1 percent in corresponding period of last year. The main reason behind this fall was the manufacturing sector. Continuing the trend seen in the past few months, the manufacturing sector registered a 1.2 percent fall in its output in March 2014. Like preceding months, the fall in March was also led by the capital goods and consumer durables sectors. Output of capital goods plummeted by 12.5 percent and that of consumer durables by 11.8 percent.

The mining sector that had returned to growth in November 2013 also suffered a 0.4 per cent fall in production in March 2014, compared to the year-ago month. The only main sub-segment of the industry that reported a growth in March 2014 is electricity. Electricity generation grew by 5.4 percent compared to March 2013. The industrial activity remained weak during 2013-14. Production declined year-on-year in half of the months. The average fall in production for the fiscal year was 0.1 percent. This is for the first time in the last three decades the output has shrunk. The fall in industrial production was a combination of supply constraints and a weakness in demand, both investment and consumption.

Current Account Deficit (CAD)

The current account deficit (CAD) has improved, driven by declining imports. India's exports began to improve in July - Oct'13 helped by a depreciation of the rupee and gradual recovery in key partner economies. However, the growth in exports was not sustainable. Export growth began to decelerate in Nov'13 and turned negative in Feb'14. Slowdown in exports in recent months can be attributed to certain sector specific issues and global factors. Imports registered significant contraction, declining for 9 successive month, primarily due to sharp moderation in gold imports since July'13. India's import bill for POL (Petroleum, Oil & Lubricants) also remained largely contained, reflecting broadly stable international crude oil prices and only a marginal increase in the quantum of oil imports. During the year 2013-14, India's exports stood at US \$312.35 billion as compared to US \$300.40 billion in 2012-13 registering a growth of 3.98 percent in Dollar term and imports during the period was US \$ 450.95 billion as

\$312.35 बिलियन तक पहुँचा और कुल इसी अवधि में आयात पिछले वर्ष के यूएस \$490.73 बिलियन की तुलना में 8.11 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए यूएस \$450.95 पर रहा। भारत का व्यापार घाटा अप्रैल-मार्च 2014 के वित्तीय वर्ष में यूएस \$138.69 बिलियन रहा, जो अप्रैल-मार्च 2013 के वित्तीय वर्ष के यूएस \$190.33 से नीचे रहा।

शुद्ध अदृश्य प्राप्तियों में वृद्धि के साथ ही, व्यापार घाटे में संकुचन के फलस्वरूप सीएडी में यूएस \$32.4 बिलियन की कमी आई जो 2013-14 के दौरान रहे जीडीपी का 1.7 प्रतिशत था। इसकी तुलना में 2012-13 के दौरान सीएडी में यूएस \$87.8 बिलियन की कमी थी जो जीडीपी का 4.7 प्रतिशत था।

2014-15 के अंतरिम संघीय बजट में सरकार ने 2013-14 के वित्तीय घाटे को कम किया है। 2013-14 के लिए संशोधित अनुमानों (आरई) के अनुसार वित्तीय घाटा ₹5.25 ट्रिलियन रहने का अनुमान है, जबकि बजट में यह राशि ₹5.43 ट्रिलियन थी। जीडीपी के अनुपात के रूप में इसके 4.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि वर्ष के बजट में इसे 4.8 प्रतिशत दिखाया गया था।

रुपये की विनिमय दर

2013-14 के दौरान प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपये की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव बना रहा। वर्ष के आरंभ में चालू खाता घाटा एवं वित्तीय घाटा बढ़ने की आशंकाओं के बीच रुपया तेजी से गिरा। वैश्विक अनिश्चितताओं ने भी इसपर दबाव बढ़ाया। औसतन, यूएस डॉलर की तुलना में रुपया 2012-13 में लगभग 12 प्रतिशत था। रुपये की विनिमय दर पर बढ़ते व्यापार घाटे एवं सोने के आयात में तेजी ने भी दबाव डाला। विशेष रूप से यूएस फेडरल के मात्रात्मक प्रचुरता में कमी लाने के संकेतों के बाद रुपये में गिरावट और तेज हुई। मई के मध्य से अगस्त के अंत तक यूएस डॉलर की तुलना में रुपये में 17.7 प्रतिशत की गिरावट हुई। रुपये में सुधार की वजहें मुख्यतः रिज़र्व बैंक एवं सरकार द्वारा घोषित विभिन्न नीतिगत उपायों और फेड द्वारा माह के अंत में लिए गए अपने मात्रात्मक प्रचुरता की स्थिति को बनाए रखने के निर्णय को देखते हुए बाजार के बेहतर हुए रुझान के कारण हो सकती हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के लिए फॉरेक्स स्वेप विंडो और एफसीएनआर (बी) के अंतर्गत विशिष्ट विंडो खोलने की कार्रवाई ने भी रुपये की स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नवंबर 2013 के अंत से (28 मार्च, 2014 तक) रुपया प्रति यूएस डॉलर ₹60.10 से ₹62.99 के बीच लगभग स्थिर रहा। वास्तव में इस अवधि में रुपये की स्थिति अधिकतर अन्य उभरती हुई बाजार मुद्राओं से बेहतर रही।

शेयर बाजार:

भारतीय इक्विटी बाजार वैश्विक रुझानों की तरह ही मई 2013 में बाजार भागीदारों की यूएस के मासिक बांड क्रय कार्यक्रम की काट-छॉट से जुड़ी हुई प्रत्याशाओं से प्रभावित रहे। यूएस फेडरल रिज़र्व के निर्णय और पिछले छह माह में आरबीआई एवं सरकार द्वारा निवेशक मित्रता उपायों को अपनाने के रुझान के कारण निवेशक प्रोत्साहित हुए हैं। फलस्वरूप, भारतीय बाजार वर्ष 2013 में विश्व के बेहतर प्रदर्शन करने वाले बाजार के रूप में उभरे हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बाजारों के प्रतिफल दे सकने की क्षमता के अपने बोध के आधार पर बाजारों में निवेश करते हैं। उनका यह बोध अन्य बातों के अलावा मौजूदा मैक्रो-इकोनॉमिक वातावरण, अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता और विभिन्न देशों में कार्पोरेट प्रदर्शन सहित कई कारकों पर निर्भर करता है। वर्ष 2012 एवं 2013 में (अक्तूबर 2013 तक) कुल एफआईआई निवेश उत्साहजनक रहा है, जिनमें क्रमशः यूएस \$24.37 बिलियन एवं यूएस \$16.19 बिलियन निवेश

against US \$ 490.73 billion in the corresponding last year, showing a negative growth of 8.11 percent. India's trade deficit at US\$ 138.69 billion during April-March FY14 was about 27 percent lower than that of April-March FY13 at US \$190.33 billion.

Contraction in trade deficit, coupled with a rise in net invisibles receipt, resulted in a reduction of CAD to US \$32.4 billion, which was 1.7 percent of GDP form during 2013-14 as compared to US \$87.8 billion which was 4.7 percent of GDP in 2012-13.

In the interim Union Budget for 2014-15, Government revised the fiscal deficit for 2013-14 downwards. As per the revised estimates (RE) for 2013-14, fiscal deficit is expected to touch ₹5.25 trillion as against a budgeted amount of ₹5.43 trillion. As a proportion of GDP, it is expected to touch 4.6 percent as compared to 4.8 percent budgeted for the year.

Exchange Rate of Rupee

The rupee exchange rate against major currencies remained volatile during 2012-13. At the beginning of the year, the rupee depreciated sharply amid concerns about the widening current account and fiscal deficits. Global uncertainties also added to the pressure. On average, rupee depreciated by about 12 percent against US dollar in 2012-13. Wider trade deficit and rising gold imports also put pressure on the rupee exchange rate. In particular, rupee depreciation was more pronounced after the US Fed's indication on early tapering of quantitative easing. Rupee depreciated by 17.7 percent against the US dollar during mid-May to end-August 2013. Recently Rupee appreciation can be mainly attributed to improved market sentiments on the back of various policy measures announced by the Reserve Bank and the government and the Fed's decision later in the month to maintain the pace of its Quantitative Easing. Furthermore, the opening of a forex swap window for the public sector oil marketing companies as well as special window under FCNR (B) has also played an important role in stabilising rupee. The rupee has also moved in a narrow range ₹60.10 to ₹62.99 per US dollar since end of Nov 2013 (upto March 28, 2014). In fact, during this period the rupee fared better than most of other emerging market currencies.

Stock Market:

Indian equity markets, in line with global trends, were affected by the expectation of market participants in May, 2013 regarding the "tapering" of the monthly bond purchase programme of US. A slew of investor-friendly measures taken by RBI and the government over the last six months, the investors' sentiment have got a fillip. As a result, Indian markets have emerged as one of the better performing markets in the world in the year 2013. The Foreign Institutional Investors (FIIs) make investments in markets on the basis of their perceptions of the returns that such markets can yield. Their perceptions are among other things influenced by many factors including the prevailing macro-economic environment, the growth potential of the economy and corporate performance in different countries. The net FII equity inflow in the year 2012 and 2013 (till October 2013) has also

आया। 2013 के दौरान एफआईआई के ऋण खंड में निवेश की निकासी का कारण वैश्विक रूढ़ान, खासकर यूएस में बेहतर प्रतिफल रहा।

एफआईआई निवेश में भी वर्ष-दर-वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। हालांकि इस खंड में अधिक उतार-चढ़ाव देखने में आता है। वित्तीय वर्ष 2014 में देश ने आकस्मिक रूप से बड़ी मात्रा में (शुद्ध) निवेश को बाहर जाते हुए देखा, जिससे एफआईआई निवेश में तेज गिरावट आई। साथ ही, बाद में पूरे वर्ष के दौरान देश में पिछले वर्ष के मुकाबले शुद्ध एफआईआई निवेश में 66% की गिरावट आई। 2013 में यूएस फेडरल रिज़र्व द्वारा मौद्रिक उत्प्रेरण के कदम को वापस खींचने और यूएस अर्थव्यवस्था में आशा से अधिक वृद्धि के समाचारों के बाद निवेशक अपनी आस्तियों को उभरती अर्थव्यवस्थाओं से निकालकर यूएस बाजार में ले जाने के लिए प्रेरित हुए, जिसके कारण भारत जैसी उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्था में एफआईआई निवेश बुरी तरह से प्रभावित हुआ।

सितंबर 2013 से आरबीआई द्वारा किए गए विविध उपायों से देश में पूंजी प्रवाह के जारी रहने के शुभ संकेत मिले हैं। इसके अलावा, एफसीएनआर जमाओं के संग्रहण के लिए आरबीआई द्वारा स्वेप विंडो खोलने से वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान कोष बनाने में और भी मदद मिली है। इसके बाद 28 मार्च 2014 को फॉरेक्स रिज़र्व यूएस \$304 बिलियन तक पहुंच गया, जो मार्च 2013 से \$12 बिलियन से भी अधिक है।

II. 2013-14 में बैंक का कार्य-निष्पादन:

3. यूको के डिलिवरी चैनल:

पारंपरिक नेटवर्क:

बैंक के पास भारत एवं विदेश में भौगोलिक दृष्टि से भलीभाँति फैला शाखा नेटवर्क है। 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार बैंक के 10 सर्किल कार्यालय, 45 अंचल एवं 2894 शाखाएँ हैं जिनमें चार विदेशी शाखाएँ, सिंगापुर एवं हॉंग-कॉंग में दो-दो, शामिल हैं। मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार बैंक में दो विस्तार पटल हैं।

बैंक ने 2013-14 के दौरान 280 शाखाएँ खोलकर अपने अखिल भारतीय नेटवर्क को मजबूत किया है जिससे शाखाओं की कुल संख्या मार्च, 2013 के 2610 की तुलना में मार्च, 2014 में 2890 हो गई है। वर्ष 2013-14 के दौरान टियर-V केन्द्रों में 33 और टियर- VI केन्द्रों में 70 शाखाएँ खोली गईं।

	मार्च / March, '10	मार्च / March '11	मार्च / March '12	मार्च / March '13	मार्च / March '14
शाखा/Branch	2152	2206	2394	2614	2894

वर्ष 2013-14 में बैंक-रहित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा 482 अतिलघु शाखाएँ (यूएसबी) खोली गईं। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार अतिलघु शाखाओं की कुल संख्या 1245 थी। बैंक के पास 24 “यूको बैंक ऑन व्हील्स” हैं जो 11 राज्यों में व्याप्त 19 अंचलों में परिचालित हैं।

शाखाओं के कार्य-निष्पादन पर बेहतर तरीके से ध्यान देने और निगरानी के लिए बैंक ने वर्ष 2013-14 में चार और अंचल, अगरतला, सोलन, हुगली एवं विजयवाड़ा खोले थे। इससे बैंक के अंचलों की कुल संख्या मार्च, 2013 में 41 से मार्च, 2014 में 45 हो गई है। इसके अतिरिक्त दो और सर्किल कार्यालय, एक समग्र उत्तर-पूर्व को शामिल करने के लिए गुवाहाटी में और एक अन्य बिहार एवं झारखंड राज्यों को शामिल करने के लिए पटना में, वर्ष 2012-13 के दौरान जोड़े गए, जिससे सर्किल कार्यालयों की संख्या बढ़कर 10 हो गई।

जनसंख्या श्रेणीवार शाखाओं का वर्गीकरण नीचे दिया गया है:

been impressive with an inflow of US\$ 24.37 billion and US\$ 16.19 billion, respectively. The outflows in the FII debt segments during 2013 owe to global clues, particularly the yield in US .

FII investments too have witnessed a sizeable increase over the years. This segment is however prone to a higher degree of fluctuations. In FY14, the country witnessed a sudden and significant (net) outflow of funds, which led to a sharp drop in FII inflows and consequently for the year as a whole the country saw a 66% decline in net FII inflows from that in the previous year. FII inflows into emerging market economies such as India were severely hit in 2013 following the news of the winding down of the monetary stimulus of the US Federal Reserves and the stronger than expected growth in the US economy, which prompted investors to shift their asset holding from emerging economies to the US market.

The various measures undertaken by RBI since September, 2013 augured well for the continuation of capital inflows into the country. In addition, the RBI's swap windows for mobilization of FCNR deposits further aided to build up reserves during FY14. Consequently, forex reserves reached US\$304 billion as on 28th, March 2014, with an accretion of over US\$12 billion over March 2013.

II. PERFORMANCE OF THE BANK 2013-14:

3. UCO'S DELIVERY CHANNELS:

BRICK and MORTAR Network/ USBs / Bank on Wheels :


The Bank has a geographically well spread branch network in India and abroad. The Bank has 10 Circle Offices, 45 Zones and 2894 branches as on 31.3.2014, which includes four overseas branches, (two each in Singapore and Hong Kong). The Bank has two Extension Counters as of March, 2014.

The Bank has strengthened its PAN-India network by opening 280 branches during the year 2013-14, which takes the total number from 2610 in March, 2013 to 2890 in March, 2014. During the year 2013-14, 33 branches in Tier-V and 70 in Tier-VI centres were opened.

In the year 2013-14, 482 Ultra Small Branches (USBs) were opened by the Bank to enhance Financial Inclusion in the unbanked regions. The total number of Ultra Small Branches stood at 1245 as of 31st March, 2014. The Bank has 24 “UCO Bank-on-Wheels” operating in 19 Zones covering 11 states.

To have a better focus and monitoring over the performance of branches, the Bank had opened four more Zones namely, Agartala, Solan, Hooghly, and Vijayawada in the year 2013-14. It takes the total number of Zones of the Bank from 41 in March, 2013 to 45 in March, 2014.

The population category-wise break-up of branches is given below.



विशेषीकृत शाखाएँ :

मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार बैंक में छः फ्लैगशिप कारपोरेट शाखाएँ, 15 मिड-कारपोरेट शाखाएँ, 23 सेवा शाखाएँ, 8 आस्ति प्रबंधन शाखाएँ और मुंबई में एक एकीकृत कोष प्रबंधन शाखा थी। मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार बैंक में 27 रिटेल लोन हब तथा 12 एसएमई हब भी बरकरार हैं।

31 मार्च, 2014 की समाप्ति पर बैंक में 76 सिटी बैंक कार्यालय हैं जो 911 शाखाओं को सेवा प्रदान करते हैं।

बैंक के पास पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 22.36 मिलियन की तुलना में 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार 25.84 मिलियन का ग्राहक आधार है जिसमें 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।

वैकल्पिक डिलिवरी चैनल:

बैंक नेशनल फाइनेंशियल स्विच(एनएफएस) में शामिल हो गया है जिसके फलस्वरूप ग्राहकों को देश भर में अधिक संख्या में एटीएम का उपयोग करना संभव हो गया है। 31.03.2014 की स्थिति को हमारे पास 2085 एटीएम थे जिनमें से 1450 ऑनसाइट और 635 ऑफसाइट थे। बैंक ने वीजा माध्यम से डेबिट-सह-एटीएम कार्ड जारी किया है। डेबिट कार्ड जारी किए जाने की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। हमने मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान जारी 27,43,543 डेबिट / एटीएम कार्डों की तुलना में 31.03.2014 को 42,52,965 कार्ड जारी किए हैं। वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंक रुपये कार्ड एवं किसान खाते से लिंक किए गए एटीएम समर्थित किसान कार्ड जारी कर रहा है। यूटिलिटी बिल भुगतानों, हवाई जहाज एवं रेल टिकट बुक करने, ऑनलाइन खरीदारी, अंतःबैंक एवं अंतर्बैंक निधि अंतरण आदि के लिए ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है। बैंक शेष की पूछताछ, खाता विवरणी, लेन-देन संबंधी एसएमएस एलर्ट, परोक्ष कर, प्रत्यक्ष कर का भुगतान एवं अन्य कई बैंकिंग सेवाएँ प्रदान कर रहा है।

Specialized Branches :

As of March, 2014, the Bank had six Flagship Corporate branches, 15 Mid-Corporate branches, 23 Service branches, 8 Asset Management branches and one Integrated Treasury Management Branch at Mumbai. The Bank continues to have 27 Retail Loan Hubs and 12 SME Hubs as of March, 2014.

As at the end of 31st March, 2014, the Bank had 76 City Back Offices covering 911 branches.

The Bank has a customer base of 25.84 million as at 31st March, 2014, as against 22.36 million at the end of the previous fiscal registering a growth of 16 percent.

Alternative Delivery Channels:

The Bank has joined National Financial Switch (NFS) which enables customers to access more number of ATMs across the country. As on 31.3.2014, we had 2085 ATMs, out of which 1450 were onsite and 635 were offsite. Bank has issued Debit –cum – ATM card through VISA. There has been good increase in the issuance of Debit Cards. We have issued 42,52,965 Debit cum ATM cards as on 31.3.2014 as compared to 27,43,543 cards during the financial year as on March 2013. The bank is issuing Rupay cards under financial inclusion and ATM enabled Kisan Cards linked to Kisan account. Internet banking facility is available to customers for utility bill payments, air and rail ticket booking, on line shopping, inter- bank and intra-bank fund transfer etc. Bank is also providing services like balance enquiry, account statement, transaction related SMS alerts, payment of Indirect taxes, Direct taxes and many other banking services.

मॉडल	31 मार्च/March 2013			31 मार्च/March 2014			वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि Y-o-Y increase
	ऑनसाईट Onsite	ऑफसाईट Offsite	कुल Total	ऑनसाईट Onsite	ऑफसाईट Offsite	कुल Total	
केपेक्स/CAPEX	587	225	812	712	224	936	15.27%
ओपेक्स/OPEX	-	137	137	-	102	102	-
सीपीपी/PPP	263	299	412	738	309	1047	154.12%
कुल/Total	886	475	1361	1450	635	2085	53.20%

वैकल्पिक डिलिवरी चैनल (एडीसी) / Alternative Delivery Channel (ADC) →

डेबिट कार्ड/Debit Card			
किस तारीख को as on	मार्च 2013 March 2013	मार्च 2014 March 2014	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि Y-o-Y increase
डेबिट कार्ड /Debit Card	27,43,543	41,52,965	51.3%
प्रकार Type			
	पंजीकृत इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता INTERNET BANKING USERS REGISTERED		
रिटेल उपयोगकर्ता/RETAIL Users	155652	222438	42.9%
कारपोरेट उपयोगकर्ता/CORPORATE Users	36500	47790	30.9%
कुल ई-बैंकिंग उपयोगकर्ता/Total e-Banking Users	192152	270228	40.6%
मोबाइल-बैंकिंग हेतु पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या Number of registered users for Mobile-Banking	26628	41803	57.0%

मोबाइल बैंकिंग:

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का कार्यान्वयन किया है, जिसमें ग्राहक मोबाइल फोन के जरिए अपने बैंकिंग लेन-देन करने का लाभ उठा सकते हैं। इस मोबाइल बैंकिंग सुविधा के माध्यम से ग्राहक अब एसएमएस/जीपीआरएस कनेक्शन मोड का उपयोग करके अपने हैंडसेट से शेष पूछताछ, खाता विवरणी, मोबाइल रीचार्ज, अंतःबैंक एवं अंतर्बैंक निधि अंतरण जैसी बैंकिंग गतिविधियाँ कर रहे हैं।

4. कारोबार रूपरेखा:

बैंक का वैश्विक कारोबार 2012-13 के ₹305000 करोड़ से 15.64 प्रतिशत बढ़कर 2013-14 में ₹352697 करोड़ हो गया जबकि उसका घरेलू कारोबार 2012-13 के ₹277591 करोड़ से 16.34 प्रतिशत बढ़कर 2013-14 में ₹322958 करोड़ हो गया। बैंक की वैश्विक जमा 2012-13 के ₹173431 करोड़ से 15.05 प्रतिशत बढ़कर 2013-14 में ₹199534 करोड़ हो गई जबकि घरेलू जमा 2012-13 के ₹158386 करोड़ से 15.37 प्रतिशत बढ़कर 2013-14 में ₹182730 करोड़ हो गई।

बैंक का वैश्विक अग्रिम 2012-13 के ₹131569 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹153163 करोड़ हो गया जिसमें 16.41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। बैंक के घरेलू अग्रिम में 2012-13 के ₹119205 करोड़ से 17.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जिससे यह 2013-14 में ₹140228 करोड़ हो गया। वैश्विक ऋण जमा अनुपात पिछले वर्ष के 75.86 की तुलना में 2013-14 में 76.76 पर रहा।

बैंक का विदेशी कारोबार 8.50 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹29738 करोड़ हो गया। विदेशी शाखाओं की कुल जमा मार्च, 2013 के ₹15,045

MOBILE BANKING :

The Bank has implemented Mobile Banking services during the year 2011-12, whereby customers can take advantage of conducting their banking transactions through mobile phones. Customers through this mobile banking facility are now performing banking activities like balance enquiry, account statement, mobile recharge, intra & inter-bank funds transfer with their mobile handset using SMS/GPRS modes of connection.

4. BUSINESS PROFILE :



The global business of the Bank grew by 15.64 percent from ₹305000 crore in 2012-13 to ₹352697 crore in 2013-14, whereas Bank's domestic business rose by 16.34 percent from ₹277591 crore in 2012-13 to ₹322958 crore in 2013-14. Global Deposits of the bank grew by 15.05 percent from ₹173431 crore in 2012-13 to ₹199534 crore in 2013-14. Domestic Deposits grew by 15.37 percent from ₹158386 crore in 2012-13 to ₹182730 crore in 2013-14 .

The Bank's global advances rose to ₹153163 crore in 2013-14 from ₹131569 crore in 2012-13 registering a growth of 16.41 percent. Domestic advances of the bank registered a growth of 17.64 percent from ₹119205 crore in 2012-13 to ₹140228 in 2013-14. The global credit deposits ratio stood at 76.76 in 2013-14 as compared to 75.86 of the last year.

The overseas business of the Bank showed an increase of 8.50 percent and stood at ₹29738 crore as on 31st March 2014. The

करोड़ से बढ़कर मार्च, 2014 में ₹16803 करोड़ हो गई जिसमें 11.69 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित हुई। विदेशी अग्रिम में ₹571 करोड़ की 4.62 प्रतिशत वृद्धि हुई और यह 31 मार्च, 2014 को ₹12935 करोड़ रहा।

total deposits of the overseas branches increased from ₹15,045 crore as of March 2013 to ₹16803 crore as of March 2014, thereby showing an increase of 11.69 percent. The overseas advances increased by ₹571 crore and reached at ₹12,935 crore as of 31st March, 2014 registering Y-O-Y growth of 4.62 percent.



कासा जमा:

बैंक की घरेलू कासा जमा 2012-13 के ₹55374 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹58884 करोड़ हो गई जिसमें 6.34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। घरेलू जमा में घरेलू कासा जमा का प्रतिशत 32.14 रहा। बैंक की बचत जमा पिछले वर्ष के ₹29680 करोड़ की तुलना में मार्च, 2014 में ₹33530 करोड़ हो गई जिसमें 12.97 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई तथा चालू जमा मार्च, 2014 में ₹25353 करोड़ की रही।

CASA Deposits:

Domestic CASA deposits of the bank increased from ₹55374 crore in 2012-13 to ₹58884 crore registering a growth of 6.34 percent. Percentage of domestic CASA to domestic deposits stood at 32.14. The bank's Saving deposits reached at ₹33530 crore as of March 2014 compared to ₹29680 crore, registering a growth of 12.97 percent and Current deposits stood at ₹25353 crore as at March 2014.

कर्मचारी उत्पादकता:

बैंक का प्रति कर्मचारी कारोबार 31 मार्च, 2013 के ₹13.43 करोड़ से 31 मार्च, 2014 में बढ़कर ₹15.28 करोड़ हो गया। प्रति कर्मचारी लाभ भी 31 मार्च, 2013 के ₹2.72 लाख से बढ़कर 31 मार्च, 2014 में ₹6.55 लाख हो गया।

Employee's Productivity:

Business per employee of the Bank improved from ₹13.43 crore as at March 31, 2013 to ₹15.28 crore as at 31st March 2014. Net Profit per employee also improved from ₹2.72 lakh as of March 31, 2013 to ₹6.55 lakh as of March, 31, 2014.

लाभप्रदता:

वर्ष 2012-13 की वित्तीय समाप्ति पर ₹3357 करोड़ के परिचालन लाभ के देखते बैंक ने वर्ष 2013-14 की वित्तीय समाप्ति पर ₹4940 करोड़ का परिचालन लाभ अर्जित किया और 47.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। बैंक का निवल लाभ 2012-13 के ₹618 करोड़ से 144.34 प्रतिशत बढ़कर 2013-14 में ₹1511 करोड़ हो गया।

Profitability:

The Bank earned an operating Profit of ₹4940 crore during the year 2013-14 from ₹3357 crore during the financial year 2012-13 and recorded a growth of 47.16 percent. Net profit of the Bank rose by 144.34 percent from ₹618 crore in 2012-13 to ₹1511 crore in 2013-14.

आय एवं व्यय:

बैंक की कुल आय वर्ष 2012-13 के ₹17704 करोड़ से 10.43 प्रतिशत बढ़कर 2013-14 में ₹19550 करोड़ हो गई। बैंक की ब्याज आय वर्ष 2012-13 के ₹16752 करोड़ से 8.82 प्रतिशत बढ़कर 2013-14 में ₹18230 करोड़ हो गई। बैंक की गैर-ब्याज आय में वर्ष 2012-13 के ₹952 करोड़ से ₹369 करोड़ की वृद्धि हुई तथा 2013-14 में यह ₹1321 करोड़ हो गया। बैंक का ब्याज व्यय 31.03.2013 के ₹12170 करोड़ से 0.01 प्रतिशत बढ़कर 31.03.2014 को ₹12171 करोड़ रहा।

Income and Expenditure:

The Bank's total income rose by 10.43 percent from ₹17704 crore in 2012-13 to ₹19550 crore in 2013-14. The Bank's interest income rose by 8.82 percent from ₹16752 crore in 2012-13 to ₹18230 crore in 2013-14. The non-Interest income of the Bank improved by ₹369 crore from ₹952 crore in 2012-13 to ₹1321 crore in 2013-14. The interest expenditure of the bank increased by 0.01 percent from ₹12170 crore as at 31.3.2013 to ₹12171 crore as at

बैंक का परिचालन व्यय 31 मार्च, 2013 के ₹2177 करोड़ से 12.03 प्रतिशत बढ़ा और यह 31 मार्च, 2014 में ₹2439 करोड़ हो गया। शुद्ध ब्याज आय में 32.23 प्रतिशत वृद्धि हुई और यह 2012-13 के ₹4582 करोड़ से 2013-14 में ₹6059 करोड़ हो गया।

5. पूंजी:

2013-14 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक का निवल मूल्य ₹8869.17 करोड़ से 'बढ़कर' 10284.89 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार को ₹262.09 करोड़ की राशि के प्रत्येक ₹10 के 262080580 इक्विटी शेयर ₹77.19 के मूल्य पर जारी किए हैं।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात:

बासेल-III संरचना के अनुसार बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.68 प्रतिशत रहा जो 9 प्रतिशत की नियमनकारी आवश्यकता से ज्यादा था। पूंजी पर्याप्तता का ब्योरा (बासेल-III) निम्नानुसार है:

31.3.2014. Operating expenditure of the bank increased by 12.03 percent from ₹2177 crore as on 31st March 2013 to ₹2439 crore as on 31st March 2014. Net Interest Income grew by 32.23 percent from ₹4582 crore in 2012-13 to ₹6059 crore in 2013-14.

5. CAPITAL :

Net worth of the Bank has increased to ₹10284.89 crore during the financial year ending 2013-14 from ₹8869.17 crore. During the year. Bank has issued 262080580 Equity Share of ₹10 each at price of ₹77.19 amounting to ₹262.08 crore to Government of India.

Capital Adequacy Ratio:

As per Basel III framework, the Bank's Capital Adequacy Ratio of 12.68 percent which was higher than the regulatory requirement of 9 percent. Details of Capital Adequacy (Basel-III) are shown as under.

(₹ करोड़ में / in ₹ crore)

विवरण/Particular	31.03.2014	
	सीआरएआर (%) / CRAR(%)	राशि/Amount
टियर-I/Tier- I	8.71	10157.22
टियर-II/Tier- I	3.97	4627.31
कुल पूंजी/Total Capital	12.68	14784.53
जोखिम भार आस्तिराँ/ Risk Weight assets	-	116636.78

6. कोष एवं निवेश प्रबंधन

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नियामक दिशानिर्देशों तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित बैंक की कार्पोरेट निवेश नीति के अनुरूप मैक्रो-इकोनोमिक परिदृश्य एवं बाजार की गति से कदम से कदम मिलाते हुए बैंक अपने कोष एवं निवेश का परिचालन करता आ रहा है। बदले हुए परिदृश्य में, जहां अत्याधुनिक तकनीक कोष एवं जोखिम प्रबंधन को धारदार बना रहा है, प्रभावी एवं सक्षम तरीके से संसाधन का अधिकतम इस्तेमाल करने और निवेश/ट्रेडिंग पर आय को अधिकतम बढ़ाने के लिए बैंक ने एक वैश्विक स्तर पर उपयोगी समेकित कोष प्रबंधन प्रणाली की शुष्कात की है। जोखिम को कम करने और तुलन पत्र प्रबंधन के लिए बैंक ने ब्याज दर विनिमय लेनदेन प्रारंभ किया है।

वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने बाजार की अत्यधिक अस्थिरता की प्रतिकूल परिस्थिति पर विजय पाई और अनेक मुश्किलों के बावजूद अपने निवेश पोर्टफोलियो की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की।

वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक के वैश्विक निवेश (सकल) में 29.19% की वृद्धि हुई और यह 31.03.2013 के ₹52,515 करोड़ से बढ़कर 31.03.2014 को ₹67,845 करोड़ हो गया। घरेलू निवेश में 28.32% की वृद्धि हुई और यह 31.03.2013 के ₹51,335 करोड़ से बढ़कर 31.03.2014 को ₹65,875 करोड़ हो गया। एसएलआर निवेश ने वर्ष 2013-14 के दौरान 22.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹53,017 करोड़ के स्तर को छू लिया, जबकि मार्च 2013 में यह ₹43,347 करोड़ था। गैर एसएलआर निवेश (घरेलू) ने 60 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और यह मुख्यतः डिस्कॉम्स हेतु राज्य सरकार के बांड के फलस्वरूप ₹12,782

6. TREASURY & INVESTMENT MANAGEMENT

The Bank has been performing its Treasury & Investment Operations keeping track of the macroeconomic scenario and market developments in accordance with the regulatory guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time as also the Bank's Corporate Investment Policy approved by the Board of Directors. In the changed scenario, where state of the art technology is providing cutting edge in Treasury & Risk Management, the Bank has also embarked upon a globally deployable Integrated Treasury Management Solution for an effective and efficient way to optimize resource utilization and maximize returns on investment/trading.

In order to mitigate risk and balance sheet management, the bank has gone for interest rate swap transactions. During the year 2013-14, the Bank toiled through the hostility of severe market volatility and despite all odds the bank could significantly improve the yield of its Investment portfolio.

The global investment (Gross) of the Bank during the year 2013-14 grew by 29.19 percent from ₹52, 515 crore as on 31.03.2013 to ₹67,845 crore as on 31.03.2014. The domestic investment grew by 28.32 percent from ₹51, 335 crore as on 31.03.2013 to ₹65,875 crore as on 31.03.2014. SLR investment registered a growth of 22.30 percent during the year 2013-14 touching the level of ₹53,017 crore compared to ₹43,347 crore in March 2013. Non SLR investment (domestic) registered a growth of 60 percent to reach a level of ₹12, 782 crore from ₹7,988 crore in 2012-13,

करोड़ के स्तर तक पहुँच गया, जबकि 2012-13 में यह ₹7,988 करोड़ था। घरेलू निवेश में, 31.03.2013 को दर्ज 7.59% आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह 31.03.2014 को 7.79% दर्ज की गई। कुल निवेश आय 2012-13 के ₹3,635 करोड़ की तुलना में 2013-14 में ₹4,386 करोड़ थी।

निर्यात वित्त:

देश भर में फैली 74 बी श्रेणी की शाखाओं के साथ यूको बैंक अपने निर्यातकों की आवश्यकताओं को सक्रिय रूप से पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक का निर्यात कारोबार ₹33,226.97 करोड़ जो पिछले वर्ष से 67.96 प्रतिशत अधिक है। 31 मार्च, 2014 को हमारे बैंक का निर्यात ऋण बकाया ₹2,519.40 करोड़ है जिसमें 31 मार्च, 2013 की स्थिति की तुलना में 3.78 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।

भारत को किए जानेवाले ईरान के तेल निर्यात में, आईएनआर में भुगतान प्राप्त करने की सहमति देकर 'यूको बैंक ईरान के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुलभ करानेवाला एकमात्र बैंक बन गया है। इसके साथ ही, इस स्मया भुगतान प्रणाली के तहत निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए 'यूको बैंक ने अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 तक संव्ययी ₹6127 करोड़ की राशि के 524 निर्यात बिलों का परकामण किया। ईरान के साथ व्यापार के चलते 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार निर्यात ऋण बकाया ₹450.45 करोड़ का है।

निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने देश के महत्वपूर्ण निर्यात उत्पन्न करनेवाले केंद्रों पर लगभग 125 निर्यातक बैठकें/ कार्यशालाएँ/संगोष्ठियाँ आयोजित कीं। बैंक ग्राहकों की ईसीबी जरूरतों पर भी ध्यान दे रहा है।

7. सामाजिक बैंकिंग:

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र :

पिछले कुछ वर्षों से बैंक ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने में विलक्षण कार्य-प्रदर्शन किया है तथा अपनी ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी शाखाओं के विशाल नेटवर्क के जरिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र एवं कृषि को प्रभावी ढंग से सेवाएं दे रहा है।

i) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार:

वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक के प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए गए ऋण ₹51965 करोड़ के रहे जो समायोजित नेट बैंक ऋण (एएनबीसी) का 42.71 प्रतिशत हिस्सा थे। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 48.63 प्रतिशत रही।

ii) कृषि को उधार :

बैंक का कुल कृषि अग्रिम ₹16642 करोड़ रहा, जो एएनबीसी का 13.68 प्रतिशत हिस्सा है। प्रत्यक्ष कृषि ऋण ₹11166 करोड़ रहा, जो एएनबीसी का 9.18 प्रतिशत हिस्सा है और परोक्ष कृषि ऋण ₹5476 करोड़ रहा जो एएनबीसी का 4.50 प्रतिशत हिस्सा है। कुल कृषि अग्रिम की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 31.82 प्रतिशत थी तथा प्रत्यक्ष कृषि के अंतर्गत 11.82 प्रतिशत थी।

iii) सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम (एमएसएमई)

बैंक देश के आर्थिक विकास में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका तथा देश में रोजगार अवसरों को उत्पन्न करने में उससे मिलनेवाले सहयोग को स्वीकारता है। बैंक ने वर्ष 2013-14 के दौरान एमएसएमई क्षेत्र में अच्छी वृद्धि दर्ज की है। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार बैंक के अग्रिम सूक्ष्म एवं लघु उद्यम(एमएसई) क्षेत्र में ₹26389 करोड़ तथा सूक्ष्म, लघु एवं

mainly on account of State Govt Bonds for DISCOMs. The yield on domestic investment improved significantly from 7.59 percent as on 31.03.2013 to 7.79 percent as on 31.03.2014. Total investment income has registered an average growth of 20.66 percent recording ₹4,386 crore in 2013-14 compared to ₹3635 crore in 2012-13.

EXPORT FINANCE:

With 74 'B' Category Branches, across India, UCO Bank is committed to actively cater to the needs of its Exporters. Export Turnover of the Bank during the Financial Year ended March, 2014 stood at ₹33,226.97 crore which is 67.96 percent higher than previous year. Our Bank's Export credit outstanding during 31st March, 2014 is ₹2,519.40 crore, registering a growth of 3.78 percent over 31st March, 2013.

'UCO Bank,' is the sole Bank to facilitate bi-lateral trade with Iran by agreeing to receive payment in INR for Iranian oil exports to India. Simultaneously, to boost exports under this Rupee Payment mechanism, 'UCO BANK' negotiated 524 export bills amounting to ₹6127 crore cumulative from April, 2013 to March, 2014. The Export Credit outstanding as of 31st March, 2014 on account of Iran Trade is ₹450.45 crore.

In order to promote exports, during FY 2013-14, Bank organised around 125 exporter meet/ workshop/ seminar at important export-originating centres in the country. Bank is also catering to ECB needs of the customers.

7. SOCIAL BANKING:

Priority Sector Advances:

The Bank has been showing significant performance in lending to Priority sector over the years and has been effectively servicing to the priority sector and agriculture with its vast network of rural and semi-urban branches.

i) Priority Sector Lending:

During the year 2013-14, the Priority Sector Advance of the Bank stood at ₹51965 crore constituting thereby 42.71 percent of Adjusted Net Bank Credit(ANBC). The Y-o-Y growth of Priority Sector advances stood at 48.63 percent.

ii) Agriculture Advances:

Total Agriculture advances of the Bank stood at ₹16642 crore constituting 13.68 percent of ANBC. Direct Agriculture Credit stood at ₹11166 crore constituting 9.18 percent of ANBC and Indirect Agriculture credit stood at ₹5476 crore constituting 4.50 percent of ANBC. The Y-o-Y growth of total Agriculture Advances stood at 31.82 percent and under Direct Agriculture 11.82 percent.

iii) Micro, Small & Medium Enterprises(MSME)

Bank recognizes the important role of MSME in the economic development of the country and helping in generating employment opportunities in the country. The Bank has recorded a healthy growth in MSME Sector during 2013-14. Under Micro & Small Enterprises (MSE) Bank advance stood at ₹26389 crore and under Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) ₹30828 crore as of

मझौले उद्यम (एमएसएमई) में ₹30828 करोड़ रहे। एमएसई अग्रिम की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 60.71 प्रतिशत रही।

iv) कमजोर वर्गों को ऋण :

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कमजोर वर्गों को प्रदान किया गया अग्रिम ₹14319 करोड़ रहा, जिसका एएनबीसी में प्रतिशत 11.77 था। कमजोर वर्गों को ऋण की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 38.66 प्रतिशत रही।

v) अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण :

बैंक का कुल अल्पसंख्यक समुदाय अग्रिम ₹7285 करोड़ रहा जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम का 14.02 प्रतिशत हिस्सा है।


31st March 2014. The Y-o-Y growth of MSE Advances stood at 60.71 percent.

iv) Advances to Weaker Sections:

Advances to Weaker Section stood at ₹14319 crore as of 31st March 2014, with percentage to ANBC being 11.77. The Y-o-Y growth of advance to Weaker Section stood at 38.66 percent.

v) Minority Community Advances:

Total Minority Community Advances of the Bank stood at ₹7285 crore constituting 14.02 percent of Priority Sector Advances.



■ प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम/Priority Sector Advances ■ कृषि अग्रिम/Agriculture Advances ■ कमजोर वर्ग को अग्रिम/Advances to Weaker Section ■ एमएसएमई अग्रिम/ MSME Advances

बैंक की दो अनूठी योजनाएँ – (1) “यूको उत्थान” – गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के उत्थान के लिए तथा (2) “यूको समग्र ग्रामीण विकास योजना” – समग्र विकास के लिए गाँवों को अपनाना हैं।

यूको उत्थान योजना – गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सामाजिक-सह-वित्तीय उत्थान योजना

योजनांतर्गत जिन गाँवों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवार बड़ी संख्या में हैं उनको बैंक अपनी निकटतम शाखा के माध्यम से अपनाता है ताकि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को गरीबी के चंगुल से छुड़ाया जा सके और गाँवों में समग्रतः परिवर्तन लाया जा सके। इस योजना में शिक्षा, ग्रामीण आवास हेतु वित्तपोषण, स्वयंसेवी समूहों का गठन एवं सूक्ष्म वित्तीयन, हस्तकला एवं ग्रामीण हस्तशिल्पियों का विकास, डीआरआई योजना के तहत वित्त प्रदान करने जैसे क्षेत्रों को शामिल कर, ग्रामवासियों की एक समग्र विकास योजना बनाकर उस पर कार्रवाई की जाती है।

बैंक ने 4 राज्यों, ओडीशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में यूको उत्थान योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के उत्थान के लिए 12 गाँवों को अपनाया है।

बैंक ने इन गाँवों में बहुत से वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए हैं और विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को अपनी आजीविका बेहतर बनाने, अपनी आय बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है ताकि वे गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें।

इन प्रयासों से ऐसे 12 गाँवों के 2968 गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से 1821 परिवार पिछले 2 वर्षों के दौरान बैंक द्वारा प्रदत्त सहायता के द्वारा

The Bank has two unique schemes - (1) "UCO Uthaan"-for upliftment of BPL families & (2) "UCO Samagra Gramin Vikas Yojna" – Adoption of villages for its all round development.

UCO Uthaan Scheme: Social-cum-Financial upliftment scheme for BPL families

Under the Scheme, villages having a large number of BPL families are adopted by the Bank through its nearest branch to bring the BPL families out of the clutches of poverty and bring about a holistic change in the villages. Under the scheme, a holistic development plan of the villagers is drawn up and followed for covering areas like education, financing for rural housing, formation of SHG and micro-financing, development of handicrafts and rural artisans, extending finance under DRI Scheme.

The Bank has adopted 12 villages in 4 states i.e. Odisha, Rajasthan, Uttar Pradesh & West Bengal for upliftment of BPL families under UCO Uthaan Scheme.

The Bank has conducted several financial literacy camps in these villages and has provided financial assistance particularly to BPL families to improve their livelihood, to generate more income so that they come out from Poverty line.

By these efforts, out of 2968 BPL families in these 12 villages, 1821 families have come out above Poverty Line and are earning

बेहतर ढंग से अपनी आजीविका अर्जित कर गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। 3 गाँवों में तो सभी 636 गरीबी रेखा से नीचे के परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। ऐसे 12 गाँवों के ये उत्थान को प्राप्त परिवार अपनी आय डेयरी व्यवसाय, बकरी पालन, पान की खेती, शाक सब्जी उगाना, साइकिल मरम्मत, जूता सिलने, फल बेचना, किराना दुकान, चाय का स्टॉल लगाना, बीड़ी बनाना, ट्रॉली चलाना, मिस्त्री का कारोबार आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों को अपनाकर आय अर्जन कर रहे हैं। ऐसी गतिविधियों से इन परिवारों की आय में 20-25 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

यूको समग्र ग्रामीण विकास योजना – गाँव के समग्र विकास के लिए

बैंक ने 6 राज्यों, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ओडीशा, केरल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 10 गाँवों को उनके समग्र विकास के लिए यूको समग्र ग्रामीण विकास योजना के तहत अपनाया है।

इन गाँवों में बैंक ने ग्रामवासियों को शिक्षित करने के लिए वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए हैं, उन्हें वित्तीय सहयोग दिया है तथा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत विकासात्मक गतिविधियों की भी शुरुआत की है। वित्तीय सहयोग के अंतर्गत बैंक ने छोटे व्यापारियों को जनरल क्रेडिट कार्ड(जीसीसी), हस्तशिल्पियों को आर्टिसन क्रेडिट कार्ड(एसीसी), किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड(केसीसी), स्वयं सहायता समूहों को ऋण, पशुपालन गतिविधियाँ करने के लिए ऋण, महिला एवं अजा/अजजा लाभार्थियों को ऋण प्रदान किए हैं। बैंक ऋण की मदद से कई छोटे व्यापारियों ने अपना खुद का कारोबार शुरू कर दिया है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत बैंक ने विभिन्न स्कूलों को सीलिंग पंखे, वाटर प्यूरिफायर, स्कूल के पुस्तकालय के लिए स्टील की अलमारी, किताबें, स्कूली विद्यार्थियों को स्कूल यूनीफॉर्म दिए हैं, गाँवों में पीने का पानी के लिए हैंड पंप लगवाने, गाँवों में सड़कों पर सौर लाइट लगवाने, पक्की सड़क बनवाने के काम किए हैं।

बैंक ने उपर्युक्त 10 गाँवों में से 2 बैंक सेवा रहित गाँवों के ग्रामवासियों को मोबाइल बैंक के जरिए दरवाजे पर बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान की हैं। यह बैंक सप्ताह के दौरान किसी पूर्व निर्धारित दिन और समय पर इन 2 गाँवों में आती है और ग्रामवासियों को उनके दरवाजे पर सभी तरह की बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। इस पहल के कारण ग्रामवासियों की बचत करने की आदत में इज़ाफा हुआ है। इन गाँवों के माध्यम से ग्रामवासी वित्तीय रूप से शिक्षित भी हो रहे हैं।

इन गतिविधियों से अपनाए गए गाँवों में समग्रतः विकास हो रहा है और ग्रामवासियों को भरपूर लाभ मिल रहा है।

बैंक द्वारा जीते गए पुरस्कार

- एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने यूको बैंक को पूर्वोत्तर अंचल में पीएमईजीपी योजना के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2012-13 का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है।
- यूको बैंक को निम्नांकित श्रेणियों के अंतर्गत सीआईएमएसएमई से एमएसएमई बैंकिंग उत्तमता पुरस्कार - 2013 भी प्राप्त हुआ है:
 - नई पहल के लिए ज्युरी अवार्ड
 - बेस्ट ब्रैंडिंग अवार्ड
- यूको बैंक को विकास के लिए स्कॉच रेनेसेन्स अवार्ड 2013 प्रदान किया गया है।

their livelihood in a better way with the assistance provided by the Bank during last 2 years. In 3 villages all 636 BPL families have come out above Poverty Line. These uplifted families in 12 such villages are generating their income by adopting several activities like Dairy farming, Goatery, Betel leaf cultivation, vegetable growing, Cycle repairing, Shoe mending, Fruit vending, Grocery shop, Tea stall, Bidi making, Trolley plying, Mason Jobs etc. By these activities household income has increased by 20-25 percent.

UCO Samagra Gramin Vikas Yojna : For all-round development of village.

The Bank has adopted 10 villages in 6 states i.e. Gujarat, Himachal Pradesh, Odisha, Kerala, Uttar Pradesh & West Bengal for its allround development under UCO Samagra Gramin Vikas Yojna.

In these villages, the Bank has conducted financial literacy camps to educate the villagers, extended financial support to them and has also initiated developmental activities under Corporate Social Responsibility. Under financial assistance, the Bank has given General Credit Cards (GCC) to small traders, Artisan Credit Cards (ACC) to artisans, Kisan Credit Cards (KCC) to farmers, loan to SHGs, loan for doing animal husbandry activities, loan to women & SC/ST beneficiaries. With the help of Bank loan many small traders have started their own business. Under CSR activities in these villages, the Bank has given Ceiling Fans, Water purifiers to different schools, Steel almirah, Books for school library, School uniform to school going children, installation of hand pumps for drinking water in the villages, installation of Solar street lights in the villages, construction of metallic road.

In 2 villages, out of above 10 villages, the Bank has provided doorstep banking facilities to the villagers of these unbanked villages through Mobile Van. The Van visits these 2 villages on a predetermined day and time during the week and provides all types of banking facilities to the villagers at their doorstep. There has been increase in the saving habits of the villagers due to this initiative. Through these vans, villagers are also being financially educated.

By these activities, there is an all round development in the adopted villages and the villagers are very much benefitted.

Awards to Bank

- Ministry of MSME, Govt. of India awarded National Award to UCO Bank for implementation of PMEGP scheme in the North-East Zone for the year 2012-13.
- UCO Bank bagged “MSME BANKING EXCELLENCE AWARDS-2013 from CIMSME under following categories.
 - Jury Award for New Initiative
 - Best Branding Award
- UCO Bank received SKOCH RENAISSANCE AWARD 2013 for Development.

- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने यूको बैंक को देश में आरसेटी अभियान को पल्लवित करनेवाले तीसरे सर्वोत्तम बैंक के रूप में वर्ष 2012-13 का पुरस्कार प्रदान किया है।
- यूको बैंक को “बेहतर नीति सामाजिक प्रभाव” श्रेणी के अंतर्गत वर्ल्ड सीएसआर कांग्रेस के द्वारा ग्लोबल सस्टिनेबिलिटी अवार्ड प्राप्त हुआ है।

8. वित्तीय समावेशन:

वित्तीय समावेशन गरीबी को कम करने, आय की विषमताओं में कमी लाने और आर्थिक संवृद्धि को बढ़ाने में खासी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मोटे तौर से परिभाषित करें तो इसका तात्पर्य है वाजिब दाम पर वित्तीय सेवाओं की विस्तृत श्रेणी की सार्वजनिक उपलब्धता। इसमें न केवल बैंकिंग उत्पाद बल्कि बीमा एवं इक्विटी उत्पादों जैसी अन्य वित्तीय सेवाएँ भी शामिल हैं। वित्तीय समावेशन का सार है वित्तीय सेवाओं की प्राप्ति सुनिश्चित करना जिनमें बचत एवं लेन-देन के प्रयोजन से बैंक खाते, उत्पादन, वैयक्तिक एवं अन्य प्रयोजनों से कम लागत पर ऋण, वित्तीय सलाहकार सेवा, बीमा सुविधाएँ आदि शामिल हैं।

वित्तीय समावेशन योजना के तहत बैंक ने तीन मॉडलों को अपनाया है: i) बीसी मॉडल ii) सीबीएस कनेक्टिविटी युक्त 24 मोबाइल बैंक रहित गाँवों में खोली गई पारंपरिक शाखाएँ। बैंक ने कियोस्क बैंकिंग मॉडल भी शुरू किया है जो बैंक के स्थापना दिवस के दिन प्रारंभ किया गया था। कियोस्क बैंकिंग मॉडल का विकास वैयक्तिक बीसी, वैयक्तिक किराना/मेडिकल/उचित मूल्य की दुकान के मालिकों/पीसीओ ऑपरेटरों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को जिम्मेदारीयुक्त के बजाय कारोबार प्रवर्तक का स्वस्व देने के उद्देश्य से और सीएससी ई-गवर्नेंस को कार्यप्रयुक्त करने हेतु किया गया था।

वित्तीय समावेशन के तहत बैंक ने वर्ष के दौरान 5528 बैंक सेवारहित गाँवों को सम्मिलित किया है और लोगों के लिए बैंकिंग सुविधा से युक्त गाँवों की संख्या संख्या 9635 तक पहुँच गई है। वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने 14.60 लाख मूलभूत बचत बैंक जमा खाते खोले हैं जिसका 31 मार्च, 2014 तक का संख्या आंकड़ा 40.23 लाख तक पहुँच गया है। बैंक ने वर्ष के दौरान 482 यूएसबी स्थापित किए हैं तथा मार्च, 2014 तक इनकी कुल संख्या 1245 तक पहुँच गई है। बैंकिंग सेवारहित गाँवों में बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए मोबाइल बैंक बैंकिंग के कार्यान्वयन में बैंक प्रवर्तक रहा है। बैंक ने 24 मोबाइल बैंक इस कार्य में लगाए हैं जो ऑनलाइन बैंकिंग के लिए कोर बैंकिंग कनेक्टिविटी युक्त हैं। हमारी मोबाइल बैंक 2000 एवं उससे अधिक की आबादी वाले 132 बैंकिंग सेवारहित गाँवों को तथा 2000 से कम आबादी वाले आसपास के छोटे गाँवों को बैंकिंग सेवा प्रदान करती हैं।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) एवं एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष अंतरण (डीबीटीएल):

बैंक ने संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए चयनित 121 जिलों में से 117 जिलों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की सरल सहज परिस्थापना के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। इन जिलों में हमारी शाखाओं ने 43,429 लाभार्थियों के खाते खोले हैं।

एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीएल):

हमारे बैंक को डीबीटीएल योजनांतर्गत 293 जिलों में से 16 जिलों में अग्रणी बैंक का दायित्व दिया गया है, जिसे बैंक ने कार्यान्वित किया है। बैंक इन 16 जिलों में परिचालित सभी बैंकों में एलपीजी ग्राहक का खाता खोलकर एवं उनके खातों में उनका आधार क्रमांक डालकर योजना के

- Ministry of Rural Development, Govt. of India awarded UCO Bank as 3rd Best Bank for nurturing the RSETI movement in the country for the year 2012-13.
- UCO Bank received Global Sustainability Award from World CSR Congress under the category “Outstanding Social Impact”.

8. FINANCIAL INCLUSION:

Financial inclusion plays a critically important role in poverty reduction, reducing income disparities and enhancing economic growth. If broadly defined, refers to universal access to a wide range of financial services at a reasonable cost. These include not only banking products but also other financial services such as insurance and equity products. The essence of financial inclusion is to ensure delivery of financial services which include bank accounts for savings and transactional purposes, low cost credit for productive, personal and other purposes, financial advisory services, insurance facilities etc.

Under the financial inclusion plan, bank has followed three models: i) BC Model ii) 24 Mobile vans with CBS connectivity iii) Brick and Motor branches opened in the unbanked villages. Bank has also introduced Kiosk Banking Model and it was launched on the foundation day of the bank. Kiosk banking model was developed with an intention to make financial inclusion more of a business promotive than obligatory through individual BC, individual grocery / medical / fair price shop owners / PCO operators and to engage CSC e-governance.

Under the financial inclusion bank has covered 5528 unbanked villages during the year and cumulative figure reached at 9635 villages with banking facility to the people. During the year 2013-14, Bank has opened 14.60 lakhs of Basic Saving Bank deposits accounts and cumulatively touched at 40.23 lakhs as on 31st March 2014. The Bank has established 482 USBs during the year and total reached at 1245 as on March 2014. Bank is the pioneer in implementation of Mobile van banking for providing banking facility in the unbanked villages. It has deployed 24 Mobile Vans with Core Banking connectivity for online banking. Our Mobile vans cover 132 unbanked villages with population of 2000 and above and nearby small villages with population of less than 2000.

Direct Benefit transfer (DBT) and Direct Transfer for LPG (DBTL) :

The Bank has taken a number of steps for smooth roll out of Direct benefit Transfer in the 117 districts out of 121 districts identified for implementation of the schemes. Our branches in these districts have opened accounts of 43,429 beneficiaries.

Direct Benefit transfer for LPG (DBTL) :

Our Bank has been assigned with lead bank responsibilities in 16 districts out of 293 districts under the DBTL scheme which the Bank has implemented and monitoring the progress of implementation of the scheme by opening the account of the LPG consumer and seeding their Aadhar number in their accounts

कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी कर रहा है। चूंकि हमारा बैंक अग्रणी बैंक है अतः जिले में परिचालित सभी बैंकों की प्रगति की निगरानी करना तथा 12.65 लाख एलपीजी ग्राहकों का आधार क्रमांक डाल दिया जाना सुनिश्चित करना हमारे जिला प्रबंधक की जिम्मेदारी है।

वित्तीय समावेशन के कार्यान्वयन के लिए नई पहल:

1. वित्तीय समावेशन गेटवे: बीसी एजेंटों के माध्यम से लेन-देन की अंतःप्रचालनीयता की शुरुआत करने के लिए बैंक ने एफआई गेटवे एवं सेंट्रल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सर्वर का उपयोग किया है। इससे ग्राहकों को अपने बैंक के बीसी एवं अन्य बैंकों के बीसी के साथ लेन-देन का अवसर देने का बैंक को एक संभाव्य विकल्प हासिल होगा।
2. बैंक ने 6 जनवरी, 2014 को अपने स्थापना दिवस पर **यूको समावेशन सारथी** नाम से कियोस्क बैंकिंग सॉल्यूशन विकसित किया है, जो बैंक को आंबटित गांवों में वित्तीय समावेशन की प्रगति करने के वैकल्पिक मॉडल के नज़रिये से किया गया है। यह एक वेब आधारित कियोस्क बैंकिंग सॉल्यूशन है; बैंक की एक विलक्षण पहल; यह हमारी वित्तीय समावेशन परियोजना में शामिल किए गए, समाज के वित्तीय दृष्टि से वंचित समूहों के लिए सुरक्षित एवं झंझट-रहित बैंकिंग सेवाओं का एक नया विकल्प खोलने हेतु कार्यप्रयुक्त एफआई गेटवे परियोजना का एक हिस्सा है।

9. रिटेल बैंकिंग

वर्ष 2013-14 रिटेल बैंकिंग का वर्ष था। अतः बैंक के केंद्रीकृत प्रयास ने अच्छा परिणाम दिखाया। इस दिशा में आस्तियों तथा देयताओं के क्षेत्र में बैंक ने अनेक प्रतिस्पर्धात्मक तथा नवाचारी उत्पाद प्रस्तुत किए। इस दौरान विद्यमान आस्ति उत्पादों में अनेक मोडिफिकेशन भी किए गए।

रिटेल देयता संविभाग

देयता संविभाग के अंतर्गत बैंक ने ₹5 करोड़ से कम की जमा राशियों को आकर्षित करने के लिए विशेष मीयादी जमा योजना आरंभ की। इन्हें यूको धनवर्षा, यूको मासिक आय योजना, यूको ट्रिपल वन कहा गया। इन योजनाओं ने हमारे जमा संविभाग में महत्वपूर्ण राशि का योगदान किया। विभाग ने यूको सौभाग्य योजना फिर से चालू की। यह एक आवर्ती जमा योजना है जिसको अपार सफलता मिली। बैंक ने अर्धसैनिक बल के लिए यूको वीर शक्ति नाम से एक विशेष जमा योजना शुरू की। इन योजनाओं को बहुत ज्यादा सफलता मिली तथा इससे बैंक के रिटेल संविभाग की संवृद्धि में बहुत बड़ा सहयोग मिला।

योजनापरक रिटेल ऋण प्रदान करना

आस्ति संविभाग के अंतर्गत बैंक ने नई ऋण योजनाएं यथा यूको सीए योजना, यूको टॉप-अप गृह ऋण योजना, यूको कार्पोरेट गृह ऋण योजना शुरू की। इसके साथ ही बैंक ने विद्यमान रिटेल आस्ति उत्पादों यथा यूको गृह ऋण योजना, यूको पेंशन ऋण योजना, यूको शॉपर ऋण, यूको प्रोपर्टी ऋण को बाजार की मांग के अनुरूप संशोधित भी किया।

बैंक के रिटेल कारोबार को बढ़ाने के लिए बैंक ने बिजनेस फेसिलिटेटर की संकल्पना चालू की। वर्ष 2013-14 के दौरान यूको गृह ऋण ने 57 प्रतिशत का तथा यूको कार ऋण ने 275 प्रतिशत का विकास किया।

in all banks operating in these 16 districts. As our Bank is a lead bank, hence the responsibilities of our District Manager is to monitor the progress of all banks operating in the district and ensure that Aadhar number has been seeded in 12.65 lakhs of LPG consumers.

New initiatives for implementation of Financial Inclusion:

1. Financial Inclusion Gateway: Bank has Commissioned FI Gateway & Central Biometric Authentication Server to introduce interoperability of transactions through the BC Agents. This will create an avenue for the Bank to give an opportunity to the customers to transact with BCs of the Bank and BCs of other Banks.
2. Bank has developed Kiosk Banking solution named as **UCO Samaveshan Sarathi** with its launching on 6th January, 2014 on Bank's foundation day as an alternative model to bring progress in Financial Inclusion in the villages allotted to the Bank. It is a Web Based Kiosk Banking Solution; a noble initiative of Bank; is a part of FI Gateway Project to open new avenue of Secure and hassle free Banking Services for the financially excluded group in the society, who are covered through our Financial Inclusion Project.

9. RETAIL BANKING

The year 2013-14 being the year of Retail Business, the Bank's focused efforts resulted in good performance. In this direction, the Bank came out with various competitive and innovative products in both asset and liability side and also several modifications were done in existing asset products.

Retail Liability Portfolio

Under **Liability portfolio**, the Bank had launched special term deposit schemes to boost growth of term deposits of (< ₹5 crore) such as UCO Dhan Laxmi Scheme, UCO Century Scheme, UCO Double Century Scheme, UCO Monthly Income Scheme, UCO Triple One, which significantly added to our deposit portfolio. Department re-launched UCO Sowbhagya Scheme, a Recurring Deposit Scheme which was a great success. Bank also launched a special saving scheme for paramilitary armed forces named UCO Veer Shakti. These schemes were a huge success and contributed to the growth of the Retail Portfolio of the bank.

Schematic Retail Lending

Under **Asset portfolio**, the Bank had launched new loan schemes such as UCO CA scheme, UCO Top Up Home Loan Scheme, UCO Corporate Home Loan Scheme. Also, the Bank modified existing retail asset products such as UCO Home loan Scheme, UCO Pension Loan scheme, UCO Shopper loan, UCO Property Loan in line with market demand.

The Bank introduced the concept of having business facilitator in the branches to increase the retail business of the bank. UCO HOME loan scheme registered a growth of 57 percent and UCO Car loan scheme 275 percent during 2013-14.

वास्तविक/Actuals			वृद्धि/Growth	
पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 13(करोड़ में)	वित्तीय वर्ष 14(करोड़ में)	राशि (करोड़ में)	वृद्धि प्रतिशत%
Parameters	FY13 (in Crs)	FY14 (In Crs)	Absolute (In Crs)	Percentage (%)
यूको गृह / UCO Home	5196	8176	2980	57
यूको कार / UCO Car	772	2896	2124	275
यूको गोल्ड / UCO Gold	1805	2384	579	32
यूको शिक्षा / UCO EDUCATION	1141	1262	121	11

10. बैंकेश्योरेंस

बैंकेश्योरेंस- जीवन बीमा में, बैंक भारतीय जीवन बीमा निगम का कारपोरेट एजेंट है जो अगस्त 2003 से सार्वजनिक क्षेत्र की एकमात्र जीवन बीमा कंपनी है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने 33358 पॉलिसियाँ और ₹62 करोड़ का प्रथम प्रीमियम जुटाया तथा 21 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष बढ़त दर्ज की।

समूह ऋण जीवन बीमा के मामले में, शिक्षा ऋण उधारकर्ताओं के समूह ऋण जीवन बीमा कवर के लिए बैंक का जुलाई, 2009 से कोटक महिन्द्रा ओल्ड म्युचुअल लाइफ इंश्योरेंस के साथ गठजोड़ है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इसी कोटक लाइफ इंश्योरेंस के साथ गठजोड़ करते हुए बैंक आवास ऋण एवं अन्य रिटेल ऋण उधारकर्ताओं (यूको कैश, यूको टू-व्हीलर, यूको कार, यूको डॉक्टर एवं यूको संपत्ति) के लिए अन्य दो समूह ऋण जीवन बीमा कवर योजनाओं का भी शुभारंभ किया है।

बैंकेश्योरेंस — गैर-जीवन बीमा में, बैंक सितंबर, 2003 से अप्रैल, 2009 तक के शुष्कता की दौर में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. का कारपोरेट एजेंट था। 30 सितंबर, 2009 से बैंक ने अपने गैर-जीवन बीमा व्यवसाय के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.(आरजीआईसीएल) के साथ कारपोरेट एजेंसी गठजोड़ कायम किया है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने 89503 पॉलिसियाँ और ₹35 करोड़ का प्रीमियम जुटाया तथा 10 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष बढ़त दर्ज की। इसके अतिरिक्त तीन अन्य बीमा उत्पाद हैं : (1) 'यूको गृह रक्षा पॉलिसी आवास संपत्तियों/परिसंपत्तियों की बीमा रक्षा के लिए, (2) 'यूको गृह रक्षा प्लस, एक आवास ऋण संरक्षक जो मृत्यु/दुर्घटनाजन्य स्थायी पूर्ण विकलांगता और सूचीबद्ध खतरनाक बीमारियों में से किसी एक से ग्रस्त पाए जाने की स्थिति में ऋण चुकोती में चूक के विरुद्ध आवास ऋण उधारकर्ताओं को बीमा रक्षा प्रस्तावित करता है, तथा (3) 'रिलायंस हेल्दी फैमिली पॉलिसी, आरजीआईसीएल के साथ गठजोड़ में एक मेडिकल बीमा पॉलिसी।

म्युचुअल फंड व्यवसाय में, बैंक सुप्रतिष्ठित आठ म्युचुअल फंड हाउसों — फ्रैंकलिन टेम्पलटन, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, कोटक, रिलायंस, यूटीआई, बिड़ला सन लाइफ, बरडोवा पायनियर एवं एसबीआई म्युचुअल फंड के साथ वितरकता गठजोड़ बरकरार रखे हुए है।

11. वसूली

पिछले दो-तीन वर्षों में बैंकिंग उद्योग में एनपीए की वृद्धि की प्रवृत्ति बैंकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। उक्त अवधि के दौरान हमारे बैंक के सकल एनपीए में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई और 31.03.2013 को जीएनपीए ₹7130 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया, जो 31.03.2012 में ₹4086 करोड़ था। पिछले वर्षों में दुर्बल आस्तियों के परिमाण में वृद्धि का कारण उक्त अवधि के दौरान उसके पिछले वर्षों की तुलना में नये एनपीए का सामने आना रहा, जिसके विविध कारणों में परंपरागत दृष्टिकोण भी शामिल है। हालांकिचालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में बैंक का सकल एनपीए अधिक वसूली / कोटि उन्नयन के कारण पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में ₹7130 करोड़ से कम होकर ₹6621 करोड़ रह गया।

10. BANCASSURANCE

In Bancassurance – Life, Bank is the Corporate Agent of Life Insurance Corporation of India, the only Public Sector Life Insurance Company, since August 2003.

During the Financial Year 2013-14, Bank mobilized 33358 Policies and First Premium of ₹62 crore registering a YOY growth of 21 percent.

In Group Credit Life Insurance, Bank has a group credit life insurance cover for the educational loan borrowers since July 2009 in tie-up with Kotak Mahindra Old Mutual Life Insurance Ltd. During the current Financial Year, Bank introduced other two Group Credit Life Insurance Cover Schemes for Home Loan and other Retail Loan Borrowers (UCO Cash, UCO Two Wheeler, UCO Car, UCO Doctor and UCO Properties) in tie up with the same Kotak Life Insurance.

In Bancassurance - Non-Life, Bank initially was the Corporate Agent of National Insurance Company Ltd, from September 2003 to end of April 2009. Since 30th September 2009, Bank has entered into a Corporate Agency tie-up with Reliance General Insurance Company Ltd. (RGICL) for its Non-Life Insurance Business. During this Financial Year, Bank mobilised 89503 Policies and Premium of ₹35 crore registering a YOY growth of 10 percent. Besides, there are other three insurance products viz. (1) 'UCO Griha Raksha Policy' to cover the House Properties/ Assets, (2) 'UCO Griha Raksha Plus', a Home Loan Protector offering cover to the Home Loan borrowers against default in repayment of loan in the event of death/permanent total disability arising out of accident and being diagnosed for contracting any of the listed critical illness and (3) 'Reliance Healthy Family Policy' a mediclaim insurance scheme in tie up with the same RGICL.

In Mutual Fund Business, Bank continues its distributorship tie-up relation with eight Mutual Fund Houses of good repute viz. Franklin Templeton, ICICI Prudential, Kotak, Reliance, UTI, Birla Sun Life, Baroda Pioneer and SBI Mutual Fund.

11. RECOVERY:

The increasing trend of NPAs in the Banking Industry over last two-three years has become a great challenge to the banks. In our bank also Gross NPA has increased substantially during the period and as on 31.03.2013 GNPA had increased to ₹7130 crore from ₹4086 crore as on 31.03.2012. The increase in volume of impaired assets over previous years was due to fresh slippages during the period over its previous years on account of various reasons which include legacy angle. However, in the current FY 2013-14, the Gross NPA of the Bank has reduced to ₹6621 crore from ₹7130 crore in the corresponding period of previous year due to higher recovery/up-gradation during the period.

एनपीए के उच्च स्तर का मुख्य कारण वैश्विक मंदी के साथ-साथ देश में आर्थिक मंदी की स्थिति है। पिछले कुछ समय में देश भर में बड़े उधार खातों की बड़ी संख्या समय पर चुकौती दायित्व नहीं निभा पाने के कारण एनपीए हो गई है। इसके अलावा उच्चतर एनपीए का एक कारण थोक व्यवसाय पर ध्यान देने की बैंक की पहले की नीति भी रही है।

चूककर्ता कर्जदारों के विरुद्ध विविध प्रकार की वसूली कार्रवाइयों और उधार खातों की गहन निगरानी के कारण वित्तीय वर्ष 2013-14 में आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार की शुरुआत हुई है। इसके अलावा बैंक ने अपने व्यवसाय मॉडल में भी बदलाव किया है और पहले के थोक व्यवसाय के बदले पिछले दो-तीन वर्षों से खुदरा व्यवसाय पर जोर दिया है, जिसके कारण ऋण अधिक मात्रा में एनपीए नहीं हो रहे हैं। इसका परिणाम आना शुरु हो गया है और 31.12.2012 के 5.53 प्रतिशत और 31.12.2013 के 5.42 प्रतिशत से घटकर बैंक का जीएनपीए अनुपात 31.12.2014 को 4.32 प्रतिशत रह गया है। फलस्वरूप एनएनपीए अनुपात भी चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में पिछले वर्ष की समान अवधि के 3.17 प्रतिशत से कम होकर 2.38 प्रतिशत रह गया है। बैंक की आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखने और बकाया की वसूली करने पर उच्च प्रबंधन द्वारा बहुत ध्यान दिया जा रहा है और व्यावहारिक रूप से तथा दैनिक आधार पर इनकी निगरानी की जा रही है।

वसूली कार्यनिष्पादन :

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान अनर्जक आस्ति खातों में वसूली और कोटि-उन्नयन के कार्यनिष्पादन में पिछले वर्षों की अपेक्षा व्यापक सुधार आया है। चालू वित्तीय वर्ष में वसूली कार्यनिष्पादन के आँकड़े पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में दुगुने से भी ज्यादा हैं। चालू वर्ष में वसूली का प्रदर्शन अच्छा रहा, क्योंकि बैंक द्वारा मामलों के शीघ्र निपटान के लिए दुर्बल आस्तियों को एससी/आरसी को सौंपने सहित कई प्रकार के वसूली उपाय अपनाए गए। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने ₹1869 करोड़ के 133 अनर्जक खाते एआरसी को सौंपे, जबकि वित्तीय वर्ष 2012-13 में केवल एक खाते का ₹2.96 करोड़ में विक्रय किया गया था।

विवरण	(₹ करोड़ में / In ₹ Crores)		
Particulars	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014
नकद वसूली/Cash Recovery	658	828	2015
कोटि उन्नयन/Up gradation	417	673	1032
कुल /Total	1075	1501	3047
हानिगत आस्तियां (एमएल एवं तकनीकी रूप से बड़े खाते में डाले गए खाते)			
Loss assets (ML & tech w/off a/cs)	83	117	295

हानिगत आस्तियों में वसूली से लाभप्रदता सीधे प्रभावित होती है और बैंक ऐसे खातों की निगरानी/अनुवर्ती कार्रवाई को प्राथमिकता दे रहा है। पिछले वर्षों की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में हानिगत आस्तियों में वसूली में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और बैंक ने हानिगत आस्तियों और इनकी वसूली की प्रभावी निगरानी के लिए वसूली विभाग में एक अलग कार्यदल बनाया है।

अनर्जक आस्ति खातों में वसूली की अनुवर्ती कार्रवाई एवं निगरानी हेतु समिति दृष्टिकोण

वसूली कार्यनिष्पादन की निगरानी प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए बैंक द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए समिति दृष्टिकोण अपनाया गया है:

Main reason of high level of NPA is due to the global recession coupled with economic slowdown in the country. Large number of big borrowal accounts across the country have suffered slippage in the recent past due to non fulfillment of the repayment obligations in time. Besides, the bank's earlier policy of concentration on bulk business was also one of the reasons of higher slippages.

Due to various recovery actions against the defaulting borrowers coupled with close monitoring of borrowal accounts, the quality of assets have started improving in the FY2013-14. Moreover, the Bank has changed its business model from its earlier Bulk business to Retail business for last two-three years which has likely helped in arresting higher slippages in the Bank. The result has also started forthcoming and as on 31.03.2014, GNPA ratio of the Bank is reduced to 4.32 percent from a high of 5.53 percent as on 31.12.2012 and 5.42 percent as on 31.03.2013. Consequently the NNPA ratio has also come down to 2.38 percent in the current FY 2013-14 from its 3.17 percent in the corresponding period of the last year. Maintaining Bank's asset quality and recovery of dues are engaging the attention of top management and are being monitored practically on daily basis.

Recovery performance :

The performance of recovery & up gradation in NPA accounts during the FY 2013-14 has substantially improved over the previous years. Recovery performance in the current FY is more than double the figure of corresponding period of the last year. The robust performance of recovery in the current year is due to the various recovery measures being undertaken by the bank including assignment of impaired assets to the SCs/RCs for early resolution of the cases. During the FY 2013-14, bank assigned 133 NPA accounts to ARCs involving ₹1869 crore as against sale of ₹2.96 crore in 1 account in the last FY 2012-13.

Recovery in loss assets has a direct bearing in the profitability and Bank is attaching priority in monitoring/follow up in such accounts. There has been substantial increase in recovery in loss assets in the current FY over the previous years and Bank has created a separate vertical in Recovery department for effective monitoring of loss assets and its recovery.

Committee approach for follow up & monitoring of recovery in NPA accounts.

For the purpose of strengthening the monitoring mechanism of recovery performance, a committee approach is adopted by the Bank for different purposes.

i) एनपीए खातों में वसूली कार्यनिष्पादन की निगरानी के लिए हमारे बैंक में निदेशक मंडल स्तरीय समिति गठित की गई है, जिसके सदस्य अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकद्वय तथा सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। समिति द्वारा नियमित अंतराल पर ऐसे सभी अनर्जक आस्ति खातों में वसूली की प्रगति की निगरानी की जा रही है और तदनुसार निदेशक मंडल को रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।

ii) बड़े एनपीए खातों, खासकर शीर्ष 30 एनपीए खातों की निगरानी स्वयं बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक/कार्यपालक निदेशकों द्वारा विभिन्न केन्द्रों पर उधारकर्ताओं के साथ व्यक्तिगत बैठकों के जरिये अथवा हमारे सर्कल कार्यालय स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये की जा रही है। इन प्रयासों से ऐसे उधारकर्ताओं पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने में सहायता मिलती है।

iii) अत्यधिक एनपीए वाले सर्कलों/अंचलों में जाकर स्थिति का पहले से जायजा लेने और शाखा प्रमुखों, एडवोकेटों, ईए/आरए के साथ बैठकें करके वसूली में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए महाप्रबंधक, वसूली दौरे कर रहे हैं।

iv) एनपीए की प्रभावी निगरानी के लिए एनपीए के संकेन्द्रण के अनुसार देश के विभिन्न केन्द्रों पर आस्ति प्रबंधन शाखाएं (एएमबी) कार्यरत हैं। एएमबी के कार्यनिष्पादन की नियमित अंतराल पर विभिन्न नियंत्रक कार्यालयों द्वारा समीक्षा की जाती है।

प्रभावी वसूली के लिए बैंक द्वारा प्रारंभ किए गए अन्य वसूली उपाय

बैंक द्वारा अनर्जक आस्ति/एमएल खातों में वसूली बढ़ाने और बैंक के जीएनपीए को कम करने के लिए विविध वसूली उपाय अपनाए गए हैं। यहां हम अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत कर रहे हैं:

- जहां भी तत्काल वसूली की संभावना होती है, खासकर नये सृजित एनपीए खातों में, कोटि उन्नयन और नकद वसूली के जरिये एनपीए को न्यूनतम करने के उद्देश्य से एनपीए पोर्टफोलियो का एबीसी विश्लेषण किया जाता है।
- जीवनक्षम इकाइयों के मामले में उनको पुनर्संरचना/चुकोती कार्यक्रम में संशोधन के जरिये पुनर्जीवित करने के लिए बैंक द्वारा सहायता का हाथ बढ़ाने का दृष्टिकोण अपनाया जाता है।
- पुनर्जीवित न करने योग्य इकाइयों के मामले में ऐसे सभी खातों के एनपीए होने के तुरंत बाद सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई की शुरुआत की जाती है और फिर संपत्तियों का कब्जा लिया जाता है या नीलामी के जरिये उनका विक्रय किया जाता है।
- ऋण वसूली न्यायाधिकरण(डीआरटी)/ सिविल न्यायालयों में वसूली का वाद दायर करना और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ₹25.00 लाख और अधिक के बकाया शेष वाले उधारकर्ताओं को पहचानकर 'इरादतन चूककर्ता' के रूप में घोषित करना।
- ऐसे निर्णीत मामलों को, जिनमें उधारकर्ताओं और/या जमानतदारों की आस्तियों का विवरण उपलब्ध न हो, उनकी भार रहित आस्तियों, यदि हों, का पता लगाने के लिए उन्हें प्रतिष्ठित अनुसंधान एजेंसियों के सुपुर्द किया जाता है।
- योग्य मामलों में, खासकर बड़े एनपीए के मामलों में, बैंक द्वारा ऋण वसूली न्यायाधिकरण(डीआरटी)/ सिविल न्यायालयों में उधारकर्ताओं/जमानतदारों को पासपोर्ट प्राधिकारी के पास अपने पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश जारी कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है।

i) Board Level Committee has been constituted in our Bank where CMD, EDs & Govt. nominee Director are members of the Committee for monitoring of recovery Performance of NPA accounts. Progress of recovery in all such NPA accounts is being monitored by this Committee periodically and report is being submitted to the Board accordingly.

ii) CMD/EDs of the Bank are personally monitoring the large NPA accounts particularly top 30 NPAs through personal meeting the borrowers at different centers or through video conferencing at our Circle Office level. This attempt has at least created a psychological pressure on them.

iii) General Manager, Recovery is visiting Circles/Zones with high concentration of NPAs to take first hand stock of situation and conducting meetings with Branch Heads, Advocates, EAs/ RAs in order to remove the bottlenecks of recovery.

iv) for effective monitoring of the NPAs, Asset Management Branches (AMBs) are in operation in various centers of the country depending upon the concentration of NPAs. The performance of AMBs is reviewed by various controlling offices at regular intervals.

Other Recovery actions initiated by the Bank for effective recovery:

Various recovery measures have been adopted by the Bank for boosting up recovery in NPA/ML accounts and to bring down the GNPA of the Bank. We enumerate our action plans as under:

- ABC analysis of NPA portfolio is done for minimizing NPAs through up-gradation and cash recovery, particularly for freshly generated NPAs wherever immediate scope of recovery is there.
- In case of viable units, Bank extends its hand holding approach towards them by way of restructuring/ reschedulement for its revival.
- Initiation of actions under SARFAESI Act immediately in case the unit is not viable after the account becomes NPA in all eligible accounts followed by taking possession and auction sale of the property(ies).
- Filing of Recovery suits in DRT/ Civil courts and identification & declaring borrowers with outstanding balance of ₹25.00 lacs and above as 'Wilful Defaulters' as per RBI guidelines.
- Decreed cases, where details of assets of borrowers and/or guarantors are not available, are being handed over to the detective agency for identification of their other unencumbered assets, if any.
- In deserving cases, Bank is filing application with DRTs/ Civil Courts to direct the Borrowers / Guarantors for surrender of their Passports with Passport authority especially in large NPA cases.

- बैंक द्वारा सभी बड़े एनपीए खातों के सरफेसी मामलों में उधारकर्ताओं/जमानतदारों द्वारा सरफेसी अधिनियम के तहत बैंक की कार्रवाई को रोकने के लिए एएसए दायर करने की संभावनाओं को देखते हुए कैवीट दायर किए जा रहे हैं।
- जहां भी आवश्यकता हो, शीघ्र/प्रभावी वसूली के लिए परिसमापन आवेदन दायर किए जा रहे हैं।
- आस्ति प्रबंधन शाखाओं (एएमबी) के कार्यनिष्पादन की प्रभावी निगरानी हेतु नियमित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा करने के साथ-साथ प्रधान कार्यालय के वसूली विभाग द्वारा एएमबी शाखा प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठकें की जा रही हैं।
- एनपीए खातों में वसूली को बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा देश भर में लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं और वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान इस माध्यम से ₹15.39 करोड़ की वसूली की गई है, जबकि पिछले वर्ष ₹9 करोड़ की वसूली की गई थी। बैंक ने दिनांक 23.11.2013 को आयोजित देशव्यापी राष्ट्रीय लोक अदालत में भी भागीदारी की थी, जिसमें ₹5.89 करोड़ की वसूली की गई थी।

12. ऋण निगरानी

अग्रिमों की सिस्टम आधारित निगरानी प्रणाली कार्यान्वित की गई है तथा विशेष जाँच रिपोर्ट एवं अतिदेय पर रिपोर्ट जनरेट करके यूको ऑनलाइन पर प्रदर्शित की जाती हैं जहाँ से सभी संबंधित, यानी शाखाएँ, अंचल एवं सर्कल इन रिपोर्टों को प्राप्त कर सकते हैं ताकि अतिदेय राशि की समय पर वसूली हेतु संकेंद्रित निगरानी की जा सके। अनुलग्नक V की आवृत्ति बढ़ाई गई है तथा अब यह निगरानी रिपोर्ट प्रत्येक सप्ताह जनरेट की जाती है जिससे अतिदेय की स्थिति पता लगती रहे और इसे वसूली की तीव्र कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए उपयोगी महसूस किया गया है।

बड़े उधार खातों में एमएसओडी, क्यूएमआर एवं एचएमआर, स्टॉक स्टेटमेंट की प्राप्ति के लिए विभिन्न निगरानी टूल उपयोग में लाए जा रहे हैं तथा आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने के लिए स्टॉक निरीक्षण किए जा रहे हैं। विधिक लेखापरीक्षा, स्टॉक लेखापरीक्षा एवं ऋण लेखापरीक्षा को वर्तमान नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार करना सुनिश्चित किया गया है तथा विशेष रूप से ऋण लेखापरीक्षा रिपोर्टों को शुष्कता की चेतावनी संकेतों के एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है।

सर्कल कार्यालयों/अंचल कार्यालयों एवं ऋण निगरानी विभाग, प्रधान कार्यालय में पदस्थ विशेषज्ञ अधिकारियों (सनदी लेखाकारों) के द्वारा ऋण लेखापरीक्षा करवाई जा रही हैं।

विभाग में रिटेल ऋणों की निगरानी के लिए एक अलग वर्टिकल स्थापित किया गया है ताकि इस क्षेत्र में गुणवत्ता ह्रास को रोका जा सके। बैंक ने 31 मार्च, 2014 को एनपीए की 100 प्रतिशत सिस्टम चालित पहचान की परिपाटी अपना ली है। उधारकर्ताओं से शाखा के अधिकारियों के संपर्क करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है ताकि समय से वसूली की जा सके।

उधारकर्ताओं में अनुशासन लाने के लिए आरबीआई द्वारा परिचालित सीआरआईएलसी डाटा बेस को ₹10.00 करोड़ एवं उससे अधिक समग्र ऋण जोखिम वाले बड़े उधार खातों के संबंध में, संशोधित रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुसार सूचना प्रदान करने हेतु विभाग ने यथावश्यक तैयारी भी कर ली है।

13. जोखिम प्रबंधन

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में अनेक पहल की हैं। एक करोड़ तक के सभी रिटेल, एमएसई तथा कृषि ऋणों के लिए आंतरिक रूप से एक नया स्कोर कार्ड मॉडल विकसित किया है तथा

- Bank is filing caveat in SARFAESI cases of all big NPA accounts in apprehension of filing SA by the borrowers/guarantors to stop bank's actions under SARFAESI act.
- Wherever needed, winding up petitions are filed for early/effective recovery.
- For effective monitoring the performance of AMBs, review meetings with Branch Heads of AMBs have been conducted at Head Office, Recovery Department in addition to regular reviews through video conferencing.
- Country wide Lok Adalat being held periodically by the Bank to boost up recovery in NPA accounts and during the FY 2013-14 recovery made through this channel is ₹15.39 crore against recovery of ₹9 crore during the last year. Bank also participated in the country wide National Lok Adalat held on 23.11.2013 in which recovery of ₹5.89 crore was made.

12. CREDIT MONITORING

System based monitoring mechanism of advances has been put in place and Special Watch Reports and Reports on Overdue are generated and posted on UCO Online where from all concerned i.e., Branches, Zones and Circles can have the access to the reports so that focused monitoring for timely recovery of over dues can be effected. The frequency of generating Annexure V has been increased and now this important monitoring report is generated every week so as to know the overdue position and has been found useful for launching swift drives of recovery.

There are various monitoring tools used as obtaining of MSOD, QMR and HMR in large borrowal accounts, stock statement and conducting stock inspections for maintaining asset quality. Conducting Legal Audit, Stock Audit and Credit Audit as per extant policy guidelines has been ensured and especially Credit Audit reports are being used as one of the important tools for early warning signals.

Credit Audits are being conducted by Specialist Officers (Chartered Accountants) posted at Circle Offices /Zonal Offices and in Credit Monitoring Department, HO.

A separate vertical for monitoring of retail loans has been formed in the department with a view to prevent slippages under this segment. Bank has switched over to 100 percent system driven identification of NPAs as on 31st March 2014. More thrust has been given pertaining to branch officers meeting the borrowers for effecting timely recovery.

Department has also geared up to provide information as per the revised reporting system on large borrowal accounts with aggregate exposure of ₹10.00 crores and above to CRILC data base maintained by RBI in order to bring about discipline among the borrowers.

13. RISK MANAGEMENT

During the financial year 2013-14, Bank has put in place a few new initiatives in the area of risk management. A new score card model for all Retail, MSE and agriculture loans up to one crore

एक अंचल में इसका कार्यान्वयन प्रायोगिक तौर पर किया जा रहा है। बड़े अग्रिमों के लिए विद्यमान रेटिंग मॉडल को बढ़ाया गया है तथा नए मॉडल की तुलना में चूक की संभावनाओं का आकलन करने के लिए उपयोगकर्ता के स्तर पर विद्यमान मॉडल की दक्षता की जांच प्रगति पर है। बाजार जोखिम प्रबंधन नीति को व्यापक रूप से संशोधित किया गया है। दबाव जांच नीति तैयार की गई है तथा विभिन्न दबाव परिदृश्यों के अधीन चलनिधि स्थिति के लिए इसे लागू किया गया है। तीन माह की समय सीमा के साथ प्रत्येक माह गतिशील चलनिधि विवरण तैयार किया जा रहा है तथा गतिशील चलनिधि पूर्वानुमान के बैंक टेस्टिंग को लागू किया गया है। परिचालन जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत अलग हानि आंकड़ा प्रबंधन नीति तैयार की गई है।

14. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक:

बैंक द्वारा दो क्षेत्रीय बैंक प्रायोजित हैं। ये दो हैं, बिहार ग्रामीण बैंक जिसका प्रधान कार्यालय बेगूसराय (बिहार) में है तथा पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक जिसका प्रधान कार्यालय हावड़ा (पश्चिम बंगाल) में है। 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार समग्र रूप से कुल मिलाकर सभी क्षेत्रीय बैंक का 519 शाखाओं का नेटवर्क है।

क्षेत्रीय बैंक का पुनः पूंजीकरण:

31.03.2014 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक के पुनः पूंजीकरण की कुल राशि ₹153.01 करोड़ (भारत सरकार), ₹107.11 करोड़ (प्रायोजक बैंक) एवं ₹45.90 करोड़ (पश्चिम बंगाल सरकार) रही। इसी प्रकार बिहार ग्रामीण बैंक के मामले में यह राशि ₹107.07 करोड़ (भारत सरकार), ₹74.95 करोड़ (प्रायोजक बैंक) एवं ₹32.12 करोड़ (बिहार सरकार) रही।

क्षेत्रीय बैंक का कार्यनिष्पादन (गैर-लेखापरीक्षित)

प्रमुख कारोबार मानदंडों के अंतर्गत 31.03.2014 की स्थिति के मामले में, बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय बैंक की कुल जमा ₹6245 करोड़ हो गई जिसमें 14.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार 48.17 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ कुल अग्रिम ₹3437 करोड़ तक पहुँच गए। 31.03.2014 को क्षेत्रीय बैंक का अग्रिम-जमा (सीडी) अनुपात 42.09 से सुधरकर 55.03 हो गया।

क्षेत्रीय बैंक की कुल अनर्जक आस्तियाँ 31.03.2013 को रु. 168 करोड़ के मुकाबले में 31.03.2014 को ₹149 करोड़ की रहीं। कुल अनर्जक आस्तियों से कुल अग्रिम का अनुपात 31.03.2013 के 7.29 प्रतिशत से घटकर 31.03.2014 को 4.34 प्रतिशत रह गया। 31.03.2014 को क्षेत्रीय बैंक का निवल अनर्जक आस्तियों का अनुपात (एनएनपीए) 2.68 प्रतिशत पर रहा।

बिहार ग्रामीण बैंक ने 31.03.2013 के ₹42.71 करोड़ की तुलना में 31.03.2014 को ₹79 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया। पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक ने भी अपनी संघयी हानि को घटाकर ₹98 करोड़ करते हुए 31.03.2014 को ₹19 करोड़ का निवल लाभ रिपोर्ट किया।

15. सूचना प्रौद्योगिकी:

1. सीबीएस एप्लिकेशन के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण:

- फिनैकल एप्लिकेशन में लॉग-इन करने के लिए 1273 शाखाओं में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को कार्यान्वित किया गया है। 31.03.2014 की स्थिति में इन 1273 शाखाओं के 9052 यूजर केवल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद ही सीबीएस एप्लिकेशन में लॉग-इन करने में सक्षम होते हैं।
- आशा की जाती है कि अप्रैल, 2014 तक 1974 शाखाओं में

has been developed in house and implementation on pilot basis is going on in one Zone. Enhancement in our existing Rating Models for big advances has been effected and the testing of the efficiency of the new models vis-a-vis the existing models in predicting the probability of default is in progress at user level. Market Risk Management Policy has been comprehensively revised. Stress testing policy is put in place and is implemented for liquidity position under various stress scenarios. Dynamic Liquidity Statement is being prepared every month with time horizon of three months and Back Testing of Dynamic Liquidity projections has been implemented. Under operational Risk Management a separate Loss Data Management Policy is put in place.

14. REGIONAL RURAL BANKS:

There are two RRBs sponsored by our Bank. Those two are Bihar Gramin Bank having its Head Office at Begusarai (Bihar) and Paschim Banga Gramin Bank having its Head Office at Howrah (West Bengal). All RRBs taken together have a network of 519 branches as on 31st March 2014.

Recapitalisation of RRBs:

The total amount of Recapitalisation of Paschim Banga Gramin Bank as on 31.03.2014 stood at ₹153.01 crore (Govt. of India), ₹107.11 crore (Sponsor Bank) & ₹45.90 crore (Govt. of West Bengal). Similarly, in Bihar Gramin Bank, it stood at ₹107.07 crore (Govt. of India), ₹74.95 crore (Sponsor Bank) & ₹32.12 crore (Govt. of Bihar).

Performance of RRBs (Unaudited)

In respect of performance under key business parameters, total deposit of RRBs sponsored by the Bank stood at ₹6245 crore as on 31.03.2014, registering growth of 14.09 percent. Total advance reached a level of ₹3437 crore with an annual growth of 48.17 percent as of 31.03.2014. CD ratio of RRBs improved from 42.09 to 55.03 as on 31.03.2014.

The gross NPA of the RRBs stood at ₹149 crore as on 31.03.2014 vis-à-vis Rs. 168 crore as on 31.03.2013. Gross NPA to Gross Advance reduced from 7.29 percent as on 31.03.2013 to 4.34 percent as on 31.03.2014. The net NPA ratio of the RRBs (NNPA) as on 31.03.2014 stood at 2.68 percent.

Bihar Gramin Bank has recorded a net profit of ₹79 crore as on 31.03.2014 as compared to ₹42.71 crore as on 31.03.2013 and Paschim Banga Gramin Bank has also reported a net profit of ₹19 crores thereby reducing accumulated loss to ₹98 crore as on 31.03.2014.

15. INFORMATION TECHNOLOGY

1. Biometric Authentication for CBS Application:

- Biometric authentication has been implemented in 1273 branches for logging to Finacle application. As of 31.03.2014, 9052 users of the above 1273 branches are allowed to log in to CBS application only after Bio-metric authentication.
- By April 2014, it is expected that biometric

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का काम पूरा हो जाएगा जिसमें 15000 यूजर हैं जो बैंक के 96 प्रतिशत कारोबार को संचालित करते हैं।

2. विदेशी शाखाओं का सीबीएस परिवर्तन:

- हाँग काँग में दो शाखाएँ 4 फरवरी, 2013 को सफलतापूर्वक सीबीएस में परिवर्तित की गईं।
- दिनांक 03/03/2014 को सिंगापुर केंद्र फिनेकल में परिवर्तित किया गया।

3. यूनीक कस्टमर आईडेंटिफिकेशन कोड (यूसीआईसी)

➤ पैन नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर एवं पासपोर्ट नंबर के आधार पर डाटाबेस में मिलनेवाली अनेकविध कस्ट आईडी का एक में विलय करने के लिए उनकी पहचान की गई है।

अप्रैल, 2013 – मार्च, 2014 के दौरान प्रौद्योगिकी उन्नयन

1. ग्रिड सीटीएस:

उत्तरी ग्रिड

- एनपीसीआई ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब एवं राजस्थान राज्यों के 21 केंद्रों का उत्तरी ग्रिड के तहत सीटीएस के कार्यान्वयन के लिए चयन किया है। एनपीसीआई ने बैंक को चरणबद्ध रीति से सीटीएस का कार्यान्वयन पूरा करने का निदेश दिया है। पहले चरण के कार्यान्वयन में शामिल किए जानेवाले केंद्र जयपुर, अमृतसर, आगरा एवं जालंधर हैं। जयपुर, अमृतसर, आगरा एवं जालंधर में सीटीएस का कार्यान्वयन पूरा हो गया है। एनपीसीआई द्वारा परियोजना को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई समय सीमा बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2014 की गई है।

दक्षिणी ग्रिड

एमआईसीआर केन्द्र:

- दक्षिणी ग्रिड में कुल 29 एमआईसीआर केन्द्र सीटीएस में परिवर्तित किए गए हैं जिनमें 23 केंद्र दक्षिणी राज्यों के हैं और 6 केंद्र कोलकाता, चंडीगढ़, लुधियाना, भुवनेश्वर, गुवाहाटी एवं कटक हैं।

गैर-एमआईसीआर केन्द्र:

- तमिलनाडु में 4 गैर-एमआईसीआर केन्द्र सीटीएस दक्षिणी ग्रिड में परिवर्तित किए गए हैं।

पश्चिमी ग्रिड:

- सीबीओ मुंबई पाइलट आधार पर 26 अगस्त, 2013 को सीटीएस पश्चिमी ग्रिड पर लाइव किया गया। सीबीओ मुंबई सारे आंतरिक लिखत की केंद्रीय स्तर पर प्रोसेसिंग कर रहा है। महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात के 21 सीबीओ केंद्र सीटीएस पश्चिमी ग्रिड में भागीदारी कर रहे हैं।

2. एसएफएमएस:

- एसएफएमएस प्लेटफॉर्म एलसी भेजने / प्राप्त करने के लिए सभी शाखाओं में उपलब्ध हैं।

authentication would be completed in 1974 branches with 15000 users covering 96 percent of Bank's business.

2. CBS Migration of Overseas Branches:

- Two branches in Hong Kong were successfully migrated to CBS on 4th Feb 2013.
- The Singapore Centre has been migrated to Finacle on 03/03/2014.

3. Unique Customer Identification Code (UCIC)

- Based on PAN number, Mobile number, Aadhar number & Passport number, multiple CUST ids available in the database, has been identified for merging.

Technological Upgradation During April, 2013 - March, 2014

1. Grid CTS:

Northern Grid

- NPCI has identified 21 centers from the states of Delhi, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Jharkhand, Jammu & Kashmir, Punjab and Rajasthan for implementation of CTS under Northern Grid. NPCI has directed bank to complete the CTS implementation in a phased manner. The Centers to be covered under the first phase are Jaipur, Amritsar, Agra and Jalandhar. Implementation of CTS at Jaipur, Amritsar, Agra and Jalandhar has been completed. The timeline set by NPCI for completion of the project is extended to 30th April 2014.

Southern Grid:

MICR centres:

- Total 29 MICR centres have been migrated to CTS in Southern Grid comprising of 23 MICR centers from Southern states and 6 centres Kolkata, Chandigarh, Ludhiana, Bhubaneswar, Guwahati and Cuttack.

NON-MICR centres:

- 4 Non MICR centres in Tamil Nadu have been migrated to CTS Southern Grid.

Western Grid:

- CBO Mumbai went live on CTS Western Grid on 26th August 2013 on pilot basis. CBO Mumbai is processing all the inward instruments centrally. 21 CBO centres from the States of Maharashtra, Goa, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Gujrat are participating in CTS Western Grid.

2. SFMS:

- SFMS platform is available for all the branches for sending/receiving LC.

3. एकीकृत कोष प्रबंधन सॉल्यूशन (आईटीएमएस) परियोजना:

दिनांक 16.12.2013 से कॉल/टर्म/नोटिस मनी— उधार लेना/ देना, इक्विटी/अधिमानित शेयर, म्युचुअल फंड, वेंच्योर कैपिटल फंड के साथ ही मनी मार्केट मॉड्यूल को ऑनलाइन कर दिया गया है।

फिक्स्ड इनकम मॉड्यूल (सीएसजीएल को छोड़कर) को दिनांक 10 मार्च, 2014 से पैरेलल कर दिया गया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं - क) ट्रेजरी बिल, ख) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, ग) राज्य विकास ऋण, घ) बांड, ङ) डिबेंचर, च) प्रतिभूति सामान्य बही, छ) एनडीएस प्रणालियों सहित एसटीपी।

शेष मनी मार्केट मॉड्यूल को भी दिनांक 10.03.2014 से पैरेलल कर दिया गया है ताकि

- (1) तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ): क) रेपो, ख) टर्म रेपो, ग) मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (एमएसएफ), घ) रिवर्स रेपो तथा
- (2) संपार्श्विकीकृत ऋण लेने एवं देने का दायित्व (सीबीएलओ) - का ध्यान रखा जा सके।

4. स्वप्रयासों से सॉफ्टवेयर विकास:

बैंक ने निम्नांकित सॉफ्टवेयर स्वप्रयासों से विकसित किए हैं:

- सप्लिमेंटरी की जांच के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाउचर चेकिंग सिस्टम (ईवीसीएस) विकसित करके 21 सितंबर, 2013 से सक्रिय किया गया है।
- पदोन्नति प्रक्रिया के लिए कंप्यूटर साक्षरता परीक्षा आयोजित की है।
- 16 अगस्त, 2013 से अंचल प्रबंधकों की शाखा दौरा रिपोर्ट को सक्रिय किया गया है।
- एनपीसीआई के परामर्शानुसार एनएसीएच-ईसीएच क्रेडिट क्लियरिंग फाइलों के लिए लेगसी से सीबीएस (14 डिजिट) खाता संख्या परिवर्तन सुविधा (एएनसीयू) की गई है। यह पैकेज नवंबर, 2013 के अंतिम सप्ताह से सक्रिय किया गया है।
- परिवीक्षाधीन अधिकारियों (पीओ/एमबीए) की मासिक प्रगति रिपोर्ट की प्रस्तुति के लिए ऑनलाइन सुविधा मॉड्यूल विकसित कर सक्रिय किया गया है।
- ऑनलाइन वार्षिक संपत्ति विवरणी(एपीआर) मॉड्यूल विकसित कर सक्रिय किया गया है।

निम्नांकित सॉफ्टवेयर तैयार किए जा रहे हैं:

- आगंतुक प्रबंधन मॉड्यूल विकसित किया गया है और उसका परीक्षण चल रहा है। उसे प्र.का.-II में प्रायोगिक तौर पर चलाकर देखा जा रहा है।
- ईरानियन वॉस्ट्रो खाता लेन-देन के प्रबंधन/निगरानी के लिए ईरानियन वॉस्ट्रो मैनेजमेंट सॉल्यूशन विकसित किया जा रहा है। सभी मास्टर (आवेदक, लाभार्थी, यूजर आदि) को डाटा प्रविष्टि के प्रयोजन से सक्रिय किया गया है। स्विफ्ट मैसेज एमटी103 एवं एमटी202 के लिए मॉड्यूल तैयार करके उसका परीक्षण किया जा रहा है। एलसी संबंधी शेष मॉड्यूल विकसित किए जा रहे हैं।
- बैंक के एमआईएस में विधि विभाग से संबंधित विवरण शामिल करने के लिए मॉड्यूल बनाया गया है तथा विधि विभाग उसका परीक्षण कर रहा है। परीक्षण करने के बाद विधि विभाग ने कुछ नई जरूरतें बताई हैं जिन पर काम चल रहा है।

3. Integrated Treasury Management Solution (ITMS) Project :

Money Market Modules has been made on-line w.e.f. 16.12.2013 with Call/Term/Notice Money - Borrowing/Lending, Mutual Fund equity/Preference Shares and Venture Capital Fund.

Fixed Income Modules (except CSGL) has been made parallel w.e.f. 10th March 2014 comprising of a) Treasury Bills b) Central Govt Securities c) State Development Loans d) Bonds e) Debentures f) Security General Ledger g) STP with NDS Systems.

Remaining Money Market Modules have also been made parallel w.e.f. 10.03.2014 to take care of -

1. Liquidity Adjustment Facility (LAF): a) Repo b) Term Repo c) Marginal Standing Facility (MSF) d) Reverse Repo and
2. Collateralized Borrowing & Lending Obligation (CBLO).

4. In-House Software Development:

The Bank has developed following software in house-

- Electronic Voucher Checking System (EVCS) for supplementary checking has been developed and made live since 21st September 2013.
- Conducted Computer Literacy Exam for promotion process.
- Branch Visit Report for Zonal Managers has been made live from 16th August 2013.
- Legacy to CBS (14 digit) Account Number Conversion Utility (ANCU) for NACH-ECS Credit Clearing files as per the advice of NPCI done. The package has been live since last week of November, 2013.
- Online facility module for “submission of monthly progress report of probationary officers (PO/MBA) is developed and is live.
- Online Annual Property Return (APR) module is developed and is live.

The following softwares are in development phase:

- Visitor Management module has been developed and tested. It is under trial run.
- Iranian Vostro Management Solution is being developed to manage/ monitor Iranian Vostro Account Transactions. All the masters (Applicant, Beneficiary, User etc) have been made live for data feeding purpose. Module for Swift Message MT103 & MT202 has been developed & tested. Developments of remaining LC related modules are in progress.
- A module has been developed for 'Inclusion of statements pertaining to Law department in Bank's MIS and deployed for testing by Law department.

- भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड नेशनल सेविंग सिक्युरिटीज़ – क्युमुलेटिव, 2013 (“द बॉन्ड्स”) को जारी करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी बैंक ने फिनेकल में एक मॉड्यूल विकसित एवं एकीकृत किया है।
- खाता खोलने से पहले शाखाओं के उपयोग हेतु फिनेकल में एक नया मेनू ‘डीयूपीसीयूएसटी’ प्रदान किया गया है जिससे यह निश्चित किया जाता है कि ग्राहक का बैंक में पहले से खाता तो नहीं है।
- अधीनस्थ कर्मचारी एवं लिपिकों की पदोन्नति के आवेदन फार्म की ऑनलाइन प्रस्तुति के लिए बैंक ने एक मॉड्यूल तैयार किया है जो सक्रिय है।
- बैंक की आंतरिक विकास टीम द्वारा हानि डाटा प्रबंधन प्रणाली एवं पत्र ट्रेकिंग प्रणाली विकसित की जा रही है।
- बैंक ने 01.04.2012 से पहले खरीदी गई स्थिर परिसंपत्तियों का विवरण प्राप्त करने के लिए एक मॉड्यूल विकसित किया है।

- Bank has developed and integrated a module in Finacle for issuance of ‘Inflation Indexed National Saving Securities- Cumulative, 2013(“The Bonds”) issued by RBI in consultation with Govt of India.
- A new menu ‘DUPCUST’ is provided in Finacle for use by branches at pre account opening stage to ascertain if customer is already having account with Bank.
- The Bank has developed a module for submission of online application form for the promotion of Sub-staffs, & Clerks.
- Loss Data Management System & Letter Tracking System is under development by Bank’s in-house development team.
- Bank has developed a module to capture the details of Fixed assets purchased prior to 01.04.2012.

16. परिचालन एवं सेवा:

वर्ष 2013-14 के दौरान विभाग द्वारा कारोबार निरंतरता योजना नीति लागू की गई। यूको ऑनलाइन पर वेबपृष्ठ ‘यूको सुझाव’ द्वारा सभी स्टाफ-सदस्यों को प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं में सुधार के लिए अपना सुझाव देने का अवसर उपलब्ध कराया गया है। यह वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही से चालू हो गया है।

- i) **एटीएम स्विच एवं फिनेकल कैश टैली- आंतरिक पैकेज का विकास**
एटीएम स्विच एवं फिनेकल में संबंधित एटीएम नकदी खाता (जीएल खाता) में नकदी शेष में अंतर की, यदि कोई हो, जांच करने के लिए आंतरिक पैकेज तैयार किया गया है। ई-मेल स्वचालित रूप से तैयार होंगे तथा उक्त शीर्ष में अंतर में सुधार के लिए शाखाओं को भेजे जाएंगे। उक्त ई-मेल की प्रति संबंधित अंचल तथा सर्किल को मॉनीटरिंग के लिए भेजी जाएगी।
- ii) **एडमिन कार्ड का उपयोग- आंतरिक पैकेज का विकास-एटीएम में**
नकदी डालते समय नकदी की स्थिति का मिलान करने के लिए शाखाओं द्वारा एडमिन कार्ड का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु। बैंक ने एक सिस्टम विकसित किया है जिससे जांच की जा सकती है कि शाखाएं नकदी डालते समय एडमिन कार्ड का उपयोग कर रही हैं या नहीं।
- iii) **सीबीओ तथा उनके नियंत्रणाधीन शाखाओं के बीच समाधान की मॉनीटरिंग** : शाखाओं में सेवा शाखा के शेष तथा शाखाओं के शेष का मिलान करने के लिए आंतरिक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। यदि प्रत्येक शुक्रवार को दिन की समाप्ति पर/शनिवार को दिन की शुरुआत में शेष को शून्य पर नहीं लाया जाता है तो सीबीओ तथा संबंधित शाखाओं को अपने आप ई-मेल भेजा जा रहा है तथा तुरंत सुधार के लिए उसकी प्रति संबंधित अंचल/सर्किल कार्यालय को भेजी जा रही है।

ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र:

बैंक में सुपरिभाषित शिकायत निवारण तंत्र है तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायतों को दूर करने के प्रयास किए जाते हैं। ग्राहकों की शिकायतों को इस तरह दूर किया जाता है कि ग्राहक पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं। विभाग द्वारा दिनांक 01.11.2013 से मानकीकृत लोक शिकायत

16. OPERATION AND SERVICES :

During the year 2013-14, the Bank has come out with Business Continuity Plan Policy. “UCO Sujhav” a webpage in UCO online provide opportunity for the staff member to give their suggestions to improve the procedures and processes. The same has been operationalized during 1st quarter of 2013-14.

- i) **ATM Switch and Finacle Cash Tally – Development of In-house package.** An in-house package has been developed to check the differences, if any, in the cash balance between ATM Switch and respective ATM cash A/c in Finacle (GL A/c). Automatic e-mails will be generated and sent to the branches having difference in aforesaid heads for immediate rectification with a copy of the said e-mail to Zone and Circle concerned for monitoring.
- ii) **Use of ADMIN Cards – Development of In-house package.** For ensuring usage of ADMIN Cards properly by the branches while loading cash in ATMs to match the cash position, Bank has developed a system (package) to check whether the branches are using the ADMIN Cards while loading cash.
- iii) **Monitoring of reconciliation between CBO and branches in their jurisdiction -** Software is developed in-house to compare the balances of Service Branch and balances of branches. If balances are not brought to zero on every Friday day-end/Saturday day beginning, automatic e-mail is being sent to CBOs and respective branches with a copy to Zonal/Circle Office concerned for immediate rectification.

Customer Grievances Redressal :

There is a well defined Grievances Redressal Mechanism in the Bank and efforts are made to resolve the complaints within the time frame. Customer complaints are resolved completely to the satisfaction of customers. The

निवारण प्रणाली, जो पूरी तरह सिस्टम आधारित शिकायत प्रबंधन प्रणाली है, आरंभ की गई है जिसके द्वारा ग्राहक बैंक की वेबसाइट पर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इस प्रणाली में स्वचालित पावती देने की सुविधा है। यह प्रणाली विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों के साथ-साथ शाखाओं को भी अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की प्रविष्टि तथा निगरानी की सुविधा उपलब्ध कराती है।

सरकारी कारोबार

- ❖ भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) तथा भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) के चालानों की प्राप्ति एवं उनके द्वारा जारी चेकों के भुगतान तथा लिंक सेल सीताबुल्दी शाखा नागपुर (0296) से प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए संशोधित प्रक्रिया लागू की गई है।
- ❖ दिसंबर, 2013 एवं उसके बाद से तमिलनाडु सरकार के सभी प्रकार के कर संग्रहण के लिए तमिलनाडु राज्य सरकारी कर संग्रहण योजना को दिसंबर 2013 से हमारे इंटरनेट बैंकिंग के साथ समन्वित किया गया है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस): राष्ट्रीय पेंशन योजना के अधीन स्वावलंबन योजना को फिनैकल के सरकारी कारोबार मॉड्यूल के अंतर्गत सफलतापूर्वक कस्टमाइज किया गया है तथा योजना के अधीन ग्राहकों के पंजीकरण के लिए शाखाओं द्वारा इसका प्रयोग करने के लिए इसे जनवरी, 2014 से चालू कर दिया गया है। अंचल प्रबंधकों द्वारा शाखाओं के दौरे की बारंबारता में सुधार आया है। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को शामिल करने के लिए (क) क्षतिपूर्ति नीति (ख) जमा नीति (ग) अदावी जमा नीति तथा (घ) शिकायत निवारण नीति की समीक्षा की।

17. कारपोरेट संसूचना

बैंक ने विभिन्न चैनलों यथा प्रिंट मीडिया, आउटडोर मीडिया, डिजिटल, प्रचार के लिए प्रायोजकता, सार्वजनिक संबंध, सीएसआर कार्यक्रमों एवं ग्राहकों, व्यापक तौर से आम जनता के बीच अपेक्षित जानकारी के प्रचार-प्रसार की नई पहल की है जिससे अंततोगत्वा एक ऐसी ब्रांड छवि बनेगी जो प्रासंगिक, ग्राहकोन्मुख तथा विवसनीय होगी।

क) प्रचार अभियान:

प्रिंट मीडिया:

प्रिंट मीडिया आम जन तक पहुंचने का सशक्त माध्यम है तथा कारपोरेट संसूचना ने पूरे वित्तीय वर्ष 2013-14 में जोशीले एवं गहन प्रचार अभियान द्वारा इसका प्रभावी उपयोग किया है। यूको डबल, यूको ट्रिपल वन, यूको डबल सेंचुरी, धनवर्षा, धनलक्ष्मी, यूको टैक्स सेवर, सीभाग्य, यूको बचत खातों जैसे देयता उत्पादों का प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार किया गया। इसी अवधि के दौरान यूको होम ऋण, कार ऋण, सीए ऋण तथा यूको होम एवं यूको कार ऋण जैसे आस्तित् उत्पादों के लिए फेस्टिवल बोनांजा योजना का भी प्रचार किया गया।

वर्ष के दौरान वैकल्पिक चैनल के माध्यम से लेनदेन तथा बैंकिंग को अधिक वैयक्तिक तथा ग्राहकोन्मुख बनाने पर जोर डालने के लिए ई-बैंकिंग, एम-बैंकिंग, ऑनलाइन एफडीआर सुविधा का प्रचार प्रिंट मीडिया के माध्यम से किया गया।

प्रिंट मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार-पत्रों में वित्तीय परिणामों का भी प्रकाशन किया गया।

standardized Public Grievance Redressal System, a completely system based grievance management system, facilitating a customer to lodge on-line complaint by visiting Bank's Website was successfully launched w.e.f 01.11.2013. The system has auto acknowledgement facility. The same system provides the facility to different administrative set-ups as well as branches to enter and maintain the complaints received through other modes.

Government Business:

- ❖ Revised procedure has been implemented for receipt of challans and payment of cheques issued by Geological Survey of India (GSI) and Indian Bureau of Mines (IBM) and thereby claiming reimbursement from link cell Sitabuildi Branch Nagpur (0296).
- ❖ Tamil Nadu State Government Tax collection scheme has been integrated with our internet banking for all types of tax collection of Tamil Nadu Government from Dec 2013 onwards.

National Pension System (NPS): The Swavlamban Scheme under National Pension System was successfully customized under Government Business Module of Finacle and made operational in the month of January, 2014 for use by the branches for enrolment of subscribers under the scheme.

Frequency of Branch Visits by Zonal Managers has improved. Bank has reviewed the a) Compensation Policy b) Deposit Policy c) Unclaimed Deposit Policy and d) Grievances Redressal Policy in order to incorporate the RBI Guidelines.

17. CORPORATE COMMUNICATIONS :

Bank has taken up various initiatives through various channels namely Print Media, Outdoor Media, Digital and sponsorship for publicity, public relations, CSR activities and dissemination of requisite information to customers and common public at large ultimately to build and maintain a brand-image that is relevant, customer-oriented and trustworthy.

a) Publicity Campaigns:

Print Media:

Print media is an effective medium to connect to masses, and Corporate Communications has utilised it effectively by carrying out intensified and vigorous publicity campaigns throughout the FY 2013-14. Liability products, viz, UCO Double, UCO Triple One, UCO Double Century, Dhanvarsha, Dhanlaxmi, UCO Tax-Saver, Sowbhagya, UCO Savings Account were publicized through print media. Asset products, viz., UCO Home Loan, CAR Loan, CA Loan and Festival Bonanza scheme for UCO Home and Car loan were also promoted during the period.

With a thrust on routing the transactions through alternate channels and making banking more personalized and customer-oriented, E-Banking, M-banking, Online FDR facility were publicized through Print media during the period.

Publication of financial results in leading national and local dailies was also carried through Print Media.

रेडियो जिंगल एवं टेलीविजन विज्ञापन:

तकनीक विकास के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने देश के सुदूर कोने तक अपनी पहुंच बना ली है। बैंक की डेबिट कार्ड सुविधा का प्रचार करने के लिए टेलीविजन के माध्यम से अभियान चलाया गया। बैंक के 71 गौरवमय वर्ष पूरा होने के पश्चात ग्राहकों तथा खास तौर पर आम जन तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए स्थापना दिवस के दौरान रेडियो जिंगल द्वारा प्रचार किया गया।

ग्रामीण प्रचार:

प्रचार अभियान का एक अभिन्न अंग है बैंक का ग्रामीण प्रचार जिसकी उपस्थिति पूरे देश में तथा सशक्त उपस्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में है तथा इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। बैंक ने देश भर में स्थित सर्किल कार्यालयों के माध्यम से विभिन्न ग्रामीण प्रचार अभियान चलाया तथा उसकी मानीटरिंग की। बैंक के उत्पादों तथा दी जा रही सेवाओं के बारे में वाल-पेंटिंग, रिक्शा द्वारा उद्घोषणा, ऋण मेला आदि के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया।

ख) 72वां स्थापना दिवस समारोह:

अपनी स्थापना के 71 गौरवमय वर्ष पूरा होने के अवसर पर बैंक द्वारा जोश एवं उत्साह के साथ 6 जनवरी, 2014 को स्थापना दिवस मनाया गया। बैंक के कर्मचारियों एवं कार्यपालकों ने स्थापना शाखा से सामान्य प्रशासन विभाग, रसेल स्ट्रीट, कोलकाता तक रोड शो में भाग लिया। समारोह में स्थल तथा रोड शो के दौरान बैनर एवं स्टैन्डी के माध्यम से यूको होम ऋण, यूको कार ऋण, एमाआईएस, सौभाग्य जैसे आरिस्ट एवं देयता उत्पादों का प्रचार किया गया। इस अवसर पर देश भर में सर्किल एवं अंचल कार्यालयों द्वारा वृक्षारोपण, रक्तदान तथा मुफ्त स्वास्थ्य जांच जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रधान कार्यालय तथा अंचल कार्यालय स्तर पर सम्मानित किया गया। साथ ही, बैंक के साथ लंबे समय से जुड़े ग्राहकों को भी बैंक द्वारा सम्मानित किया गया।

ग) जन संपर्क:

● प्रेस मीट:

जानकारी का प्रचार तथा वित्तीय परिणाम, पुरस्कार एवं पहचान, नई शाखाएं तथा एटीएम खोलने जैसे महत्वपूर्ण अवसरों एवं समारोह का कवरेज ग्राहक संबंधों को मजबूत करने के लिए पूर्वापेक्षित है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, बैंक के कारपोरेट संसूचना विभाग ने तिमाही एवं वार्षिक वित्तीय परिणाम की घोषणा के लिए तथा आवश्यकतानुसार अन्य अवसरों पर प्रेस मीट का आयोजन किया गया।

● प्रेस विज्ञप्ति:

महत्वपूर्ण घटनाओं के सामयिक कवरेज बैंक के महत्वपूर्ण अवसरों तथा उपलब्धियों के बारे में जागरूकता लाने में अनिवार्य भूमिका अदा करता है। बैंक के कारपोरेट संसूचना विभाग ने पूरे वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान प्रमुख राष्ट्रीय एवं दैनिक समाचार-पत्रों में वित्तीय परिणामों, स्थापना दिवस समारोहों, वार्षिक कारोबार बैठक तथा अन्य महत्वपूर्ण समारोहों से संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों के प्रकाशन की व्यवस्था की।

घ) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:

बैंक विश्वास करता है कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के निर्वाह से मूर्त मूल्य सृजन में सहायता मिलती है तथा अंततः यह ब्रांड छवि बढ़ाने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त, सीएसआर से ग्राहकों और

Radio Jingles and Television Commercials:

Electronic media aided by technological development has widened its reach to remotest corner of country. Campaigns through Television were carried for promoting bank's debit card facility. Radio jingles were carried out during Foundation Day for spreading its message to its customers and common public at large after completion of 71 glorious years of its existence.

Rural Publicity:

Rural publicity is an integral part of publicity-campaign for Bank having pan-India and strong rural presence and can not be overlooked. Bank has promoted and monitored various rural publicity campaigns through circle offices located across the country. Wall-Paintings, announcements by Rickshaw, Loan-Fairs, etc were carried out for promoting awareness about products and services offered by bank.

b) Celebration of 72nd Foundation Day:

On occasion of completion of 71 glorious years of its existence, bank celebrated foundation day on 6th January 2014 with great zeal and enthusiasm. Employees and executives of the Bank participated in the Road Show from Founder's Branch to General Administration Department, Russel Street, Kolkata. During the celebration, Asset and Liability products viz, UCO Home Loan, UCO Car Loan, MIS, Sowbhagya were publicized through Banners and standees at venue and road-show. Circle and Zonal offices across the country organised various events viz, plant sapling, blood-donation and free health check-up camps on the occasion. Super achievers under different categories were felicitated at Head Office and Circle Offices. Also, Customers having long-term relationship with Bank were honoured by the Bank.

c) Public Relations:

● Press Meet:

Dissemination of information and coverage of important events and occasions viz, Financial Results, Awards & Recognition, Opening of new branch & ATMs is prerequisite for strengthening the public relations. During the FY 2013-14, Corporate Communications department of the Bank, organised press meets for declaration of quarterly and yearly financial results and as required from time to time.

● Press Release:

Timely coverage of important events plays an integral role in creating awareness about important events and achievements of Bank. Corporate Communications department of the Bank arranged for press-release of financial results, foundation day celebrations, annual business meet and other important events in leading national and local newspapers throughout the FY 2013-14.

d) Corporate Social Responsibility:

Bank believes that carrying out CSR activities helps in creating tangible value-creation and ultimately contributing to brand-image. Moreover, CSR creates a positive image in the mind of customers and society at large. This creates a sense of

खास तौर से समाज में सकारात्मक छवि बनती है। इससे विद्यमान एवं भावी ग्राहकों में अपनत्व एवं निष्ठा का भाव आता है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक द्वारा निम्नलिखित सीएसआर कार्य किए गए:

- उत्तराखंड के 2013 के बाढ़-पीड़ितों के लिए प्रधान मंत्री राहत कोष को ₹100 लाख की वित्तीय सहायता।
- हमारी ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी शाखाओं द्वारा गोद लिए गए 1204 विद्यालयों को पंखे/वाटर प्युरिफायर/टॉयलेट ब्लॉक के रूप में ₹155 लाख की वित्तीय सहायता।
- फ्री स्टुडेंट होम्स, जेपोर, ओडिशा के लिए 'एम फॉर सेवा' को ₹4.62 लाख की वित्तीय सहायता।
- जनजातीय/ग्रामीण उपेक्षित नाजुक रोगियों की सेवा में एम्बुलेन्स वाहन खरीदने के लिए अकल चैरिटेबल हॉस्पिटल को रु. 15.69 लाख की वित्तीय सहायता।
- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को सहायता देने के लिए एक एम्बुलेन्स की खरीद हेतु कामाख्या डिबटर बोर्ड को ₹3.13 लाख की वित्तीय सहायता।
- रामकृष्ण मिशन आश्रम, कोठार, भद्रक, ओडिशा को ₹2.54 लाख की वित्तीय सहायता।
- भुवनेश्वर सर्कल के अंतर्गत चक्रवाती तूफान 'फालिन' से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष को ₹15 लाख की वित्तीय सहायता।
- कैदियों के लिए 'मोबाईल कैन्टीन' के स्ल में उपयोग करने के लिए एक वाहन की खरीद हेतु कारा विभाग, हिमाचल प्रदेश को ₹3.50 लाख की वित्तीय सहायता।
- लखनऊ सर्कल कार्यालय के अंतर्गत रायबरेली में 7शाखाओं के केंद्रीकृत शुभारंभ के दौरान गोद लिए गए 23 गांवों के विकास के लिए 100 सौर लाइट लगाने के लिए ₹22 लाख की वित्तीय सहायता।
- मुंबई सर्कल कार्यालय के अंतर्गत पणजी नगर निगम को टिपर उपलब्ध कराने के लिए रु.10.72 लाख की वित्तीय सहायता।

18. मानव संसाधन प्रबंधन:

संगठन के विकास में मानव संसाधन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मानव संसाधन विभाग एक मुखर संगठनात्मक संस्कृति का विकास करने में सहायक हुआ है जिससे कर्मचारी अपना सर्वोत्तम योगदान करने के लिए प्रोत्साहित तथा प्रेरित अनुभव करें। कारपोरेट लक्ष्यों को प्राप्त करने में मानव पूंजी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बैंकिंग एक सेवा उन्मुख उद्योग है तथा बैंक के कारोबारी लक्ष्यों को प्राप्त करना ग्राहकों को अच्छी सेवा प्रदान करने पर ही निर्भर है। कुशल ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए गुणवान लोगों की भर्ती करना आवश्यक है।

जनाक्ति

31 मार्च, 2014 को हमारे बैंक की कुल जनशक्ति 24557 है। इसमें देश के बाहर काम कर रहे कर्मचारी शामिल हैं। इस संख्या में 14 अधिकारी हैं जो विदेशी शाखाओं में काम कर रहे हैं। देश में स्थित कुल स्टाफ की संख्या 24543 है। इसमें 11580 अधिकारी, 8421 लिपिक तथा 2785 अधीनस्थ कर्मचारी तथा 1757 स्वीपर हैं।

4827 अनुसूचित जाति के कर्मचारियों तथा 1583 अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता कुल कर्मचारियों के हिसाब से 26.09 है। इसके अलावा मार्च 2014 तक अन्य पिछड़ा वर्ग के 2435 कर्मचारी बैंक की सेवा में हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों से बैंक में 1126 कर्मचारी

belongingness and loyalty in existing and prospective customers. During the financial year 2013-14, following CSR activities were carried out by the Bank :

- Financial assistance of ₹100 lacs to the Prime Minister's Relief fund for the victims of Uttarakhand Floods-2013.
- Financial assistance of ₹155 lacs to 1204 number of schools adopted by our Rural and Semi-Urban branches in form of Fans/Water Purifiers/Toilet Blocks.
- Financial assistance of ₹4.62 lacs to "Aim for Seva" for its Free Student Homes, Jeypore, Odisha.
- Financial assistance of ₹15.69 lacs to Akal Charitable Hospital for procuring Ambulance Van in service of tribal/rural underprivileged critical patients.
- Financial assistance of ₹ 3.13 lacs to Kamakhya Debutter Board, Guwahati for purchase of one ambulance for assisting primary health care service.
- Financial assistance of ₹2.54 lacs to Ramakrishna Mission Ashrama, Kothar, Bhadrak, Odisha.
- Financial assistance of ₹15 lacs to Chief Minister's Relief Fund for rehabilitation of cyclonic storm "Phalin" affected people, under Bhubaneswar Circle.
- Financial assistance of ₹3.5 lacs to the Prisons Department of Himachal Pradesh Government for procurement of one vehicle for use as "mobile canteen" for prisoners.
- Financial assistance of ₹22 lacs for installation of 100 solar lights towards development of 23 villages adopted during centralised inauguration of 7 branches under Circle office lucknow at Rae Bareilly.
- Financial assistance of ₹10.72 lacs for procurement of Tipper to Panaji Municipal Corporation, Mumbai, under Mumbai circle office.

18. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT:

Human Resources play an important role in the growth of an organization. Human resources department is instrumental in creating a vibrant organisational culture in which employees are encouraged and motivated to perform their best. Human Capital plays a vital role in accomplishment of corporate goals. Banking is a service oriented industry and achievement of business goal of Bank depends on good service provided to customers. In order to provide efficient customers service, recruitment of talented people is essential.

MANPOWER

The total Staff Strength as on 31st March, 2014 stood at 24557, including employees serving overseas, 14 of which are expatriate officers. The total domestic staff strength of 24543 comprises of 11580 Officers, 8421 Clerks and 2785 Subordinate staff and 1757 Sweepers.

The percentage of Scheduled castes (4827) and Scheduled Tribes (1583) taken together in the total domestic staff strength is 26.09. Besides, there are 2435 OBC employees in service of the Bank at the end of March, 2014 and 1126 employees belong

हैं। मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार कुल कार्यबल में 17.80% महिला कर्मचारी हैं जिनकी संख्या 4371 है।

वर्ष 2013-14 की अवधि में भारत सरकार के निदानुसार अजा/अजजा के उम्मीदवारों को पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण दिया गया।

भर्ती

वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने 1209 अधिकारियों की भर्ती की। इसमें 186 अजा, 87 अजजा, 299 अ.पि. वर्ग तथा 408 महिलाएं हैं। वर्ष 2013-14 की अवधि में 889 लिपिकों की भी भर्ती की गई जिसमें 112 अजा, 87 अजजा, 271 अ.पि. वर्ग, 304 महिलाएं, 37 भूतपूर्व सैनिक, 4 भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित, 23 निःक्त तथा 67 अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य शामिल हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने 2100 लिपिकों, 1300 परिवीक्षाधीन अधिकारियों तथा वेतनमान II में 600 सामान्य संवर्ग के अधिकारियों (150 सीए, 300 एमबीए, 100 आइसीडब्ल्यूए तथा 50 सीएफए) की भर्ती करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की है।

पदोन्नति

वर्ष 2013-14 में बैंक ने उच्च कार्यपालक श्रेणी वेतनमान VII में 5 कार्यपालकों, वेतनमान-V से उच्च कार्यपालक श्रेणी वेतनमान VI में 8 कार्यपालकों तथा वेतनमान IV से वेतनमान-V में 7 कार्यपालकों को पदोन्नत किया। इसके अतिरिक्त, 67 अधिकारी वेतनमान-IV में, 433 अधिकारी वेतनमान-III में तथा वेतनमान-II में 342 अधिकारी पदोन्नत किए गए। इसके साथ-साथ विशेषज्ञ संवर्ग में 4 अधिकारी वेतनमान III से IV में, 8 अधिकारी वेतनमान III में तथा 6 अधिकारी वेतनमान II में पदोन्नत किए गए। इसी अवधि में 374 कर्मचारी लिपिक संवर्ग में पदोन्नत हुए। अधीनस्थ कर्मचारियों से लिपिकीय संवर्ग में भी पदोन्नति दी गई। अंचल कार्यालयों को 323 पियनों और 292 स्वीपर्स की भर्ती करने की अनुमति इस वित्तीय वर्ष में दी गई।

औद्योगिक संबंध

इस अवधि के अंतर्गत प्रबंधन तथा यूनियनों/एसोसिएशनों के बीच औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। वित्तीय वर्ष 2013-14 में यूनियनों/एसोसिएशनों के साथ पारस्परिक सौहार्द के वातावरण में बैंक ने आइआर बैठकें कीं तथा विचार-विर्मा किए।

कार्मिक सेवा

अवकाशप्राप्त स्टाफ सदस्यों के लिए अलग से एक पेंशन परिवाद सेल बनाया गया है। परिवार पेंशन के लिए सरलीकृत परिवार पेंशन फार्मेट लाया गया है। बैंक के वेबसाइट पर पेंशनभोगियों के लिए पेंशन कार्ड बनाना गया है। समूह मेडीक्लेम बीमा में इन-सर्विस कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत बफर कवरेज रु. 2.00 लाख से बढ़ा कर रु. 3.00 तक कर दिया गया है। शिरडी, तिरुपति तथा मसूरी होलीडे होम सुविधा वर्ष 2014-15 में भी उपलब्ध रहेगी।

प्रशिक्षण

चूंकि बैंक में मानव संसाधन सबसे मूल्यवान आस्ति है। यह आस्ति न सिर्फ समुचित देखभाल की अपेक्षा करती है बल्कि इसे कुशलता विकास तथा ज्ञान अभिवर्धन की भी अपेक्षा रहती है। प्रशिक्षण विभाग ने बैंक की प्रशिक्षण नीति पर संकल्पना पत्र तैयार किया है। लोकेशनल तथा कैंप आधारित प्रशिक्षण आयोजित करने पर जोर दिया गया। इनका आयोजन अंचल कार्यालय स्तर पर किया गया और इसमें निचले स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अनुभव की जा रही वर्तमान समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया गया। बैंक के सेंट्रल स्टाफ कालेज तथा देश भर में फैले क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों पर फरवरी 2014 तक 1077 लिपिकों, 8766 अधिकारियों तथा 139 अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

to Minority Communities. The total work force constitutes 17.80% women employees (4371) as of March, 2014.

During the year 2013-14 pre-promotion trainings were imparted to SC/ST candidates as per Government of India directives.

Recruitment

Bank has recruited 1209 officers during the year 2013-14, which comprises of 186 SCs, 87 STs and 299 OBCs and 408 Women. 889 Clerks have also been recruited during the year 2013-14, of which includes 112 SCs, 87 STs, and 271 OBCs, 304 women, 37 Ex-servicemen, 4 dependents of Ex-servicemen and 23 persons with disabilities and 67 persons belonging to Minority Communities. Moreover, the Bank has also initiated the process of recruitment of 2100 Clerks, 1300 Probationary Officers and 600 Generalist Officers in Scale-II (CA-150, MBA – 300, ICWA -100 and CFA-50) during the year 2014-15.

Promotions

During the year 2013-14, Bank promoted 5 Executives to Top Executives Grade scale VII, 8 Executives were promoted from Scale V to Top Executive Grade Scale VI and 7 Executives were promoted from Scale IV to Scale V. Besides 67 officers were promoted to Scale IV, 433 to Scale III and 342 to Scale II. In addition, under specialist category, 4 officers were promoted from Scale III to Scale IV, 8 officers were promoted to Scale III and 6 officers to Scale II. Further, during the period 374 Clerical Staff were promoted to Officers Cadre. Promotion from sub-ordinate to clerical cadre was also completed. Permission was granted to Zones for recruitment of 323 peons and 292 sweeper during the financial year.

Industrial Relations

During the period, the Industrial Relations climate in the Bank remained healthy and cordial between the Management and the Unions/Associations. IR meetings and discussions were held with Unions/Associations at periodic intervals through mutual co-operative attitude and respect during the financial year 2013-14.

Personnel Services

A separate Pensioners Grievance Cell for retired Staff members has been established. Simplified Family Pension format for Family Pension introduced. Pensioners Corner for our Pensioners has been put in our Bank's Website. In Group Mediclaim Insurance, the individual Buffer coverage has been increased from ₹2.00 Lac to ₹3.00 lac for 5 in-service employees. Holiday Home facility at Shirdi, Tirupati and Mussourie is extended for the year 2014-15.

Training

Top Management of the Bank gives due weightage to training because human resources in the Bank is the most valuable asset and this asset not only require proper care but also skill development and upgradation of knowledge. Concept paper on Training policy of the Bank has been prepared by Training Department. Emphasis was given to conduct more and more locational and camp based training programmes that are organized at Zonal Office level, taking care of current problems faced by the staff at grassroot level. A total of 1077 clerks, 8766 officers and 139 sub-staffs were trained under in house training programmes in Central Staff College and Regional Training Centers of the Bank across the country upto Feb 2014.

चेतना III नामक एक विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसमें 7286 लिपिकों तथा 2100 अधीनस्थ कर्मचारियों को अंचल कार्यालयों के स्तर पर प्रशिक्षित किया गया। इसमें आधारभूत रिटेल उत्पादों, व्यवहार-विज्ञान, उत्प्रेरणा आदि के हर पहलू को शामिल किया गया था। 634 फील्ड अधिकारियों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणदान पर विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया। सर्कल स्तर पर 5560 से अधिक अधिकारियों तथा 1100 अधीनस्थ कर्मचारियों को स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित किया गया। जिन विषयों को इसमें लिया गया उसमें शामिल थे ऋण मूल्यांकन, एनपीए प्रबंधन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण, एलएपीएस, यूनीकोड, सीबीएस, सुरक्षा संबंधी मुद्दे, प्रबंधकीय काशल, फिनैकल परिचालन, नेतृत्व विकास आदि। बैंक ने 264 अधिकारियों/कार्यपालकों को प्रशिक्षण संस्थानों यथा राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान (एनआइबीएम) (पुणे), कृषि बैंकिंग महाविद्यालय सीएबी (पुणे), भारतीय बैंक प्रबंध संस्थान (आइआइबीएम) (गुवाहाटी), बैंकर्स ग्रामीण विकास संस्थान (बीआइआरडी) (लखनऊ), आइडीआरबीटी, (हैदराबाद) और अन्य में भेजा। इस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत बैंक ने 6 कार्यपालकों को प्रशिक्षण के विदेशी कार्यक्रमों में भी नामित किया। प्रशिक्षण विभाग ने महिला कर्मचारियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। हर कर्मचारी को वर्ष में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में जरूर भेजा जाय यह बैंक का मूल लक्ष्य है।

बैंक दुर्गापुर, पांडिचेरी एवं शिलांग में 3 नए क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र खोलने जा रहा है। संकाय प्रशिक्षकों, उपलब्ध स्थान एवं गुणवत्ता समय का सर्वोत्तम क्षमता उपयोग करने के लिए बैंक केंद्रीय स्टाफ कालेज एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों में अतिरिक्त कक्षाएं/आवास स्थान निर्मित कर रहा है।

मा सं प्र विभाग की पहल

फेसबुक पर यूको सदस्य को लांच करना

यूको बैंक स्टाफ सदस्यों के अनन्य उपयोग के लिए लांच की गई फेसबुक प्रोफाइल का नाम यूको सदस्य है। भौगोलिक दूरियों पर विजय प्राप्त करते हुए सभी स्टाफ सदस्यों के बीच त्वरित संपर्क के लिए यह पहल की गई है। यह माध्यम उन स्टाफ सदस्यों के लिए अत्यंत उपयुक्त है जो अपनी गतिविधियों/चिंताओं को अन्य सहकर्मियों में बांटना चाहते हैं। चूँकि अधिकांश विद्यमान स्टाफ सदस्यों द्वारा अपने मित्रजनों, रिश्तेदारों, अन्य स्टाफ सदस्यों, आदि के साथ सामाजिक संपर्क के लिए फेसबुक सामान्यतः इस्तेमाल में लाया जा रहा है, यूको बैंक ने 14.03.2014 को फेसबुक में यूको सदस्य लांच किया।

स्टाफ सदस्यों के लिए आकर्षण

कार्यालय के दैनन्दिन काम में कर्मचारियों के लिए प्रासंगिक तथा उपयोगी सूचना तथा डाटा के आदान-प्रदान के लिए फेसबुक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे विभिन्न रिटेल उत्पादों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान के लिए प्लेटफार्म की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। रिटेल उत्पादों को मोटे तौर पर दो भागों में क्रमशः जमा उत्पाद तथा अन्य ऋण एवं अग्रिम उत्पादों में बांटा जाएगा। इस माध्यम से रिटेल उत्पादों, जॉब प्रोफाइल, शाखा कार्यनिष्पादन, कारोबारी लक्ष्य आदि से संबंधित स्टाफ-सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे।

यूको सदस्य के मध्यम से उत्कृष्ट कार्य करनेवाले स्टाफ सदस्यों, शाखाओं, अंचलों तथा सर्कलों को मान्यता मिलेगी तथा उनकी उपलब्धियां समस्त यूको परिवार की जानकारी में जाएंगी। यह चित्रों, विडियो, किसी घटना या प्रधान कार्यालय, अंचल कार्यालय, शाखा स्तर पर आयोजित समारोह की खबर को अपलोड करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। यूको सदस्य सभी समय सभी स्टाफ सदस्यों के लिए उपलब्ध रहेगा। इसे स्टाफ सदस्य आपस में साझा कर सकेंगे और व्यक्तिगत उपयोग के लिए डाउनलोड कर

A special training called **CHETNA-III** was conducted where 7286 clerical and 2100 subs-staffs were trained at Zonal Office level, where every aspects like basic retail products, behavioral science ,motivation etc were covered. 634 Field Officers were specially trained on Priority Sector Lending. More than 5560 officers and 1100 subs-staffs were trained locationally at Circle level. The detail of the topics covered for respective employee categories were Credit Appraisal, NPA Management, Priority Sector Lending, LAPS, Unicode, CBS, Security Aspects, Managerial Skills, Finacle Operation, Leadership Development etc.

Bank has sent 264 Officers/Executives to other Training Institutes like NIBM (Pune), CAB (Pune), IIBM (Guwahati), BIRD (Lucknow), IIBF (Mumbai), IDRBT (Hyderabad) and many other Institutes. During the financial year, Bank has sent six executives for overseas training programme also. Training schedule for women employees was also prepared by Training Department. One training per employee per year is the ultimate goal of the Bank.

The Bank is going to open 3 new Regional Training Centres at Durgapur, Pondicherry and Shillong. Bank is constructing additional classrooms /accommodation at their Central Staff College and Regional Training Centres for optimum capacity utilisation of faculty, space and quality time.

Initiatives by HRM Department

Launch of UCO Sadasya on Facebook.

UCO Sadasya is the name given to the profile exclusively for UCO bank staff members. It's an initiative to connect all our staff members at once by overcoming the geographical barriers. This medium is best suited for the staff members who need to communicate, talk, discuss, and share their activities /concerns. As Facebook is very commonly used by most of the existing staff members for social interaction with their friends, relatives, other staff members, etc., UCO SADASYA was launched on 14.03.2014 in Facebook.

Attractions for staff members:

Facebook would be used to share information and data relevant and useful to the employees in their day to day office work. It would be used as a platform to share information on various retail products, divided into two broad categories, deposit products and other relating to loans and advances. Through this medium various staff related queries regarding retail products, job profile, branch performance, targets, etc. will be answered.

Through UCO Sadasya, various outperforming staff, branches, Zones and Circles will get recognition and their achievements will be shared with the entire UCO family. It will work as a medium to upload pictures, videos, news relating to any event or functions organized at the Head Office level, Zonal level or at the Branch level, etc. This initiative would be available at all time for all staff members, with an option to share or even download at their end

सकेंगे। मानव संसाधन प्रबंधन विभाग फिलहाल यूको सदस्य के प्रबंधन/निगरानी का कार्य करेगा।

वार्षिक संपत्ति विवरणी पैकेज- 2014

यथासंशोधित यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम 1976 के विनियम 20(2) के निबंधन के अनुसार हर अधिकारी से अपेक्षा है कि वे वार्षिक संपत्ति विवरणी (फार्म बी, सी डी तथा ई) को 31 मार्च की स्थिति के अनुसार हर वर्ष भरा करें। केंद्रीय सतर्कता आयोग, भारत सरकार के निदेश के अनुसार बैंक के सतर्कता अधिकारी से अपेक्षा है कि वे इस आशय का अनुपालन प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष 30 जून तक केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्रस्तुत करें।

वार्षिक संपत्ति विवरणी (एपीआर) की प्रस्तुति प्रक्रिया की बेहतर निगरानी एवं समयबद्ध निपटान हेतु बैंक ने निर्णय किया कि 31.03.2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष से वेतनमान VII तक एपीआर को ऑनलाइन भरा जाना होगा। एपीआर -2014 पैकेज के तैयार होने बाद इसे यूको ऑनलाइन पर सक्रिय कर दिया गया।

प्रधान कार्यालय, मासंग्र विभाग के अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.व. सेल की उपलब्धियां

बैंक भारत सरकार की आरक्षण नीति का कार्यान्वयन करता रहा है। अजा/अजजा/अपिव/नि:शक्तताग्रस्त व्यक्तियों तथा भूतपूर्व सैनिकों को उपलब्ध आरक्षण तथा अन्य डीलों और छूटों को बैंक में कड़ाई से अनुपालित किया जाता है। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार विभाग अजा/अजजा के 840 उम्मीदवारों को (अजा 590, अजजा 250) पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया। ऐसे प्रशिक्षणों का आयोजन करने का यही उद्देश्य है कि अजा/अजजा उम्मीदवारों को अन्य उम्मीदवारों के मुकाबले में लाया जाय। यही नहीं, विभिन्न अंचल कार्यालयों में कार्यरत मानव संसाधन विभाग से जुड़े कर्मियों को भारत सरकार की आरक्षण नीति, आरक्षण रोस्टर रखने के संबंध में प्रशिक्षण देने के लिए विभाग ने वाराणसी तथा नई दिल्ली में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। विभिन्न अंचल कार्यालयों से 17 अधिकारियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया। इसके अतिरिक्त आरक्षण रोस्टर लिखने तथा भारत सरकार की आरक्षण नीति पर एक पृथक कार्यशाला का आयोजन सेंट्रल स्टाफ कालेज, कोलकाता में 3 तथा 4 मार्च, 2014 को किया गया। इसमें विभिन्न अंचल कार्यालयों का प्रतिनिधित्व करते हुए 17 अधिकारियों ने भाग लिया। यही नहीं अजा/अजजा तथा अ.पि.व. वर्ग के कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के उद्देश्यों से सर्वोच्च स्तर पर तथा अंचल कार्यालय स्तर पर इन कर्मचारियों के कल्याण संघों के साथ आवधिक बैठकें हो रही हैं।

19. लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण

बैंक में एक सुस्थापित लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण विभाग है जो प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं के पालन की जांच करता है। आंतरिक निरीक्षणों, समवर्ती लेखापरीक्षा, राजस्व लेखापरीक्षा, जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा तथा सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा के लिए बैंक में एक व्यापक निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा नीति है। आंतरिक नियंत्रण के विभिन्न मुद्दों पर भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार, बोर्ड तथा बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति से प्राप्त होनेवाले दिशानिर्देशों बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अभिन्न अंग बन गए हैं।

वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने प्रमुख एवं अन्य अनियमितताओं के सुधार द्वारा 3 माह से अधिक समय से लंबित चल रही समयोपरि निरीक्षण रिपोर्टों को बंद करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। नियमित शाखा निरीक्षण रिपोर्ट परिचालन के स्तर पर बैंक की प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं तथा दिशानिर्देशों के अनुपालन के बारे में प्रबंधन को सर्वाधिक व्यापक रूप से जानकारी प्रदान करती है।

for personal use. The Human Resource Management department will manage/monitor UCO Sadasya at present.

Annual Property Return Package – 2014

In terms of Regulation 20 (2) UCO Bank Officer Employees' (Conduct) Regulation 1976 as amended, every Officer is required to submit Annual Property Return Statement (Form B, C, D & E) as on 31st March every year. As per the directives of the Central Vigilance Commission (CVC) Govt. of India, the Chief Vigilance Officer of the Bank is required to furnish a compliance certificate to this effect to CVC by 30th June every year.

In order to have better monitoring and timely completion of Annual Property Return (APR) submission process, the Bank decided that for the year ending 31.03.2014 onwards APRs up to Scale VII will have to be filled up Online. After development of APR – 2014 package, it was made live in UCO Online.

Achievements of SC/ST/OBC Cell of Head Office, HRM Department

The Bank has been implementing reservation policy of Government of India. Reservation and other relaxation and concessions extended to SC/ST/OBC/Persons With Disability (PWD) and Ex-Servicemen employees of our Bank is strictly adhered. As per GOI guidelines the Department imparted Pre-Promotion Training to 840 candidates (SC-590 and ST-250) belonging to SC/ST category. The motive behind organizing such training was to bring such SC/ST candidates up to the level of other candidates. Also, in order to educate HR functionaries working at various Zonal Offices regarding Reservation Policy of Government of India and maintenance of Reservation Rosters, the Department arranged training programmes in Varanasi and New Delhi. 17 officers working in different Zonal Offices participated in the training programme. Further, a separate workshop on writing of Reservation Roster and Reservation Policy of Government of India was organized at Central Staff College, Kolkata on 3rd and 4th March, 2014 on the above subject in which 17 officers representing various Zonal Offices participated in the programme. Also, in order to address the issues of SC/ST and OBC employees of the Bank periodical meetings are being held at Apex level as well as at Zonal Office level with welfare association of such employees.

19. AUDIT & INSPECTION

The Bank has a well-established Audit and Inspection Department that examines adherence to the Systems and Procedures. Bank has comprehensive Inspection and Audit Policy for undertaking Internal Inspections, Concurrent Audit, Revenue Audit, Risk Based Internal Audit, and information System Audit. The guidelines received on various issues of Internal Control from Reserve Bank of India, Government of India, Board and Audit Committee of the Board have become part of the internal control system for better risk management.

During the year 2013-14, the Bank has given focused attention to close overdue inspection reports outstanding for more than 3 months by rectification of major & other irregularities. The regular branch inspection report is the most comprehensive feed-back to the management about compliance of the Bank's systems and procedure and guidelines at operational level.

बैंक की प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को इच्छित/बेहतर स्तर पर लाने के लिए मोबाइल निरीक्षण अधिकारियों को नियत अवधि पर प्रशिक्षण देकर उनके ज्ञान को अद्यतन करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

2013-14 के दौरान प्रमुख उपलब्धि यह रही कि बैंक ने बसंत सेट समिति की संस्तुति के अनुपालन में सिस्टम आधारित जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया। साथ ही पाए गए ₹55.50 करोड़ के कुल राजस्व ह्रास में से ₹48.38 करोड़ को संबंधित आंतरिक / बाहरी लेखापरीक्षकों द्वारा तत्काल वसूल करा दिया गया।

20. सतर्कता विभाग:

बैंक के सतर्कता विभाग के प्रमुख महाप्रबंधक स्तर के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीबीओ) हैं जो स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावणकोर से प्रतिनियुक्ति पर बैंक में हैं। सतर्कता विभाग बचावपरक सतर्कता उपायों की शुरुआत एवं प्रसार पर ध्यान देता है।

वर्ष 2013-14 के दौरान मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीबीओ) ने स्टाफ सदस्यों में जागरूकता लाने के लिए 112 शाखाओं एवं बहुत-से प्रशासनिक कार्यालयों का दौरा किया है। कार्यक्षेत्र स्तर पर, कार्यक्षेत्रगत सतर्कता अधिकारियों ने भी वर्तमान प्रणाली के कमज़ोर बिंदुओं को ठीक करने के लिए 284 शाखाओं का दौरा किया है ताकि एक ही प्रकार के कपट की घटनाओं को रोका जा सके तथा बचावपरक सतर्कता को मजबूत किया जा सके। सतर्कता विभाग ने आरडीए मामलों के त्वरित निपटान की जानकारी प्रदान करने के लिए दो महीने से 135 से भी अधिक अधिकारियों को शामिल करके ईओएस एवं पीओएस हेतु चार प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए। विभाग ने सीबीआई के अधिकारियों को बैंक के कपट मामलों की छानबीन के लिए बैंक की प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं से परिचित कराने के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। विभाग ने बैंक के लिए सतर्कता मैनुअल भी संग्रहीत किया तथा 21 एवं 22 अप्रैल, 2014 को हुई बैंक की वार्षिक कारोबार बैठक में उसका विमोचन किया।

21. प्रबंधन ऑडिट तथा एचआर ऑडिट

वर्ष 2013-14 के दौरान विभाग ने 13 अंचल कार्यालयों, 6 सर्कल कार्यालयों तथा चार कारपोरेट विभागों का प्रबंधन ऑडिट किया। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अनियमितताओं को दूर कर दिए जाने के बाद सभी रिपोर्ट बंद की गईं। जहां तक एचआर ऑडिट के कार्यनिष्पादन का प्रश्न है, 6 विशेषीकृत शाखाओं (एफसीसी, ट्रेजरी तथा सीबीओ) तथा 11 कारपोरेट विभागों का एचआर ऑडिट (जनाक्ति आकलन) समीक्षाधीन अवधि में किया गया। इन रिपोर्टों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के अवलोकनों/निर्देशों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों के पास भेज दिया गया।

22. प्रबंध सूचना प्रणाली:

विवरणियों की समयबद्ध और विश्वस्त प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को स्वचालित डाटा प्रवाह का प्रस्ताव रखा था क्योंकि ज्यादातर रिपोर्ट मैनुअल प्रकार से प्रस्तुत की जा रही थीं। कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म के तत्वावधान में हमारे बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश के अनुपालन के लिए स्वचालित डाटा प्रवाह (एडीएफ) को कार्यान्वित कर दिया है।

स्वचालित डाटा प्रवाह कार्यान्वित किया गया है तथा निर्धारित समय-सीमा में ही बैंक ने हम पर लागू 132 आरबीआई रिपोर्टों की प्रस्तुति कर दी है जो एडीएफ पोर्टल के जरिए भारतीय रिज़र्व बैंक को ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने के लिए तैयार हैं। वर्तमान में 132 आरबीआई रिपोर्टें उपलब्ध हैं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई एक्सबीआरएल टैक्सॉनॉमी के अनुसार एक्सबीआरएल फॉरमैट में 13 रिपोर्टें भारतीय रिज़र्व बैंक को अनलाइन प्रस्तुत किए जाने के लिए तैयार हैं।

A focused attention is given to bridge the knowledge gap of Inspecting Officers (Mobile) by imparting periodical training to them for putting the system and procedure of the Bank at a desired / better level.

The major achievements during 2013-14 was that the Bank has successfully implemented System based Risk Based Internal Audit in compliance to Basant Seth Committee recommendation and also out of total revenue leakage detected ₹55.50 crore, ₹48.38 Crore was recovered on the spot by internal/external auditors concerned.

20. VIGILANCE:

Vigilance Department of the Bank is headed by the Chief Vigilance Officer (CVO) of the rank of General Manager who is on deputation from State Bank of Travancore. The Vigilance Department focuses on initiation and dissemination of preventive vigilance measures.

During the year 2013-14, CVO has visited 112 branches and quite a few administrative offices to create awareness among staff members. In the field level, field vigilance officers also visited 285 branches to plug the loopholes in the existing system to prevent recurrence of similar frauds and to strengthen the preventive vigilance. The Vigilance Department also conducted four training programmes for EOS and POS covering more than 135 officers all over the country for imparting knowledge for expeditious conclusion of RDA cases. It also conducted training programme for officers of CBI to acquaint them with Bank's system and procedures for investigation of bank frauds. The department has also compiled Vigilance Manual for the Bank and unveiled it in the Annual Business Meet of the bank held on 21st & 22nd April, 2014.

21. MANAGEMENT AUDIT AND HR AUDIT:

During the year 2013-14 the department has conducted Management Audit in 13 Zonal Offices, 6 Circle Offices, and Four Corporate Departments. The Reports have been closed in all cases after getting the irregularities rectified by the concerned Authorities. So far Performances related to HR Audit is concerned, H R Audit (Manpower Assessment) of 6 Specialised Branches (FCC, Treasury and CBO) and 11 Corporate Departments were conducted during the period under Review. Observations/directions of the Competent Authority in respect of such Reports have been forwarded to the respective departments for taking necessary action.

22. MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM:

To ensure timely and consistent submission of returns, RBI had proposed for automation of the data flow from the Banks ,since most of the reports were being submitted manually. Under the aegis of Core Banking Platform our Bank has implemented Automated Data Flow (ADF) to comply to the direction of RBI.

The Automated Data Flow has been implemented and within the stipulated time frame, Bank has delivered 132 RBI reports applicable to us and are ready for online submission to RBI through ADF portal. At present 132 RBI Reports are available and as per XBRL taxonomy supplied by RBI, 13 reports are ready for online submission to the RBI in XBRL format.

सीबीएस वातावरण में एडीएफ का अतिरिक्त लाभ उठाने के लिए बैंक डाटा के एकमात्र स्रोत के लिए भी एडीएफ प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर रहा है ताकि बाहरी (भारतीय रिज़र्व बैंक, सरकार आदि) एवं आंतरिक प्राधिकारियों(कारपोरेट विभागों) दोनों में सभी संबंधितों की जरूरतों को पूरा किया जा सके, जिसके लिए डाटा विसंगतियों को हटाने हेतु कदम उठाए गए हैं।

बैंक ने पृथक प्रणालियों जैसे जीबीएम, एटीएम, ई-बैंकिंग, एएलएम, कोष एवं अंतरराष्ट्रीय विभाग एवं विदेशी शाखाएँ - के एकीकरण के लिए कदम उठाए हैं जिससे सारी सूचना तुरंत मौजूद रहे ताकि कारोबार पर समुचित नियंत्रण एवं निगरानी रहे तथा सार्थक कारोबार निरंतरता योजना बनाई जा सके।

बैंक ने कारोबार वृद्धि की प्रभावी निगरानी हेतु कारोबार आसूचना (बीआई) टूल के लिए कार्रवाई करना शुरू किया है और जहाँ भी आवश्यक हो, वह समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई कर रहा है। सर्कलों के सभी आईटी-दक्ष पदाधिकारियों को बीआई टूल पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है जो अंचलों एवं शाखाओं के कारोबारगत कार्यनिष्पादन की निगरानी करने एवं जानकारी लेने के लिए बीआई टूल के उपयोग द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं।

23. राजभाषा नीति का अनुपालन

बैंक ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए सक्रिय कदम उठाए तथा इसके अंतर्गत बनाए गए राजभाषा अधिनियम एवं नियम के उपबंधों के अनुपालनार्थ ध्यानपूर्वक कार्रवाई की। बैंक ने भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी वार्षिक कार्यक्रम में यथानिहित निदेशों को कार्यान्वित करने हेतु समुचित अनुवर्ती कार्रवाई की तथा उक्त कार्यक्रम में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भरपूर कोशिश भी की। बैंक ने कार्यालयीन कार्य में हिंदी के प्रयोग से संबंधित वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेश के अनुपालन पर भी विशेष ध्यान दिया।

बैंक द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना काम हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सतानवे हिंदी कार्यालयाएँ आयोजित की गईं। इन हिंदी कार्यशालाओं के माध्यम से कुल 2199 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। सभी कंप्यूटरों पर 'यूनिक्वॉड' एप्लीकेशन को स्थापित करने के भारत सरकार के निदेशों को ध्यान में रखते हुए, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जानकारी देने के उद्देश्य से इन कार्यशालाओं में इस एप्लीकेशन के उपयोग एवं सक्रियकरण के बारे में एक सत्र रखा गया था। इसके अतिरिक्त, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित 5 दिवसीय बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित किया गया।

विभिन्न अंचल कार्यालयों में पदस्थ राजभाषा अधिकारियों द्वारा 449 शाखाओं का निरीक्षण किया गया जबकि समीक्षाधीन अवधि के दौरान भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के क्षेत्र में कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए प्रधान कार्यालय में पदस्थ मुख्य प्रबंधक(राजभाषा) द्वारा 4 अंचल कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय के एक विभाग का भी निरीक्षण किया गया और ऐसे निरीक्षणों में पाई गई कमियों को दूर करने हेतु आवश्यक निवारक उपाय भी किए गए।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान 'आपसी संवाद- सार्थक दिशा' विषय पर अंचल कार्यालय, लखनऊ तथा धर्मशाला द्वारा संगोष्ठी का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के तत्वावधान में राजभाषा अधिकारियों के लिए हमारे बैंक के सेंट्रल स्टाफ कॉलेज, कोलकाता में 5 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कोलकाता नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) के तत्वावधान में सभी

To reap the additional benefit of ADF under CBS environment, Bank is also utilizing the ADF platform for single source of data to cater to all the concerns both external (RBI , Government, etc) & internal authorities (Corporate Departments) steps have been taken to remove data inconsistency.

Bank has taken steps for integrating discrete systems like GBM, ATM, e-Banking , ALM , Treasury & International Division and Overseas Branches to have all information in the palm for proper control & monitoring of business & draw meaningful business continuity plan .

Bank has also initiated action for Business intelligence (BI) tool for effectively monitoring the business growth & taking timely corrective action wherever necessary. Training on BI tool has been imparted to all IT skilled officials of Circles, who can utilize the benefit of BI tool for monitoring & accessing business performances of Zones & Branches.

23. COMPLIANCE OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY

The Bank has taken proactive steps to implement the Official Language Policy of Govt. of India and has meticulously taken steps to comply with the provisions of the Official Languages Act and the Rules made thereunder. The Bank has also taken appropriate follow-up action to implement the directives as contained in the Annual programme with regard to the use of Official Language Hindi issued by Government of India, Ministry of Home Affairs, Dept. of Official Language and also endeavoured to achieve various targets prescribed in the said programme. The Bank has also given preferred attention to comply with the instructions of Financial Services Department, Ministry of Finance and Reserve Bank of India regarding the use of Hindi in official work.

Ninety Seven Hindi Workshops were organised by the Bank for the Officers and employees to motivate them to do their work in Hindi. Total 2199 Officers / employees were trained through these Hindi Workshops. In view of the directives of Govt. of India to promote 'UNICODE' application on all the computers, a session was allotted in these workshops to acquaint all Officers and employees with its application and activation. Apart from this, Officers/employees were nominated to attend 5 days Basic computer training programme conducted by Dept. of Official Language, Ministry of Home Affairs, Govt. of India.

449 branches were inspected by Official Language Officers posted at different Zonal offices, 4 Zonal offices, and one department of Head Office were also inspected by Chief Manager(O.L.) posted at Head Office during the period under review to evaluate the performance in the area of implementation of Official Language Policy of Govt. of India and necessary remedial measures were also taken to remove the deficiencies observed in such inspections.

During the period under review a seminar on the subject 'आपसी संवाद- सार्थक दिशा' was successfully organized by Zonal Office, Lucknow and Dharamshala.

During the period under review 5 day Translation training programme for Hindi Officers was organized at our Central Staff College, Kolkata under the aegis of Central Translation Bureau, Govt of India.

Our Bank successfully organised 'HINDI UNICODE WORKSHOP'

सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के कोलकाता पिन कोड क्षेत्र में कार्यरत कार्यपालकों के लिए हमारे बैंक द्वारा एक 'हिंदी यूनिकोड कार्यशाला' का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

प्रधान कार्यालय में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन तथा सार्थक अनुपालन को गति प्रदान करने की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर हमारे बैंक के सेंट्रल स्टाफ कॉलेज, कोलकाता में प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों में पदस्थ राजभाषा अधिकारियों तथा नोडल अधिकारियों के लिए 2 दिवसीय अभिप्रेरणा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त, प्रधान कार्यालय में संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन में की गई प्रगति की समीक्षा तथा इसके अनुपालन में आ रही कठिनाइयों के संबंध में माहवार बैठक का आयोजन किया जा रहा है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान जयपुर, रायपुर, मुंबई, इंदौर, जोधपुर, अहमदाबाद, राँची, पुणे, चंडीगढ़, कोयम्बतूर और भोपाल के अंचल कार्यालयों द्वारा हिंदी ई-पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया।

बैंक ने विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के तत्वावधान में कई प्रतियोगिताएँ सफलतापूर्वक आयोजित कीं, अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को भी 'हिंदी यूनिकोड कार्यशाला' एवं 'हिंदी कार्यशाला' आयोजित करने में सहायता की।

कई फार्म/प्रचार सामग्री/प्रक्रियात्मक पुस्तिकाएँ तथा शेयरधारकों के वार्षिक सामान्य अधिवेशन की रिपोर्ट, अनुदेश पुस्तिकाएँ तथा विभिन्न बोर्ड समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त द्विभाषिक रूप में तैयार किए गए। हमारे बैंक की वेबसाइट की सामग्री के हिंदी पाठ भी तैयार किए गए। बैंक द्वारा हिंदी की स्तरीय साहित्य की पुस्तकों, शब्दकोशों, तकनीकी शब्दावलिओं, कंप्यूटर/बैंकिंग आदि से संबंधित हिंदी पुस्तकों तथा प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में लिखित विख्यात साहित्यिक पुस्तकों की खरीद के लिए पर्याप्त राशि आबंटित की गई।

कार्यालयीन कार्य में हिंदी के उपयोग के संबंध में कामकाज की प्रभावी निगरानी करने की दृष्टि से बैंक की सर्वोच्च राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में बैंक की स्थिति की सुस्पष्ट समीक्षा की गई।

प्रधान कार्यालय तथा अंचल कार्यालयों, सेंट्रल स्टाफ कॉलेज, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों और शाखाओं में 'हिंदी माह', 'हिंदी पखवाड़ा', 'हिंदी सप्ताह' उत्साहपूर्वक मनाए गए।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति पटना, जालंधर, राँची, भुवनेश्वर एवं धर्मशाला द्वारा क्रमशः अंचल कार्यालय, पटना एवं अंचल कार्यालय, जालंधर को प्रथम पुरस्कार/शील्ड तथा अंचल कार्यालय, राँची, भुवनेश्वर एवं अंचल कार्यालय, धर्मशाला को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

दिनांक 4 अक्तूबर, 2013 को संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति द्वारा अपने कोलकाता दौरे के अवसर पर हमारे बैंक के प्रधान कार्यालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में निरीक्षण किया गया तथा कार्यालयीन कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए हमारे बैंक द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप-समिति द्वारा दिनांक 11.01.2014 को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दिल्ली के अध्यक्ष एवं कतिपय सदस्य बैंकों, जिसमें हमारे बैंक का दिल्ली अंचल कार्यालय भी शामिल है, के साथ विचार-विमर्श किया।

24. अनुपालन:

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनिवार्य किए गए अनुपालन के मामलों पर बल दिया है। बैंक एक सख्त अनुपालन प्रणाली के जरिये ग्राहक सेवा के स्तर, जमा, अग्रिम, केवाईसी/ईमएल, अन्य सेवाओं के कार्यों एवं नियमों,

for the Executives of all Public Sector Banks & Financial Institutions posted in the Kolkata Pin Code area under the auspices of Kolkata Town Official Language Implementation Committee (Banks').

In view of the requirement to accelerate the pace of implementation and effective compliance of Official Language Policy of Govt. of India at Head Office, a two day motivation programme for the Official Language Officers and Nodal Officers posted in various departments of Head Office was organised at our Central staff College, Kolkata. In addition, monthly meeting is also held to review the progress made and difficulties being faced in compliance of the OL Policy of the Union at HO.

Zonal Office Jaipur, Raipur, Mumbai, Indore, Jodhpur, Ahmedabad, Ranchi, Pune, Chandigarh, Coimbatore and Bhopal continued to publish Hindi e-magazines during the period under review.

Our Bank successfully organised various competitions, rendered editorial assistance to other Public Sector Banks & Financial Institutions in conducting 'HINDI UNICOD WORKSHOP' & 'Hindi workshop' under the auspices of different TOLIC's.

Various forms / publicity materials / procedural booklets and report of Annual General meeting of Shareholders, Manual of Instructions, Minutes of various Board Committees were prepared in bilingual form. Hindi text of the materials for our Bank's Website was also prepared. Sufficient amount was allocated by the Bank for the purchase of classic literary Hindi books, dictionaries, technical glossaries, Hindi books on computer/banking etc. and famous literary books in regional languages written by renowned litterateurs.

In view of effective monitoring of the work with regard to the use of Hindi in official work, the position of our Bank was vividly reviewed in the meetings of Apex Official Language Implementation Committee of the Bank.

"Hindi Month", "Hindi Fortnight", "Hindi Week" was celebrated enthusiastically at Head Office as well as Zonal Offices, Central Staff College, Regional Training Centers and Branches.

During the period under review Zonal Office, Patna and Zonal Office, Jalandhar were awarded 1st Prize / Shield and Zonal Office, Ranchi, Zonal Office, Bhubaneswar and Zonal Office, Dharamshala were awarded 2nd Prize by TOLIC Patna, Jalandhar, Ranchi, Bhubaneswar and Dharmashala respectively

The Third Sub-Committee of the Committee of Parliament during their visit to Kolkata inspected our Head Office on 4th October, 2013 in respect of implementation of Official Language Policy in our Bank and expressed their satisfaction on observing the steps taken by our Bank for augmenting the use of Official Language Hindi in official work. The Drafting and Evidence sub Committee of the Committee of Parliament also discussed regarding about implementation of Official Language Policy with the Chairman and few member Banks of TOLIC, New Delhi including our Zonal Office, Delhi on 11.01.2014.

24. COMPLIANCE:

The Bank has emphasized on compliance issues as mandated by RBI. The Bank has been ensuring the level of customer service, functions and compliance of rules of deposit, advances, KYC/AML, other services, prompt submission of statutory/

भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार आदि द्वारा मांगी गई सांविधिक/विनियामक रिपोर्टों, सूचना एवं आंकड़ों की त्वरित प्रस्तुति सुनिश्चित कर रहा है। अनुपालन कार्यों में उल्लंघन को रोकने के लिए आवश्यक परिवर्तनों को शामिल करते हुए अनुपालन नीति- 2013 तैयार की गई थी तथा दिनांक 10.04.2013 को आयोजित निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदन किए जाने के बाद इसे बैंक की सभी शाखाओं एवं कार्यालयों को परिचालित किया गया। वर्ष के दौरान 333 शाखाओं तथा 8 कारपोरेट कार्यालयों में अनुपालन कार्यों की नमूना जांच की गई। पाई गई कमियों को तुरंत ठीक किया गया तथा अनुपालन कार्यों के बारे में शाखाओं/कार्यालयों को बताया गया ताकि अनुपालन के उल्लंघन को टाला जा सके। महत्वपूर्ण मुद्दों को उपयुक्त स्तर पर रिपोर्ट करके उन पर विचार-विमर्श किया गया ताकि प्रणाली की प्रभावशीलता बढ़ सके। अनुपालन कार्य से संबंधित मामलों तथा उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपाय सुझाने हेतु निरीक्षण विभाग तथा जोखिम प्रबंधन विभाग के साथ समय-समय पर विचार-विमर्श किया गया।

25. विधिक मामले:

बैंक का विधि सेवा प्रभाग बैंक के विभिन्न विधिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सहायता प्रदान करता है तथा बैंक के प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों, सर्कल/अंचल कार्यालयों, शाखाओं तथा विदेशी शाखाओं से आए विचार, प्रलेखन, व्यवहार संबंधी मामलों को देखता है। वर्ष 2013-14 के दौरान विभाग ने विधि अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था। सरफेसी पर एक पुस्तिका तैयार की गई तथा डी आर टी मामलों को फाइल करने तथा उनको हैंडिल करने के उद्देश्य से सभी शाखाओं/कार्यालयों को भेजी गई ताकि वे उससे संदर्भ ग्रहण कर सकें तथा विस्तृत दिशानिर्देश ले सकें। बैंक ने सर्कल कार्यालयों में अनेक कार्यशालाओं का आयोजन किया ताकि बैंक द्वारा एवं बैंक के विरुद्ध जो वाद दायर किए गए हैं उनकी ठीक से देख-रेख की जा सके तथा उनकी सही निगानी हो सके।

डीआरटी, सर्फासी मामलों, बीआइएफआर, सीजीआईटी, परक्राम्य लिखत अधिनियम और बैंक द्वारा अथवा बैंक के विरुद्ध दायर मामलों में बैंक के सर्कल तथा अंचल कार्यालयों द्वारा क्या किया जाना है इसका परामर्श यह विभाग नियमित रूप से दिया करता है।

विभिन्न विषयों पर, जिसमें डीआरटी, सरफेसी, भारतीय निबंधन अधिनियम, महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, उधारकर्ताओं के विधिक उत्तराधिकारियों की देयताओं, नये कंपनी अधिनियम, लोक अदालत आदि, आस्तियों की बिक्री तथा समनुदेशन के करार से संबंधित मामलों, यूको पेंशनर योजना के ऋण विलेख तैयार करना भी शामिल है। बैंक पर प्रभावी विविध अधिनियमों एवं प्रकरण कानूनों में नवीनतम संशोधनों सहित संपूर्ण रूप से दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। विभाग द्वारा यूको पेंशनर योजना के लिए ऋण दस्तावेज भी तैयार कर लागू किया गया।

26. भावी योजनाएँ:

वर्ष के दौरान बैंक ने, देयता और आर्स्टि, दोनों ही ओर अपने रिटेल आधार को और मजबूत बनाया है। बैंक रिटेल कारोबार मॉडल को महत्व देना जारी रखेगा तथा रिटेल अग्रिमों के अलावा ऋण प्रवाह में मुख्यतः उन संभावनायुक्त क्षेत्रों का योगदान रहेगा जिनमें कम जोखिम भार रहता है। फिर भी, आर्थिक परिदृश्य में सुधार तथा देश में आधार-संरचनागत सुविधाओं के विकास हेतु अनुकूल निवेश वातावरण निर्मित करने हेतु सरकार के हस्तक्षेप के साथ ही बैंक नई बड़ी परियोजनाओं में भागीदारी करने के लिए मुस्तैद रहेगा। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन को देखते हुए, तथा यह भी कि प्रत्यक्ष कृषि, सहायक गतिविधियों और एमएसई अग्रिम के जरिए व्यापक तौर से ग्रामीण जनसंख्या को बैंक की कार्यप्रणाली के साथ जोड़ लिया गया है, बैंक ग्रामीण और अर्धशहरी जनसंख्या को छोटे ऋण प्रदान करते रहने की विश्वस्तता को बनाए रखने के लिए प्रयास करना जारी रखेगा।

regulatory reports, information and data asked by RBI, GOI, etc. through a strict compliance system. Compliance Policy – 2013 was prepared incorporating necessary changes to prevent breaches in the areas of compliance functions and the same has been circulated to all branches and offices of the Bank after due approval by the Board of Directors in its meeting held on 10.04.2013. During the year, Test Checking of compliance functions has been undertaken in 333 branches and 8 corporate offices. Deficiencies observed are being rectified on the spot and branches/offices have been sensitised about compliance functions so as to avoid compliance breaches. Critical issues were reported and discussed at the appropriate level to enhance efficacy of the system. Interactions are also being held with Inspection Department & Risk Management Department periodically to discuss issues relating to compliance functions and to suggest measures to avoid recurrence thereof.

25. LEGAL MATTERS :

The Law Department of the Bank plays a significant role in the various legal matters of the Bank. It is acting as a facilitator and attends to various matters covering opinion, documentation, litigation etc., emanating from various functional departments at Head Office, Circles/Zones, branches and overseas branches. The department has organized a 3-day workshop for Law Officers during 2013-14. Hand Book on SARFAESI was prepared and sent to all branches/offices for reference and exhaustive guidelines issued for filing and handling of DRT cases. Bank conducted various workshops at Circle Offices to streamline monitoring and follow up of cases filed by and against the Bank.

The department regularly advises the Circle and Zonal offices about further course of action to be taken in DRT and SARFAESI cases, BIFR, CGIT, NI Act and other cases filed by and against the Bank.

Exhaustive guidelines including latest amendments in various Acts and Case Laws affecting bankers have been issued on topics covering DRT, SARFAESI, Indian Registration Act, Maharashtra Stamp Act, liabilities of legal heirs as borrower, New Companies Act, Lok Adalat etc., Matters pertaining to agreement for sale & assignment of assets, finalisation and execution. Loan document for UCO Pensioners' Scheme was also introduced by the department.

26. FUTURE PLAN:

During the year, Bank has further strengthened its retail base on both Liability & Assets side. Bank's focus will continue to remain towards Retail business model and credit flow other than retail advances will mainly constitute potential segments/sectors which have low risk weights. However, with the improvement in Economic Scenario and with Govt's intervention to create a favourable investment climate for development of Infrastructure facilities in the country, bank will take a call to participate in New large projects. Keeping in view the significant performance in priority sector lending and inclusion of large number of rural population into the bank's fold through direct agriculture, allied activities & MSE advances, Bank will continue to strive for maintaining the sustainability of providing small loans to rural & semi urban population.

ध्यान में रखा जानेवाला एक और क्षेत्र, देश भर के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में शाखा नेटवर्क के फैलाव, अतिलघु शाखाओं और जनसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से ग्राहक जुटाने के अभियानों का रहेगा।

ग्राहकों के लिए सुविधाजनक एवं सुरक्षित बैंकिंग प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकीगत आधार को सशक्त बनाने पर निरंतर ध्यान दिया जाएगा। बदलते समय के साथ, नई कारोबार पहल/अवसरों के अनुकूल प्रौद्योगिकीगत उन्नयन को प्रबंधन के लिए सुपुर्दगी एवं नियंत्रण टूल के पुरस्कर्ता के रूप में निरंतर मान्यता दी जाएगी। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में रिटेल कारोबार के संग्रहित होने के जज़्बे को ध्यान में रखते हुए बैंक लगातार तीसरी बार वर्ष 2014-15 को 'रिटेल कारोबार वर्ष' के रज़्म में महत्व देगा।

27. निदेशक मंडल

कारपोरेट अभिशासन

बैंक श्रेष्ठ कारपोरेट अभिशासन में पूर्ण निष्ठा रखता है तथा उसे अपने कार्यक्षेत्र में अपनाया है। यह अभिशासन बैंक के पारदर्शिता, कार्यक्षमता और जिम्मेदारी के मूलभूत मूल्यों के द्वारा सर्जित होता है। अपने रोजमर्रा के परिचालन में इन पहलुओं पर निरंतर ध्यान देते हुए बैंक शेयरधारक की मूल्यवत्ता बढ़ाने का प्रयास करता है। चूंकि बैंक श्रेष्ठ अभिशासन के प्रति वचनबद्ध है, बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक कारोबार के प्रत्येक पहलू पर निगरानी रखने के लिए कई बोर्ड समितियाँ गठित की हैं। बैंक की प्रणालियों एवं कारोबार प्रक्रियाओं के कमजोर क्षेत्रों, यदि कोई हों, को पहचानने एवं उन्हें मजबूत करने हेतु विभिन्न स्तरों पर उनकी निरंतर समीक्षा की जाती है। बैंक के निदेशक मंडल का विवास है कि श्रेष्ठ अभिशासन ही ग्राहकों, कारोबारी सहयोगियों, कर्मचारियों एवं निवेशकों का भरोसा, निष्ठा एवं साख अर्जित करने का तथा व्यापक तौर पर समाज का आदर पाने का मूल मंत्र है।

निदेशक मंडल में परिवर्तन

श्री एन. आर. बद्दीनारायणन ने 01.09.2010 से 30.06.2013 तक कार्यपालक निदेशक के रूप में सेवाएँ दीं।

श्री जे. के. गर्ग 05.08.2013 से कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं।

प्रोफेसर एस. एल. मॉरिस ने 13.07.2010 से 12.07.2013 तक शेयरधारक कार्यपालक निदेशक के रूप में सेवाएँ दीं।

श्री सुनील कुमार माहेश्वरी 21.06.2013 से निदेशक मंडल में अंशकालीन गैर-कार्यालयीन कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं।

श्री सलाहुद्दीन अंसारी 26.06.2013 से निदेशक मंडल में अंशकालीन गैर-कार्यालयीन कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान हुई निदेशक मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक में निदेशक मंडल की 13 बैठकें, निदेशक मंडल की प्रबंध समिति की 14 बैठकें, निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की 9 बैठकें हुईं। वर्ष 2013-14 के दौरान हुई निदेशक मंडल की विभिन्न अन्य बैठकों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र. सं.	समिति का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या
SI No.	Name of the Committee	No. of meetings held
1.	निदेशक मंडल की प्रबंध समिति Management Committee of the Board	14
2.	निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति Audit Committee of the Board	9

Another area of focus shall remain the customer acquisition campaigns in all geographical regions of the country through branch network spread, through Ultra small branches and other out - reach programmes.

Leveraging the technology to provide convenient & safe banking for customers will continue to remain focused. Technology upgradation with changing times and in sync with new business initiatives/opportunities will always remain the facilitator for delivery & control tool for the management. Keeping in view the sentiment of consolidation of Retail business across various sectors of the economy, Bank will sum up the year 2014-15 for third time in succession as "Retail Business Year".

27. BOARD OF DIRECTORS:

Corporate Governance

The Bank firmly believes in and has consistently practiced good corporate governance which is woven around its core values of transparency, professionalism and accountability. By constantly focusing on these aspects in its day-to-day operations, the Bank strives to enhance shareholders' value. The Bank being committed to the principles of good governance, its Board of Directors has formed various committees of the Board to monitor every aspect of Bank's business. The systems and business processes of the Bank are continuously reviewed at various levels for identifying and strengthening areas of weaknesses, if any. The Directors of the Bank believe that good governance is the key to earning trust, loyalty and goodwill of clients, business associates, employees and investors and respect from the society at large.

Changes in the Board of Directors

Mr. N.R.Badrinarayanan served as Executive Director in the Board from 01.09.2010 to 30.06.2013.

Mr. J.K.Garg has been appointed as Executive Director with effect from 05.08.2013.

Prof. S.L.Morris served as Shareholder Director in the Board from 13.07.2010 to 12.07.2013.

Mr. Sunil Kumar Maheshwari has been appointed as Part Time Non-Official Director in the Board w.e.f.21.06.2013.

Mr. Salahuddin Ansari has been appointed as Part Time Non-Official Director in the Board w.e.f. 26.06.2013.

Meetings of the Board of Directors

During the financial year 2013-14, the Bank had 13 meetings of the Board of Directors, 14 meetings of the Management Committee of the Board, 9 meetings of the Audit Committee of the Board. The number of meetings of various other Committees of the Board held during the year 2013-14 is given below:

3.	जोखिम प्रबंधन समिति Risk Management Committee	5
4.	शेयरधारक शिकायत निवारण समिति Shareholders' Grievance Redressal Committee	3
5.	शेयर अंतरण समिति Share Transfer Committee	5
6.	बड़ी राशि के कपट की निगरानी हेतु विशेष समिति Special Committee for Monitoring Large Value Frauds	3
7.	ग्राहक सेवा समिति Customer Service Committee	4
8.	बैंक के मा.सं. संबंधी मुद्दों की समिति Committee on HR Related Issues of the Bank	2
9.	निदेशक मंडल की नामांकन समिति Nomination Committee of the Board	1
10.	निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति Remuneration Committee of the Board	1
11.	निदेशक मंडल की आईटी कार्यनीति समिति IT Strategy Committee of the Board	3
12.	एनपीए खातों में वसूली निगरानी के लिए निदेशक मंडल स्तरीय समिति Board Level Committee for Monitoring Recovery in NPA Accounts	4
13.	अपील मामलों के निपटान की समिति Committee for Disposal of Appeal Cases	3

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण:

निदेशकगण यह पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखे में तात्कालिक विचलन, यदि कोई हो, से संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरण सहित प्रयोज्य लेखा-प्रणाली मानकों का प्रयोग किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार बनाई गई लेखा नीतियों को एकस्रता से लागू किया गया है। उचित और विवेकसम्मत निर्णय तथा प्राक्कलन किए गए ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के कार्य की स्थिति तथा दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष में बैंक के लाभ की सच्ची और सही छवि उभर सके। भारत के बैंकों को शासित करनेवाली प्रयोज्य विधियों के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेख के रख-रखाव की ओर समुचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया गया; और लेखे सतत आधार पर तैयार किए गए हैं।

आभार

निदेशक मंडल बोर्ड के विचार-विमर्श के समय अपना योगदान देने हेतु निवर्तमान निदेशकों, श्री एन.आर. बद्रिनारायणन एवं श्री एस.एल. मॉरिस की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। बोर्ड नए निदेशकों का स्वागत करता है तथा बैंक की संवृद्धि में उनके बहुमूल्य सुझावों की प्रत्याशा करता है। निदेशकगण भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य नियामक प्राधिकरणों के प्रति उनके समर्थन और बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञ है। निदेशक मंडल अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा संपर्की बैंकों को उनके भरपूर सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है। निदेशकगण निष्ठावान ग्राहकों के भी आभारी हैं जिन्होंने बैंक पर आस्था रखी और उसे लगातार संरक्षण दिया। बोर्ड बैंक की स्टाफ यूनियनों/ एसोसिएशनों तथा बैंक के शेयरधारकों के समर्थन के लिए उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करता है। निदेशकगण बैंक के प्रत्येक कर्मचारी की समर्पित भावना की हार्दिक सराहना करते हैं जिसकी वजह से बैंक ने कई कीर्तिमान स्थापित किए।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से,

दिनांक: 29 मई, 2014
कोलकाता

(अरुण कौल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Statement of Directors' Responsibilities

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2014, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any. The accounting policies framed in accordance with the guidelines of Reserve Bank of India, were consistently applied. Reasonable and prudent judgements and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended March 31, 2014. Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India and the accounts have been prepared on an on-going basis.

Acknowledgements

The Board of Directors places on record its deep appreciation of the contributions made to the deliberations of the Board by outgoing Directors namely, Shri N.R. Badrinarayanan, and Shri S.L. Morris. The Board would like to welcome the new Directors and looks forward to their valuable inputs towards growth of the Bank. The Directors remain thankful to the Government of India, Reserve Bank of India and other regulatory authorities for their support and valuable guidance. The Board also thanks other Financial Institutions and correspondent banks for their sincere co-operation. The Directors express their gratitude to the loyal customers for their trust and continuous patronage of the Bank. The Board also thanks the Staff Unions/Associations and shareholders of the Bank for the support extended by them. The Directors place on record their deep appreciation of the dedication shown by each employee of the Bank due to which the Bank could achieve so many milestones.

For and on behalf of Board of Directors,

Date: May 29, 2014
Kolkata

(Arun Kaul)
Chairman & Managing
Director

कारपोरेट अभिशासन से संबंधित रिपोर्ट

1. बैंक का कारपोरेट अभिशासन दर्शन

यूको बैंक का कारपोरेट अभिशासन दर्शन उसके कार्य में निहित उच्च-स्तरीय नैतिक मूल्यों को बनाए रखना है। बैंक की कारपोरेट अभिशासन नीतियां पारदर्शिता एवं व्यावसायिकता के महत्वपूर्ण मूल्यों पर केंद्रित हैं। बैंक अपने सभी हितधारकों एवं समाज को अधिकतम महत्व देने हेतु कारपोरेट अभिशासन को और अधिक समृद्ध करने के लिए अपनी सर्वोत्तम प्रवृत्ति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रति लगातार प्रयासरत है।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल का गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 तथा बैंककारी कंपनी (अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 के उपबंधों द्वारा शासित होता है। कारपोरेट अभिशासन संबंधी आवश्यकताओं को, जैसा कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार में दिया गया है, इन संविधियों के साथ पढ़ा जाए।

बैंक के निदेशक अनुभवी हैं तथा उन्हें बैंक को उपयुक्त दिशा प्रदान करने एवं बैंक की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु बैंकिंग वित्त और प्रबंधन आदि के क्षेत्र में आवश्यक विशेषज्ञता हासिल है।

2.1.0 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और दो कार्यपालक निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक हैं जबकि अन्य निदेशकों को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) धारा 9(3) से (क) 9 (3) (ज) तक की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नियुक्त /नामांकित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 9(3) (झ) के अधीन शेरधारक अपने में से दो निदेशकों का निर्वाचन (केन्द्र सरकार से भिन्न) कर सकते हैं।

2.2.0 दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल का संघटन :

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार बोर्ड का गठन किया गया है।

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Corporate Governance Philosophy of the Bank :

UCO Bank's Corporate Governance Philosophy is to maintain high standards of ethical practices in conduct of its business. The Bank's Corporate Governance policies are woven around the core values of transparency and professionalism. The Bank constantly endeavors to ensure implementation of best practices aimed at enhancing the corporate governance that optimize the value of all its stakeholders and the society, at large.

2. Board of Directors

The constitution of the Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Regulation Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970, Nationalised Banks (Management & Misc. Provisions) Scheme 1970 and The Banking Companies (Acquisition & Transfer) & Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006. The requirements of Corporate Governance as envisaged in the Listing Agreement with the Stock Exchanges are to be read along with these statutes.

The Directors are experienced and have requisite expertise in the field of Banking, Finance, and Management so as to provide appropriate directions and exercise effective control in the functioning of the Bank.

2.1.0 The Chairman & Managing Director and two Executive Directors are the whole time directors appointed by the Govt. of India while the other Directors are appointed/nominated under different sections of 9(3) (a) to 9(3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 (hereinafter referred as Act).

Besides, under Section 9(3) (i) of the same Act, the shareholders of the Bank are entitled to elect two directors (other than the Central Government) from among themselves.

2.2.0 Composition of the Board of Directors as on 31.03.2014:

The Board is constituted in accordance with the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

क्रम सं.	निदेशक का नाम एवं पदनाम	कार्यग्रहण करने की तारीख	यूको बैंक के निदेशक मंडल की जिस समिति (जिन समितियों) में सदस्य हैं	दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार निदेशकों द्वारा धारित यूको बैंक के शेयर
Sl. No.	Name & Designation of the Director	Date of joining the office	Membership in Board Committee(s) of UCO Bank	Holding of UCO Bank shares by the Directors as on 31.03.2014
1.	श्री अरुण कौल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Shri Arun Kaul, Chairman & Managing Director	01.09.2010	एमसीबी, आरएमसीबी, एसएमएलवीएफ, सीएचआर, सीएससी, बीएलसीआरएनपीए, बीएलसीएसी MCB, RMCB, SMLVF, CHR, CSC, BLCRNPA, BLCAC	-
2.	एस. चंद्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक Shri S. Chandrasekharan Executive Director	01.10.2011	एमसीबी, एसीबी, आरएमसीबी, एसटीसीबी, एसएमएलवीएफ, एसजीआरसीबी, सीएचआर, सीएससी, आईटीएससी, बीएलसीआरएनपीए, बीएलसीएसी सीएससी, सीआईटी एवं एफआई MCB, ACB, RMCB, STCB, SMLVF, SGRCB, CHR, CSC, ITSC, BLCRNPA, BLCAC	-
3.	श्री जय कुमार गर्ग कार्यपालक निदेशक Shri Jai Kumar Garg Executive Director	05.08.2013	एमसीबी, एसीबी, आरएमसीबी, एसटीसीबी, एसएमएलवीएफ, एसजीआरसीबी, सीएचआर, सीएससी, आईटीएससी, बीएलसीआरएनपीए, बीएलसीएसी MCB, ACB, RMCB, STCB, SMLVF, SGRC, CHR, CSC, ITSC, BLCRNPA, BLCAC	-
4.	श्री प्रवीण रावल सरकार के नामिती निदेशक Shri Pravin Rawal Govt. Nominee Director	02.12.2011	एसीबी, आरएमसीबी, एसएमएलवीएफ, सीएचआर, सीएससी, एनसीबी, आरसीबी, बीएलसीआरएनपीए ACB, RMCB, SMLVF, CHR, CSC, NCB, RCB, BLCRNPA	-
5.	श्री बी.पी. विजयेंद्र भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक Shri B. P. Vijayendra RBI Nominee Director	06.09.2012	एमसीबी, एसीबी, आरसीबी MCB, ACB, RCB	-
6.	सीए श्री मनोज कुमार गुप्ता अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक CA Manoj Kumar Gupta Part time Non-Official Director	02.08.2011	एमसीबी, एसीबी, एसएमएलवीएफ, सीएचआर, आईटीएससी, एनसीबी, आरसीबी MCB, ACB, SMLVF, CHR, ITSC, NCB, RCB,	-
7.	श्री दीपेन्द्र नारायण ठाकुर अधिकारी कर्मचारी निदेशक Shri Diptendra Narayan Thakur	12.12.2012	एसटीसीबी, सीएससी, आईटीएससी STCB, CSC, ITSC	200
8.	Officers Employee Director श्री पार्थ चंद कामगार कर्मचारी निदेशक Shri Partha Chanda Workmen Employees' Director	15.02.2013	एमसीबी, आरएमसीबी, एसटीसीबी, एसजीआरसीबी, सीएससी, आईटीएससी MCB, RMCB, STCB, SGRCB, CSC, ITSC	-

क्रम सं.	निदेशक का नाम एवं पदनाम	कार्यग्रहण करने की तारीख	यूको बैंक के निदेशक मंडल की जिस समिति (जिन समितियों) में सदस्य हैं	दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार निदेशकों द्वारा धारित यूको बैंक के शेयर
Sl.No	Name & Designation of the Director	Date of joining the office	Membership in Board Committee(s) of UCO Bank	Holding of UCO Bank shares by the Directors as on 31.03.2014
9.	श्री सुनील कुमार माहेश्वरी अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Shri Sunil Kumar Maheshwari Part-time Non Official Director	21.06.2013	एमसीबी, एसीबी, एसएमएलवीएफ, एसजीआरसी, सीएचआर, सीएससी, आईटीएससी, एनसीबी, आरसीबी MCB, ACB, SMLVF, SGRC, CHR, CSC, ITSC, NCB, RCB,	-
10.	मो. सलाहुद्दीन अंसारी अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Md. Salahuddin Ansari Part-time Non official Director	26.06.2013	आरएमसीबी, एसटीसीबी, एसजीआरसीबी, एनसीबी RMCB, STCB, SGRCB, NCB	-

एसीबी = निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति, **सीएचआर** = बैंक के मानव संसाधन संबंधी मुद्दों से संबंधित समिति, **सीएससी** = ग्राहक सेवा समिति, **एमसीबी** = निदेशक मंडल की प्रबंध समिति, **एनसीबी** = निदेशक मंडल की नामांकन समिति, **आरसीबी** = निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति, **आरएमसीबी** = निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति, **एसजीआरसीबी** = निदेशक मंडल की शेयरधारक शिकायत निवारण समिति, **एसटीसीबी** = निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति, **एसएमएलवीएफ** = अधिक राशि के कपट की निगरानी हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति, **आईटीएससी** = सूत्रो कार्यनीति समिति, **बीएलसीआरएनपीए** = एनपीए खातों में वसूली मॉनिटरिंग के लिए निदेशक मंडल स्तरीय समिति, **बीएलसीएसी** = बोर्ड स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति

ACB = Audit Committee of the Board, **CHR** = Committee on HR related issues of the Bank, **CSC** = Customer Service Committee, **MCB** = Management Committee of the Board, **NCB** = Nomination Committee of the Board, **RCB** = Remuneration Committee of the Board **RMCB** = Risk Management Committee of the Board, **SGRCB** = Shareholders' Grievance Redressal Committee of the Board, **STCB** = Share Transfer Committee of the Board, **SMLVF** = Special Committee of the Board for Monitoring Large Value Frauds, **ITSC** = IT Strategy Committee, **BLCRNPA** = Board Level Committee for Monitoring Recovery in NPA Accounts, **BLCAC** = Board Level Credit Approval Committee.

2.2.1 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त/त्यागपत्र दिए निदेशक

2.2.1 Directors who retired/resigned during the year ended on 31.03.2014

क्रम सं.	निदेशक का नाम एवं पदनाम	कार्यग्रहण करने की तारीख	जिस तारीख से निदेशक पद त्यागा	कार्यकाल के दौरान जितनी बैठकों में उपस्थित रहे/आयोजित बैठकें
Sl. No	Name of the Director	Date of joining	Date of cessation of Directorship w.e.f.	No. of Board meetings attended/ held during his tenure.
1.	श्री एन.आर. बद्रिनारायणन कार्यपालक निदेशक Shri N.R. Badrinarayanan Executive Director	01.09.2010	30.06.2013	3 (4 बैठकें आयोजित) 3 (held 4 meetings)
2.	प्रो. एस. एल. मॉरिस अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Prof. S. L. Morris Part time Non-official Director	13.07.2010	13.07.2013	2 (5 बैठकें आयोजित) 2 (held 5 meetings)

2.2.2 वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति, अन्य बोर्ड समितियों की संख्या जिनके वे वर्ष के दौरान सदस्य रहे या अध्यक्ष रहे एवं ऐसी अन्य कंपनियों/निगमों के ब्योरे नीचे दिए गए हैं जिनमें वे निदेशक रहे हैं :

2.2.2 The details of the attendance of each Director at the Board Meetings held during the year, no. of other Board Committees where he/she is a member or Chairperson during the year and directorship of other companies/corporations are furnished hereunder :

निदेशक का नाम Name of Director	31.03.2014 तक के कार्यकाल के दौरान जितनी बैठकों में उपस्थित रहे/आयोजित बैठकें No. of Meetings Attended/Held (during the period of their tenure) Upto 31.03.2014	बोर्ड की समितियों की सं. जिनमें सदस्य हैं Member of Board's Committees (Number)	अन्य कंपनी आदि जिनमें निदेशक हैं Other directorship
श्री अरुण कौल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Shri Arun Kaul Chairman & Managing Director	13 (13 बैठकें आयोजित) 13 (held 13 meetings)	7	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. National Insurance Company Limited
श्री एस. चन्द्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक Shri S. Chandrasekharan Executive Director	13 (13 बैठकें आयोजित) 13 (held 13 meetings)	11	-
श्री जयकुमार गर्ग कार्यपालक निदेश Shri Jai Kumar Garg Executive Director	7 (7 बैठकें आयोजित) 7 (held 7 meetings)	11	-
श्री प्रवीण रावल सरकार के नामिती निदेशक Shri Pravin Rawal Govt. Nominee Director	7 (13 बैठकें आयोजित) 7 (held 13 meetings)	8	-
श्री बी.पी. विजयेन्द्र भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक Shri B.P. Vijayendra RBI Nominee Director	13 (13 बैठकें आयोजित) 13 (held 13 meetings)	3	सिक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. Security Printing & Minting Corporation of India Ltd.
सीए मनोज कुमार गुप्ता अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक CA Manoj Kumar Gupta Part time Non-Official Director	13 (13 बैठकें आयोजित) 13 (held 13 meetings)	7	-
श्री सुनील कुमार माहेश्वरी अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक Shri Sunil Kumar Maheshwari Part-time Non Official Director	6 (9 बैठकें आयोजित) 6 (held 9 meetings)	9	-
मो. सलाहुद्दीन अंसारी अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक Md. Salahuddin Ansari Part-time Non official Director	9 (9 बैठकें आयोजित) 9 (held 9 meetings)	4	-
श्री दीपेन्द्र नारायण ठाकुर अधिकारी कर्मचारी निदेशक Shri Diptendra Narayan Thakur Officer Employee Director	13 (13 बैठकें आयोजित) 13 (held 13 meetings)	3	-

निदेशक का नाम Name of Director	31.03.2014 तक के कार्यकाल के दौरान जितनी बैठकों में उपस्थित रहे/आयोजित बैठकें No. of Meetings Attended/ Held (during the period of their tenure) Upto 31.03.2014	बोर्ड की समितियों की सं. जिनमें सदस्य हैं Member of Board's Committees (Number)	अन्य कंपनी आदि जिनमें निदेशक हैं Other directorship
श्री पार्थ चंद्र कामगार कर्मचारी निदेशक Shri Partha Chanda Workmen Employees' Director	13 (13 बैठकें आयोजित) 13 (held 13 meetings)	6	-
वर्ष 2013-14 के दौरान सेवानिवृत्त निदेशकगण Director retired during the year 2013-14			-
श्री एन. आर. बद्रीनारायण कार्यपालक निदेशक Shri N.R. Badrinarayanan Executive Director	3 (4 बैठकें आयोजित) 3 (held 4 meetings)	9	-
प्रो. एस. एल. मॉरिस अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक Prof. S. L. Morris Part time Non-official Director	2 (5 बैठकें आयोजित) 2 (held 5 meetings)	9	-

2.2.3 बोर्ड की बैठकों की तारीख

समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना 1970 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम 6 बैठकें तथा सूचीकरण करार के खंड 49 में निर्धारित न्यूनतम चार बैठकों की तुलना में निम्नलिखित तारीखों को बोर्ड की 14 बैठकें आयोजित की गईं :

10.04.2013	7.05.2013	24.05.2013	18.06.2013	12.07.2013
19.07.2013	16.09.2013	08.11.2013	09.12.2013	07.01.2014
13.01.2014	24.01.2014	19.02.2014		

2.2.3 Dates of Board Meetings

During the period of review 13 Board Meetings were held on following dates, as against minimum of 6 prescribed under Clause 12 of Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and minimum of four meetings stipulated in Clause 49 of Listing Agreement :

2.2.4 बोर्ड के नए निदेशकों का संक्षिप्त जीवनवृत्त

श्री जय कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक

श्री जय कुमार गर्ग का जन्म 10.01.1960 को हुआ था। उन्होंने 05.08.2013 को यूको बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वे एक प्रोफेशनल सनदी लेखाकार हैं और भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान के एसोसिएट मेम्बर भी हैं। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1986 में कार्पोरेशन बैंक से की तथा कई शाखाओं में कार्य किया जिनमें मुंबई, नई दिल्ली एवं पुणे की औद्योगिक वित्त शाखाएं भी शामिल हैं। उन्होंने अहमदाबाद, नई दिल्ली, पुणे और कोलकाता के विभिन्न अंचल कार्यालयों में भी कार्य किया और कार्पोरेशन बैंक के कोलकाता एवं दिल्ली सर्किलों के प्रमुख भी रहे। श्री जय कुमार गर्ग को ऋण प्रबंधन, वसूली, विदेशी मुद्रा परिचालन, रिटेल बैंकिंग एवं प्रशासन का व्यापक अनुभव है।

श्री जय कुमार गर्ग ने एनआईबीएम (पुणे), बीटीसी (मुंबई) एवं आईएसबी (हैदराबाद) जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए जर्मनी, फ्रांस, इटली, थाइलैंड और वियतनाम की विदेश यात्राएं भी की हैं।

2.2.4: Brief Profiles of new Directors on the Board :

Shri Jai Kumar Garg, Executive Director

Born on 10.01.1960. Shri Jai Kumar Garg joined UCO Bank as the Executive Director with effect from 05.08.2013. He is a professional Chartered Accountant and also Associate Member of Indian Institute of Banking and Finance. He started his career at Corporation Bank in 1986 and served at various Branches including Industrial Finance Branches at Mumbai, New Delhi and Pune. He also worked at various Zonal Offices in Ahmedabad, New Delhi, Pune and Kolkata and headed the Kolkata and Delhi Circles of Corporation Bank. Shri Jai Kumar Garg has a wide experience in Credit Management, Recovery, Forex Operations, Retail Banking and Administration.

Shri Jai Kumar Garg has undergone many training programmes at prestigious institutes like NIBM (Pune), BTC (Mumbai) and ISB (Hyderabad). He has also travelled abroad for training programmes in Germany, France, Italy, Thailand and Vietnam.

प्रो. सुनील कुमार माहेश्वरी, निदेशक

आईआईटी दिल्ली एवं आईआईएम, अहमदाबाद के विद्यार्थी रहे प्रोफेसर माहेश्वरी ने 1998 में शिक्षा में कदम रखने के पूर्व बीएचईएल एवं भारतीय रेल में कार्य किया था। फरवरी, 2012 में उन्होंने आईआईएम, अहमदाबाद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर वोन मैनेजमेंट सिस्टम्स प्रा. लि. की स्थापना की। वे इस कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर हैं। वे अब भी आईआईएम, अहमदाबाद में संबद्ध प्रोफेसर के रूप में सेवा दे रहे हैं। उन्होंने जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक मानव संसाधन विकास मंत्री के परामर्शदाता के रूप में भी कार्य किया है। कार्यनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन, अंतरराष्ट्रीय मानव संसाधन प्रबंधन एवं कारोबार का टर्नअराउंड उनके अनुसंधान, परामर्श सेवा एवं शिक्षण रचि के क्षेत्र हैं। उनकी “टर्नअराउंड एक्सेलेंस” नामक पुस्तक पेंग्विन बुक्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। यह पुस्तक टर्नअराउंड के छह मामलों पर उनके शोध अध्ययन पर आधारित है। सुप्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय जर्नलों में उनके शोध-पत्र व्यापक रूप से प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने 25 से अधिक मामलों पर लेखन कार्य किया है। वे कई बड़े राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के परामर्शदाता भी रहे हैं। उन्होंने कई संगठनों के बोर्ड में अपनी सेवाएं दी हैं। संप्रति वे मानव संसाधन विकास अकादमी के गवर्नर बोर्ड के अध्यक्ष हैं।

मो. सलाहुद्दीन अंसारी, निदेशक

श्री सलाहुद्दीन अंसारी का जन्म 30 जुलाई 1946 को हुआ था। वे एम. कॉम एवं बी. कॉम (आनर्स) डिग्रीधारी हैं। वे चार वर्षों तक एसबीआई के निदेशक रहे। इसके साथ ही वे एसकेएम विश्वविद्यालय, दुमका के वाणिज्य संकाय के प्राचार्य, जीन भी थे। भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप श्री अंसारी 26 जून, 2013 को यूको बैंक के निदेशक मंडल में शामिल हुए।

3.0 निदेशक मंडल की समितियाँ:

भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों/निदेशों के अनुसरण में बैंक में निदेश मंडल की विभिन्न समितियों का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य निर्णय प्रक्रिया को सुचारु और कारगर बनाना, समितियों के विचारार्थ विषयों के अंतर्गत आनेवाले विभिन्न कार्यकलापों की प्रभावी निगरानी एवं उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना है। विभिन्न स्थायी समितियों के विवरण नीचे दर्शाए गए हैं:

3.1.0 निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (ए सी बी) :

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार हमारे बैंक ने निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है जिसमें स्टॉक एक्सचेंजों के साथ संशोधित सूचीकरण करार के खंड 49 में निर्धारित न्यूनतम तीन निदेशकों की जगह छह निदेशक हैं। समिति के सभी निदेशक वित्तीय रूप से शिक्षित हैं और समिति के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार गुप्ता, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीआई) के वरिष्ठ अधिसदस्य हैं।

3.1.1 प्रमुख उद्देश्य:

यह एक सशक्त प्रबंधकीय व्यवस्था के रूप में लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण की प्रभाविता को सुनिश्चित करने और बढ़ाने हेतु बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण कार्य का सर्वेक्षण, समीक्षा करती है एवं निदेश देती है। आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति इन उद्देश्यों के अनुसार बैंक के आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा संबंधी कार्य- उसकी प्रणाली, गुणवत्ता एवं प्रभाविता की समीक्षा करती है। जहां तक बाह्य लेखापरीक्षा का संबंध है, समिति लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों की समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट के

Shri Sunil Kumar Maheswari, Director

Professor Maheshwari, an Alumni of IIT Delhi and IIM Ahmedabad, worked with BHEL and Indian Railways before getting into academics in 1998. He took voluntary retirement from IIM Ahmedabad in February, 2012 to set up Wone Management Systems Pvt. Ltd. He is the Managing Partner of the company. He continues to serve as Adjunct Professor at IIM Ahmedabad. He has also worked as Advisor to Minister of HRD from Jan, 2009 to Jan, 2013. His research, consulting and teaching interests are strategic human resource management, international human resource management and business turnaround. His book titled “Turnaround Excellence,” is published by Penguin Books India. The book is based on his research study of six turnaround cases. He has widely published his research articles in both national and international journals of high repute. He has written more than 25 cases. He has been a consultant to many large national and international organizations. He has served on the boards of many organizations. He is currently the Chairman of Board of Governors of Academy of HRD.

Md. Salahuddin Ansari, Director

Born on 30th July 1946, Shri Salahuddin Ansari is a holder of M.Com & B.Com(Hons) degree. He was director of SBI for 4 years and also was principal, Dean at Faculty of Commerce , SKM University , Dumka. On being appointed by the Govt. of India, Shri Ansari joined the Board of UCO Bank on 26th June, 2013.

3.0 Committees on the Board:

Pursuant to the instructions/guidelines/directives issued by the Reserve Bank of India, Government of India, various committees of directors have been constituted with the objectives of streamlining the decision making process, effective monitoring and follow up of various activities falling within the terms of references of such committees. Particulars of the various standing committees are as under:

3.1.0 Audit Committee of the Board (ACB):

As per directives of RBI, the Bank constituted the Audit Committee of the Board with six directors as against minimum of three directors stipulated in Clause 49 of the Listing Agreements entered with Stock Exchanges. All the Directors in the committee are financially literate and CA Manoj Kumar Gupta, Chairman of the Committee, is a senior fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

3.1.1. Primary objectives:

It oversees, reviews and provides directions to the internal audit/inspection function in the Bank in order to ensure and enhance the effectiveness of the audit and inspection function as a strong management tool. In respect of internal audit, the Audit Committee of the Board reviews the internal inspection/audit function of the Bank – the system, its quality and effectiveness in terms of the objectives. As regards external audit, the committee reviews all the issues raised in the Long Form Audit Report. Besides, it interacts with the external auditors before finalization of reviewed/

मसौदे में लेखांकन नीतियों, प्रथाओं, अंक-संबंधी, अर्हताओं में परिवर्तन तथा लेखांकन मानक के अनुपालन के विशेष संदर्भ में समीक्षाकृत / लेखापरीक्षित लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के पूर्व बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। यह भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मुद्दों/समस्याओं के संबंध में भी कार्रवाई करती है। यह समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा-कार्य, समाधान, कपट एवं अन्य संबंधित विषयों की भी समीक्षा करती है।

audited accounts with special reference to change in accounting policies, practices, qualification in the draft audit report and compliance with the accounting standards. It also addresses all issues/concerns raised in inspection report of RBI. The committee also reviews the internal control system, the areas of house keeping, reconciliation, fraud and other related matters.

3.1.2 एसीबी का संघटन और वर्ष 2013-14 के दौरान ए सी बी के सदस्य जिन बैठकों में उपस्थित रहे, उनकी संख्या

3.1.2 Composition of the ACB and number of meetings attended by the members of ACB during the year 2013-14

निदेशकों के नाम Name of Directors	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे/आयोजित बैठकें Meetings Attended/ Held during the tenure	टिप्पणी Remarks
सीए मनोज कुमार गुप्ता निदेशक एवं एसीबी अध्यक्ष CA Manoj Kumar Gupta Director & Chairman of ACB	9 (9 बैठकें आयोजित) 9 (held 9 meetings)	-
श्री एस. चंद्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक एवं एसीबी के सदस्य Shri S. Chandrasekharan ED & Member of ACB	9 (9 बैठकें आयोजित) 9 (held 9 meetings)	-
श्री जय कुमार गर्ग कार्यपालक निदेशक एवं एसीबी के सदस्य Shri Jai Kumar Garg ED & Member of ACB	5 (5 बैठकें आयोजित) 5 (held 5 meetings)	-
श्री प्रवीण रावल निदेशक एवं एसीबी के सदस्य Shri Pravin Rawal Director and Member of ACB	4 (9 बैठकें आयोजित) 4 (held 9 meetings)	-
श्री बी.पी. विजयेंद्र निदेशक एवं एसीबी के सदस्य Shri B. P. Vijayendra Director and Member of ACB	9 (9 बैठकें आयोजित) 9 (held 9 meetings)	-
श्री सुनील कुमार माहेश्वरी निदेशक एवं एसीबी के सदस्य Shri Sunil Kumar Maheswari Director and Member of ACB	5 (6 बैठकें आयोजित) 5 (held 6 meetings)	-
वर्ष 2013-14 के दौरान सेवानिवृत्त सदस्य Members retired during the year 2013-14		-
श्री एन.आर.बद्रीनारायण कार्यपालक निदेशक Shri N.R. Badrinarayanan Executive Director	2 (3 बैठकें आयोजित) 2 (held 3 meetings)	30.06.2013 को सेवानिवृत्त Retired on 30.06.2013
प्रो. एस.एल. मॉरिस अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक Prof. S. L. Morris Part time Non-official Director	1 (3 बैठकें आयोजित) 1 (held 3 meetings)	13.07.2013 को सेवानिवृत्त Retired on 13.07.2013

3.1.3 एसीबी की बैठकों के आयोजन की तारीख :

सूचीकरण कारोबार के खंड 49 में यथानिर्धारित एक वर्ष में न्यूनतम चार बैठकों के स्थान पर समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की 9 बैठकें आयोजित की गईं। बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं :

06.05.2013	23.05.2013	17.06.2013	18.07.2013	17.09.2013
07.11.2013	10.12.2013	23.01.2014	18.02.2014	

3.2.0 निदेशक मंडल की प्रबंध समिति (एसीबी)

समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 के उपबंधों के अनुसार किया गया है। इसके सदस्य हैं: अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण, सनदी लेखाकार निदेशक और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ख), (ग) में निर्दिष्ट निदेशक तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) खंड (घ), (ड.), (च), (ज) एवं (झ) में निर्दिष्ट निदेशकों में से निदेशक मंडल द्वारा नामित दो निदेशक। निदेशक मंडल द्वारा नामित निदेशक एक बार में छह महीने से अधिक समय तक पद पर नहीं रहेंगे। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एमसीबी के अध्यक्ष हैं।

3.2.1 समिति का उद्देश्य निम्नलिखित पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना है :

- अधिक राशि के उधार/ऋण, समझौता और बड़े खाते डालने के प्रस्ताव।
- पूँजीगत और राजस्व व्यय हेतु तथा परिसर के अधिग्रहण और किराए पर लेने से संबंधित अधिक राशि के प्रस्ताव, जिसमें परिसर के अधिग्रहण/किराए पर लेने हेतु निर्धारित मानदंडों से विचलन भी शामिल है।
- कंपनियों के शेयरों/डिबेंचरों में निवेश सहित सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अधिक राशि का निवेश करने के लिए प्रस्ताव और हामीदारी, दान देने संबंधी अधिक राशि के प्रस्ताव एवं
- निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर उसके पास भेजे गए इसी प्रकार के कोई अन्य मामले।

3.2.2 बोर्ड की प्रबंध समिति (एमसीबी) का संघटन एवं वर्ष 2013-14 के दौरान बोर्ड की प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा बैठकों में उपस्थिति की संख्या :

निदेशकों के नाम Name of Directors	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थित/आयोजित बैठकें Meetings Attended/ Held during the tenure	टिप्पणी Remarks
श्री अरुण कौल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं एमसीबी अध्यक्ष Shri Arun Kaul CMD & Chairman of MCB	14(14 बैठकें आयोजित) 14(held 14 meetings)	-

3.1.3 Dates on which ACB Meetings were held:

During the year under review, 9 meetings of the Committee were held vis-a-vis minimum of four meetings in a year, stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement. The meetings were held on following dates:

3.2.0 Management Committee of the Board (MCB) :

The Committee is constituted as per Provisions of Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provision) Scheme 1970. Its members are Chairman & Managing Director, Executive Directors, Chartered Accountant Director and directors referred to under clauses (b), (c) of sub-section (3) of Section 9 of Banking companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970., and two Directors nominated by the Board from amongst the Directors referred to Clauses (d), (e), (f), (h) and (i) of Section 9(3) of the Banking companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970. The Directors nominated by the Board shall hold office for not more than six months at a time. The Chairman & Managing Director is the Chairman of MCB.

3.2.1 The objectives of the committee are to consider and approve:-

- high value credit/loan, compromise and write off proposals.
- high value proposals for capital and revenue expenditure and those relating to acquisition and hiring of premises including deviation from prescribed norms for acquisition/hiring of premises.
- Proposal for high value investments in Govt. and other approved securities including investment in shares/debentures of companies as well as high value proposals of underwriting, making donations and
- Any other matter of similar nature referred to it by the Board from time to time.

3.2.2 Composition of the Management Committee (MCB) of the Board and the number of meetings attended by the members of MCB during the year 2013-14

निदेशकों के नाम Name of Directors	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थित/आयोजित बैठकें Meetings Attended/ Held during the tenure	टिप्पणी Remarks
श्री एस. चंद्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri S. Chandrasekharan ED & Member of MCB	14(14 बैठकें आयोजित) 14(held 14 meetings)	-
श्री जय कुमार गर्ग कार्यपालक निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri Jai Kumar Garg ED & Member of MCB	10(10 बैठकें आयोजित) 10(held 10 meetings)	-
सीए मनोज कुमार गुप्ता निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri B.P. Vijayendra Director & Member of MCB	13(14 बैठकें आयोजित) 13(held 14 meetings)	-
सीए मनोज कुमार गुप्ता निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य CA Manoj Kumar Gupta Director & Member of MCB	14(14 बैठकें आयोजित) 14(held 14 meetings)	-
श्री सुनील कुमार माहेश्वरी निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri Sunil Kumar Maheswari Director and Member of MCB	6(10 बैठकें आयोजित) 6(held 10 meetings)	-
मो. सलाहुद्दीन अंसारी निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Md. Salahuddin Ansari Director & Member of MCB	7(7 बैठकें आयोजित) 7(held 7 meetings)	02.03.2014 तक Up to 02.03.2014
श्री डी. एन. ठाकुर निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri D.N. Thakur Director & Member of MCB	4(4 बैठकें आयोजित) 4(held 4 meetings)	02.03.2014 तक Up to 02.03.2014
श्री पार्थ चंद्र निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri Partha Chanda Director & Member of MCB	3(3 बैठकें आयोजित) 3(held 3 meetings)	03.03.2014 तक From 03.03.2014
वर्ष 2013-14 के दौरान सेवानिवृत्त सदस्य Members retired during the year 2013-14		-
श्री एन.आर. बद्रिनारायणन कार्यपालक निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri N.R. Badrinarayanan Executive Director and Member of MCB	2(3 बैठकें आयोजित) 2(held 3 meetings)	03.06.2014 को सेवानिवृत्त Retired on 30.06.2013

3.2.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित तारीखों को एमसीबी की 14 बैठकें आयोजित की गईं :

3.2.3 During the period under review 14 meetings of MCB were held on following dates :

06.05.2013	23.05.2013	17.06.2013	18.07.2013
06.08.2013	17.09.2013	27.09.2013	07.11.2013
09.12.2013	24.12.2013	23.01.2014	18.02.2014
04.03.2014	24.03.2014		

3.3.0 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसीबी) :

3.3.1 यह समिति बैंक के कारोबार में आनेवाली विभिन्न प्रकार की जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी करती है तथा बैंक को संबंधित दिानिर्देश देती है और आवधिक समीक्षा एवं निगरानी के आधार पर ऐसी कार्यनीतियां बनाती हैं जिससे बैंक के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कारोबार के परिचालन में स्थायित्व और दक्षता सुनिश्चित हो। यह बैंक में आरिस्त देयता प्रबंध (एएलएम) प्रणाली के क्रियाकलाप का पर्यवेक्षण एवं निगरानी भी करती है।

3.3.2 आरएमसीबी का संघटन तथा वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजित बैठकों और उनमें उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

निदेशकों के नाम	बैठकों में उपस्थित/आयोजित बैठकें	टिप्पणी
Name of Directors	Meetings Attended/held	Remarks
श्री अरुण कौल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं आरएमसीबी अध्यक्ष Mr. Arun Kaul CMD & Chairman of RMCB	5 (5 बैठकें आयोजित) 5(held 5 meetings)	-
श्री एस. चंद्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक एवं आरएमसीबी के सदस्य Shri S. Chandrasekharan ED & Member of RMCB	5 (5 बैठकें आयोजित) 5(held 5 meetings)	-
श्री जय कुमार गर्ग कार्यपालक निदेशक एवं आरएमसीबी के सदस्य Shri Jai Kumar Garg ED & Member of RMCB	4 (4 बैठकें आयोजित) 4(held 4 meetings)	06.08.2013 से सदस्य From 06.08.2013
श्री प्रवीण रावल निदेशक एवं आरएमसीबी के सदस्य Shri Pravin Rawal Director & Member of RMCB	1 (5 बैठकें आयोजित) 1(held 5 meetings)	-
श्री मनोज कुमार गुप्ता निदेशक एवं आरएमसीबी के सदस्य CA Manoj Kumar Gupta Director & Member of RMCB	4 (4 बैठकें आयोजित) 4(held 4 meetings)	02.03.2014 तक Upto 02.03.2014
श्री डी. एन. ठाकुर निदेशक एवं आरएमसीबी के सदस्य Shri D. N. Thakur Director & Member of RMCB	4 (4 बैठकें आयोजित) 4(held 4 meetings)	02.03.2014 तक Upto 02.03.2014
श्री सलाहुद्दीन अंसारी निदेशक एवं आरएमसीबी के सदस्य Md. Salahuddin Ansari Director & Member of RMCB	1 (1 बैठक आयोजित) 1(held 1 meeting)	03.03.2014 से सदस्य from 03.03.2014
श्री पार्थ चंद निदेशक एवं आरएमसीबी के सदस्य Shri Partha Chanda Director & Member of RMCB	1 (1 बैठक आयोजित) 1(held 1 meeting)	03.03.2014 से सदस्य From 03.03.2014
(वर्ष 2013-14 के दौरान सेवानिवृत्त निदेशकगण) Members retired during the year 2013-14		
श्री एन.आर.बद्रीनारायणन्, कार्यपालक निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri N.R. Badrinarayanan ED & Member of RMCB	1 (1 बैठक आयोजित) 1(held 1 meeting)	30.06.2013 को सेवानिवृत्त Retired on 30.06.2013

3.3.3 आरएमसीबी की बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं :

10.04.2013	06.08.2013	07.11.2013
23.01.2014	04.03.2014	

3.3.0 Risk Management Committee of the Board (RMCB)

3.3.1. The Committee identifies, evaluates, monitors and guides the Bank on various categories of risks to which the Bank's business is exposed and devices, based on periodical review and monitoring, such strategies as would ensure stability and efficiency of the National and International business operations of the Bank. It also supervises and monitors the functioning of Asset Liability Management (ALM) System in the Bank.

3.3.2 The composition of RMCB and details of the meetings held during the year 2013-14 and attendance are as under :

3.3.3 The meetings of RMCB were held on the following dates :

3.4.0 शेयरधारक शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसीबी) :

3.4.1 शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों, यथा-धन वापसी आदेश, शेयर प्रमाणपत्र, लाभांश वारंट आदि प्राप्त न होने के संबंध में उचित सावधानी रखते हुए तथा शिकायतकर्ता की तुष्टि के अनुरूप शिकायत का निवारण करने के लिए गैर-कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। वर्ष के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों का निवारण कर दिया गया है।

3.4.2 दिनांक 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार एसजीआरसीबी का संघटन तथा उक्त समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

3.4.0 Shareholders Grievances Redressal Committee (SGRCB) :

3.4.1 The Committee was constituted under the Chairmanship of the Non-executive Director for speedy redressal of shareholder/investors' complaints/grievances, like, non receipt of refund orders, share certificate, dividend warrant etc., with due care and to the satisfaction of the complainants. All the complaints received during the year were redressed.

3.4.2 The composition of the SGRCB as on 31st March, 2014 and details of the attendance of the members are as under :

निदेशकों के नाम Name of Directors	जिनमें उपस्थित रहे/आयोजित बैठकें Meetings attended/held	टिप्पणी Remarks
वर्तमान सदस्य/PRESENT MEMBERS		-
श्री सुनील कुमार माहेश्वरी निदेशक एवं एसजीआरसीबी के अध्यक्ष Shri Sunil Kumar Maheswari Director & Chairman of SGRCB	2 (2 बैठकें आयोजित) 2(held 2 meetings)	-
श्री एस. चंद्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक एवं एसजीआरसीबी के सदस्य Shri S. Chandrasekharan ED & Member of SGRCB	2(3 बैठकें आयोजित) 3(held 3 meetings)	-
श्री जय कुमार गर्ग कार्यपालक निदेशक एवं एसजीआरसीबी के सदस्य Shri Jai Kumar Garg ED & Member of SGRCB	2(2 बैठकें आयोजित) 2(held 2 meetings)	-
मो. सलाहुद्दीन अंसारी निदेशक एवं एसजीआरसीबी के सदस्य Md. Salahuddin Ansari Director & Member of SGRCB	2(2 बैठकें आयोजित) 2(held 2 meetings)	-
श्री पार्थ चंद निदेशक एवं एसजीआरसीबी के सदस्य Shri Partha Chanda Director & Member of SGRCB	3(3 बैठकें आयोजित) 3(held 3 meetings)	-
वर्ष 2013-14 के दौरान सेवानिवृत्त सदस्य Members retired during the year 2013-14		
श्री एन.आर.बद्रीनारायणन कार्यपालक निदेशक एवं एसजीआरसीबी के सदस्य Shri N.R. Badrinarayanan ED & Member of SGRCB	1(1 बैठक आयोजित) 1(held 1 meeting)	30.06.2013 को सेवानिवृत्त Retired on 30.06.2013
प्रो. एस. एल. मॉरिस निदेशक एवं एसजीआरसीबी के सदस्य Prof. S. L. Morris Director and Member of SGRCB	1(1 बैठक आयोजित) 1(held 1 meeting)	30.07.2013 को सेवानिवृत्त Retired on 13.07.2013

3.4.3 वर्ष के दौरान एसजीआरसीबी की तीन बैठकें दिनांक 10.04.2013, 07.11.2013 एवं 29.03.2014 को आयोजित की गईं।

3.5.0 निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी) :

3.5.1 यह समिति मूर्त रूप में धारित बैंक के शेयरों का अंतरण/प्रेषण/स्थानांतरण आदि अनुमोदित एवं प्रभावी करने तथा खो गए/गुम हो गए/चोरी हो गए मूल शेयर के बदले डुप्लिकेट शेयर जारी करने के प्रस्ताव/अनुरोध का अनुमोदन करने के लिए गठित की गई है। अंतरण एवं प्रेषण के लिए ऐसे सभी अनुरोध/प्रस्ताव को अंतरण/प्रेषण के लिए अनुरोध की प्रस्तुति की तारीख से निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाता है।

3.5.2 एसटीसीबी का संघटन एवं उसकी बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

3.4.3 During the year 3 meetings of SGRCB was held on 10.04.2013, 07.11.2013, & 29.03.2014.

3.5.0 Share Transfer Committee of the Board (STCB):

3.5.1. The committee has been constituted to approve and effect transfer/transmission/transposition etc. of Bank's shares, held in physical form, as also approval on the requests/proposals for issuance of duplicate shares in lieu of originals lost/misplaced/stolen. It is also ensured that all such requests/proposals for transfer and transmission are completed within the period stipulated from the date of submission of the requests for transfer/transmission complete on all respects.

3.5.2 The composition of the STCB and details of the meetings attended by its members during the period 2013-14 are as under:

निदेशकों के नाम Name	जिनमें उपस्थित रहे/आयोजित बैठकें Meetings Attended/Held	टिप्पणी Remarks
श्री एस. चंद्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक एवं एसटीसीबी के सदस्य Shri S. Chandrasekharan ED & Member of STCB	5 (5 बैठकें आयोजित) 5 (held 5 meetings)	-
श्री जय कुमार गर्ग कार्यपालक निदेशक एवं एसटीसीबी के सदस्य Shri Jai Kumar Garg ED & Member of STCB	3 (3 बैठकें आयोजित) 3 (held 3 meetings)	-
मो. सलाहुद्दीन अंसारी निदेशक एवं एसटीसीबी के सदस्य Md. Salahuddin Ansari Director & Member of STCB	3 (3 बैठकें आयोजित) 3 (held 3 meetings)	-
श्री पार्थ चंद निदेशक एवं एसटीसीबी के सदस्य Shri Partha Chanda Director & Member of STCB	3 (3 बैठकें आयोजित) 3 (held 3 meetings)	-
श्री डी. एन. ठाकुर निदेशक एवं एसटीसीबी के सदस्य Shri D. N. Thakur Director & Member of STCB	5 (5 बैठकें आयोजित) 5 (held 5 meetings)	-
वर्ष 2013-14 के दौरान सेवानिवृत्त सदस्य Members retired during the year 2013-14		
श्री एन.आर.बद्रीनारायणन कार्यपालक निदेशक एवं एसटीसीबी के सदस्य Shri N.R. Badrinarayanan ED & Member of STCB	2 (2 बैठकें आयोजित) 2 (held 2 meetings)	30.06.2013 को सेवानिवृत्त Retired on 30.06.2013
प्रो. एस. एल. मॉरिस निदेशक एवं एसटीसीबी के सदस्य Prof. S. L. Morris Director and Member of STCB	1 (1 बैठकें आयोजित) 1 (held 1 meeting)	30.07.2013 को सेवानिवृत्त Retired on 13.07.2013

3.5.3 एसटीसीबी की बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

10.04.2013 29.03.2014	17.06.2013	16.09.2013	09.12.2013
--------------------------	------------	------------	------------

3.6.0 पारिश्रमिक समिति (आरसीबी)

3.6.1 बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों यथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है एवं यात्रा भत्ता और विराम भत्ते की प्रतिपूर्ति की जाती है, परंतु उनमें से किसी को निदेशक मंडल की बैठकों या निदेशक मंडल की अन्य समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए किसी बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

3.6.2 वर्ष के दौरान वित्त मंत्रालय भारत सरकार, के निदेशों के अनुपालन में पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया जिसका एकमात्र उद्देश्य वार्षिक आधार पर “कार्यनिष्पादन युक्त प्रोत्साहन” के भुगतान के लिए बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करना है।

3.6.3 आरसीबी का संघटन एवं वर्ष 2013-14 के दौरान उसकी बैठकों में आरसीबी के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण :

निदेशकों के नाम Name	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे/आयोजित बैठकें Meetings Attended/Held	टिप्पणी Remarks
श्री प्रवीण रावल निदेशक एवं आरसीबी के अध्यक्ष Mr. Pravin Rawal Director and Chairman of RCB	1 (1 बैठक आयोजित) 1(held 1 meeting)	-
श्री बी.पी. विजयेंद्र निदेशक एवं आरसीबी के सदस्य Mr. B. P. Vijayendra Director and member of RCB	1 (1 बैठक आयोजित) 1(held 1 meeting)	-
श्री मनोज कुमार गुप्ता निदेशक एवं आरसीबी के सदस्य CA Manoj Kumar Gupta Director and member of RCB	1 (1 बैठक आयोजित) 1(held 1 meeting)	-
श्री सुनील कुमार माहेश्वरी, निदेशक एवं आरसीबी के सदस्य Shri Sunil Kumar Maheswari Director and member of RCB	शून्य (0 बैठक आयोजित) Nil(held 0 meeting)	21.06.2013 को शामिल हुए Joined on 21.06.2013
वर्ष 2013-14 के दौरान सेवानिवृत्त सदस्य Member retired during the year 2013-14		
प्रो. एस. एल. मॉरिस निदेशक एवं आरसीबी के सदस्य Prof. S.L. Morris Director and member of RCB	शून्य (1 बैठक आयोजित) Nil(held 1 meeting)	13.07.2013 को सेवानिवृत्त Retired on 13.07.2013

3.6.4 आरसीबी की बैठक की तारीख :18.06.2013

3.7.0 अधिक राशि के कपटों की निगरानी हेतु विशेष समिति (एसएमएलबीएफ)

3.7.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में

3.5.3 The meetings of STCB were held on the following dates:

3.6.0 Remuneration Committee (RCB) :

3.6.1 The whole time directors of the Bank i.e. the Chairman & Managing Director and the Executive Directors are being paid remuneration and provided reimbursement of traveling and halting expenses as per rules framed by Govt. of India but none of them are paid sitting fees for attending the Board meetings and other committee meetings of the Board.

3.6.2 In compliance with the directives of Ministry of Finance, Government of India, Remuneration Committee of the Board (RCB) was formed during the year for the sole purpose of evaluation of the performances of the whole time directors of the Bank for payment of “Performance Linked Incentives”, annually.

3.6.3 Composition of the RCB and details of meeting held and attended by the members of RCB during the period 2013-14 :

3.6.4 Date of RCB Meeting : **18.06.2013**

3.7.0 Special Committee for Monitoring of Large Value Frauds (SMLVF)

3.7.1 In compliance with the guidelines issued by

अधिक राशि के कपटों की निगरानी हेतु विशेष समिति का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य 1 करोड़ रु. एवं उससे अधिक राशि के कपटों की निगरानी एवं उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना है। बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं।

3.7.2 एसएमएलवीएफ का संघटन और वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजित बैठकों एवं उक्त बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण :

Reserve Bank of India, Special Committee for Large Value Frauds has been constituted with the objective of monitoring and follow up of frauds involving Rs. 1 crore and above. Chairman & Managing Director of the Bank acts as the Chairman of the Committee.

3.7.2 Composition of the SMLVF Committee and details of the meetings held & attended by the members during the year 2013-14 :

निदेशकों के नाम Name of Directors	जिनमें उपस्थित रहे/आयोजित बैठकें Meetings Attended/Held	टिप्पणी Remarks
श्री अरुण कौल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं एसएमएलवीएफ के अध्यक्ष Shri Arun Kaul CMD and Chairman of SMLVF	3(3 बैठकें आयोजित) 3(held 3 meetings)	- -
श्री एस. चंद्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक एवं एसएमएलवीएफ के सदस्य Shri S. Chandrasekharan ED and Member of SMLVF	3(3 बैठकें आयोजित) 3(held 3 meetings)	- -
श्री जय कुमार गर्ग कार्यपालक निदेशक एवं एसएमएलवीएफ के सदस्य Shri Jai Kumar Garg ED and Member of SMLVF	1(1 बैठक आयोजित) 1(held 1 meeting)	- -
श्री प्रवीण रावल निदेशक एवं एसएमएलवीएफ के सदस्य Shri Pravin Rawal Director and Member of SMLVF	1(3 बैठकें आयोजित) 1(held 3 meetings)	-
सीए मनोज कुमार गुप्ता निदेशक एवं एसएमएलवीएफ के सदस्य CA Manoj Kumar Gupta Director and Member of SMLVF	2 (2 बैठकें आयोजित) 2 (held 2 meetings)	13.07.2013 से from 13.07.2013
श्री सुनील कुमार माहेश्वरी निदेशक एवं एसएमएलवीएफ के सदस्य Shri Sunil Kumar Maheswari Director and member of SMLVF	2 (2 बैठकें आयोजित) 2(held 2 meetings)	13.07.2013 से from 13.07.2013
वर्ष 2013-14 के दौरान सेवानिवृत्त सदस्य Members retired during the year 2013-14		
श्री एन.आर. बद्रिनारायणन कार्यपालक निदेशक एवं एसएमएलवीएफ के सदस्य Shri N.R. Badrinarayanan ED and Member of SMLVF	1(1 बैठक आयोजित) 1(held 1 meeting)	30.06.2013 को सेवानिवृत्त Retired on 30.06.2013
प्रो. एस. एल. मॉरिस निदेशक एवं एसएमएलवीएफ के सदस्य Prof. S. L. Morris Director and Member of SMLVF	1(1 बैठक आयोजित) 1(held 1 meeting)	13.07.2013 को सेवानिवृत्त Retired on 13.07.2013

3.7.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 3 तीन बैठकें दिनांक 10.04.2013, 18.07.2013 और 07.11.2013 को आयोजित की गईं।

3.7.3 During the period under review 3 meetings of the Committee were held i.e. on 10.04.2013, 18.07.2013 & 07.11.2013

3.8.0 निदेशक मंडल की नामांकन समिति (एनसीबी):

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन में विद्यमान निर्वाचित

3.8.0 Nomination Committee of the Board (NCB) :

In compliance with the directives of Reserve Bank of India,

निदेशकों/बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)2(i) के अधीन निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जानेवाले व्यक्तियों की 'उचित एवं सही स्थिति अवधारित करने के लिए 'समुचित सावधानी बरते जाने का कार्य करने हेतु निदेशक मंडल की नामांकन समिति का गठन किया गया।

3.8.1 निदेशक मंडल की नामांकन समिति का संघटन तथा वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजित बैठकें एवं सदस्यों की उपस्थिति का विवरण

निदेशकों के नाम Name	जिनमें उपस्थित रहे/ आयोजित बैठकें Meetings Attended/Held	टिप्पणी Remarks
श्री प्रवीण रावल, निदेशक एवं एनसीबी के अध्यक्ष Shri Pravin Rawal Director and Chairman of NCB	1/1 1/1	-
सीए श्री मनोज कुमार गुप्त, निदेशक एवं एनसीबी के सदस्य CA Manoj Kumar Gupta Director and member of NCB	1/1 1/1	-
मु. सलाहुद्दीन अंसारी निदेशक एवं एनसीबी के सदस्य Md. Salahuddin Ansari Director and member of NCB	0/0 0/0	13.07.2013 से सदस्य Member from 13.07.2013
श्री सुनील कुमार माहेश्वरी, निदेशक एवं एनसीबी के सदस्य Shri Sunil Kumar Maheswari Director and member of NCB	0/0 0/0	13.07.2013 से सदस्य Member from 13.07.2013
वर्ष 2013-14 के दौरान सेवा निवृत्त सदस्य Member retired during the year 2013-14		
प्रो. एस.एल. मॉरिस, निदेशक एवं एनसीबी के सदस्य Prof. S.L. Morris Director and member of NCB	1/1 1/1	13.07.2013 को सेवानिवृत्त Retired on 13.07.2013

3.8.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की एक बैठक 24.05.2013 को आयोजित की गई।

3.9.0 ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)

3.9.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति का गठन निम्नलिखित हेतु किया गया है –

- सार्वजनिक सेवा की प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन एवं उसकी सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु,
- सदैव सभी श्रेणी के ग्राहकों के लिए ग्राहक-तुष्टि के स्तर में सुधार लाने हेतु,
- ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए नवीन उपायों पर विचार करने हेतु।

Nomination committee of the Board (NCB) was constituted so as to undertake the exercise of 'due diligence' for determining 'fit and proper' status of the existing elected directors / persons to be elected as director under Section 9(3)(i) of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970.

3.8.1 Composition of the Nomination Committee of the Board and details of the meetings held & attended by the members during the year 2013-14 :

3.8.2 During the period under review one meeting of the committee was held on 24.05.2013.

3.9.0 Customer Service Committee (CSC)

3.9.1 In compliance with the directives issued by Reserve Bank of India, Customer Service Committee of the Board has been constituted:

- to ensure implementation of and adherence to the recommendations of Committee on Procedures and Performance Audit of Public Services as well as compliance with its recommendations;
- to bring upon improvement in the level of customer satisfaction for all categories of clientele at all times;
- to consider innovative measures to enhance the quality of customer service

3.9.2 बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं।

3.9.2 The Chairman & Managing Director of the Bank is the Chairman of the Committee.

3.9.3 सीएससी का संघटन और वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजित बैठकें एवं उक्त समितित की बैठकों में सीएससी के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण :

3.9.3 Composition of the CSC and details of the meetings held during the year 2013-14 and attended by the members of CSC :

निदेशक के नाम Name of Directors	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थिति रहे/ आयोजित बैठकें Meetings Attended/Held	टिप्पणी Remarks
श्री अरुण कौल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं सीएससी के अध्यक्ष Shri Arun Kaul CMD and Chairman of CSC	4/(4 बैठकें आयोजित) 4(held 4 meetings)	-
श्री एस. चंद्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक एवं सीएससी के सदस्य Shri S. Chandrasekharan ED and Member of CSC	4/(4 बैठकें आयोजित) 4(held 4 meetings)	-
श्री जय कुमार गर्ग कार्यपालक निदेशक एवं सीएससी के सदस्य Shri Jai Kumar Garg ED and Member of CSC	3/(3 बैठकें आयोजित) 3(held 3 meetings)	-
श्री प्रवीण रावल निदेशक एवं सीएससी के सदस्य Shri Pravin Rawal Director and Member of CSC	शून्य /(3 बैठकें आयोजित) 0(held 3 meetings)	-
श्री डी.एन. ठाकुर निदेशक एवं सीएससी के सदस्य Shri D.N. Thakur Director and Member of CSC	3/(3 बैठकें आयोजित) 3(held 3 meetings)	13.07.2013 से सदस्य Member from 13.07.2013
श्री सुनील कुमार माहेश्वरी निदेशक एवं सीएससी के सदस्य Shri Sunil Kumar Maheswari Director and Member of CSC	1/(3 बैठकें आयोजित) 1(held 3 meetings)	13.07.2013 से सदस्य Member from 13.07.2013
पार्थ चंद्र निदेशक एवं सीएससी के सदस्य Shri Partha Chanda Director and Member of CSC	3/(3 बैठकें आयोजित) 3(held 3 meetings)	13.07.2013 से सदस्य Member from 13.07.2013
सीए मनोज कुमार गुप्ता निदेशक एवं सीएससी के सदस्य CA Manoj Kumar Gupta Director and Member of CSC	1/(1 बैठक आयोजित) 1(held 1 meeting)	12.07.2013 से सदस्य Member upto 12.7.2013
वर्ष 2013-14 के दौरान सेवानिवृत्त सदस्य Member retired during the year 2013-14		
श्री एन.आर. बद्रिनारायणन कार्यपालक निदेशक एवं सीएससी के सदस्य Shri N.R. Badrinarayanan ED and Member of CSC	1/(1 बैठक आयोजित) 1(held 1 meeting)	30.06.2013 को सेवानिवृत्त Retired on 30.06.2013
प्रो. एस. एल. मॉरिस निदेशक एवं सीएससी के सदस्य Prof. S. L. Morris Director and Member of CSC	शून्य /(1 बैठक आयोजित) 0(held 1 meeting)	13.07.2013 को सेवानिवृत्त Retired on 13.07.2013

3.9.4 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की चार बैठकें क्रमशः दिनांक 18.06.2013, 17.09.2013, 09.12.2013 और 29.03.2014 को आयोजित की गईं।

3.10.0 मानव संसाधन संबंधी मुद्दों से संबंधित समिति (सीएचआर)

3.10.1 सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए प्रबंधकीय स्वायत्तता संबंधी भारत सरकार के निदेशों के आलोक में बैंक के निदेशक मंडल को यह स्वतंत्रता दी गई है एवं उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह सरकारी नीतियों के व्यापक ढांचे के भीतर प्रबंधकीय मुद्दों पर निर्णय ले। स्वायत्तता से संबंधित एक क्षेत्र का संबंध मानव संसाधन से संबंधित नीति एवं क्रियाविधि के निर्माण से है।

3.10.2 समिति का उद्देश्य :

- i) स्टॉफ ढांचा, भर्ती, पदस्थापन, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, पदोन्नति, पेंशन आदि सहित बैंक से संबंधित मानव संसाधन संबंधी सभी मुद्दों के बारे में निर्णय करना
- ii) पात्रता मानदंड, चयन की पद्धति, प्रवेश का स्तर आदि सहित भर्ती के लिए मानव संसाधन संबंधी नीति एवं क्रियाविधि बनाना
- iii) अधिकारियों एवं स्टाफ को पारिश्रमिक एवं क्षतिपूर्ति के बारे में निर्णय लेना
- iv) बैंक के पदधारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी से संबंधित नीति निर्धारित करना
- v) शाखाओं के वर्गीकरण के लिए मानदंड विहित करना

3.10.3 सीएचआर समिति का संघटन और वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजित बैठकें एवं उक्त समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण

निदेशक के नाम Name of Directors	जिनमें उपस्थित रहे/ आयोजित बैठकें Meetings Attended/Held	टिप्पणी Remarks
श्री अरुण कौल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं सीएचआर के अध्यक्ष Shri Arun Kaul CMD and chairman of CHR	2/(2 बैठकें आयोजित) 2(held 2 meetings)	-
श्री एस. चंद्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक एवं सीएचआर के सदस्य Shri S. Chandrasekharan ED and Member of CHR	2/(2 बैठकें आयोजित) 2(held 2 meetings)	-
श्री जय कुमार गर्ग कार्यपालक निदेशक एवं सीएचआर के सदस्य Shri Jai Kumar Garg ED and Member of CHR	2/(2 बैठकें आयोजित) 2(held 2 meetings)	-
श्री प्रवीण रावल निदेशक एवं सीएचआर के सदस्य Shri Pravin Rawal Director and Member of CHR	2/(2 बैठकें आयोजित) 2(held 2 meetings)	-

3.9.4 During the period under review, 4 meetings of the committee were held i.e. on 18.06.2013, 17.09.2013, 9.12.2013 & 29.03.2014.

3.10.0 Committee on HR Related Issues (CHR)

3.10.1 In the light of the directive of Govt. of India on Managerial Autonomy to the Public Sector Banks (PSB), the Board of Directors of the Bank is granted with freedom and responsibility for deciding on managerial issues within the broad framework of the Government policies. One of the areas of autonomy relates to framing of HR policies and procedures.

3.10.2 Objective of the Committee:

- i) to decide all Human Resource issues relating to the Bank including staffing pattern, recruitment, placement, transfer, training, promotions, pensions etc.
- ii) to frame HR policies and procedures for recruitment including eligibility criteria, mode of selection, levels of entry etc.
- iii) to take decisions on remuneration and compensation of officers and staff
- iv) to lay down policy of accountability and responsibility of Bank officials
- v) to prescribe standards for categorization of branches

3.10.3 Composition of the CHR Committee and details of the meetings held during the year 2013-14 and attended by the members of the Committee.

निदेशक के नाम Name of Directors	जिनमें उपस्थित रहे/ आयोजित बैठकें Meetings Attended/Held	टिप्पणी Remarks
श्री सुनील कुमार माहेश्वरी निदेशक एवं सीएचआर के सदस्य Shri Sunil Kumar Maheswari Director and Member of CHR	1/(2 बैठकें आयोजित) 1(held 2 meetings)	13.07.2013 से from 13.07.2013
सीए मनोज कुमार गुप्ता निदेशक एवं सीएचआर के सदस्य CA Manoj Kumar Gupta Director and Member of CHR	2/(2 बैठकें आयोजित) 2(held 2 meetings)	- -

3.10.4 समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित तारीखों को 2(दो) बैठकें आयोजित की गई : 24.01.14 एवं 14.03. 2014।

3.11.10 निदेशक मंडल की सू.प्रौ. कार्यनीति समिति (आईटी)

प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं अन्य सूचना प्रौद्योगिकी पहले से संबंधित मामलों पर कार्यनीति बनाने हेतु इस समिति का गठन किया गया है।

3.11.1 आईटी समिति का संघटन एवं 2013-14 की अवधि में उसकी बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण

3.10.4 During the period under review, 2 meetings were held on 24.01.2014 & 14.03.2014

3.11.0 IT Strategy Committee of the Board (IT)

The Committee has been constituted to formulate strategies in the matters relating to technology upgradation and other IT initiatives.

3.11.1 Composition of the IT Committee and details of the meetings held during the year 2013-14 and attended by the members of the Committee.

निदेशक के नाम Name of Directors	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थिति रहे/ आयोजित बैठकें Meetings attended/held	टिप्पणी Remarks
श्री सुनील कुमार माहेश्वरी निदेशक एवं आईटी समिति के अध्यक्ष Shri Sunil Kumar Maheswari Director and Chairman of IT	3/(3 बैठकें आयोजित) 3(held 3 meetings)	- -
श्री एस. चंद्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक एवं आईटी समिति के सदस्य Shri S. Chandrasekharan ED and Member of IT	3/(3 बैठकें आयोजित) 3(held 3 meetings)	- -
श्री जय कुमार गर्ग कार्यपालक निदेशक एवं आईटी समिति के सदस्य Shri Jai Kumar Garg ED and Member of IT	शून्य / (शून्य बैठक आयोजित) 0(held 0 meeting)	19.02.2014 से सदस्य Member from 19.02.2014
सीए मनोज कुमार गुप्ता निदेशक एवं आईटी समिति के सदस्य CA Manoj Kumar Gupta Director and Member of IT	3/(3 बैठकें आयोजित) 3(held 3 meetings)	- -
श्री डी.एन. ठाकुर निदेशक एवं आईटी समिति के सदस्य Shri D. N. Thakur Director and Member of IT	3/(3 बैठकें आयोजित) 3(held 3 meetings)	- -
श्री पार्थ चंद्र निदेशक एवं आईटी समिति के सदस्य Shri Partha Chanda Director and Member of IT	3/(3 बैठकें आयोजित) 3(held 3 meetings)	-

3.11.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 3 बैठकें दिनांक 06.08.2013, 10.12.2013 एवं 23.01.2014 को आयोजित की गईं।

3.12.0 एनपीए वसूली की निगरानी के लिए निदेशक मंडल स्तरीय समिति (बीएलसीआरएनपीए)

बैंक में एक सख्त निगरानी प्रणाली होने के संबंध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के अनुपालन में दिनांक 07.12.2012 को एनपीए वसूली की निगरानी के लिए एक निदेशक मंडल स्तरीय समिति बनाई है, जो अनर्जक आस्तियों में वसूली की प्रगति पर लगातार निगरानी रखेगी।

3.12.1 बीएलसीआरएनपीए समिति का संघटन और वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजित बैठकें एवं समिति के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण

निदेशक का नाम Name of Directors	जिनमें उपस्थित रहे/ आयोजित बैठकें Meetings attended/held	टिप्पणी Remarks
श्री अरुण कौल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं बीएलसीआरएनपीए के अध्यक्ष Shri Arun Kaul, CMD and Chairman of BLCRNPA	4 (4 बैठकें आयोजित) 4 (held 4 meetings)	-
श्री एस. चंद्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक एवं बीएलसीआरएनपीए के सदस्य Shri S. Chandrasekharan ED and Member of BLCRNPA	4 (4 बैठकें आयोजित) 4 (held 4 meetings)	-
श्री जय कुमार गर्ग कार्यपालक निदेशक एवं बीएलसीआरएनपीए के सदस्य Shri Jai Kumar Garg ED and Member of BLCRNPA	4 (4 बैठकें आयोजित) 4 (held 4 meetings)	-
श्री प्रवीण रावल निदेशक एवं बीएलसीआरएनपीए के सदस्य Shri Pravin Rawal Director and Member of BLCRNPA	4 (4 बैठकें आयोजित) 4 (held 4 meetings)	-

3.12.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 4 बैठकें दिनांक 18.06.2013, 16.09.2013, 07.11.2013 एवं 07.01.2014 को आयोजित की गईं।

4.0 पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की बैठक :

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की आम बैठकों के ब्योरे इस प्रकार हैं :

बैठक का नाम Name of the meeting	तारीख एवं दिन Date and Day	समय Time	स्थान Venue
असाधारण सामान्य आम बैठक	17 मार्च, 2011	11.00 बजे	नेशनल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता -700 027
Extra Ordinary General Meeting	17 th March, 2011	11.00 A.M.	National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027
8वीं वार्षिक आम बैठक	14 जुलाई, 2011	11.00 बजे	ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, ब्लॉक 1बी, 201, साल्ट लेक, कोलकाता - 700 106
8 th Annual General Meeting	14 th July, 2011	11.00 A. M	Eastern Zonal Cultural Centre, Block 1B, 201, Salt Lake, Kolkata – 700106

3.11.2 During the period under review 3 Meetings of the committee was held on 06.08.2013, 10.12.2013 & 23.01.2014.

3.12.0 Board Level Committee for Monitoring of Recovery in NPAs (BLCRNPA)

In compliance with the directives of Ministry of Finance, Government of India, to have a robust monitoring mechanism in the Bank, a Board Level Committee for Monitoring of Recovery in NPAs has been constituted on 07.12.2012 to monitor progress in recovery of Non Performing Assets on regular basis.

3.12.1 Composition of the BLCRNPA Committee and details of the meetings held during the year 2013-14 and attended by the members of the Committee.

3.12.2 During the period under review 4 Meetings of the committee was held on 18.06.2013, 16.09.2013, 07.11.2013 & 07.01.2014.

4.0 Shareholders Meetings held during the last three years;

The details of the General Meetings of the Shareholders held during the last 3 years :

असाधारण सामान्य आम बैठक	23 मार्च, 2012	11.00 बजे	नेशनल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027
Extra ordinary General Meeting	23 rd March, 2012	11.00 A.M	National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027
9वीं वार्षिक आम बैठक	26 जून, 2012	11.00 बजे	नेशनल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027
9 th Annual General Meeting	26 th June, 2012	11.00 A.M.	National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027
असाधारण सामान्य आम बैठक	4 मार्च, 2013	11.00 बजे	नेशनल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027
Extra ordinary General Meeting	4 th March, 2013	11.00 A.M	National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027
10वीं वार्षिक आम बैठक	28 जून, 2013	11.00 बजे	नेशनल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027
10 th Annual General Meeting	28 th June, 2013	11.00 A.M	National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027
असाधारण सामान्य आम बैठक	11 फरवरी, 2014	11.00 बजे	नेशनल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027
Extra ordinary General Meeting	11 th February, 2014	11.00 A.M	National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027

4.1.1 पिछली वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति

पिछली, यानी 10 वीं वार्षिक आम बैठक 28 जून, 2013 को नेशनल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता -700027 में संपन्न हुई थी। श्री अरुण कौल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री एन. आर. बद्रीनारायणन, कार्यपालक निदेशक, श्री एस. चन्द्रशेखरन, कार्यपालक निदेशक और श्री डी.एन. ठाकुर, निदेशक बैठक में उपस्थित थे।

4.1.2 पिछली वार्षिक आम बैठक के बाद निदेशक मंडल में शामिल नए निदेशक

दिनांक 28 जून, 2013 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक की तारीख के बाद श्री जय कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक, श्री सुनील कुमार माहेश्वरी, निदेशक और श्री मु. सलाहुद्दीन अंसारी, निदेशक बोर्ड के सदस्य बने।

4.1.3 पिछले तीन वर्षों के दौरान पारित विशेष संकल्प

- दिनांक 17 मार्च, 2011 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया जिसकी शर्तों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने निदेशक मंडल द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, अधिमाम्य आधार पर भारत सरकार को 7,90,00,000 से अनधिक इक्विटी शेयर निर्गमित एवं आबंटित किए जाने का अनुमोदन किया। बैंक ने सेबी आईसीडीआर नियमन, 2009 के विनियम 76(1) के अनुरूप निर्धारित ₹120.27 प्रति शेयर के मूल्य पर दिनांक 25.03.2011 को ₹10/- के 7,81,57,479 इक्विटी शेयर आबंटित किये।
- दिनांक 23 मार्च, 2012 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया जिसकी शर्तों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने निदेशक मंडल द्वारा अन्य बातों

4.1.1 Attendance of the Directors in the last Annual General Meeting :

The last i.e. 10th Annual General Meeting was held on 28th June, 2013 at National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027. Shri Arun Kaul, Chairman & Managing Director, Shri N R Badrinarayanan, Executive Director, Shri S. Chandrasekharan, Executive Director and Shri D.N. Thakur, Director attended the meeting.

4.1.2 New Directors on the Board after the last Annual General Meeting :

Shri Jai Kumar Garg, Executive Director, Shri Sunil Kumar Maheswari, Director and Md. Salahuddin Ansari, Director became the members of the Board subsequent to the date of the last Annual General Meeting held on 28th June, 2013.

4.1.3 Special Resolutions passed during last three years

- In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 17th March, 2011, a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded its approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot upto 7,90,00,000 equity shares on preferential basis to Government of India. Bank had allotted 7,81,57,479 equity shares of ₹10/- each on 25.03.2011 at ₹120.27 per share determined in accordance with Regulations 76 (1) of SEBI ICDR Regulations, 2009.
- In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 23rd March, 2012, a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded

के साथ-साथ, अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को 6,06,13,407 से अनधिक तथा जीवन बीमा निगम को 3,13,75,874 से अनधिक इक्विटी शेयर निर्गमित एवं आबंटित किए जाने का अनुमोदन किया। बैंक ने सेबी आईसीडीआर नियमन, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसार ₹82.49 प्रति शेयर निर्गमन मूल्य पर दिनांक 30.03.2012 को 58,18,887 शेयर भारत सरकार को तथा 3,13,75,874 शेयर जीवन बीमा निगम को आबंटित किए ।

- iii) दिनांक 4 मार्च, 2013 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया जिसकी शर्तों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने निदेशक मंडल द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को सेबी/सीडीआर के विनियम, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसार ₹77.46 प्रति शेयर मूल्य पर 8,79,16,343 इक्विटी शेयर आबंटित किए जाने का अनुमोदन किया और सक्षम बनाया।
- iv) दिनांक 11 फरवरी, 2014 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया जिसकी शर्तों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने निदेशक मंडल द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, (i) सेबी/सीडीआर के विनियम, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसार ₹77.19 प्रति शेयर मूल्य पर अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को ₹200 करोड़ के अंशदान के लिए ₹10 के 2,59,10,092 इक्विटी शेयर और ii) भारत सरकार द्वारा धारित परपेचुअल नॉन क्युमुलेटिव अधिमानी शेयर(पीएनसीपीएस) के बदले में ₹10 के 23,61,70,488 इक्विटी शेयर निर्गमित एवं आबंटित करने का अनुमोदन ।
- v) आईपीओ के बाद से डाक द्वारा मतपत्र भेजने के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया है।

5.0 प्रकटीकरण :

बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 तथा बैंककारी कंपनी (अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 द्वारा शासित होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि सूचीबद्ध सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए सूचीकरण करार का खंड 49 उसी सीमा तक लागू होगा कि वह उनपर लागू संबंधित कानून एवं इस संबंध में भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांत का अतिक्रमण नहीं करता है।

5.1 निदेशकों का पारिश्रमिक :

पूर्णकालिक निदेशकों को देय “उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन राशि” के अतिरिक्त अध्यक्ष एवं कार्यपालक निदेशक का पारिश्रमिक केंद्रीय सरकार द्वारा तय किया जाता है। बैंक अंशकालिक निदेशकों को निम्नलिखित दरों पर बैठक शुल्क के अतिरिक्त कोई पारिश्रमिक प्रदान नहीं करता है :

निदेशक मंडल की बैठक के लिए	:	प्रति बैठक ₹10,000/-
समिति की बैठक के लिए	:	प्रति बैठक ₹5,000/-

their approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot upto 6,06,13,407 equity shares to Government of India and 3,13,75,874 equity shares to Life Insurance Corporation of India on preferential basis. Bank had allotted 58,18,887 equity shares to Government of India and 3,13,75,874 equity shares to LIC of India on 30.03.2012 at an issue price of ₹82.49 per share determined in accordance with Regulations 76 (1) of SEBI ICDR Regulations, 2009.

- iii) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 4th March, 2013 a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot of 8,79,16,343 equity shares to Government of India on preferential basis at an issue price of ₹77.46 per share determined in accordance with Regulations 76 (1) of SEBI ICDR Regulations, 2009.
- iv) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 11th February, 2014, a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot (i) 2,59,10,092 equity shares of ₹10/- each to Government of India against contribution of ₹200 crore and (ii) 23,61,70,488 equity shares of ₹10/- upon conversion of Perpetual Non Cumulative Preference Shares (PNCPS) held by Government of India aggregating to Rs.1823 crore to Government of India, on preferential basis at an issue price of ₹77.19 per share determined in accordance with Regulations 76 (1) of SEBI ICDR Regulations, 2009.
- v) No special resolution was passed through postal ballot since IPO.

5.0 Disclosures :

The Bank is governed under the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970, Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and The Banking Companies (Acquisition & Transfer) & Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006. Reserve Bank of India, has clarified that for Listed Public Sector Banks, Clause 49 of the Listing Agreement will apply only to the extent that it does not violate the relative statutes applicable to them and the guidelines issued by Government of India/Reserve Bank of India from time to time in this regard.

5.1 Remuneration of Directors :

Other than “Productivity Linked Incentives” payable to the whole time directors, the remuneration of the Chairman & Executive Director is fixed by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to the part time directors except sitting fees at the following rates.

For Board Meeting	:	₹ 10,000/- per sitting
For Committee Meeting	:	₹ 5,000/- per sitting

5.2 महत्वपूर्ण लेनदेन तथा आर्थिक संबंध का प्रकटीकरण :

बैंकिंग कारोबार के सामान्य अनुक्रम के अतिरिक्त बैंक ने अपने प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन आदि के साथ कोई ऐसा तात्त्विक उल्लेखनीय लेनदेन नहीं किया है जो बैंक के व्यापक हितों पर संभावित संकट पैदा कर सके। वर्ष के दौरान बैंक के परिप्रेक्ष्य में गैर-कार्यपालक निदेशक का कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं था।

बैंक के निदेशक तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता के अनुपालन में निदेशकगण, निदेशक मंडल या उसकी उपसमितियों की उन बैठकों में होने वाले विचार-विमर्श में भाग नहीं लेते हैं जिनमें निदेशकगण या उनके नातेदारों से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाती है।

5.3 सार्वजनिक निर्गम आदि से प्राप्त राशि

दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने सार्वजनिक/अधिकार निर्गम के रूप में इक्विटी शेयर जारी करके कोई राशि नहीं जुटाई। हालांकि बैंक ने सेबी आईसीडीआर के विनियम, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसार रु. 77.19 प्रति शेयर मूल्य पर अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को 26,20,80,579 इक्विटी शेयर निर्गमित एवं आबंटित किए। बैंक को प्राप्त उक्त राशि का उपयोग बैंक के कार्यकारी पूंजी संसाधनों एवं बैंक की परिसंपत्तियों को बढ़ाने के लिए किया गया/ किया जाएगा।

5.4 बैंक ने भारतीय बैंक संघ द्वारा परिचालित ड्राफ्ट के अनुसार निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचरण संहिता तैयार की है। उसका पाठ बैंक की वेबसाइट www.ucobank.com पर उपलब्ध है। सभी निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

5.5 वर्ष के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित लेनदेन संबंधी किसी मामले में स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी अन्य सांविधिक/नियामक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर कोई गैर-अनुपालन का आरोप, दंड, आक्षेप नहीं लगाया गया है।

5.6 बैंक के संबंधित पक्षीय लेनदेन का प्रकटीकरण 31.03.2014 के तुलन-पत्र के लेखे पर नोट में किया गया है।

6.0 अनिवार्य/गैर अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन :

स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार लागू अनिवार्य अपेक्षाओं में प्रावधान का बैंक ने अनुपालन किया है। गैर अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति इस प्रकार है :

अपेक्षा/Requirement	अनुपालन /Compliance
<p>बैंक को अपने और शेयरधारकों की ओर से संदर्भ की सहमत शर्तों सहित कार्यपालक निदेशकों को विशेष पारिश्रमिक पैकेज एवं पेंशन अधिकार तथा अन्य क्षतिपूर्ति भुगतान के संबंध में बैंक की नीति बनानी चाहिए। The Bank should set up a remuneration committee to determine on their behalf and on behalf of the shareholders with agreed terms of reference, the Bank's policy on specific remuneration packages for executive directors including pension rights and any compensation payment.</p>	<p>भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप पारिश्रमिक पैकेज निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल ने पारिश्रमिक समिति गठित की है। Remuneration Committee of the Board has been formed to determine the remuneration package in terms of the Government of India guidelines.</p>

5.2 Disclosure of Material Transactions and Pecuniary relationship:

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management etc. that may have potential conflict with the interest of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director vis-à-vis the Bank during the year.

In compliance of the Code of Conduct for Directors and Senior Management of the Bank, Directors do not take part in the deliberations of the Board and its sub-committees when the matters relating to them or their relatives are discussed.

5.3 Proceeds from Public Issues etc.

During the financial year ended on 31st March, 2014, the Bank did not raise any Equity Shares by way of Public/Right Issue. However, Bank allotted 26,20,80,579 equity shares to Government of India on preferential basis at an issue price of Rs.77.19 per share determined in accordance with Regulations 76 (1) of SEBI ICDR Regulations, 2009. The funds so received by the Bank were utilized/would be utilized for augmenting Bank's working capital resources and expansion of banking assets.

5.4 The Bank has formulated a Code of Conduct for the Board of Directors and Senior Management on the lines of draft circulated by Indian Bank's Association. The text of the same is available on the website of the Bank www.ucobank.com All the Directors and Senior Management have affirmed their compliance of Code of Conduct during the period under review.

5.5 During the year, there is no instance of non-compliance, penalties, strictures imposed on the Bank by the Stock Exchanges or SEBI or any other statutory/regulatory authority on any matter related to Capital Markets transactions.

5.6 The related party transactions of the Bank are disclosed in the Note on Accounts of the Balance Sheet as on 31.03.2014.

6.0 Compliance to Mandatory/Non-Mandatory Requirements :

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in Clause 49 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges. The extent of implementation of non-mandatory requirements is furnished as under :

अपेक्षा/Requirement	अनुपालन /Compliance
<p>हिसिल ब्लोअर नीति : अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध कपट या बैंक की आचार संहिता अथवा आचार नीति के उल्लंघन के संबंध में प्रबंधन की चिंताओं को दूर करने तथा कर्मचारियों को उत्पीड़न से पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए बैंक एक प्रणाली विकसित कर सकता है।</p> <p>Whistle Blower Policy : The Bank may establish a mechanism for employees to report to the management concerns about unethical behaviour, actual or suspected fraud or violation of the Bank's code of conduct or ethics policy and provide for adequate safeguards against victimization of employees.</p>	<p>बैंक ने एक व्हिसिल ब्लोअर नीति बनाई है।</p> <p>The Bank has put in place a Whistle Blower policy.</p>
<p>डाक मत-पत्र/Postal Ballot</p>	<p>व्यावसायिक लेनदेन के लिए डाक मत-पत्र के माध्यम से विशेष प्रस्ताव रखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी।</p> <p>The business transacted did not require any special resolution be put through postal ballot.</p>

7.0 संचार के साधन :

7.1 बोर्ड द्वारा बैंक के वार्षिक वित्तीय विवरण का अनुमोदन के लिए आयोजित बैठक की तारीख को बैंक के परिचालन एवं वित्तीय कार्यनिष्पादन से संबंधित सूचना उन स्टॉक एक्सचेंजों को तत्काल की जाती है जिनमें बैंक की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त बैंक का तिमाही/छमाही वार्षिक वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट (www.ucobank.com), पर प्रदर्शित किया जाता है। बैंक के ऐसे परिणाम को प्रेस विज्ञप्तियों/विज्ञापनों के माध्यम से सार्वजनिक करने के साथ ही प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों एवं अन्य हितबद्ध व्यक्तियों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है।

7.2 स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के अनुसार 30.06.2013, 30.09.2013 एवं 31.12.2013 को समाप्त तिमाही के बैंक के अलेखापरीक्षित किंतु समीक्षित वित्तीय परिणाम निर्धारित समय सीमा के भीतर व्यापक स्तर पर परिचालित समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए गए।

8.0 साधारण शेयरधारकों के लिए सूचना :

8.1.0 शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) :

चूंकि प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव से पहले बैंक की कुल ईक्विटी पूंजी भारत सरकार द्वारा धारित थी, अतः 2002-03 तक कोई वार्षिक आम बैठक आयोजित नहीं की गई। प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के बाद बैंक संविधि में यथाविहित और निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रतिवर्ष शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक आयोजित कर रहा है। शेयरधारकों की पिछली तीन आम बैठकों के विस्तृत विवरण मद सं. 4.0 के अंतर्गत दिए गए हैं।

8.2.0 स्टॉक एक्सचेंजों की सूचीकरण :

बैंक के ईक्विटी शेयरों को निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया गया है :

क्रम सं. Sl.No.	स्टॉक एक्सचेंजों के नाम Name of the Stock Exchanges	स्टॉक कूट Stock Code	सूचीबद्ध किए जाने की तारीख Date of listing
1.	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लि. National Stock Exchange of India Limited	यूको बैंक UCO BANK	09.10.2003
2.	बंबई स्टॉक एक्सचेंज लि. Bombay Stock Exchange Limited	532505	09.10.2003

7.0 Means of Communication :

7.1 The information about the operational and financial performance of the Bank are communicated to the Stock Exchanges, where the securities of the Bank are listed immediately on the date of Board meeting approving/reviewing the financial statements of the Bank, besides posting of quarterly/half-yearly/annual financial results in Bank's website (www.ucobank.com). Such results are also made public through press releases/advertisements as well as by presentation made to the representatives from print and electronic media and other interested members of the public.

7.2 As per the Listing Agreement with the stock exchanges Unaudited but Reviewed financial results of the Bank for the quarters ended on 30.06.2013, 30.09.2013 & 31.12.2013 were published within the prescribed time limit in widely circulated dailies.

8.0 General Shareholders Information:

8.1.0 Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders :



Before the Initial Public Offer, as the entire Equity Capital of the Bank was held by the Govt. of India, no Annual General Meeting was held till 2002-03. Subsequent to IPO, the Bank has been holding Annual General Meetings of the shareholders every year, as prescribed in the statute and within the stipulated time limit. The details of last three general meetings of the shareholders have been indicated under point no.4.0.

8.2.0 Listing on Stock Exchanges:

The equity shares of the Bank are listed on the following stock exchanges :

8.3.0 बैंक के शेयर के बाजार-मूल्य आंकड़े/मूल्य की स्थिति :

8.3.0 Market price data/price performance of Bank's share:



बैंक के शेयरों का क्रय-विक्रय दिनांक 9.10.2003 को शुरू हुआ। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) बंबई स्टॉक एक्सचेंज लि. (बीएसई) में क्रय-विक्रय किए गए शेयरों का मासिक उच्च/निम्न भाव और परिमाण निम्नानुसार रहा:

The trading of the Bank's shares commenced on 09.10.2003. The monthly high/low quotations and volume of the share trading in The National Stock Exchange of India Ltd. (NSE), Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) during the financial year 2013-14 were as follows :

माह Month	बंबई स्टॉक एक्सचेंज/B.S.E			नेशनल स्टॉक एक्सचेंज/N.S.E		
	उच्च High(₹)	निम्न Low(₹)	परिमाण Volume	उच्च High(₹)	निम्न Low(₹)	परिमाण Volume
अप्रैल/Apr-13	69.90	54.90	5271887	69.65	57.80	36502656
मई/May-13	84.10	68.00	16389552	81.65	70.65	109378855
जून/Jun-13	82.80	56.75	11569285	81.90	58.10	77428540
जुलाई/Jul-13	74.95	55.10	26881323	73.60	58.25	153103736
अगस्त/Aug-13	62.20	46.00	14095122	58.65	50.20	82862111
सितंबर/Sep-13	69.00	49.50	14243998	67.50	50.00	87447091
अक्टूबर/Oct-13	73.00	57.90	12396815	72.25	59.05	71887625
नवंबर/Nov-13	80.25	70.20	22429794	78.55	71.05	131865623
दिसंबर/Dec-13	83.00	72.20	12169005	80.55	73.00	78019312
जनवरी/Jan-14	81.60	63.50	14735080	80.10	64.50	104716710
फरवरी/Feb-14	66.10	62.05	5775981	65.10	62.90	42916479
मार्च/Mar-14	74.95	63.25	8593332	73.60	63.45	63295987

संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

The Listing Fees have already been paid to the respective Stock Exchanges.

8.4.0 प्रति शेयर आंकड़ा/Per Share Data

मानदंड/Parameter	31.03.2013	31.03.2014
अंकित मूल्य / Face Value (₹)	10/-	10/-
बाजार भाव / Market Quotation (₹)	55.75 (at NSE)	72.95 (at NSE)
प्रति शेयर अर्जन / Earning Per Share (₹)	6.28	19.44
अंतरिम लाभांश/Interim Dividend (%)	-	20%
अन्तिम लाभांश/Final Dividend(%)	16%	10%

8.5.0 शेयरों का अमूर्तीकरण

8.5.1 बैंक के ईक्विटी शेयर अनिवार्य रूप से डीमेट रूप में क्रय-विक्रय किए जाने हेतु उपलब्ध हैं। शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए बैंक ने एनएसडीएल एवं सीएसडीएल के साथ समझौता किया है। शेयरधारक अपने खातों की देख-रेख करनेवाले निक्षेपागार सहभागियों के जरिए एनएसडीएल या सीएसडीएल के माध्यम से अपने शेयरों का अमूर्तीकरण करवा सकते हैं। बैंक के ईक्विटी शेयरों का आईएसआईएन कूट आईएनई 691ए01018 है।

प्रतिभूतियों के लिए वार्षिक अभिरक्षा शुल्क (2013-2014) का भुगतान निक्षेपागारों, यानी एनएसडीएल एवं सीडीएसएल को किया जा चुका है।

8.5.2 दिनांक 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों द्वारा मूर्त एवं अमूर्त रूप में धारित शेयरों का विवरण:

विवरण Particulars	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	%शेयरधारिता % Shareholding
मूर्त/Physical	77529	12153515	1.20
एनएसडीएल/NSDL	177795	194653077	19.18
सीडीएसएल/CDSL	71046	807902570	79.62
योग/Total	326470	1014709162	100.00

8.5.3 बैंक अपनी डी.एन. रोड शाखा, मुंबई के जरिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) के निक्षेपागार सहभागी (डी.पी) के रूप में कार्य कर रहा है। डी.पी सेवा निम्नलिखित चुनिंदा शाखाओं यथा-इंडिया एक्सचेंज प्लेस शाखा, कोलकाता: आश्रम रोड शाखा, अहमदाबाद: संसद

8.5.0 Dematerialisation of the Shares

8.5.1 The equity shares of the Bank are available for trading compulsorily in Demat form. The Bank has entered into an agreement with NSDL and CDSL for dematerialisation of shares. Shareholders can get their shares dematerialised with their Depository Participants maintaining their account either with NSDL or CDSL. The ISIN Code for the Bank's equity share is INE691A01018. The ISIN Code for Bank's Preference Shares i.e. PNCPs is INE691A04012.

The Annual Custodial Fees (2013-14) for the securities have been paid to NSDL and CDSL.

8.5.2 Particulars of share in physical form & Demat held by Shareholders as on 31st March, 2014

8.5.3 The Bank is functioning as a Depository Participant (D.P) of National Securities Depository Ltd. (NSDL) through D.N. Road Branch, Mumbai. The D.P. Services have since been extended to cover wide range of customers through select branches namely, India Exchange Place Branch, Kolkata,

मार्ग शाखा, नई दिल्ली: के.जी. रोड शाखा, बंगलूर: चेन्नै (मुख्य) शाखा, चेन्नै तथा बंजारा हिल्स शाखा, हैदराबाद में उपलब्ध कराई गई है जिससे अधिकाधिक ग्राहक उसका लाभ उठा सकें।

Ashram Road Branch, Ahmedabad, Parliament Street Branch, New Delhi and KG Road Branch, Bangalore, Chennai (Main) Branch and Banjara Hills Branch, Hyderabad.

8.5.4 बैंक ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं की है।

8.5.4 The Bank has not issued any GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments during the period under review.

8.6.0 कार्पोरेट लाभ/लाभांश परंपरा

8.6.0 Corporate Benefits/Dividend History

दर Years	दर Rate (%)	प्रति शेयर Per Share (₹)	प्रदत्त/देय कुल राशि (₹ में) Total Amount Paid/ Payable (in ₹)
2003-04	8	0.80	63,94,88,000
2004-05	10	1.00	79,93,60,000
2005-06	-	-	-
2006-07(अंतरिम एवं अंतिम/interim & final)	10	1.00	79,93,60,000
2007-08	10	1.00	79,93,60,000
2008-09	10	1.00	34,93,60,000
2009-10	15	1.50	82,40,49,405
2010-11	30	3.00	188,25,52,437
2011-12	30	3.00	199,41,36,720
2012-13	16	1.60	120,42,06,985
2013-14 (अंतरिम/Interim)	20	2.00	150,52,57,166

8.6.1 निवेशकर्ता शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अदत्त/अदावी लाभांश राशि का अंतरण

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 2006 एवं 17 अक्टूबर, 2006 से प्रभावी वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 में यह उपबंधित है कि उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले बैंक द्वारा घोषित या भविष्य में घोषित किए जानेवाले और छह महीने की अवधि के भीतर अदत्त/अदावी किसी भी लाभांश को अदावी लाभांश खाते में अंतरित कर दिया जाए।

तदनुसार वर्षों 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 का अदत्त लाभांश, बंजारा हिल्स, हैदराबाद शाखा में रख गए "अदावी लाभांश खाता-यूको बैंक" में अंतरित कर दिया गया है।

दिनांक 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार अदत्त लाभांश का विवरण निम्नानुसार है:

8.6.1 Transfer of Unpaid/Unclaimed Dividend amount to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 2006 and Financial Institution Laws (Amendment) Act 2006 which came into effect from 17th October 2006 provide that any dividend declared by the Bank before the commencement of Act and to be declared in future and remaining unpaid/unclaimed within a period of six months should be transferred to Unclaimed Dividend Account.

Accordingly, the unpaid dividends for the year 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 and 2012-13 have already been transferred to "Unclaimed Dividend Account – UCO Bank" maintained with UCO Bank, Banjara Hills, Hyderabad Branch.

The details of such unpaid dividend as on 31st March, 2014 are as under :

दर Year	अदत्त लाभांश वारंट की संख्या No. of Dividend Warrants Unpaid	राशि (₹) Amounts (₹)
2006-07	39918	6749642
2007-08	51795	8342112
2008-09	54316	8790478
2009-10	48989	11296369
2010-11	50542	23180343
2011-12	58306	25342398
2012-13	66602	15796163

उक्त अधिनियम में ऐसे उपबंध भी हैं कि अदावी लाभांश खाते में इस प्रकार अंतरित और ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष तक अदत्त रहनेवाले लाभांश को कंपनी अधिनियम, 1956 को धारा 205 ग की उपधारा (1) के अधीन स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अंतरित कर दिया जाए।

The Act also provides that the dividend so transferred to Unclaimed Dividend Account and remaining unpaid for seven years from the date of such transfer shall be transferred to Investors Education & Protection Fund established under sub-section (1) of Section 205C of the Companies Act 1956.

8.7.0 शेयर अंतरण प्रणाली एवं निवोको की शिकायतों का निवारण

बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए हर तरह की सावधानी बरतता है कि शेयरों के अंतरण के लिए सभी वैध अनुरोधों का निपटान पूर्ण रूप से भरे फार्मों के जमा किए जाने की तारीख से 15 दिन के भीतर विधिवत कर दिया जाए। निदेशक मंडल ने शेयरों के अंतरण/प्रेषण एवं डुप्लिकेट शेयर जारी करने के अनुरोध पर विचार करने के लिए शेयर अंतरण समिति का गठन किया है। बैंक ने शेयरधारकों की शिकायतों एवं उनसे संबंधित मामलों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए शेयरधारक शिकायत निवारण समिति का भी गठन किया है।

दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों की शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:

1.	1 अप्रैल 2013 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतें/Pending complaints as on 1 st April, 2013	Nil शुन्य
2.	31.3.2014 को समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें/Complaints received during the year ended on 31.03.2014	3245
3.	31.3.2014 को समाप्त वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें/Complaints disposed off during the year ended on 31.03.2014	3243
4.	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतें/Complaints pending as on 31.03.2014	2

8.8 रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट:

बैंक द्वारा मेसर्स कार्बी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. हैदराबाद को अपना रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट नियुक्त किया गया है। पते में परिवर्तन, अधिदेश में परिवर्तन, शेयरों के अंतरण आदि से संबंधित सभी पत्राचार उनसे निम्नलिखित पते पर किए जाएं:

मेसर्स कार्बी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि.

(इकाई: यूको बैंक)

प्लॉट नं. 17 से 24, विडुलराव नगर

माधापुर, हैदराबाद-500081

टेलीफोन सं. (040) 2342 0815 तक, एक्सटॉन-14

फैक्स सं. (040) 23420814

8.7 Share Transfer System & Redressal of Investor's Grievances :

The Bank takes every care to ensure that all valid requests for Transfer of Shares are duly complied within the period of 15 days from the date of lodgement of the completed forms. The Board of Directors has constituted the Share Transfer Committee to consider Transfer/Transmission and requests for issuance of duplicate Shares. The Bank has also constituted Shareholder's Grievance Redressal Committee to review the status of redressal of Shareholder's grievances and related matters.

The status of Shareholder' Complaints as on 31.03.2014 is as under:

8.8 Registrars and Share Transfer Agent :

M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad has been appointed by the Bank as its Registrars and Share Transfer Agent. All communications regarding change of address, change of mandate, transfer of shares etc. may be addressed to them in their following address:

M/s. Karvy Computershare Private Ltd.

(Unit : UCO Bank)

Plot Nos. 17 to 24 Vittal Rao Nagar

Madhapur, Hyderabad – 500 081

Telephone No. (040)23420815 to 0824, Ext- 14.

Fax No. (040)23420814

9.0 दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का स्वरूप / Shareholding Pattern As on 31.03.2014

शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	धारकों की सं. No. of holders	धारित शेयरों की संख्या No. of shares held	ईक्विटी का % % of equity
अ/प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह भारत सरकार आ/सार्वजनिक शेयरधारिता A. Promoter/Promoter Group			
भारत सरकार / Govt. of India	1	783333288	77.20
आ. सार्वजनिक शेयरधारिता / B. Public Shareholding			
1. संस्थाएं / Institutions			
क/a. म्यूचुअल फंड / Mutual Funds	7	3440265	0.34
ख/b. वित्तीय संस्थाएं/बैंक /Financial Institutions/Banks	15	20198291	1.99
ग/c. बीमा कंपनियां / Insurance Companies	15	67027035	6.61
घ/d. विदेशी संस्थागत निवेशक / Foreign Institutional Investors	79	42969758	4.23
2. गैर-संस्थाएं / Non-Institutions			
क/a. कॉर्पोरेट निकाय / Bodies Corporate	1856	13934131	1.37
ख/b. वैयक्तिक धारिता / Individuals holding			
i. 1 लाख तक सांकेतिक शेयर पूंजी nominal share capital upto ₹1 lac	322318	69849980	6.88
ii. 1 लाख ₹ से अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी ii. nominal share capital above ₹1 lac	268	9279063	0.92
ग/c. न्यास / Trust	20	473220	0.05
घ/d. समाशोधन सदस्य / Clearing Members	507	2438979	0.24
ङ/e. अनिवासी भारतीय / Non-Resident Indians	1384	1765152	0.17
योग/ TOTAL	326470	1014709162	100.00

9.1 31.03.2014 को शेयरधारिता का वितरण/Distribution of Shareholding as on 31.03.2014

श्रेणी(राशि ₹ में)/Category (Amt. in ₹)		शेयरधारकों की सं. No. of Share – Holders	कुल शेयरधारकों का % % of the total Shareholders	कुल शेयरों की सं. No. of Total Shares	कुल का % % of the total
से/From	तक/To				
1	5000	303491	92.96	406549950	4.01
5001	10000	13346	4.09	108094630	1.07
10001	20000	5659	1.73	85729390	0.84
20001	30000	1516	0.46	38942990	0.38
30001	40000	704	0.22	25185460	0.25
40001	50000	470	0.14	22416810	0.22
50001	100000	682	0.21	49319120	0.49
100001	और अधिक/And above	602	0.19	9410853270	92.74
कुल/TOTAL		326470	100.00	10147091620	100.00

10.0 बैंक के साथ पत्राचार का पता:

शेयरों के अमूर्तीकरण, शेयरों के अंतरण, पते में परिवर्तन, लाभांश प्राप्त न होने, डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाने आदि से संबंधित किसी प्रकार की सहायता के लिए निवेशक अपना अनुरोध/शिकायत बैंक के पास निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:

श्री एन.पूर्ण चंद्र राव, कंपनी सचिव
टेलीफोन सं. (033) 44557227, फैक्स सं. (033) 2248-5625
यूको बैंक : प्रधान कार्यालय
2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तीसरा तल, कोलकाता-700 001

10.1 निवेशकों की शिकायत के लिए विशेष ई-मेल आईडी:

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में यूको बैंक ईक्विटी शेयर/लाभांश के भुगतान आदि के संबंध में निवेशकों/शेयरधारकों की किसी शिकायत के लिए एक विशिष्ट ई-मेल आईडी तैयार किया गया है। निवेशकों की किसी भी शिकायत का जल्द से जल्द उत्तर दिए जाने के साथ ही अनुपालन अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विशिष्ट ई-मेल आईडी निम्नानुसार हैं: hosgr.calcutta@ucobank.co.in ई-मेल आईडी बैंक के वेबसाइट में भी दर्ज किया गया है।

11.0 कारपोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 के अधीन यथापेक्षित सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए कारपोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षित प्रमाणपत्र निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया है और यह कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2013-14 का अभिन्न अंग है।

12.0 सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणपत्र सूचीकरण करार के खंड 49 के अधीन सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणपत्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और यह कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2013-14 का अभिन्न अंग है।

आचार संहिता के अनुपालनार्थ घोषणा

बैंक ने निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं बैंक के कोर प्रबंधन के लिए आचार संहिता निर्धारित की है एवं यह बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। निदेशक मंडल के सदस्यों एवं कोर प्रबंधन ने दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते यूको बैंक

(अरुण कौल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

10.0 Address for correspondence with Bank :

For any assistance regarding dematerialisation of shares, transfer of shares, change of address, non-receipt of dividend, issuance of duplicate share certificates etc., the investors can mail their request/complaint to the Bank in the following address :

Shri N Purna Chandra Rao, Company Secretary
Telephone No. (033) 44557227, Fax No. (033) 2248-5625
UCO Bank : Head Office, Finance Department
2, India Exchange Place, 3rd Floor, Kolkata – 700 001

10.1 Exclusive e-mail ID for Investors' Complaints :

In compliance with the SEBI guidelines, a dedicated e-mail ID has been created for any complaints by the Investors/Shareholders regarding UCO Bank Equity Shares/Payment of Dividends etc. Any complaint by the Investors shall be responded expeditiously along with necessary action taken by the Compliance Officer. The e-mail ID is: hosgr.calcutta@ucobank.co.in. The e-mail ID is also been posted in the website of the Bank.

11.0 Auditors Report on Corporate Governance

As required under Clause 49 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges, the Audit Certificate on Corporate Governance for year 2013-14 issued by the Statutory Central Auditors is submitted to the Board of Directors and the same is part & parcel of the Corporate Governance Report 2013-14. (Annexure-I)

12.0 CEO & CFO CERTIFICATE The Certificate of CEO & CFO under Clause 49 of the Listing Agreement is submitted to the Board of Directors and the same is part & parcel of the Corporate Governance Report 2013-14. (Annexure -II)

DECLARATION ON COMPLIANCE WITH CODE OF CONDUCT

The Bank has laid down a Code of Conduct for all the Board members and Core Management of the Bank and which is posted on the website of the Bank. The Board members and Core Management have affirmed compliance with the Code of Conduct as on 31.03.2014

For UCO Bank

(Arun Kaul)
Chairman & Managing Director

कार्पोरेट अभिशासन से संबंधित लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

निदेशक मंडल,
यूको बैंक,
प्रधान कार्यालय,
10, वि.त्रै.म. सरणी
कोलकाता-700001

हमने विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण करार के खंड 49 में यथाविनिर्दिष्ट 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए यूको बैंक द्वारा कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि और उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित रही। यह न तो लेखापरीक्षा और न ही बैंक के वित्तीय विवरण के बारे में राय की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा धारित अभिलेखों और दस्तावेजों के बारे में हमारी समीक्षा तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीकरण करार में यथाविनिर्दिष्ट कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन उस हद तक किया है कि वे भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशों का अतिक्रमण नहीं करते हैं।

हम यह कथित करते हैं कि शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति द्वारा धारित अभिलेखों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार बैंक के विरुद्ध दो निवेशक शिकायतें एक माह से अधिक समय से लंबित नहीं हैं।

हम आगे यह भी कथित करते हैं कि यह अनुपालन बैंक के कार्य संपादन में प्रबंधन की दक्षता या प्रभाविता हेतु बैंक की भावी लाभप्रदता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है।

वास्ते एसबीए एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 308136E

(सीए एस मुखोपाध्याय)
भागीदार
सदस्यता सं. 011517

वास्ते वेद एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 012019N

(सीए पूजा गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 098551

वास्ते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 000112N

(सीए पंकज मंगल)
भागीदार
सदस्यता सं. 097890

वास्ते गुप्ता शर्मा एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 001466N

(सीए कुलदीप शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं. 080109

वास्ते ए. कायेस एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 311149E

(सीए अमरुल कायेस)
भागीदार
सदस्यता सं. 050363

स्थान/Place: कोलकाता/Kolkata,
दिनांक/Dated : 21th मई/May, 2014

Auditor's Certificate on Corporate Governance

To
The Board of Directors,
UCO Bank
Head Office,
10, B.T. M. Sarani
Kolkata – 700 001

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by UCO Bank for the year ended 31st March, 2014, as stipulated in clause 49 of the Listing Agreements entered into with various Stock Exchanges.

The compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion of the Financial Statements of the Bank.

On the basis of our review of records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given us, in our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned listing agreements to the extent these do not violate RBI guidelines.

We state that two complaints are pending for a period exceeding one month as on 31st March, 2014 against the Bank as per the records maintained by the Shareholders/Investors Grievance Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank for the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For SBA Associates
Chartered Accountants
Registration No.308136E

(CA S. Mukhopadhyay)
Partner
Membership No.011517

For Ved And Company
Chartered Accountants
Registration No.012019N

(CA Pooja Gupta)
Partner
Membership No.098551

For Dass Gupta & Associates
Chartered Accountants
Registration No.000112N

(CA Pankaj Mangal)
Partner
Membership No.097890

For Gupta Sharma & Associates
Chartered Accountants
Registration No.001466N

(CA Kuldip Sharma)
Partner
Membership No.080109

For A. Kayes & Co
Chartered Accountants
Registration No. 311149E

(CA Amrul Kayes)
Partner
Membership No. 050363

Place : Kolkata
Date : 21.05.2014

निदेशक मंडल
यूको बैंक
प्रधान कार्यालय
कोलकाता

विषय : स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 के उप-खंड V के अनुपालन संबंधी सीईओ/सीएफओ का प्रमाण पत्र

महोदय,

उक्त के अनुपालन में हम निम्न प्रकार से प्रमाणित करते हैं :

- क) हमने बैंक के वर्ष 2013-14 के वित्तीय विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार-
- इन विवरणों में कोई तात्त्विक असत्य विवरण अंतर्विष्ट नहीं है या किसी तात्त्विक तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या कोई भ्रामक विवरण अंतर्विष्ट नहीं है,
 - ये दोनों विवरण बैंक के क्रियाकलापों का सही एवं उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं और ये विद्यमान लेखांकन मानकों लागू विधियों एवं विनियमों के अनुपालन में हैं।
- ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अनियमित है या बैंक की आचार संहिता का अतिक्रमण करता है।
- ग) हम आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है।
- घ) हमने लेखापरीक्षकों को निम्नलिखित से अवगत कराया है :
- वर्ष 2013-14 के दौरान आंतरिक नियंत्रण में उल्लेखनीय परिवर्तन
 - वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में उल्लेखनीय परिवर्तन तथा उसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरण से संबंधित नोट में किया गया है; और
 - हमारी जानकारी में आए उल्लेखनीय कपट के मामले और उसमें प्रबंधन या बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में उल्लेखनीय भूमिका अदा करनेवाले किसी कर्मचारी की, यदि कोई हो, अंतर्ग्रस्तता।

भवदीय,

(पी. जी. जोशी)
महाप्रबंधक

(अनिल कुमार)
महाप्रबंधक (वित्त)
(मुख्य वित्त अधिकारी)

(अरुण कौल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(मुख्य कार्यपालक अधिकारी)

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 21 मई, 2014

Annexure-II

To
The Board of Directors
UCO Bank
Head Office
Kolkata

Sub: CEO/CFO Certification in compliance to Sub Clause V of Clause 49 of the Listing Agreement with Stock Exchange

Sirs,

In compliance to above, we certify as under:

- a) We have reviewed the financial statements and cash flow statement of the Bank for the year 2013-14 and to the best of our knowledge and belief
 - i. these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statement that might be misleading;
 - ii. these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- b) There are to the best of our knowledge and belief no transaction enter into by the Bank during the year 2013-14 which are fraudulent, irregular or violating of Bank's Code of Conduct.
- c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal control and we have evaluated effectiveness of the internal control systems of the Bank.
- d) We have indicated to the auditors :
 - i. significant changes in internal control during the year 2013-14;
 - ii. significant changes in accounting policies during the year and the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - iii. instances of significant fraud which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant roles in the Bank's internal control system.

Yours faithfully,

(P.G. Joshi)
General Manager

(Anil Kumar)
General Manager
(Chief Financial Officer)

(Arun Kaul)
Chairman & Managing Director
(Chief Executive Officer)

Place: Kolkata
Date : 21.05.2014

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2014

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

पूंजी एवं देयताएं	अनुसूची	31.3.2014 की स्थिति	31.3.2013 की स्थिति
CAPITAL AND LIABILITIES	Schedule	As on 31.3.2014	As on 31.3.2013
		₹	₹
पूंजी			
Capital	1	1014 70 92	2575 62 86
आरक्षित निधियां और अधिशेष			
Reserves & Surplus	2	10211 57 93	7106 78 55
जमा राशियां			
Deposits	3	199533 54 81	173431 04 56
उधार			
Borrowings	4	20718 23 77	9492 42 63
अन्य देयताएं और प्रावधान			
Other Liabilities & Provisions	5	7646 67 92	6045 51 33
योग /TOTAL		239124 75 35	198651 39 93

वास्ते एसबीए एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 308136E
For SBA Associates.
Chartered Accountants
Registration No. 308136E
(सीए एस मुखोपाध्याय)
भागीदार
सदस्यता सं. 011517
(CA S Mukhopadhyay)
Partner
Membership No. 011517

वास्ते वेद एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 012019N
For Ved And Company.
Chartered Accountants
Registration No. 012019N
(सीए पूजा गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 098551
(CA Pooja Gupta)
Partner
Membership No. 098551

वास्ते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 000112N
For Dass Gupta & Associates.
Chartered Accountants
Registration No. 000112N
(सीए पंकज मंगल)
भागीदार
सदस्यता सं. 097890
(CA Pankaj Mangal)
Partner
Membership No. 097890

वास्ते गुप्ता शर्मा एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 001466N
For Gupta Sharma & Associates.
Chartered Accountants
Registration No. 001466N
(सीए कुलदीप शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं. 080109
(CA Kuldip Sharma)
Partner
Membership No. 080109

वास्ते ए. कायेस एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 311149E
For A. Kayes & Co
Chartered Accountants
Registration No. 311149E
(सीए अमरुल कायेस)
भागीदार
सदस्यता सं. 050363
(CA Amrul Kayes)
Partner
Membership No. 050363

स्थान/Place: कोलकाता/Kolkata,
दिनांक/Dated : 21th मई/May, 2014

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र (जारी)

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2014 (Contd.)

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

आस्तियां	अनुसूची	31.3.2014 की स्थिति As on 31.3.2014	31.3.2013 की स्थिति As on 31.3.2013
ASSETS	Schedule	₹	₹
आस्तियां /ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	8049 21 25	5705 36 07
बैंक में अतिशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि			
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	6962 79 85	6638 75 48
निवेश			
Investments	8	67451 69 39	52244 89 68
अग्रिम			
Advances	9	149584 21 37	128282 86 43
अचल आस्तियां			
Fixed Assets	10	1061 75 82	889 59 39
अन्य आस्तियां			
Other Assets	11	6015 07 67	4889 92 88
योग /TOTAL		239124 75 35	198651 39 93
आकस्मिक देयताएं			
Contingent Liabilities	12	74358 11 76	65882 42 93
वसूली के लिए बिल			
Bills for Collection	-	5206 80 97	4207 07 61

अरुण कौल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ARUN KAUL
Chairman & Managing Director

जे. के. गर्ग
कार्यपालक निदेशक
J. K. GARG
Executive Director

एस. चन्द्रशेखरन्
कार्यपालक निदेशक
S. CHANDRASEKHARAN
Executive Director

प्रवीण रावल
निदेशक
PRAVIN RAWAL
Director

वी.पी.विजयेन्द्र
निदेशक
B.P.VIJAYENDRA
Director

एस. के. महेश्वरी
निदेशक
S. K. MAHESHWARI
Director

मनोज कुमार गुप्ता
निदेशक
MANOJ KUMAR GUPTA
Director

डी. एन. ठाकुर
निदेशक
D. N. THAKUR
Director

पी. चन्द
निदेशक
P. CHANDA
Director

मो. सलाहुद्दीन अंसारी
निदेशक
MD. SALAHUDDIN ANSARI
Director

पी. जी. जोशी
महाप्रबंधक
P. G. JOSHI
General Manager

अनिल कुमार
महाप्रबंधक
ANIL KUMAR
General Manager

स्थान/Place: कोलकाता/Kolkata,
दिनांक/Dated : 21st मई/May, 2014

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2014

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	अनुसूची	31.3.2014	31.3.2013
	Schedule	Year Ended	Year Ended
		31.3.2014	31.3.2013
		₹	₹
I. आय/INCOME			
अर्जित ब्याज / Interest Earned	13	18229 91 51	16751 71 17
अन्य आय /Other Income	14	1320 50 72	952 17 15
योग/TOTAL		19550 42 23	17703 88 32
II. व्यय/EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज			
Interest Expended	15	12170 82 75	12170 17 58
परिचालन व्यय			
Operating Expenses	16	2439 19 83	2176 61 73
प्रावधान और आकस्मिक व्यय			
Provisions & Contingencies		3429 85 25	2738 89 42
योग/TOTAL		18039 87 83	17085 68 73
III. लाभ/हानि/PROFIT / LOSS			
वर्ष का निवल लाभ/(हानि)			
Net Profit/(Loss) for the Year		1510 54 40	618 19 59
लाभ/(हानि) अग्रानीत			
Profit/(Loss) Brought Forward		2114 57 68	2111 11 00
योग /TOTAL		3625 12 08	2729 30 59

वास्ते एसबीए एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 308136E
For SBA Associates.
Chartered Accountants
Registration No. 308136E
(सीए एस मुखोपाध्याय)
भागीदार
सदस्यता सं. 011517
(CA S Mukhopadhyay)
Partner
Membership No. 011517

वास्ते वेद एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 012019N
For Ved And Company.
Chartered Accountants
Registration No. 012019N
(सीए पूजा गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 098551
(CA Pooja Gupta)
Partner
Membership No. 098551

वास्ते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 000112N
For Dass Gupta & Associates.
Chartered Accountants
Registration No. 000112N
(सीए पंकज मंगल)
भागीदार
सदस्यता सं. 097890
(CA Pankaj Mangal)
Partner
Membership No. 097890

वास्ते गुप्ता शर्मा एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 001466N
For Gupta Sharma & Associates.
Chartered Accountants
Registration No. 001466N
(सीए कुलदीप शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं. 080109
(CA Kuldip Sharma)
Partner
Membership No. 080109

वास्ते ए. कायेस एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 311149E
For A. Kayes & Co
Chartered Accountants
Registration No. 311149E
(सीए अमरुल कायेस)
भागीदार
सदस्यता सं. 050363
(CA Amrul Kayes)
Partner
Membership No. 050363

स्थान/Place: कोलकाता/Kolkata,
दिनांक/Dated : 21th मई/May, 2014

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा (जारी)
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH,
2014 (CONTD.)

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

अनुसूची	31.3.2014	31.3.2013
Schedule	Year Ended	Year Ended
	31.3.2014	31.3.2013
	₹	₹
IV. विनियोजन/APPROPRIATIONS		
सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण/Transfer to Statutory Reserves	377 63 60	154 54 90
पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरण/Transfer to Capital Reserves	61 77	30 08 79
निवेश आरक्षित निधियों में अंतरण		
Transfer to Investment Reserve	2 10 67	92 04 17
प्रस्तावित लाभांश		
Proposed Dividend	251 99 66	288 94 44
प्रस्तावित लाभांश पर कर		
Tax on Proposed Dividend	42 82 68	49 10 61
शेषराशि तुलनपत्र में आगे लाई गई		
Balance Carried over to Balance Sheet	2949 93 70	2114 57 68
योग /TOTAL	3625 12 08	2729 30 59
मुख्य लेखा नीतियां /Principal Accounting Policies	17	
लेखों पर टिप्पणी/Notes on Accounts	18	
मूल एवं न्यूनीकृत ई पी एस (₹) / Basic & Diluted EPS (₹)	19.44	6.28
हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार		
अनुसूचियां 1 से 18 लेखे के अभिन्न अंग हैं		
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the accounts		
As per our Report of even date		

अरुण कौल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ARUN KAUL
Chairman & Managing Director

जे. के. गर्ग
कार्यपालक निदेशक
J. K. GARG
Executive Director

एस. चन्द्रशेखरन्
कार्यपालक निदेशक
S. CHANDRASEKHARAN
Executive Director

प्रवीण रावल
निदेशक
PRAVIN RAWAL
Director

वी.पी.विजयेन्द्र
निदेशक
B.P.VIJAYENDRA
Director

एस. के. महेश्वरी
निदेशक
S. K. MAHESHWARI
Director

मनोज कुमार गुप्ता
निदेशक
MANOJ KUMAR GUPTA
Director

डी. एन. ठाकुर
निदेशक
D. N. THAKUR
Director

पी. चन्द
निदेशक
P. CHANDA
Director

मो. सलाहुद्दीन अंसारी
निदेशक
MD. SALAHUDDIN ANSARI
Director

पी. जी. जोशी
महाप्रबंधक
P. G. JOSHI
General Manager

अनिल कुमार
महाप्रबंधक
ANIL KUMAR
General Manager

स्थान/Place: कोलकाता/Kolkata,
दिनांक/Dated : 21st मई/May, 2014

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2014

अनुसूची 1 — पूंजी
Schedule 1 — CAPITAL

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2014		31.3.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2013	
	₹	₹	₹	₹
प्राधिकृत पूंजी / Authorised Capital				
प्रत्येक ₹ 10/- के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर 300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each	3000 00 00		3000 00 00	
प्रत्येक ₹ 1,00,000 के 225,000 बेमियादी असंचयी अधिमानी शेयर 225,000 Perpetual Non-Cumulative Preference Shares of ₹1,00,000/- each निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी	<u>2250 00 00</u>	5250 00 00	<u>2250 00 00</u>	5250 00 00
Subscribed, Issued and Paid up Capital				
प्रत्येक ₹ 10/- के 101,47,09,162 (75,26,28,583) इक्विटी शेयर 101,47,09,162 (75,26,28,583) Equity Shares of ₹ 10/- each [केन्द्र सरकार द्वारा धारित 78,33,33,288 (52,12,52,709) शेयर इसमें शामिल हैं] [includes 78,33,33,288 (52,12,52,709) shares held by Central Govt.]	1014 70 92		752 62 86	
प्रत्येक ₹ 1,00,000 के शून्य (1,82,300) बेमियादी असंचयी अधिमानी शेयर (केन्द्र सरकार द्वारा धारित) Nil (1,82,300) Perpetual Non- Cumulative Preference Shares of ₹ 1,00,000/- each (Entirely Held by Central Govt.)		1014 70 92	<u>1823 00 00</u>	2575 62 86
योग /TOTAL		1014 70 92		2575 62 86

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2014
अनुसूची 2 – आरक्षित निधियां और अधिशेष
Schedule 2 – RESERVES & SURPLUS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2014		31.3.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2013	
	₹	₹	₹	₹
I. सांविधिक आरक्षित निधियां /Statutory Reserves:				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	1602 48 06		1447 93 16	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	<u>377 63 60</u>		<u>154 54 90</u>	
	1980 11 66		1602 48 06	
		1980 11 66		1602 48 06
II. पूंजी आरक्षित निधियां/Capital Reserves :				
क) पूंजीगत प्राप्ति				
a) Capital Gain				
प्रारंभिक शेष / Opening Balance		1 17 00		1 17 00
ख/ब)निवेश/Investment :				
प्रारंभिक शेष /Opening Balance	318 98 58		288 89 79	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer from Profit & Loss Account	<u>61 77</u>		<u>30 08 79</u>	
	319 60 35		318 98 58	
		319 60 35		318 98 58
ग) अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यन				
c) Revaluation of Fixed Assets :				
प्रारंभिक शेष /Opening Balance	689 11 75		633 20 98	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	<u>23 85 17</u>		<u>38 00 39</u>	
वर्ष की समाप्ति पर मौजूदा दर पर विदेशी शाखाओं से संबंधित समायोजन Adjustment on account of Foreign branches at rates as at year end.	<u>712 96 92</u>		<u>671 21 37</u>	
	<u>24 11 33</u>		<u>17 90 38</u>	
	737 08 25		689 11 75	
परिसर की बिक्री पर कटौती/ Deduction on sale of premises	<u>-</u>		<u>-</u>	
	737 08 25		689 11 75	
वर्ष की समाप्ति तक पुनर्मूल्यन के कारण मूल्यहास का समायोजन Depreciation upto year end on revaluation adjusted	<u>149 68 21</u>		<u>144 41 23</u>	
		587 40 04		544 70 52

**31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2014**

**अनुसूची 2 – आरक्षित निधियां और अधिशेष (जारी)
Schedule 2 – RESERVES & SURPLUS (Contd.)**

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2014		31.3.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2013	
	₹	₹	₹	₹
III. शेयर प्रीमियम/Share Premium				
प्रारंभिक शेष /Opening Balance	1764 55 10		1171 46 73	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	<u>1760 91 94</u>		<u>593 08 37</u>	
		3525 47 04		1764 55 10
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियां/ Revenue & Other Reserves				
क/a) सामान्य आरक्षित निधि /General Reserve :				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	399 73 03		399 73 03	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer from Profit & Loss Account	-		-	
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि से अंतरण Transfer from Investment Fluctuation Reserve	<u>-</u>		<u>-</u>	
	399 73 03		399 73 03	
		399 73 03		399 73 03
ख) विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि				
b) Foreign Currency Translation Reserve				
प्रारंभिक शेष /Opening Balance	268 54 41		211 29 53	
जोड़ें :विनिमय उचंत लेखे से अंतरण Add: Transfer from Exchange Suspense A/c	85 45 86		57 24 88	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	<u>-</u>		<u>-</u>	
	354 00 27		268 54 41	
वर्ष के दौरान कटौती/Deduction during the year	<u>-</u>		<u>-</u>	
		354 00 27		268 54 41
ग) निवेश आरक्षित निधि लेखा प्रारंभिक शेष लाभ और हानि लेखे से अंतरण				
c) Investment Reserve Account				
Opening Balance	92 04 17		92 04 17	
Transfer from Profit & Loss Account	<u>2 10 67</u>		<u>2 10 67</u>	
		94 14 84		92 04 17
V. लाभ-शेष /Balance of Profit				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	2114 57 68		2111 11 00	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण Transfer from Profit & Loss Account	<u>835 36 02</u>		<u>3 46 68</u>	
		2949 93 70		2114 57 68
योग (I से V तक) / TOTAL(I to V)		10211 57 93		7106 78 55

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2014

अनुसूची 3 – जमाराशियां

Schedule 3 — DEPOSITS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2014 ₹	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2013 ₹
अ/आ. I. मांग जमाराशियां/Demand Deposits		
i) बैंकों से/From Banks	17724 61 74	18952 95 72
ii) अन्य से/From Others	7570 72 18	7026 67 97
II. बचत बैंक जमाराशियां/Savings Bank Deposits	33598 95 64	29753 20 52
III. मीयादी जमाराशियां /Term Deposits		
i) बैंकों से/From Banks	20926 01 11	15889 46 14
ii) अन्य से/From Others	119713 24 14	101808 74 21
योग/TOTAL(I, II & III)	199533 54 81	173431 04 56
आ/ब. i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां/ Deposits of Branches in India	182730 31 39	158386 39 21
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियां/ Deposits of Branches outside India	16803 23 42	15044 65 35
योग/TOTAL	199533 54 81	173431 04 56

अनुसूची 4 – उधार

Schedule 4 — BORROWINGS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2014 ₹	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2013 ₹
I. भारत में उधार/Borrowings in India		
i) भारतीय रिजर्व बैंक/Reserve Bank of India	9072 00 00	3050 00 00
ii) अन्य बैंक/Other Banks	1998 49 45	18 86
iii) * अन्य संस्थाएं और अभिकरण * Other Institutions and Agencies	9285 20 34	6012 98 38
II. भारत के बाहर उधार/Borrowings outside India	362 53 98	429 25 39
योग (I एवं II) TOTAL (I & II)	20718 23 77	9492 42 63
ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार/ Secured borrowings included in I & II above	4210 20 34	1637 98 38
इसमें शामिल है/ Includes		
सिडबी पुनर्वित्त/SIDBI Refinance	2200 90 82	150 00 00
नाबार्ड पुनर्वित्त/NABARD Refinance	34 81 37	103 42 17
गौण ऋण/Subordinated Debt	3075 00 00	3375 00 00
अपर टियर II बॉण्ड/Upper Tier II Bond	1620 00 00	1620 00 00
आईपीडीआई IPDI	380 00 00	380 00 00

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2014

अनुसूची 5 — अन्य देयताएं और प्रावधान
Schedule 5 — OTHER LIABILITIES & PROVISIONS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2014 ₹	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2013 ₹
I. संदेय बिल/Bills Payable	160 39 73	246 19 45
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter Office Adjustments (Net)	361 48 93	278 90 99
III. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	859 21 78	805 62 06
IV. * अन्य (इसमें प्रावधान शामिल हैं)/ * Others(including provisions)	6265 57 48	4714 78 83
योग /TOTAL	7646 67 92	6045 51 33
इसमें शामिल हैं / Includes मानक आस्तियों के एवज में प्रावधान/Provision on Standard Assets	938 97 59	667 86 67

अनुसूची 6 — भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष
**Schedule 6 — CASH & BALANCES
WITH RESERVE BANK OF INDIA**

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2014 ₹	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2013 ₹
I. हाथ-नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं) Cash in hand(including Foreign Currency Notes)	537 97 36	436 56 85
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाशेष/ Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खाते में/In Current Accounts	7511 23 89	5268 79 22
ii) अन्य खातों में/In Other Accounts	-	-
योग (I एवं II)/TOTAL(I & II)	8049 21 25	5705 36 07

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2014

अनुसूची 7 — बैंकों में जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
Schedule 7 — BALANCES WITH BANKS AND
MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2014 ₹	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2013 ₹
I. भारत में /In India		
i) बैंकों में जमाशेष/Balances with Banks		
क) चालू खातों में		
a) In Current Accounts	106 37 18	74 51 30
ख) अन्य जमा खातों में		
b) In Other Deposit Accounts	929 65 87	75 00 00
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
Money at Call and Short Notice		
क) बैंकों के पास		
a) With Banks		2599 78 81
ख) अन्य संस्थाओं के पास		
b) With Other Institutions		45 00 00
योग (i एवं ii)/ TOTAL(i & ii)	<u>1036 03 05</u>	<u>2794 30 11</u>
II. भारत के बाहर /Outside India		
i) चालू खातों में/In Current Accounts	348 98 79	570 08 66
ii) अन्य जमा खातों में/In Other Deposit Accounts	3401 92 48	1834 78 08
iii) मांग एवं अल्प सूचना-पर प्रतिदेय राशि		
Money at Call and Short Notice	2175 85 53	1439 58 63
योग (i,ii एवं iii)/ TOTAL(i,ii & iii)	<u>5926 76 80</u>	<u>3844 45 37</u>
कुल योग (I एवं II) /GRAND TOTAL(I&II)	6962 79 85	6638 75 48

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2014

अनुसूची 8 — निवेश

Schedule 8 — INVESTMENTS

(000 को छोड़ दिया गया है)

(000's omitted)

	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2014 ₹	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2013 ₹
I. भारत में निम्नलिखित में निवेश/Investments in India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां/Government Securities	53294 65 84	43299 45 84
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां/Other Approved Securities	53 22 33	55 21 44
iii) शेयर/Shares	316 10 84	366 82 15
iv) डिबेंचर और बंधपत्र/Debentures and Bonds	5496 17 47	1977 13 16
v) अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम/ Subsidiaries and/or Joint Ventures	184 50 96	186 20 04
vi) अन्य (इंदिरा विकास पत्र म्यूचुअल फंड, आर आई डी एफ, सी. पी. एफ. आर. एन. आदि) Others (Indira Vikas Patra, Mutual Fund, RIDF, C.P. FRN etc.)	6169 72 86	5201 55 40
योग/TOTAL	65514 40 30	51086 38 03
II. भारत के बाहर निम्नलिखित में निवेश/ Investments outside India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (इनमें स्थानीय प्राधिकरण शामिल हैं) Government Securities (including Local Authorities)	1451 66 51	884 32 44
ii) अन्य/Others		
क/a) शेयर/Shares	-	-
ख/b) डिबेंचर/Debentures	1 55	1 40
ग/c) अन्य निवेश (एफ आर एन आदि)/Other Investments (FRN etc.)	485 61 03	274 17 81
योग/TOTAL	1937 29 09	1158 51 65
कुल योग(I एवं II)*/GRAND TOTAL(I & II)*	67451 69 39	52244 89 68

*मूल्यहास/ एन पी आई प्रावधान की राशि को घटाकर / * Net of Depreciation / NPI Provision

	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2014			31.3.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2013		
निवेश	सकल मूल्य	मूल्यहास/ प्रावधान **	निवल मूल्य	सकल मूल्य	मूल्यहास/ प्रावधान **	निवल
INVESTMENTS	Gross Value	Depreciation/ Provision **	Net Value	Gross Value	Depreciation/ Provision **	Net Value
	₹	₹	₹	₹	₹	₹
I. भारत में/I. In India	65875 41 75	361 01 45	65514 40 30	51334 87 25	248 49 22	51086 38 03
II. भारत के बाहर Outside India	1970 22 21	32 93 12	1937 29 09	1180 30 33	21 78 68	1158 51 65
योग/TOTAL	67845 63 96	393 94 57	67451 69 39	52515 17 58	270 27 90	52244 89 68

** निवेशों पर मूल्यहास/अनर्जक निवेशों हेतु प्रावधान

** Depreciation on Investments / Provision for Non-Performing Investments

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2014
अनुसूची 9 — अग्रिम
Schedule 9 — ADVANCES

(000 को छोड़ दिया गया है)

(000's omitted)

	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2014 ₹	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2013 ₹
अ/A. (i) खरीदे और भुनाए गए बिल Bills Purchased and Discounted	30711 77 08	15491 75 26
(ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर देय ऋण Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	38447 15 46	35256 03 10
(iii) मीयादी ऋण/Term Loans	80425 28 83	77535 08 07
योग/TOTAL	149584 21 37	128282 86 43
आ/B. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत/ (बही ऋण के एवज में अग्रिम सहित) Secured by Tangible Assets (includes advances against book debts)	119969 40 15	103818 94 10
(ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित/ Covered by Bank/Govt. Guarantees	16941 61 60	10906 81 56
(iii) अप्रतिभूत/Unsecured	12673 19 62	13557 10 77
योग/TOTAL	149584 21 37	128282 86 43
इ/C. I. भारत में अग्रिम/Advances in India -		
(i) प्राथमिकता क्षेत्र/Priority Sectors	46505 70 17	33324 03 71
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र/Public Sector	18194 66 29	16564 90 63
(iii) बैंक/Banks	7463 19 48	880 52 77
(iv) अन्य/Others	64588 03 84	65245 87 02
योग/TOTAL	136751 59 78	116015 34 13
II. भारत के बाहर अग्रिम/Advances outside India -		
(i) बैंकों से प्राप्य/ (i) Due from Banks	-	-
(ii) अन्य से प्राप्य/ Due from Others		
(क) खरीदे और भुनाए गए बिल (a) Bills Purchased and Discounted	6137 15 25	2493 55 04
(ख) सामूहिक उधार (b) Syndicated loans	1206 92 62	1455 67 38
(ग) अन्य (c) Others	5488 53 72	8318 29 88
योग/TOTAL	12832 61 59	12267 52 30
कुल योग (इ-I एवं इ- II)/GRAND TOTAL (C.I & C.II)	149584 21 37	128282 86 43

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2014

अनुसूची 10 — अचल आस्तियां/Schedule 10 — FIXED ASSETS

(000 को छोड़ दिया गया है)

(000's omitted)

	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2014 ₹	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2013 ₹
I. परिसर/Premises		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	170 86 07	157 52 13
वर्ष के अंत में प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	<u>10 92 28</u>	<u>9 03 93</u>
	181 78 35	166 56 06
वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन Additions/adjustments during the year	<u>25 06 61</u>	<u>4 30 01</u>
	206 84 96	170 86 07
वर्ष के दौरान कटौती/Deduction during the year	<u>-</u>	<u>-</u>
	206 84 96	170 86 07
आज की तारीख तक पुनर्मूल्यन के कारण परिवर्धन-पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि Additions to date on account of revaluation credited to Revaluation Reserve	<u>737 08 25</u>	<u>689 11 75</u>
	943 93 21	859 97 82
निपटान हेतु धारित आस्तियों में अंतरण Transferred to Assets Held for Disposal	<u>-</u>	<u>-</u>
	943 93 21	859 97 82
अद्यतन मूल्यहास/Depreciation to date	<u>225 22 48</u>	<u>210 72 48</u>
योग / TOTAL	<u>718 70 73</u>	<u>649 25 34</u>
II. अन्य अचल आस्तियां (इनमें फर्नीचर और फिक्सचर शामिल हैं)		
पूर्ववर्ती वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार लागत पर Other Fixed Assets(including Furniture & Fixtures) At cost as on 31st March of the preceding year	979 82 63	879 51 22
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	<u>3 99 85</u>	<u>3 15 46</u>
	983 82 48	882 66 68
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	<u>179 06 21</u>	<u>98 79 72</u>
	1162 88 69	981 46 40
वर्ष के दौरान कटौती/Deductions during the year	<u>4 81 12</u>	<u>1 63 77</u>
	1158 07 57	979 82 63
अद्यतन मूल्यहास/Depreciation to date	<u>858 50 64</u>	<u>750 46 84</u>
योग / TOTAL	<u>299 56 93</u>	<u>229 35 79</u>
III. निपटान हेतु धारित आस्तियां/Assets Held for Disposal		
निवल बही मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य पर, इनमें से जो भी कम हो At Net Book Value or Net Realisable Value whichever is less		
अ/A. परिसर/Premises	-	-
आ/B. अन्य अचल आस्तियां/ Other Fixed Assets	-	-
योग /TOTAL	-	-
IV. चालू पूंजी संकर्म/Capital Work in Progress	43 48 16	10 98 26
योग /TOTAL	<u>43 48 16</u>	<u>10 98 26</u>
कुल योग (I,II और III+IV)/GRAND TOTAL (I,II & III+IV)	1061 75 82	889 59 39

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2014

अनुसूची 11 — अन्य आस्तियां
Schedule 11— OTHER ASSETS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2014 ₹	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2013 ₹
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter-Office Adjustments (Net)	-	
II. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	1698 59 69	1017 80 94
III. अग्रिम रूप से संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/Tax deducted at source	1756 06 24	1458 53 21
IV. लेखन सामग्री और स्टॉप/Stationery and Stamps	5 50 11	5 86 51
V. दावों की तुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियां Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims	-	-
VI. आस्थगित कर आस्तियां/Deferred Tax Assets	177 45 00	187 37 00
VII. अन्य/Others	2377 46 63	2220 35 22
योग/TOTAL	6015 07 67	4889 92 88

अनुसूची 12 — आकस्मिक देयताएं
Schedule 12 — CONTINGENT LIABILITIES

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2014 ₹	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2013 ₹
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims Against the Bank not Acknowledged as Debts	189 94 49	164 59 56
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता/ Liability for partly paid investments	7 67 50	7 76 50
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	52490 79 05	47571 45 63
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां/ Guarantees Given on behalf of Constituents - क) भारत में A) In India	8881 07 46	10622 36 57
ख) भारत के बाहर B) Outside India	159 38 05	156 96 68
V. स्वीकृतियां, परांकन और अन्य दायित्व Acceptances, Endorsements and other Obligations	11718 70 02	6518 36 65
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Other Items for which the bank is contingently liable	910 55 19	840 91 34
योग / TOTAL	74358 11 76	65882 42 93

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED
31ST MARCH, 2014

अनुसूची 13 — अर्जित ब्याज / Schedule 13 — INTEREST EARNED

(000 को छोड़ दिया गया है)/ (000's omitted)

	31.3.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2014 ₹	31.3.2013 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2013 ₹
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा /Interest/Discount on Advances/Bills	13630 68 54	12857 63 83
II. निवेशों पर आय /Income on Investments	4385 68 53	3634 54 42
III. भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमाशेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	114 09 83	120 39 63
IV. अन्य/Others	99 44 61	139 13 29
योग /TOTAL	18229 91 51	16751 71 17

अनुसूची 14 — अन्य आय

Schedule 14 — OTHER INCOME

(000 को छोड़ दिया गया है)/ (000's omitted)

	31.3.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2014 ₹	31.3.2013 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2013 ₹
I. कमीशन, विनिमय और दलाली (निवल) Commission, Exchange and Brokerage (Net)	233 23 13	253 50 27
II. निवेशों की बिक्री से लाभ Profit on Sale of Investments घटाएं : निवेशों की बिक्री से हानि Less: Loss on Sale of Investments	294 08 57	142 08 56
III. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ Profit on Sale of Land, Buildings and Other Assets घटाएं : भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हानि Less: Loss on Sale of Land, Buildings and Other Assets	294 08 57 53 09 89	1 81 53 96 25
IV. विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions घटाव : विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	332 13 57 160 47 65	147 21 00 38 97 30
V. भारत/विदेश में स्थापित अनुषंगियों/कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of Dividends, etc. from Subsidiaries/Companies and/or Joint Ventures abroad/in India	10 65 43	9 21 32
VI. विविध आय / Miscellaneous Income	610 35 47	438 61 40
योग / TOTAL	1320 50 72	952 17 15

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2014

अनुसूची 15 — व्यय किया गया ब्याज
Schedule 15 — INTEREST EXPENDED

(000 को छोड़ दिया गया है)/ (000's omitted)

	31.3.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2014 ₹	31.3.2013 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2013 ₹
I. जमाराशियों पर ब्याज/Interest on Deposits	11273 66 37	11506 39 45
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings	308 96 93	170 64 76
III. अन्य/Others	588 19 45	493 13 37
योग /TOTAL	12170 82 75	12170 17 58

अनुसूची 16 — परिचालन व्यय
Schedule 16 — OPERATING EXPENSES

(000 को छोड़ दिया गया है)/ (000's omitted)

	31.3.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2014 ₹	31.3.2013 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2013 ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	1547 52 82	1393 26 91
II. किराया, कर और बिजली/Rent, Taxes and Lighting	173 69 68	150 87 69
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री/Printing & Stationery	34 98 83	27 75 41
IV. विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	32 17 41	32 41 80
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास/ Depreciation on Bank's Property	109 63 35	87 14 67
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	1 53 28	1 73 13
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय(शाखा-लेखा-परीक्षकों सहित) Auditors' fees and expenses (Including Branch Auditors)	27 85 84	25 49 78
VIII. विधि प्रभार/Law Charges	13 04 97	12 98 44
IX. डाक महसूल, तार, टेलीफोन आदि/ Postages, Telegrams, Telephones, etc.	39 46 36	42 58 12
X. मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	12 16 58	9 41 15
XI. बीमा/Insurance	131 80 82	112 67 88
XII. अन्य व्यय/Other Expenditure	315 29 89	280 26 75
योग /TOTAL	2439 19 83	2176 61 73

अनुसूची 17 - मुख्य लेखा नीतियां

Schedule 17 - PRINCIPAL ACCOUNTING POLICIES

1. सामान्य / GENERAL

- 1.1 वित्तीय विवरण, जैसा अन्यथा कथित किया गया है उसके सिवाय, 'लाभकारी कारोबारवाली संस्था' की संकल्पना पर परंपरागत लागत आधार पर तैयार किए जाते हैं और वे भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बैंक) के निदेशों सहित सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों, प्रचलित पद्धतियों तथा सांविधिक उपबंधों के अनुरूप होते हैं।

The financial statements are prepared under 'going concern' concept on historical cost basis, except as otherwise stated, and conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, the prevailing practices and statutory provisions including directives of Reserve Bank of India (RBI).

2. विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन का प्रभाव/EFFECT OF CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE RATE

2.1 विदेशी मुद्रा का लेनदेन/FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

- i) विदेशी मुद्रा में लेनदेन की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू करके रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक पहचान पर विदेशी मुद्रा लेनदेन रिकार्ड किए जाते हैं।

Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

- ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) की बंद हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।

Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing/spot rate.

- iii) विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की, जो परंपरागत लागत आधार बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाती है, रिपोर्ट लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का उपयोग करके की जाती है।

Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

- iv) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की बंद हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।

Contingent Liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

- v) मौद्रिक मदों के निपटान पर ऐसी दरों पर उत्पन्न होनेवाले अंतर को, जो प्रारंभ में रिकार्ड की गड्ढू दरों से भिन्न है, उस अवधि में आय या व्यय माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

Exchange differences arising on settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

- vi) बकाया विदेशी मुद्रा संविदा एवं बिल का पुनर्मूल्यन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की दरों के अनुसार किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को प्रत्येक माह के अंत में राजस्व में ले जाया जाता है।

Outstanding foreign exchange contracts and bills are revalued as per FEDAI Rates and the resultant gain/loss is taken to revenue at the end of each month.

- vii) जो विदेशी विनिमय स्वाप व्यापार के लिए धारित नहीं किए जाते हैं उन्हें मार्केट टू मार्केट नहीं किया जाता है। ऐसे स्वाप पर अदा या प्राप्त प्रीमियम, स्वाप की नियत अवधि पर खर्च के रूप में परिशोधित अथवा आय के रूप में ग्रहण किए जाते हैं।

The foreign exchange swaps which are not held for trading are not marked to market. The premium paid or received on such swaps are amortized as expense or accreted as income over the life of the swap.

2.2. विदेशी परिचालन/FOREIGN OPERATIONS

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों को गैर-समाकलित परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

Foreign Branches and representative offices of the Bank have been classified as Non-integral Operations.

अदला-बदली/Translation

- i) मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों एवं देयताओं तथा गैर-समाकलित विदेशी परिचालन की आकस्मिक देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित बंद विनिमय दरों पर परिणत किया जाता है।

Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities including contingent liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date.

- ii) गैर-समाकलित विदेशी परिचालन संबंधी आय एवं व्यय को तिमाही औसत बंद दरों पर परिणत किया जाता है।

Income and expenditure of non-integral foreign operations are translated at quarterly average closing rates.

- iii) गैर-समाकलित विदेशी परिचालन में निवल निवेश पर उत्पन्न विनिमय अंतर को निवल निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा परिणत आरक्षिति में संचित किया जाता है।

Exchange differences arising on net investment in non-integral foreign operations are accumulated in Foreign Currency Translation Reserve until the disposal of the net investment.

3. निवेश/INVESTMENTS

- 3.1 निवेश को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, यथा परिपक्वता तक धारित, विक्रय हेतु उपलब्ध एवं क्रय-विक्रय के लिए धारित तथा उसके बाद उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयरों, डिबेंचरों एवं बांडों, अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम और अन्य में वर्गीकृत किया जाता है।

Investments are classified into three categories viz. Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading and are further classified into Investments in Government Securities, Other Approved Securities, Shares, Debentures & Bonds, Subsidiaries and Joint Ventures and Others.

- 3.2 (i) परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों को लागत आधार पर आगे ले जाया जाता है। जहाँ लागत अंकित मूल्य से अधिक होती है वहाँ प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक के लिए प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार परिशोधित किया जाता है। विक्रय से हुए लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में लिया जाता है और उसके बाद कर तथा सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जानेवाली राशि को छोड़कर उसका विनियोजन पूंजी आरक्षित निधि लेखे में किया जाता है। विक्रय से हुई हानि को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है।

Investments classified as Held to Maturity are carried at cost. Wherever the cost is higher than the face value, the premium is amortised over the remaining period of maturity as per effective interest rate method. Profit on sale is initially taken to Profit and Loss Account and then appropriated to Capital Reserve Account net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve. Loss on sale is charged to the Profit and Loss Account.

- (ii) विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत निवेशों को बाजार मूल्य के रूप में अंकित किया जाता है। प्रत्येक वर्गीकरण हेतु मूल्यवृद्धि / मूल्यहास का समुच्चयन स्क्रिपवार किया जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यहास को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है, परंतु किसी भी वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज किया जाता है। इन निवेशों को तुलन-पत्र में मूल्यहास घटाकर दर्शाया जाता है।

Investments classified as Available for Sale, are marked to market. Scrip-wise appreciation/depreciation is aggregated for each classification. While net depreciation in respect of each classification is charged to Profit & Loss Account, net appreciation in respect of any classification is ignored. These investments are shown, net of depreciation, in the Balance Sheet.

- (iii) क्रय-विक्रय के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत द्व्यर्थक्य को बाजार मूल्य के रूप में अंकित किया जाता है। मूल्यवृद्धि / मूल्यहास का समुच्चयन स्क्रिपवार किया जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यहास को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है, परंतु किसी भी वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज किया जाता है। इन निवेशों को तुलन-पत्र में मूल्यहास घटाकर दर्शाया जाता है।

Investments classified as Held for Trading are marked to market. Scrip-wise appreciation/depreciation is aggregated for each classification. While net depreciation in respect of each classification is charged to Profit & Loss Account, net appreciation in respect of any classification is ignored. These investments are shown, net of depreciation, in the Balance Sheet.

- 3.3 उपर्युक्त तीन श्रेणियों में से किसी में शामिल ऐसी प्रतिभूतियों के मामले में, जहाँ ब्याज / मूलधन 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है, आय की पहचान नहीं की जाती और वैसे निवेशों के मूल्य पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार समुचित प्रावधान किया जाता है।

In respect of securities, included in any of the above three categories where interest/ principal is in arrears for more than 90 days, income is not recognized and appropriate provision on the value of such Investments is made as per prudential norms.

- 3.4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्यिक पत्रों तथा ट्रेजरी बिल में निवेशों का मूल्यन रखाव-लागत पर किया जाता है।

Investments in Regional Rural Banks, Commercial Papers and Treasury Bills are valued at carrying cost.

- 3.5 क्रय-विक्रय / निर्दिष्ट भाववाले निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध निर्दिष्ट भाव से लिया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यन बाजार मूल्य पर या निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) एवं भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित मूल्य पर किया जाता है।

In respect of traded/quoted Investments, Market price is taken from the quotes available in the stock exchanges. Government securities are valued at Market price or price declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

- 3.6 ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/ प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय / आय के रूप में माना जाता है और इसे लागत / विक्री प्रतिफल से अपवर्जित किया जाता है।

Broken period interest paid / received on debt instruments is treated as interest expense/income and is excluded from cost/sale consideration.

- 3.7 बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों की बाबत प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यन प्रतिभूति रसीद के मोचन मूल्य और वित्तीय परिसंपत्तियों के निवल बही मूल्य से निम्नतर पर किया जाता है। निवेश को उपर्युक्त रूप में यथानिर्धारित मूल्य पर बहियों में आगे ले जाया जाता है और विक्रय/ वसूली को, यदि कोई हो, निवेश से घटाया जाता है तथा निवल बही मूल्य दर्शाया जाता है।

Security receipts issued by securitisation / reconstruction company (SC/RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC/RC are valued at the lower of the redemption value of the security receipt and the Net Book Value of the financial assets. The Investment is carried in the books at the price determined as above and the sale / realization if any, is reduced from Investment and the net book value is shown.

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विहित गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेशों में निवेश पर लागू मूल्य, वर्गीकरण एवं अन्य मानदंड प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद में बैंक के निवेश पर लागू किए जाते हैं।

The value, classification and other norms applicable to investment in non-SLR Investments prescribed by RBI are applied to Bank's investment in Security Receipts issued by SC/RC.

4. ब्याज दर स्वाप / INTEREST RATE SWAPS

4.1 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए ब्याज दर स्वाप लेन-देन की गणना उपचय आधार पर की जाती है तथा क्रय-विक्रय संबंधी लेन-देन के बाजार मूल्य को बहियों में अंकित किया जाता है तथा निवल मूल्यहास के लिए, यदि कोई हो, प्रावधान किया जाता है, जबकि मूल्यवृद्धि को, यदि हो, नजरअंदाज किया जाता है।

The Interest Rate Swap transactions undertaken for hedging are accounted for on accrual basis and transactions for trading are marked to market and net depreciation, if any, is provided for, whereas appreciation if any is ignored.

4.2 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए समाप्त ब्याज दर स्वाप पर लाभ या हानि को आस्थगित रखा जाता है और उसकी पहचान स्वाप की संविदागत शेष अवधि अथवा आस्तित या देयता की शेष अवधि, इनमें से जो भी कम हो, में की जाती है।

Gain or loss on terminated interest rate swap transactions undertaken for hedging is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or remaining life of the asset or liability.

4.3 क्रय-विक्रय स्वाप से संबंधित आय और व्यय की पहचान निपटान की तारीख को की जाती है।

Income and expenses relating to the trading swaps are recognized on the settlement date.

4.4 क्रय-विक्रय स्वाप की समाप्ति पर हुए लाभ या हानि को तत्काल आय या व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

Gain or losses on the termination of the trading swaps are recorded as income or expense immediately.

5. विदेशी मुद्रा करार / FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS

बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं का पुनर्मूल्यन माह के अंत के अनुसार प्रत्येक माह वायदा संहिता की परिपक्वता की तारीख पर आधारित लागू फेडाई (एफडीआई) दर पर किया जाता है एवं उसके फलस्वरूप हुए लाभ/हानि को प्रत्येक माह के अंत में लाभ एवं हानि में ले जाया जाता है।

Outstanding forward exchange contracts are revalued every month as per month end FEDAI rates applicable based on maturity date of the forward contracts and the resultant gain/loss is taken to profit and loss at the end of the each month.

6. ADVANCES

6.1 ऋण एवं अग्रिम का अर्जक एवं अनर्जक आस्तित के रूप में वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। भारत में अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है और भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (इसीजीसी) से प्राप्त / प्राप्य राशियों पर विचार करने के बाद उन्हें 'अवमानक', 'संदिग्ध' एवं 'हानि' आस्तियों में वर्गीकृत करके प्रावधान किए जाते हैं तथा अग्रिम का उल्लेख प्रावधान को घटाने के बाद किया जाता है।

Loans and advances are classified as performing and non-performing based on the guidelines issued by the RBI. Non-performing advances in India are ascertained as per the Prudential Norms and Provisions are made upon classifying the same into 'Sub-Standard', 'Doubtful', and 'Loss' assets after considering the claims Received / Receivable from ECGC and advances are stated after netting of provisions.

6.2 विदेश स्थित शाखाओं के अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान स्थानीय अपेक्षाओं या भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के, इनमें से जो भी अधिक हो, अनुसार किया जाता है।

Provision on Non-performing advances of foreign branches is made on the basis of local requirements or RBI guidelines whichever is higher.

6.3 मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान वैश्विक पोर्टफोलियो आधार पर किया जाता है।

A general provision on Standard Assets is made on global portfolio basis.

6.4 ओवरड्यू के माध्यम से केन्द्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित ऋण सुविधाओं को केवल तभी एनपीए माना जा सकता है जब सरकार अपनी गारंटी राशि की मांग किए जाने पर इंकार करे।

The credit facilities backed by the guarantee of the Central Government though overdue may be treated as NPA only when Government repudiates its guarantee when invoked

6.5 समझौता एवं निपटान संबंधी प्रस्तावों के मामले में पूर्ण वसूली के बाद बड़े खाते डाले जाते हैं।

In respect of Compromise and Settlement Proposals, write-off is done on complete realisation.

6.6 खाते को अंशतः विवेकपूर्ण बड़े खाते डालने का कार्य सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद मामला-दर-मामला आधार पर अप्रतिभूत अंश के लिए किया जाता है।

Partial prudential write-off of accounts is done upto unsecured portion level on a case to case basis on approval by the Competent Authority.

6.7 प्रतिभूतिकृत कंपनी (एससी)/ पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्तित की बिक्री आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्धारित बोर्ड अनुमोदित नीति के आधार पर की जाती है। एससी/आरसी को बेची गई वित्तीय आस्तित के मामले में, यदि शुद्ध बही मूल्य (एनबीवी) से कम कीमत पर बिक्री की जाती है तो कम रह गई राशि को लाभ-हानि खाते से नामे किया जाता है। यदि एनबीवी से उच्च मूल्य पर बिक्री की जाती है तो अतिरिक्त प्रावधान

को वापस नहीं किया जाता अपितु अन्य अनर्जक वित्तीय आस्तियों की बिक्री के फलस्वरूप हुई कमी / हानि की भरपाई के लिए उपयोग किया जाता है। पहले अंतरित किए गए खातों के प्रतिभूति रसीद (एसआर) मूल्य से अधिक प्राप्त अतिरिक्त लाभ को लाभ के रूप में मानकर निवेश से आय के रूप में दर्ज किया जाता है।

Sale of Financial asset to Securitised Company (SC) / Reconstruction Company (RC) is done on the basis of Board approved Policy in line with the RBI guidelines. In case of financial assets sold to the SC/RC, if the sale is at a price below the Net Book Value (NBV), the shortfall amount is debited to the Profit & Loss Account. If the sale is for a value higher than the NBV, the excess provision is not reversed but is utilized to meet the shortfall/loss on account of sale of other non-performing financial assets. Additional considerations realized over and above the Security Receipt (SR) value in respect of accounts transferred earlier is recognized as profit and booked as income from investment.

7. अचल आस्तियाँ/FIXED ASSETS

7.1 अचल आस्तियों का निर्धारण परंपरागत लागत आधार पर / पुनर्मूल्यित राशि में से संचित मूल्यहास को घटाकर किया जाता है। पुनर्मूल्यन से प्राप्त अधिशेष को पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में जमा किया जाता है।

Fixed assets are stated at historical cost/revalued amount less accumulated depreciation. Surplus arising on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

7.2 अचल आस्तियों के अभिग्रहण हेतु किए गए अग्रिम भुगतान / आंशिक भुगतान अन्य आस्तियों में शामिल किए जाते हैं।

Advance payments/part payments made towards acquisition of fixed assets are included under other Assets.

7.3 भारत में परिसर (अविभाज्य / अपृथक्कृत भूमि की लागत सहित) तथा अन्य अचल आस्तियों पर (साफ्टवेयर सहित कंप्यूटर, ए.सी. मशीन, ऐक्वागार्ड, रेफ्रिजरेटर, फोटो कॉपींग मशीन, फैक्स मशीन आदि को छोड़कर) मूल्यहास का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में विहित दरों पर अवलिखित मूल्य पद्धति के अनुसार किया जाता है। भा. रि. बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार कंप्यूटरों पर मूल्यहास सीधी कटौती प्रणाली के आधार पर 33.33% की दर से किया जाता है तथा ए.सी मशीन, ऐक्वागार्ड, रेफ्रिजरेटर, फोटो कॉपींग मशीन, फैक्स मशीन आदि पर मूल्य पद्धति के आधार पर 20% की दर से किया जाता है। मूल्यहास का प्रावधान 30 सितंबर तक किए गए परिवर्धन के लिए पूरी दर पर तथा उसके बाद किए गए परिवर्धन के लिए आधी दर पर किया जाता है।

Depreciation on Premises (including cost of land wherever inseparable/not segregated) and other fixed assets (excepting computers including software and AC machine, Aquaguard, Refrigerator, Photo-copying machine, Fax machine, etc.) in India is provided on written down value method at the rates prescribed in Schedule XIV to the Companies Act, 1956. Depreciation on computers including software is provided at the rate of 33.33% on Straight Line Method in terms of RBI guidelines and on AC machine, Aquaguard, Refrigerator, Photo-copying machine, Fax machine, etc. is provided at the rate of 20% on Written Down Value (WDV) Method. Depreciation is provided at full rate on additions made upto 30th September and at half the rate on additions made thereafter.

7.4 भारत के बाहर स्थित अचल आस्तियों की बाबत मूल्यहास का प्रावधान संबंधित देश की स्थानीय विधि के अनुसार सीधी कटौती प्रणाली / अवलिखित मूल्य पद्धति के आधार पर किया जाता है।

Depreciation in respect of fixed assets situated outside India is provided on straight line/written down value method as per the local laws of respective country.

7.5 पुनर्मूल्यन से उत्पन्न अतिरिक्त मूल्यहास का समंजन पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि के प्रति किया जाता है।

Additional depreciation arising out of revaluation is set off against Revaluation Reserve.

7.6 पट्टाधृत संपत्तियों की बाबत पट्टा प्रीमियम को पट्टे की अवधि तक परिशोधित किया जाता है।

In respect of leasehold properties, the lease premium is amortized over the period of the lease.

7.7 ₹1000 या इससे कम मूल्य वाली अचल आस्ति की प्रत्येक मद उसी तिमाही में पूरी तरह, जिस तिमाही में उसकी खरीद की गई है तथा ₹1001/- से ₹5000/- तक की मूल्यवाली प्रत्येक मद 100% की दर से उसी तिमाही में मूल्यहासित की जाती है, जिस तिमाही में उसकी खरीद भी गई है।

Fixed Assets items of small value, costing of ₹1000/- or less each, are charged off fully in the same quarter of purchase and items, costing ₹1001/- to ₹5000/- each, are depreciated at the rate of 100% in the same quarter of purchase.

8. कर्मचारी हितलाभ/EMPLOYEE BENEFITS

8.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ / Short Term Employee Benefits

कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा के एवज में 12 माह की सेवावधि के दौरान कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा, आकस्मिक छुट्टी आदि अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ अदा / जमा किया जाता है।

The short-term employee benefits, such as medical benefits, casual leave etc. which are paid/credited in exchange for the services rendered by employees are recognised during the 12 month period when the employee renders the service.

8.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ / Long Term Employee Benefits

सेवोपरांत हितलाभ/Post Employment Benefits

अ)A) निर्धारित अंशदान योजना/Defined Contribution Plan

क) a) भविष्य निधि जैसी निर्धारित अंशदान योजना में अंशदान को लाभ-हानि लेखा पर भारत किया जाता है। जिन कर्मचारियों ने पेंशन हितलाभ का विकल्प नहीं लिया है उनका भविष्य निधि अंशदान बैंक द्वारा संचालित ट्रस्ट को किया जाता है।

Contributions to Defined Contribution Schemes such as NPS, Provident Fund etc., are charged to the Profit & Loss Account as and when incurred. In respect of certain employees who have not opted for Pension Benefits, Provident Fund Contributions are made to a Trust administered by the Bank.

ख/ब) 1 अप्रैल, 2010 या उसके बाद बैंक सेवा में किए जानेवाले कर्मचारियों को एक निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना में शामिल किया जाता है जिसमें कर्मचारी वेतन के 10% एवं डीए का अंशदान करते हैं तथा बैंक भी उतना ही अंशदान करता है। यह योजना केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु 01 जनवरी, 2004 से प्रारंभ की गई अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधानों के अधीन है तथा समय-समय पर संशोधित की जाती है।

The employees joining the services of the bank on or after 1st April 2010 are covered by a defined contributory pension scheme where the employees contribute 10% of pay plus DA and the bank makes a matching contribution. The scheme is governed by the provisions of the contributory pension scheme introduced for the employees of central government w.e.f 1st January 2004 and modified from time to time.

आ/ब) निर्धारित हितलाभ योजना/Defined Benefit Plan

बैंक निर्धारित हितलाभ योजनाओं के अंतर्गत उपादान एवं पेंशन योजना चलाता है।

The bank operates gratuity and pension schemes which are defined benefit plans.

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को उपदान प्रदान करता है। इसके अंतर्गत उन सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नौकरी के दौरान मृत्यु पर, या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि/एकबारगी भुगतान इस प्रकार किया जाता है i) ₹10,00,000 की अधिकतम सीमा के अध्यधीन सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (मूल + डीए) या ii) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (केवल मूल वेतन), इनमें से जो भी अधिक हो। पाँच वर्ष/ दस वर्ष की सेवा (यथा प्रयोज्य) पूरी करने के उपरांत यह लाभ प्रदान किया जाता है। नियमित अंतराल पर किए गए स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर बैंक न्यासियों द्वारा संचालित निधि में वार्षिक अंशदान करता है।

The Bank provides for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum/one time payment to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to i) 15 days salary (Basic+DA) payable for each completed year of service, subject to a maximum amount of ₹10,00,000 or ii) 15 days salary (Basic only) for each completed year of service, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years/ ten years (as applicable) of service. The Bank makes annual contributions to a fund administered by Trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals.

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान करता है। नियमानुसार यह लाभ पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नौकरी के दौरान मृत्यु पर, या नौकरी की समाप्ति पर, जैसा कि इस विनियम में प्रावधान है, मासिक भुगतान के रूप में दिया जाता है। नियमानुसार विभिन्न स्तर पर यह लाभ प्रदान किया जाता है। वेतन के 10% प्रतिमाह की दर से अंशदान के अलावा नियमित अंतराल पर किए गए स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर बैंक न्यासियों द्वारा संचालित निधि में अतिरिक्त वार्षिक अंशदान करता है।

The Bank provides for pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and regular payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment as provided under regulation. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes additional annual contributions to funds administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals besides monthly contribution @ 10% of pay per month.

निर्धारित प्रसुविधा प्रदान किए जाने लागत का अवधारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है जो साधारणतया तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। निवल देयता को आस्थगित नहीं किया जाता है और उसे तत्काल लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

The cost of providing defined benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out on quarterly basis. Net liabilities are immediately recognised in the statement of profit and loss and are not deferred.

इ/क) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ/Other Long Term Employee benefits

क/अ. बैंक के सभी पात्र कर्मचारी प्रतिपूरक अनुपस्थिति एवं छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार हैं। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ लागत की निधि बैंक द्वारा आंतरिक रूप से प्रदान की जाती है।

All eligible employees of the bank are entitled to compensated absences; leave travel concession. The costs of such long term employee benefits are internally funded by the Bank.

ख/ब. इस प्रकार के अन्य निर्धारित दीर्घावधि हितलाभ प्रदान करने की लागत का अवधारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है जो साधारणतया तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। पश्च सेवा लागत को आस्थगित नहीं किया जाता है और उसे तत्काल लाभ-हानि लेख में मान्यता दी जाती है।

The cost of providing these other long term benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out on quarterly basis. Past service cost is immediately recognised in the statement of profit and loss and is not deferred.

ग/क. पूर्णकालिक निदेशकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात सेवोपरांत चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। लागत का आकलन एवं निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है और ऐसा मूल्यांकन सेवानिवृत्ति के साथ-साथ कार्यरत पूर्णकालिक निदेशकों के लिए तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। इस देयता को तत्काल लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है और इसे आस्थगित नहीं रखा जाता है।

Medical benefits are extended to full time Directors, after their retirement as post retirement medical benefits. The cost is ascertained and determined by actuarial valuation using the projected unit credit method and such valuation is carried out on quarterly basis for retired as well as in service full time Directors. The liability is immediately recognized in the statement of profit & loss and not deferred.

"सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प फिर से शुरू करना और उपदान सीमा में वृद्धि-विवेकपूर्ण विनियामक उपचार" के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र क्रमांक.डीबीओडी.बीपी. बीसी.80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 में दिये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक ने निम्नलिखित के कारण अतिरिक्त देयता को परिशोधित करने का निर्णय किया है-

In accordance with the guidelines given by Reserve Bank of India vide its Circular No. DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2010-11 dated 09.02.2011 on "Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment", Bank has decided to amortize the additional liability on account of –

क/अ) जिन विद्यमान कर्मचारियों ने पहले पेंशन का विकल्प नहीं दिया था उनके लिए पेंशन का विकल्प फिर से शुरू करने; और

Re-opening of pension option for existing employees who did not opt for pension earlier; and

ख/ब) वित्तीय वर्ष 2010-11 से पाँच वर्ष की अवधि तक सीधी-रेखा आधार पर व्यय के रूप में उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में संशोधन के अनुसरण में 10.00 लाख ₹ की वर्धित सीमा के अनुसार (3.50 लाख ₹ से बढ़ाकर) विद्यमान कर्मचारियों को उपदान का भुगतान करने के कारण।

Payment of gratuity to existing employees as per the enhanced limit of ₹10.00 lakh increased from ₹3.50 lakh) pursuant to the amendment of the Payment of Gratuity Act, 1972, as an expense on a straight line basis over a period of five years from the financial year 2010 -11.

9. राजस्व की पहचान/REVENUE RECOGNITION

9.1 अन्यथा कथित के सिवाय आय एवं व्यय की मदों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

Items of Income and Expenditure are accounted for on accrual basis, except as otherwise stated.

9.2 निम्नलिखित मदों के लिए आय की पहचान वसूली आधार पर की जाती है:

Income for the following items are recognised on realization basis:

क/अ) भा.रि.बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अनर्जक आस्तियों से आय/Income from non-performing assets in terms of RBI guidelines.

10. आय पर कर / TAXES ON INCOME

चालू कर का निर्धारण वर्ष की कर योग्य आय की बाबत देय कर की राशि पर किया जाता है और तदनुसार न्यूनतम विकल्पी कर सहित कर के लिए प्रावधान किया जाता है।

Current tax is determined on the amount of tax payable in respect of taxable income for the year and accordingly provision for tax is made including Minimum Alternate Tax (MAT).

अधिसूचित लेखा मानक 22 की शर्तों के अनुसार आस्थगित कर आस्ति या देयता की पहचान तुलन-पत्र की तारीख तक प्रदर्शित या तत्त्वतः प्रदर्शित कर की दरों का प्रयोग करके की जाती है। आस्थगित कर आस्तियों / देनदारियों की समीक्षा वर्ष के दौरान हुई गतिविधियों के आधार पर प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को की जाती है।

The deferred tax asset or liability is recognised using the tax rates that have been enacted or substantially enacted by the Balance Sheet date, in terms of notified Accounting Standard 22. Deferred Tax Assets/Liabilities are reviewed at each Balance Sheet date based on developments during the year.

11. आस्तियों की अनर्जकता/IMPAIRMENT OF ASSETS

जब कभी भी घटनाओं या स्थितियों में हुए परिवर्तन के कारण ऐसा लगे कि किसी आस्ति की रख-रखाव राशि की वसूली नहीं हो सकती है, तब अनर्जकता के आकलन हेतु अचल आस्तियों की समीक्षा की जाती है। धारित और उपयोग की जानेवाली आस्तियों की वसूली योग्यता का आकलन किसी आस्ति की रख-रखाव राशि की तुलना में आस्ति द्वारा उत्पन्न होनेवाले आगामी निवल बड़ाकृत नकदी प्रवाह से करके किया जाता है। यदि ऐसी आस्तियों को अनर्जक माना जाता है तो उसकी अनर्जकता का आकलन आस्ति के रख-रखाव की उस राशि से किया जाता है जो आस्ति के उचित मूल्य से अधिक होती है।

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment, to be recognized, is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

12. प्रति शेयर अर्जन / EARNINGS PER SHARE

बैंक एएस 20 – 'प्रति शेयर अर्जन', के अनुसार प्रति शेयर मूल और न्यूनीकृत अर्जन की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन का निर्धारण कर पश्चात निवल लाभ तथा अधिमानी शेयरों पर लाभान्श को वर्ष में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारिता से भाग देकर किया जाता है।

The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 – ‘Earnings per Share’. Basic earnings per share computed by dividing the net profit after tax and dividend on preferential shares by weighted average number of equity shares outstanding for the year.

प्रति शेयर अर्जन में कमी उस संभाव्य कमी को प्रकट करती है जो वर्ष के दौरान प्रतिभूति या इक्विटी शेयर जारी करने हेतु अन्य संविदा जारी या परिवर्तित करने पर होती है। प्रति शेयर अर्जन में कमी का निर्धारण वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या और कम होनेवाले संभाव्य इक्विटी शेयरों का उपयोग कर किया जाता है।

Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at year end.

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्ति संबंधी लेखा विधि

ACCOUNTING FOR PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

आईसीएआई द्वारा इस संबंध में जारी एस 29 “प्रावधान, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों” के अनुरूप बैंक प्रावधान की पहचान तभी करता है जब अतीत की किसी घटना के फलस्वरूप उसका वर्तमान दायित्व हो, संभव है कि आर्थिक लाभ को सन्निहित करनेवाले संसाधनों का बहिर्गमन दायित्व का निपटान करने हेतु अपेक्षित हो, और तब दायित्व की राशि का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सके।

In conformity with AS 29, “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets” issued in this regard by the ICAI, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

आकस्मिक आस्तियों का निर्धारण वित्तीय विवरणों में नहीं किया जाता क्योंकि इसके फलस्वरूप उस आय का निर्धारण होगा जिसे कभी भी वसूला नहीं जा सकता।

Contingent Assets are not recognised in the financial statements as this may result in the recognition of income that may never be realized.

अनुसूची / SCHEDULE 18
लेखे के संबंध में टिप्पणियां / NOTES ON ACCOUNTS

1. पूंजी / Capital

1.1 पूंजी पर्याप्तता अनुपात/Capital Adequacy Ratio

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मर्दे/Items	31.03.14 की स्थिति As on 31.03.14		31.03.13 की स्थिति As on 31.03.13
	बेसल/ Basel-III	बेसल/ Basel-II	बेसल/ Basel-II
(i) सामान्य शेयर टियर-1 पूंजी अनुपात (%) / Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	8.62	—	—
(ii) टियर 1 पूंजी अनुपात (%) / Tier 1 capital ratio (%)	8.71	8.90	9.06
(iii) टियर 2 पूंजी अनुपात (%) / Tier 2 capital ratio (%)	3.97	4.50	5.09
(iv) कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%) / Total capital ratio (CRAR) (%)	12.68	13.40	14.15
(v) भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत (%) / Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	77.20	77.20	69.26
(vi) पूंजी के रूप में जुटाई गई राशि / Amount of equity capital raised	262.08	262.08	87.92
(vii) टियर 1 पूंजी के रूप में जुटाई गई अतिरिक्त राशि; जिसमें से / Amount of Additional Tier 1 capital raised ; out of which पीएनसीपीएस: / PNCPS:	-	-	-
पीडीआई: / PDI:	-	-	-
(viii) टियर 2 के रूप में जुटाई गई पूंजी की राशि ; जिसमें से ऋण पूंजी लिखत: Amount of Tier 2 capital raised; out of which Debt capital instrument:	-	-	1000
अधिमानी शेयर पूंजी लिखत : (बेमियादी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस)/ मोचन-योग्य असंचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस)/ मोचन-योग्य संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस) Preference Share Capital Instruments : [Perpetual Cumulative Preference Share (PCPS)/ Redeemable Non-Cumulative Preference Shares(RNCPS)/ Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)	-	-	-

क) वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार को ₹77.19 प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर प्रत्येक ₹10/- के 2,59,10,091 इक्विटी शेयर आबंटित किए और उक्त इक्विटी शेयरों के आबंटन के बदले ₹199,99,99,924.29 की राशि प्राप्त की। इसमें से ₹25,91,00,910 शेयर पूंजी खाते में तथा ₹174,08,99,014.29 शेयर प्रीमियम खाते में अंतरित किए गए हैं।

ख) वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार द्वारा धारित ₹77.19 प्रत्येक के बेमियादी असंचयी अधिमानी शेयरों (पीएनसीपीएस) के परिवर्तन पर भारत सरकार को ₹1,00,000 प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर प्रत्येक ₹10/- के 23,61,70,488 इक्विटी शेयर आबंटित किए। पीएनसीपीएस खाते में धारित ₹1823 करोड़ में से ₹1823 करोड़ की राशि शेयर पूंजी खाते में तथा शेष राशि ₹ 1586,82,95,120 करोड़ शेयर प्रीमियम खाते में विनियोजित की गई है।

a) During the year, Bank allotted 2,59,10,091 equity Shares of ₹10/- each to Government of India at an issue price of ₹77.19 per Share and received ₹199,99,99,924.29 against allotment of the above equity Shares. Out of this, ₹25,91,00,910 is transferred to Share Capital Account and ₹174,08,99,014.29 is transferred to Share Premium Account.

b) During the year, Bank allotted 23,61,70,488 equity shares of ₹10/- each to Government of India at an issue price of ₹77.19 per share on conversion of 182300 Perpetual Non Cumulative Preference Shares (PNCPS) of ₹1,00,000 Lakh each aggregating to ₹1823 Crore held by Government of India. Out of ₹1823 Crore held under PNCPS account, an amount of ₹236,17,04,880 is appropriated to Share Capital Account and balance amount of ₹ 1586,82,95,120 is appropriated to Share Premium Account.

2.0 निवेश

2.1 बैंक के निवेश एवं निवेश पर मूल्य-ह्रास/अनर्जक निवेश के प्रति किए गए प्रावधान के उतार-चढ़ाव के ब्योरे निम्नानुसार हैं :

2.0 Investments

2.1 The Details of investments and the movement of provisions held towards depreciation on the investments/Non Performing Investments of the Bank is given below:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मर्दे/Items	31.03.14 की स्थिति As on 31.03.14	31.03.13 की स्थिति As on 31.03.13
(1) निवेशों का मूल्य/Value of Investments		
(i) निवेश का सकल मूल्य/Gross Value of Investments		
(a) भारत में/In India	65875.42	51334.87
(b) भारत के बाहर/ Outside India	1970.22	1180.30
(ii) मूल्यह्रास/एनपीआई हेतु प्रावधान/Provisions for Depreciation/NPI		
(a) भारत में/In India	361.01	248.49
(b) भारत के बाहर/Outside India	32.93	21.79
(iii) निवेशों का निवल मूल्य /Net Value of Investments		
(a) भारत में/In India	65514.40	51086.38
(b) भारत के बाहर/Outside India	1937.29	1158.51
(2) निवेशों पर मूल्यह्रास/एनपीआई के प्रति किए गए प्रावधान का उतार-चढ़ाव Movement of provisions held towards depreciation on investments/NPI.		
(i) प्रारंभिक शेष / Opening balance	270.28	413.92
(ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Add : Provisions made during the year : विनिमय अंतर के जरिए : By Exchange Difference	209.78 2.47	113.29 0.07
(iii) घटाएं : वर्ष के दौरान बड़े खाते डाले गए / पुनरांकित किए गए अतिरिक्त प्रावधान Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	88.59	257.00
(iv) अंतिम शेष/Closing balance	393.94	270.28

2.2 रेपो लेनदेन / Repo Transactions

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily Average outstanding during the year	31 मार्च 2014 को बकाया Outstanding as on 31 st March 2014
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ Securities sold under Repos				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities	0.00	9743.00	1331.00	8654.88
ii. कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ/ Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ Securities purchased under reverse Repos				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities	0.00	3950.00	129.00	0.00
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ/ Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00

2.3 गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग/Non-SLR Investment Portfolio

(i) गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश के जारीकर्ताओं की संरचना/ Issuer composition of Non SLR investments

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

सं. जारीकर्ता No. Issuer	राशि Amount	निजी तौर पर शेयर आबंटन की सीमा Extent of Private Placement	'निवेश श्रेणी से निम्न' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities	'रेटिंग से इतर' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i) स.क्षे.के उपक्रम / PSUs	4366.03	3861.14	3785.80	0.00	3786.64
(ii) वित्तीय संस्थाएं / FIs	771.85	515.14	160.00	0.00	20.20
(iii) बैंक / Banks	1121.06	793.47	600.00	600.00	600.00
(iv) निजी कंपनियां / Private Corporates	2330.31	1961.66	241.87	149.33	226.23
(v) अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/Subsidiaries/ Joint Ventures	198.29	198.29	13.78	13.78	198.29
(vi) अन्य /Others	4512.45	4397.65	0.00	114.80	0.00
(vii) उप योग (i) से (vi) तक Sub Total (i to vi)	13299.99	11727.35	4801.45	877.91	4831.36
(viii) घटाएं- मूल्यहास के प्रति किया गया प्रावधान Less Provision held towards depreciation	205.04	0.00	23.09	23.22	14.20
(ix) योग / Total (vii-viii)	13094.95	11727.35	4778.36	854.69	4817.16

(ii) अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश / Non performing Non-SLR investments

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	31.03.2014
प्रारंभिक शेष / Opening balance	116.62
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	60.74
वर्ष के दौरान कमी / Reductions during the year	39.62
अंतिम शेष / Closing balance	137.74
किए गए कुल प्रावधान / Total provisions held	113.41

2.4 विभिन्न श्रेणियों की प्रतिभूतियों में किए गए निवेश का सकल मूल्य निम्नानुसार है:

The gross value of Investments held in different categories of securities is as under:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	31.3.2014	31.3.2013
परिपक्वता तक धारित/Held to Maturity		
- छूट प्राप्त श्रेणी /-exempted category	4397.66	2958.43
- अन्य/-others	42319.89	33047.07
बिक्री हेतु उपलब्ध/Available for Sale	20955.17	16509.67
क्रय-विक्रय हेतु धारित/Held for Trading	96.47	0

2.5 एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री एवं अंतरण:

एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री एवं अंतरण का मूल्य वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं हुआ है।

2.5 Sale and transfers to/from HTM Category

The value of sales and transfers of securities to/from HTM category has not exceeded 5% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year.

वर्ष के प्रारंभ में निदेशक मंडल(बीओडी) के अनुमोदन के पश्चात वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ₹6243.03 करोड़ (बीवी) का अंतरण 'बिक्री के लिए उपलब्ध' (एएफएस) श्रेणी से 'परिपक्वता तर रखने हेतु'(एचटीएम) श्रेणी में किया गया। इस अंतरण पर ₹23.71 करोड़ का मूल्य-ह्रास लाभ एवं हानि खाते से घटाया गया।

During the financial year 2013-14 there was transfer of securities from 'Available for Sale' (AFS) to Held to Maturity (HTM) category of ₹6243.03 Crores (BV) under special provision with the approval of Board of Directors (BOD). Depreciation amounting to ₹23.71 Crore on account of such transfer has been charged to Profit and Loss Account.

3.0 व्युत्पन्न / Derivatives

3.1 वायदा दर करार/ब्याज दर स्वाप / Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मर्दे / Items	2013-14	2012-13
i) स्वाप करार का आनुमानिक मूलधन The notional principal of swap agreements	600.30	750.00
ii) करार के अंतर्गत काउंटर पार्टियों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में चूक किए जाने पर उठाई जानेवाली हानि Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	6.70	2.03
iii) स्वाप में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक Collateral required by the bank upon entering into swaps	0.00	0.00
iv) स्वाप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण Concentration of credit risk arising from the swaps	0.00	0.00
v) स्वाप बही का उचित मूल्य The fair value of the swap book	0.29	0.16

3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न / Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

कम सं. S.No.	विवरण Particulars	राशि Amount
(i)	वर्ष के दौरान प्रारंभ किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	0.00
	क) \ a)	
	ख) \ b)	
	ग) \ c)	
(ii)	दिनांक 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 st March 2014 (instrument-wise)	0.00
	क) \ a)	
	ख) \ b)	
	ग) \ c)	
(iii)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) जो बकाया हैं परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	0.00
	क) \ a)	
	ख) \ b)	
	ग) \ c)	
(iv)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का दैनिक बाजार मूल्य (लिखतवार) जो बकाया हैं परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	0.00
	क) \ a)	
	ख) \ b)	
	ग) \ c)	

3.3 व्युत्पन्न में ऋण जोखिम का प्रकटीकरण

क) गुणात्मक प्रकटीकरण

- i) व्युत्पन्न लेनदेन में जोखिम प्रबंध की संरचना और गठन:

संगठनात्मक ढाँचे के अंतर्गत कारपोरेट स्तर पर निवेश स्कंध है जो कार्यपालक निदेशकगण, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अंततः निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है। लेनदेन के समय उनके बारे में जोखिम प्रबंधन विभाग को सूचित किया जाता है।

- ii) जोखिम माप, जोखिम सूचना और जोखिम निगरानी प्रणालियों का क्षेत्र और स्वरूप :

क) बैंक द्वारा किए ब्याज दर स्वाप (आई आर एस) संबंधी लेनदेन केवल बचाव व्यवस्था एवं क्रय-विक्रय के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं। उत्पाद के रूप में व्युत्पन्न भी भा.खि. के मानकों के अनुरूप ग्राहकों को दिए जाते हैं। ये लेन-देन भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर बनाई गई बैंक की नीतियों के अनुसार किए जाते हैं।

ख) ब्याज दर स्वाप संविदाओं की शेष अवधि के लिए बेंचमार्क ब्याज दरों के उतार-चढ़ाव के आधार पर ब्याज दर व्युत्पन्न लेनदेन में जोखिम मापा जाता है। जोखिम की माप के प्रयोजनार्थ सभी ब्याज दर व्युत्पन्न लेनदेन को शामिल किया जाता है। जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है तथा रिपोर्ट अ.प्र.नि./का.नि. के समक्ष प्रतिदिन और निदेशक मंडल के समक्ष आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती है। ब्याज दर व्युत्पन्न लेनदेन की मार्क टू मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम पर निगरानी रखी जाती है।

- (iii) जोखिम से बचाव और/या उसके शमन के लिए नीतियां तथा बचाव व्यवस्था/प्रशामकों की निरंतर प्रभाविता पर निगरानी रखने की कार्यनीति एवं प्रक्रिया:

परिसंपत्तियों या देयताओं के वास्तविक ब्याज भार के लिए ब्याज दर स्वाप किया जाता है। आनुमानिक मूलधन और बचाव की परिपक्वता निहित परिसंपत्ति/देयता के मूल्य और परिपक्वता से अधिक नहीं होती है। बकाया ब्याज दर स्वाप संविदाओं की मार्क टू मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम पर निगरानी रखी जाती है तथा तदनुसार बचाव की प्रभाविता निर्धारित की जाती है।

ब्याज दर स्वाप करने पर अपेक्षित संपार्श्विक शून्य है। पूंजी अपेक्षा अवधारित करने के लिए सुसंगत परिवर्तन-कारक से गुणा की गई ब्याज दर स्वाप की आनुमानिक मूल राशि और प्रतिपार्टी की संबंधित जोखिम भारिता को हिसाब में ले लिया गया है।

3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

a) Qualitative Disclosures

- i) The Structure and organization for management of risk in derivatives trading:

The organization structure consists of Investment Wing at the Corporate level which report to the Executive Directors and Chairman & Managing Director and ultimately to the Board. Risk Management Department is informed of the transactions as and when they take place.

- ii) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems:

a) The Interest Rate Swap (IRS) transactions undertaken by the Bank are for hedging and trading purposes. Derivative as a product is also offered to the customer as per RBI norms. Such transactions are undertaken as per policies of the bank formulated based on RBI guidelines.

b) The risk is measured in the interest rate derivative transactions depending on the movement of benchmark interest rates for the remaining life of the interest rate swap contracts. All interest rate derivative transactions are included for the purpose of risk measurement. The risk is evaluated and reports are placed to the CMD/ED daily and Board periodically. Risk is monitored based on the mark to market position of the interest rate derivative transactions.

- (iii) Policies for hedging and /or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants:

IRS is undertaken on the actual interest bearing underlying assets or liabilities. The notional principal amount and maturity of the hedge does not exceed the value and maturity of underlying asset/liability. The risk is monitored on the mark to market basis of the outstanding interest rate swap contracts and accordingly the effectiveness of the hedge is determined.

Collateral required upon entering into IRS is Nil. Notional principal amount of IRS multiplied by the relevant conversion factor and the respective risk weight of the counter party has been taken into account for determining the capital requirements.

ख)ब) प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण/Quantitative Disclosures

(राशि करोड़ ₹ में) / (Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. विवरण Sl.No.Particulars	2013-14		2012-13	
	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest rate derivatives	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest rate derivatives
1 व्युत्पन्न (आनुमानिक मूलधन राशि) Derivatives (Notional Principal Amount)	50056.26	899.89	44957.74	750.00
क)\a) बचाव के लिए / For hedging	50056.26	449.89	44957.74	150.00
ख)\b) क्रय-विक्रय के लिए /For trading	0.00	450.00	0.00	600.00
2 मार्केट टू मार्केट स्थिति / Marked to Market Positions				
क)\a) आस्ति (+) / Asset (+)	83.49	1.16	11.66	0.16
ख)\b) देयता (-) \ Liability (-)	6.69	0.00	5.57	0.00
3 ऋण एक्सपोजर \ Credit Exposure	650.69	16.57	524.56	8.78
4 ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01) Likely impact of one percentage change in Interest rate (100*PV01)				
क)\a) बचाव व्युत्पन्न पर \ on hedging derivatives				
अधिकतम \ Maximum	NA	-15.55	NA	-5.82
न्यूनतम \ Minimum	NA	6.63	NA	0.80
ख)\b) क्रय-विक्रय व्युत्पन्न पर \ on trading derivatives				
अधिकतम \Maximum	NA	0.53	NA	0.38
न्यूनतम \ Minimum	NA	0.06	NA	-0.05
5 वर्ष के दौरान 100*पीवी01 के अधिकतम और न्यूनतम निम्नलिखित पर पाए गए Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
बचाव-व्यवस्था पर- \ on hedging				
अधिकतम \ Maximum	NA	2.21	NA	-3.83
न्यूनतम \ Minimum	NA	7.53	NA	-2.01
क्रय-विक्रय पर \ on trading				
अधिकतम \ Maximum	NA	0.84	NA	0.33
न्यूनतम \ Minimum	NA	-0.02	NA	0.21

ग) ब्याज दर स्वाप के लिए अन्य प्रकटन

बैंक में निहित परिसंपत्तियों और देयताओं पर स्थिर से अस्थिर और अस्थिर से स्थिर ब्याज दर व्युत्पन्न लिए हैं। यदि काउंटर पार्टियों ने अपने दायित्व पूरे नहीं किए तो उपर्युक्त ब्याज दर स्वाप पर ₹6.70 करोड़ का नुकसान होगा। ब्याज दर स्वाप के संबंध में किए गए लेनदेन से ऋण जोखिम का संकेन्द्रण नहीं हुआ है क्योंकि काउंटर पार्टी बैंक है एक्सपोजर अनुमत सीमा के भीतर है।

c) Other Disclosures for Interest Rate Swaps

The Bank has undertaken fixed to floating and floating to fixed interest rate swaps on underlying assets and liabilities. The loss of income on the above IRS will be ₹6.70 Crore, in case counter-parties fail to fulfill their obligations. There is no concentration of credit risk arising from IRS transactions undertaken as the counter-parties are banks and the exposure is within the exposure limit permitted.

4.0 आस्ति गुणवत्ता / Asset Quality

4.1 अनर्जक आस्ति / Non-Performing Asset

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मर्दे / Items	2013-14	2012-13
(i) निवल अग्रिम की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%) /Net NPAs to Net Advances(%)	2.38%	3.17%
(ii) अनर्जक आस्तियाँ (सकल) में घट-बढ़/ Movement of NPAs (Gross)		
(क)/(a) प्रारंभिक शेष /(a) Opening Balance	7130.09	4086.20
(ख)/(b) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	3961.59	5161.59
(ग)/(c) वर्ष के दौरान कमी /Reductions during the year :	4470.31	2117.70
(घ)/(d) अंतिम शेष / Closing Balance	6621.37	7130.09
(iii) अनर्जक आस्तियाँ (सकल) में घट-बढ़/Movement of Net NPAs		
(क)/(a) प्रारंभिक शेष /(a) Opening Balance	4069.31	2263.94
(ख)/(b) वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	3961.59	5161.59
(ग)/(c) वर्ष के दौरान कमी / Reductions during the year	4470.31	2117.70
(घ)/(d) Less: Adjustment for excess in value of netting item over Previous year *	4.17	1238.52
(ङ)/(e) अंतिम शेष / Closing Balance	3556.43	4069.31
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान में घट-बढ़ (मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर) Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on standard Assets)		
(क)/(a) प्रारंभिक शेष /(a) Opening Balance	2816.42	1650.57
(ख)/(b) वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	1428.46	1783.08
(ग)/(c) वर्ष के दौरान कमी /Reductions during the year :	1423.44	617.23
(घ)/(d) अंतिम शेष / Closing Balance	2821.44	2816.42
* निवल की गई मद का प्रारंभिक मूल्य / Opening value of Netting Item	3060.78	1822.26
निवल की गई मद का अंतिम मूल्य / Closing value of Netting Item	3064.95	3060.78
निवल की गई मदों के मूल्य में आधिक्य / Excess in value of Netting Items	(4.17)	(1238.52)

4.2 पुनर्संरचित खातों का विवरण

(करोड़ ₹ में)

क्र.मां.क.	पुनर्संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत						एसएफई ऋण पुनर्संरचना प्रणाली के अंतर्गत						अन्य						कुल							
	अस्तित्व वर्गीकरण	विवरण	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	
1		उधारकर्तियों की संख्या	29	1	1	0	31	1199	5	0	0	1204	10030	59	2	0	10091	11258	65	3	0	11326						
		वित्तीय वर्ष के अंत में अस्तित्व की संख्या	2747.68	89.65	37.50	0.00	2874.83	118.15	19.66	0.00	0.00	137.81	5876.69	1.53	0.04	0.00	5878.26	8742.52	110.84	37.54	0.00	0.00	8890.90					
		वित्तीय वर्ष के अंत में अस्तित्व की संख्या	75.54	0.00	5.72	0.00	81.26	3.24	0.65	0.00	0.00	3.89	176.30	0.02	0.00	0.00	176.32	255.08	0.67	5.72	0.00	0.00	261.47					
2		उधारकर्तियों की संख्या	29	2	1	0	32	89	0	1	0	90	2917	6	0	0	2923	3035	8	2	0	0	3045					
		वर्ष के दौरान नए पुनर्संरचित	3497.67	92.39	8.02	0.00	3598.08	46.98	0.00	3.41	0.00	50.39	2369.29	69.34	0.00	0.00	2438.63	5913.94	161.73	11.43	0.00	0.00	6087.10					
		पुनर्संरचित	168.00	2.59	0.28	0.00	170.87	2.50	0.00	0.12	0.00	2.62	235.65	1.03	0.00	0.00	236.68	406.15	3.62	0.00	0.00	0.00	409.77					
3		उधारकर्तियों की संख्या	0	-1	0	0	-1	0	0	0	0	0	18	-18	0	0	0	18	-19	0	0	0	-1					
		वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में उद्योग	0.00	-61.39	0.00	0.00	-61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64	-6.64	0.00	0.00	0.00	6.64	-68.03	0.00	0.00	0.00	-61.39					
		पुनर्संरचित	0.00	-2.76	0.00	0.00	-2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	-2.96	0.00	0.00	0.00	-2.76					
4		उधारकर्तियों की संख्या	-7	0	0	0	-7	-1085	-5	0	0	-1090	-7158	-41	-2	0	-7201	-8250	-46	-2	0	0	-8298					
		पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिन पर वित्तीय वर्ष के अंत में उद्योग प्रावधान / जोखिम	-1241.36	0.00	0.00	0.00	-1241.36	-32.29	-19.66	0.00	0.00	-51.95	-628.19	-1.53	-0.04	0.00	-629.76	-1901.84	-21.19	-0.04	0.00	0.00	-1923.07					
		भार नहीं रखा गया अतः अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में उन्हें पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की जरूरत नहीं है	-35.00	0.00	0.00	0.00	-35.00	-1.16	-0.67	0.00	0.00	-1.83	-18.52	-0.75	0.00	0.00	-19.27	-54.68	-1.42	0.00	0.00	0.00	-56.10					

क्र. मा. क.	पुनर्संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत				एसएसई आर पुनर्संरचना प्रणाली के अंतर्गत				अन्य				कुल								
	अस्तित्त्व वर्गीकरण	विवरण	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	
5		उधारकर्ताओं की संख्या	-4	4	0	0	0	-8	8	0	0	0	-8	7	0	1	0	-20	19	0	1	0	0
		बकाया राशि	-113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	-55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	-79.54	74.56	0.00	4.98	0.00	-248.52	243.54	0.00	4.98	0.00	0.00
6		वित्तीय वर्ष के पुनर्संरचित खातों की अवनति	-3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	-1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	-3.77	3.56	0.00	0.21	0.00	-8.70	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
		उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7		वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को बड़े खाते डाला जाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		प्रारंभिक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7		वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति को पुनर्संरचित खातों के अंतर्गत	47	6	2	0	55	195	8	1	0	204	5799	13	0	1	5813	6041	27	3	1	6072	6072
		बकाया राशि	5440.28	234.38	45.52	0.00	5720.18	146.36	55.26	3.41	0.00	205.03	5578.27	137.26	0.00	4.98	5720.51	11164.91	426.90	48.93	4.98	11645.72	11645.72
		प्रारंभिक	286.56	10.55	2.05	0.00	279.16	7.15	2.49	0.15	0.00	9.79	273.33	6.22	0.00	0.22	279.77	547.04	19.26	2.20	0.22	568.72	568.72

4.2 Particulars of Accounts Restructured

(₹ Crore)

Sl No	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total																														
			Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total																										
																							Asset Classification	Details																								
1	Restructured Accounts as on April of the FY (Opening figures)	No. of borrowers	29	1	0	31	1199	5	0	0	1204	10030	59	2	0	10091	11258	65	3	0	11326	2747.68	89.65	37.50	0.00	2874.83	118.15	19.66	0.00	137.81	5876.69	1.53	0.04	0.00	0.00	5878.26	8742.52	110.84	37.54	0.00	8890.90							
		Provision thereon	75.54	0.00	5.72	81.26	3.24	0.65	0.00	3.89	176.30	2917	6	0	0	2923	255.08	0.67	5.72	0.00	261.47																											
2	Fresh restructuring during the year	No. of borrowers	29	2	1	32	89	0	1	0	90	2917	6	0	0	2923	3035	8	2	0	3045	3497.67	92.39	8.02	0.00	3598.08	46.98	0.00	3.41	0.00	50.39	2369.29	69.34	0.00	0.00	2438.63	5913.94	161.73	11.43	0.00	6087.10							
		Provision thereon	168.00	2.59	0.28	170.87	2.50	0.00	0.12	2.62	235.65	235.65	1.03	0.00	0.00	236.68	406.15	3.62	0.00	0.00	409.77																											
3	Upgradations to restructured standard category during the FY	No. of borrowers	0	-1	0	-1	0	0	0	0	0	18	-18	0	0	0	18	-19	0	0	-1	Amount outstanding	0.00	-61.39	0.00	0.00	-61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64	-6.64	0.00	0.00	6.64	-68.03	0.00	0.00	-61.39								
		Provision thereon	0.00	-2.76	0.00	-2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	-2.96	0.00	0.00	-2.76																											
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of borrowers	-7	0	0	-7	-1085	-5	0	0	-1090	-7158	-41	-2	0	-7201	-8250	-46	-2	0	-8298	-1241.36	0.00	0.00	0.00	-1241.36	-32.29	-19.66	0.00	0.00	-51.95	-628.19	-1.53	-0.04	0.00	-629.76	-1901.84	-21.19	-0.04	0.00	-1923.07							
		Provision thereon	-35.00	0.00	0.00	-35.00	-1.16	-0.67	0.00	0.00	-1.83	-18.52	-0.75	0.00	0.00	-19.27	-54.68	-1.42	0.00	0.00	-56.10																											

Sl No	Type of Restructuring		Under CDR Mechanism				Under SME Debt Restructuring Mechanism				Others				Total			
	Asset Classification	Details	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	
5	No. of borrowers		-4	4	0	0	0	-8	8	0	0	0	-8	7	0	1	0	0
	Amount outstanding during the FY		-113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	-55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	-79.54	74.56	0.00	4.98	0.00	0.00
	Provision thereon		-3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	-1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	-3.77	3.56	0.00	0.21	0.00	0.00
6	No. of borrowers		0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
	Amount outstanding during the FY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Provision thereon		0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	No. of borrowers		47	6	2	0	55	195	8	1	0	204	5799	13	0	1	5813	6041
	Amount outstanding during the FY (closing figures)		5440.28	234.38	45.52	0.00	5720.18	146.36	55.26	3.41	0.00	205.03	5578.27	137.26	0.00	4.98	5720.51	11164.91
	Provision thereon		266.56	10.55	2.05	0.00	279.16	7.15	2.49	0.15	0.00	9.79	273.33	6.22	0.00	0.22	279.77	547.04

4.3 आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्संरचना कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के ब्योरे

Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Companies for Asset Reconstruction

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मर्दे / Item	2013-2014	2012-13
(i) खातों की संख्या / No. of accounts	133	1
(ii) एस सी / आर सी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान को छोड़कर) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC / RC	1071.67	2.52
(iii) कुल प्रतिफल / Aggregate consideration	1046.00	2.67
(iv) पूर्व के वर्षों में अंतरित खातों की बावत वसूले गए अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0.34	0.00
(v) निवल बही मूल्य से अधिक कुल लाभ / हानि Aggregate gain / loss over net book Value	(25.67)	0.15

4.4 खरीदी गई/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्योरे/ Details of Non performing financial assets purchased/sold

अ/A. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्योरे/Details of Non performing financial assets purchased:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	2013-14	2012-13
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या (a) No. of accounts purchased during the year	शून्य/Nil	शून्य/Nil
(ख)/(b) कुल बकाया/Aggregate Outstanding	—	—
2. (क) उपर्युक्त में से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या / (a) Of these, number of accounts restructured during the year	—	—
(ख)/(b) कुल बकाया/Aggregate Outstanding	—	—

आ/B. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्योरे/Details of Non performing financial assets sold:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	2013-14	2012-13
1. बेचे गए खातों की संख्या / No. of Accounts sold	शून्य/Nil	शून्य/Nil
2. कुल बकाया / Aggregate Outstanding	शून्य/Nil	शून्य/Nil
3. कुल प्रतिफल प्राप्त / Aggregate consideration received	शून्य/Nil	शून्य/Nil

4.5 मानक अग्रिम पर प्रावधान / Provisions on Standard Assets

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मर्दे / Item	2013-14	2012-13
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान / Provisions towards Standard Assets	938.98	667.87

5.0 कारोबार अनुपात / Business Ratios

मर्दे / Items	2013-14	2012-13
(i) कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय / Interest Income as a percentage to Working Funds	8.49	8.86
(ii) कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय Non-interest income as a percentage to Working Funds	0.61	0.50
(iii) कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन आय/Operating Profit as a percentage to Working Funds	2.30	1.78
(iv) आस्तियों पर आय /Return on Assets	0.70	0.33
(v) प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा व अग्रिम) / Business (Deposits plus advances) per employee	13.61 करोड़/Cr.	11.89 करोड़/Cr.
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ / Profit per employee	6.55 लाख/lakh	2.72 लाख/lakh

6.0 अस्तित्व देयता प्रबंध-दिनांक 31.03.2014 को अस्तित्वों एवं देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप

6.0 Asset Liability Management - Maturity-pattern of certain items of asset and liabilities as on 31.03.2014

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण	1 दिन	2 से 7 दिन तक	8 से 14 दिन तक	15 से 28 दिन तक	29 दिन से 3 माह तक	3 माह से अधिक से लेकर 6 माह तक	6 माह से अधिक से लेकर 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक से लेकर 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक से लेकर 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
PARTICULARS	Day 1	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 28 days	29 days and up to 3 months	Over 3 months and up to 6 months	Over 6 months and up to 1 year	Over 1 year and up to 3 years	Over 3 years and up to 5 years	Over 5 years	Total
जमा/Deposits	1659.69	3582.24	4677.39	5889.83	31106.32	25092.81	38971.12	42756.57	4758.46	41039.12	199533.55
अग्रिम सकल / Advances Gross	1930.77	993.57	783.40	1487.57	26807.47	14416.73	10261.61	34813.59	12904.30	48764.17	153163.18
निवेश Investments	2.84	4.83	17.55	512.43	315.91	858.66	2534.03	6170.52	10176.25	47252.62	67845.64
उधार/Borrowings	63.52	10120.41	149.79	649.15	3490.77	657.52	6.53	1395.88	104.76	4079.90	20718.23
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency Assets	2127.13	501.50	764.02	1111.45	5029.96	4583.95	2150.66	3348.56	1090.59	1359.42	22067.24
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency Liabilities	582.24	67.27	1294.27	2269.54	4303.64	3482.70	2082.59	4212.26	663.89	3108.84	22067.24

7.0 एक्सपोजर/Exposure:

7.1 स्थावर-संपदा क्षेत्र को ऋण/Exposure to Real Estate Sector

(राशि करोड़ ₹ में/Amount in ₹ Crore)

श्रेणी/Category	2013-14	2012-13
क/अ) प्रत्यक्ष एक्सपोजर / Direct exposure		
(i) आवासीय संपत्ति बंधक - ऐसी आवासीय संपत्ति को बंधक रखकर दिए गए पूर्णतः प्रतिभूत उधार जो उधारकर्ता के दखल में है या होगी या जो किराए पर दी गई हो (प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम में शामिल करने योग्य वैयक्तिक आवास ऋण अलग से दर्शाए जाएं) Residential Mortgages – Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances may be shown separately);	7035.39 4878.36	5331.19 3630.71
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा वाणिज्यिक स्थावर संपदा को (कार्यालय भवन, खुदरा कारोबार का स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किराए वाले वाणिज्यिक परिसर, उद्योग या वेयर हाउस के लिए खाली स्थान, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं विनिर्माण, आदि) बंधक रखकर दिए गए प्रतिभूत उधार। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल है। Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	1658.29	3108.66
(iii) बंधक समर्थित प्रतिभूति (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूत ऋणों में निवेश Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures –		
क/अ.आवासीय / Residential,	0.32	2.52
ख/ब.वाणिज्यिक स्थावर संपदा / Commercial Real Estate.	0.00	0.00
ख/ब) अप्रत्यक्ष ऋण/Indirect Exposure	1712.89	1257.80
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) को निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित ऋण Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).		
स्थावर-संपदा क्षेत्र को कुल ऋण (क+ख)/Total Exposure to Real Estate Sector (a+b)	10406.89	9700.17

7.2 पूंजी बाजार को एक्सपोजर/Exposure to Capital Market

(राशि करोड़ ₹. में / Amount in ₹ Crore)

	विवरण/Particulars	2013-14	2012-13
(i)	ऐसे इक्विटी शेयरों परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसकी आधारभूत निधि का पूर्णतः निवेश कार्पोरेट ऋण में न किया गया हो; Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	535.64	529.05
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर अग्रिम; advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	0.00	0.01
(iii)	किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति माना जाता है; advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	0.00	0.00
(iv)	किन्हीं अन्य प्रयोजन के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जो शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हो यानी जहां शेयर/परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर/इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिट से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम को पूरी तरह संरक्षित न करती हो; advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	0.00	0.00
(v)	शेयर दलालों को दिए जाने वाले प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं शेयर संतुलनकर्ताओं की ओर से जारी गारंटी; secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	37.08	38.20
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर कंपनियों को संस्वीकृत ऋण; loans sanctioned to corporate against the security of shares /bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी प्रवाह/निर्गम के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण; bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	0.00	0.00
(viii)	शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम की बावत बैंकों द्वारा की गई हमीदारी प्रतिबद्धता; underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर दलालों को वित्तपोषण/financing to stockbrokers for margin trading;	0.00	0.00
(x)	वेंचर कैपिटल फंड (रजिस्ट्रीकृत एवं अरजिस्ट्रीकृत दोनों) सभी एक्सपोजर all exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	194.50	194.50
	पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर /Total exposure to Capital Market	767.22	761.76

7.3 जोखिम श्रेणीवार कंट्री एक्सपोजर / Risk Category wise Country Exposure

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31 st March 2014	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31 st March 2014	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31 st March 2013	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31 st March 2013
नगण्य/Insignificant	4487.11	--	3168.72	--
कम/Low	4864.13	--	1848.67	--
सामान्य/Moderate	152.57	--	72.83	--
अधिक/High	0.00	--	0.00	--
अत्यधिक/Very High	0.00	--	0.00	--
सीमित/Restricted	0.00	--	0.00	--
ऋणोत्तर/Off-credit	0.00	--	0.00	--
कुलTotal	9503.81	--	5090.22	--

दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार बैंक की कुल आस्तियों के आधार पर कंट्री एक्सपोजर के मद में प्रावधान शून्य है। बैंक ने 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार अपने देश से भिन्न देशों में दिए गए ऋणों की जांच की है। प्रत्येक देश में बैंक का निवल निधिक एक्सपोजर उसकी आस्तियों के 1% से कम है।

Based on the total assets of the Bank as on 31.03.2014, the provision requirement on account of Country Exposure is ₹ Nil. The Bank has taken a stock of its exposure in countries other than the home country as on 31st March, 2014. The Bank's net funded exposure in each country is below 1% of its assets.

7.4 बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता ऋणसीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता ऋण सीमा (जीबीएल) के ब्योरे

7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank.

(अ) बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता ऋण सीमा - शून्य

A. Single Borrower Limit exceeded by the Bank:- Nil

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्रमांक Sl. No	उधारकर्ता का नाम Name of the Borrower	एक्सपोजर की उच्चतम सीमा Exposure Ceiling	संस्वीकृत ऋण सीमा Limit sanctioned	अवधि, जिसके दौरान ऋण सीमा का अतिक्रमण हुआ Period during which limit exceeded	कॉलम 5 में उल्लिखित अवधि के दौरान जितनी राशि का अतिक्रमण हुआ Amount exceeded during the period in col.5	बोर्ड की संस्वीकृति का ब्योरा Board sanction details	31.03.14 के अनुसार स्थिति Position as on 31.03. 14
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

(आ) बैंक द्वारा अतिक्रमित समूह उधारकर्ता सीमा - शून्य

B. Group Borrower Limit exceeded by the Bank - NIL

7.5 अप्रतिभूत अग्रिम/Unsecured Advances

(राशि करोड़ ₹. में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार/As at 31st March 2014
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम Total Unsecured Advances of the Bank	12219.14
क) जिनमें से अमूर्त प्रतिभूतियों यथा राइट्स, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर भार के प्रति बकाया अग्रिम की राशि a) Of which amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as rights, licences, authority etc	शून्य/NIL
ख) ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का आनुमानिक मूल्य b) The estimated value of such intangible securities	लागू नहीं/Not Applicable

8. विविध

8.1 आयकर के लिए किए गए प्रावधान की राशि

विवरण/Particulars	31.03.2014	31.03.2013
आयकर के लिए प्रावधान/Provision for Income Tax		
भारत में/In India	369.24	371.79
भारत के बाहर/Outside India	9.43	7.43

8.2 भा.रि. बैंक द्वारा अधिरोपित शास्त्रियों का प्रकटन

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 43(4) के अधीन बैंक पर कोई शास्त्रि अधिरोपित नहीं की है।

9.0. लेखा मानक के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं

9.1 लाभ-हानि लेखा में कोई 'अवधि पूर्व मद' शामिल नहीं की गई है, जिसे भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशों के साथ पठित आईसीएआई द्वारा जारी एएस-5 के अनुसार प्रकट किया जाना अपेक्षित है।

9.2 राजस्व को मान्यता

वर्ष के दौरान बैंक ने लेखांकन मानक (एएस-9) का अनुपालन करने के लिए जारी किए गए साख पत्र गारंटियों पर अर्जित कमीशन तथा मीयादी बिल पर ब्याज को वसूली के बजाय प्रोद्भूत आधार पर मान्यता देने के लिए अपनी लेखांकन नीति परिवर्तित की है। यदि वसूली आधार पर उपर्युक्त कमीशन को मान्यता देने की नीति इस वित्तीय वर्ष में जारी रहती तो वर्ष 2013-14 का लाभ ₹142.88 करोड़ ज्यादा होता। पुरानी प्रणाली में लेखाधार्शन लेन-देन को नई प्रणाली में संक्रमित करने से पड़नेवाले प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सका तथा वर्तमान में यह कार्य जारी है जब यह प्रभाव निर्धारित कर लिया जाएगा तब आवश्यक समायोजन यदि कोई हो कर लिया जायेगा।

9.3 एएस-15-कर्मचारी हितलाभ

कर्मचारी हितलाभ यानी पेंशन, उपदान, छुट्टी का नकदीकरण, बीमारी छुट्टी, एलएफसी/एलटीसी, सेवानिवृत्ति एवं सेवारत निदेशकों आदि तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधा, आदि हेतु संशोधित लेखा मानक (एएस-15) के अनुसार प्रावधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने ऐसे कर्मचारियों के लिए पेंशन का विकल्प फिर से शुरू किया है, जिन्होंने पूर्व में पेंशन योजना के लिए विकल्प नहीं दिया था। इसके कारण बैंक को ₹507.84 करोड़ की अतिरिक्त देयता का वहन करना पड़ा है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी कर्मचारियों को दिए जाने वाले उपदान की सीमा को उपदान अधिनियम, 1972 में संशोधन के अनुसार संशोधित किया गया था। इसके कारण भी बैंक की देयता में ₹292.51 करोड़ की वृद्धि हुई। भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रमांक डीबीओडी. बीपी.बीसी 80.21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 के निदेशों के अनुसार, बैंक ने रु 800.35 करोड़ की इस पूरी राशि को वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ करके पांच वर्षों में परिशोधित करने का निर्णय किया। इसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक के उक्त परिपत्र की अपेक्षाओं के अनुसार ₹160.07 करोड़ की राशि से लाभ-हानि खाते को घटाया गया है। शेष 160.07 करोड़ 320.14 करोड़ की राशि को अग्रसारित किया गया है।

₹160.07 करोड़ (₹160.07 करोड़) के अतिरिक्त 793.55 करोड़ हानि खाते से घटाई गई है, जिसमें कर्मचारी हितलाभ से संबंधित देयताएं शामिल हैं।

8. Miscellaneous

8.1 Amount of Provision made for Income Tax

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

8.2 Disclosure of penalties imposed by RBI.

Reserve Bank of India has not imposed any penalty on the Bank u/s 46(4) of the Banking regulation Act, 1949

9.0. Disclosures Requirement as per Accounting Standards:

9.1 There is no material "prior period item" included in Profit & Loss account required to be disclosed as per AS – 5 issued by ICAI read with RBI guidelines.

9.2 Revenue Recognition

During the year Bank has changed its accounting practice to recognize commission earned on Letter of Credit, Guarantees issued and interest on usance Bill on accrual basis instead of realization to comply with Accounting Standard (AS-9). The profits for the year 2013-14 would have been higher by ₹142.88 crore if the practice of recognition of above said commission on realization basis continued for the financial year. The impact on account of transition to the new system pertaining to the transactions accounted for under the old system could not be ascertained and the exercise is currently going on. The necessary adjustment, if any, will be carried out as and when the impact is ascertained.

9.3 AS - 15 –Employee Benefits

Provision for Employee Benefits viz. Pension, Gratuity, Leave Encashment, Sick Leave, LFC/LTC, medical benefits to retired and in service Directors and their family members etc. has been made as per Revised Accounting Standard (AS) -15.

During the financial year 2010-11, the Bank reopened the Pension option for such of its employees who had not opted for Pension scheme earlier. The Bank in result incurred an additional liability of ₹507.84 Crore due to the same. In the same financial year too, the limit of Gratuity payable to the employees was enhanced pursuant to the amendment of Gratuity Act, 1972. As a result the liability of Bank was also increased by ₹292.51 Crore. As per RBI guidelines as enumerated in circular no. DBOD.BP.BC.80.21.04.018/2010-11 dated 09.02.2011, the Bank decided to amortize the entire expenditure ₹800.35 Crore in five years beginning from financial year 2010-11. Accordingly a sum of ₹160.07 Crore (160.07 Crore) is charged to Profit and Loss A/C in terms of the requirements of the above RBI Circular. The balance amount of ₹160.07 Crore (320.14 Crore) is carried forward.

In addition to ₹160.07 Crore (160.07 Crore), an amount of ₹793.55 Crore (734.64 Crore) which includes liability for the employees benefits, has been charged to Profit and Loss Account towards current year's liabilities.

प्रारंभिक एवं अंतिम दायित्व-शेष का मिलान : / Reconciliation of opening and closing balances of obligations:

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

निधिक/FUNDED			अनिधिक/UNFUNDED			
	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC/ LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Med. Benefits to Directors
प्रारंभिक दायित्व Opening Obligation	3863.62	878.60	316.78	27.09	9.41	0.38
चालू सेवा लागत Current Service Cost	472.04	35.88	71.18	0.00	2.51	0.00
ब्याज लागत Interest Cost	310.84	68.44	26.93	2.30	0.80	0.03
प्रदत्त हितलाभ Benefit Paid	(413.28)	(146.93)	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमांकिक हानि/(लाभ) Actuarial Loss/(Gain)	422.06	21.20	(73.29)	(0.30)	(2.69)	0.03
अंतिम दायित्व Closing Obligation	4655.28	857.19	341.60	29.09	10.03	0.44

प्रारंभिक एवं अंतिम योजना आस्ति शेष का मिलान / Reconciliation of opening and closing balances of plan assets:

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

	पेंशन/Pension	उपदान/Gratuity
योजना आस्तियों का प्रारंभिक मूल्य Opening Value of Plan Assets	3664.39	871.40
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected Return on Plan Assets	342.62	82.35
अंशदान Contributions	769.22	51.37
प्रदत्त हितलाभ Benefits Paid	(413.28)	(146.93)
बीमांकिक लाभ/(हानि) Actuarial Gain/(Loss)	144.04	(4.60)
योजना आस्तियों का अंतिम मूल्य Closing Value of Plan Assets	4506.99	853.59

समाधानकृत बीमांकिक लाभ/हानि/Actuarial Gain/Loss Reconciled

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC / LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors
वर्ष में बीमांकिक हानि/ (लाभ)- दायित्व Actuarial Loss/(Gain) for the Year - Obligation	422.06	21.20	(73.29)	(0.30)	(2.69)	0.03
वर्ष में बीमांकिक लाभ/ (हानि) - योजना आस्ति Actuarial Gain/(Loss) for the Year - Plan Asset	144.04	(4.60)	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष में कुल हानि/(लाभ) Total Loss /(Gain) for the Year	278.02	25.80	(73.29)	(0.30)	(2.69)	0.03
बीमांकिक हानि/(लाभ) वर्ष में मान्यता प्राप्त Actuarial Loss/(Gain) Recognised in the Year	278.02	25.80	(73.29)	(0.30)	(2.69)	0.03

लाभ-हानि लेखा विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय/Expenses Recognized in Statement of Profit & Loss Account

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC / LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors
चालू सेवा लागत Current Service Cost	472.04	35.88	71.18	0.00	2.51	0.00
ब्याज लागत Interest Cost	310.84	68.44	26.93	2.30	0.80	0.03
पूर्व सेवाओं की लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected Return on Plan Asset	342.62	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक हानि/(लाभ) Net Actuarial Loss/ (Gain) Recognized in the Year	278.02	25.80	(73.29)	(0.30)	(2.69)	0.03
लाभ/हानि लेखा में मान्यता प्राप्त व्यय Expenses Recognized in Statement of Profit/Loss	718.28	47.77	24.82	2.00	0.62	0.06
पेंशन के लिए द्वितीय विकल्प हेतु देयता में वृद्धि और सेवारत कर्मचारियों की बावत उपदान सीमा में वृद्धि की 1/5 भाग परिशोधित राशि Amortised amount being 1/5th of increase in liabilities for second option for pension and enhancement of gratuity limit in respect of employees in service	101.57	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00

31.03.2011 को सेवारत कर्मचारियों को पेंशन के लिए द्वितीय विकल्प देने तथा उपदान सीमा को ₹3.5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख करने हेतु देयता में वृद्धि (वर्ष 2010-11 से प्रारंभ कर 5 वर्षों में परिशोधित किए जाने हेतु)

Increase in liabilities for second option for Pension and enhancement of gratuity limit from ₹3.5 lacs to ₹10 lacs in respect of employees in service as on 31.03.2011 (To be amortized in 5 years commencing from the year 2010-11)

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

	पेंशन Pension	उपदान Gratuity
परिशोधन के अध्वधीन देयता Liability subjected to amortization	507.84	292.51

तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त राशि/Amounts Recognized in the Balance Sheet

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC / LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors
31.03.2014 की स्थिति के अनुसार दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of Obligations as at 31.03.2014	4655.28	857.19	341.60	29.09	10.02	0.44
31.03.2014 की स्थिति के अनुसार योजना आस्तियों का उचित मूल्य/प्रावधान की राशि Fair Value of Plan Assets/Amount of Provision held as at 31.03.2014	4506.99	853.59	316.78	27.09	9.41	0.38
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता/(आस्ति) Net Liability/(Asset) recognized in the Balance Sheet	148.29	3.60	24.82	2.00	0.61	0.06

निवेश के ब्योरे :

Investment Details:

- | | |
|---|---|
| क) उपदान निधि के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश - 100% | a) Investment with LIC of India for Gratuity Fund - 100% |
| ख) पेंशन निधि की बावत उचित मूल्य के प्रतिशत के रूप में योजना आस्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ | b) Major Categories of Plan assets as percentage of Fair Value in respect of Pension Fund |

इक्विटी Equities	0%
नियत आय एवं ऋण प्रतिभूतियाँ Fixed income & debt securities	31.72%
विशेष जमा Special Deposit	0%
अन्य Other Assets / Annuity contractor	68.28%
कुल/Total	100.00%

मूल बीमाकिक अनुमान/Principal Actuarial Assumptions :

मृत्यु दर तालिका/Mortality Rate Table	जीवन बीमा निगम/LICI (1994-96)
अधिवर्षिता आयु/Superannuation Age	60 वर्ष/60 Years
समयपूर्व सेवानिवृत्ति और विकलांगता/Early Retirement & Disablement	10 प्रतिवर्ष प्रति हजार / 10 Per Thousand Per Annum 45 वर्ष की आयु से अधिक के 6 Above age 45 29 एवं 45 वर्ष के बीच के 3 between 29 and 45 29 वर्ष से कम आयु के 1 below age 29
रियायती दर/Discount Rate	8.50 %
मुद्रास्फीति दर/Inflation Rate	5.70 %
योजना आस्ति पर प्रतिफल/Return on Plan Asset	9.35% (पेंशन हेतु/For Pension) 9.45% (उपदान हेतु/For Gratuity)
शेष सक्रिय जीवन/Remaining Working Life	7 वर्ष पेंशन में / 11 वर्ष उपदान में 7 Years in Pension / 11 Years in Gratuity
प्रयुक्त सूत्र/Formula Used	अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति/Projected Unit Credit Method

9.4 सेगमेंट रिपोर्टिंग / Segment Reporting

भाग-अ : कारोबार सेगमेंट / Part A: Business Segment

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

कारोबार Business Segment	ट्रेजरी Treasury		कारपोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate/Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		योग Total	
	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
परिणाम Result	687.37	382.32	659.26	58.14	316.63	165.87	60.83	40.45	1724.09	646.78
अनाबंटित व्यय Unallocated Expenses									0.00	0.00
परिचालन लाभ Operating Profit									4940.39	3357.09
आयकर Income Tax									213.55	28.58
असामान्य लाभ/हानि Extraordinary Profit/Loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल लाभ Net Profit									1510.54	618.20
अन्य सूचना Other Information										
सेगमेंट आस्तियां Segment Assets	85231.04	66529.20	95165.01	92430.75	58728.70	39691.45	0.00	0.00	239124.75	198651.40
अनाबंटित आस्तियां Unallocated assets									0.00	0.00
कुल आस्तियां Total Assets									239124.75	198651.40
सेगमेंट देयताएं Segment Liabilities	72697.98	56402.25	102915.22	99515.41	63511.55	42733.74	0.00	0.00	239124.75	198651.40
अनाबंटित देयताएं Unallocated Liabilities									0.00	0.00
कुल देयताएं Total Liabilities									239124.75	198651.40

भाग-आ : भौगोलिक सेगमेंट / Part B: Geographic segment

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	देशी/Domestic		अंतरराष्ट्रीय/International		योग/Total	
	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
राजस्व/Revenue	19087.85	17296.94	462.57	406.94	19550.42	17703.88
आस्तियां/Assets	218429.68	181516.62	20695.07	17134.78	239124.75	198651.40

9.5 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण :

क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

i) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री अरुण कौल (दि. 01.09.2010 से)

ii) कार्यपालक निदेशकगण

श्री एस. चंद्रशेखरन् (दि. 01.10.2011 से)

श्री जे. के. गर्ग (दि. 05.08.2013 से)

श्री एन. आर. बद्रीनारायण (दि. 30.06.2013 तक)

ख) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेन-देन

9.5 Related Party Disclosures:

a) Key Management Personnel

i) Chairman and Managing Director

Shri Arun Kaul (From 01.09.2010)

ii) Executive Directors

Shri S. Chandrasekharan (From 01.10.2011)

Shri J K Garg (From 05.08.2013)

Shri N.R. Badrinarayanan (Till 30.06.2013)

b) Transactions with Key Management Personnel

(राशि लाख ₹ में / Amount in ₹ lakh)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	अवधि Period	मर्दे Items	राशि Amount
श्री अरुण कौल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Shri Arun Kaul CMD	01.04.2013 से 31.03.2014 तक 01.04.2013 to 31.03.2014	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन Remuneration, perquisites & Incentive जमा/Deposits यूको बैंक के शेयरों में निवेश Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज /Interest Received उधार/Borrowings	24.19 47.73 शून्य/Nil 3.00 शून्य/Nil
श्री एस. चन्द्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक Shri S. Chandrasekharan ED	01.04.2013 से 31.03.2014 तक 01.04.2013 to 31.03.2014	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन Remuneration, perquisites & Incentive जमा/Deposits यूको बैंक के शेयरों में निवेश Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज /Interest Received उधार/Borrowings	19.56 5.59 शून्य/Nil 0.45 34.15
श्री जे. के. गर्ग कार्यपालक निदेशक Shri J. K. Garg ED	05.08.2013 से 31.03.2014 तक 05.08.2013 to 31.03.2014	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन Remuneration, perquisites & Incentive जमा/Deposits यूको बैंक के शेयरों में निवेश Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज /Interest Received उधार/Borrowings	9.88 7.31 शून्य/Nil 0.22 शून्य/Nil

(राशि लाख ₹ में) / (Amount in ₹ lakh)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	अवधि Period	मदे Items	राशि Amount
श्री एन.आर. बद्रीनारायणन कार्यपालक निदेशक Shri N.R. Badrinarayanan Ex-ED	01.04.2013 से 30.06.2013 तक 01.04.2013 to 30.06.2013	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन Remuneration, perquisites & Incentive जमा/Deposits यूको बैंक के शेयरों में निवेश Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज/Interest Received उधार/Borrowings	3.89 22.95 शून्य/Nil शून्य/Nil शून्य/Nil

प्रबंधन द्वारा यथा संकलित एवं प्रमाणित / As compiled and certified by the management

ग) सहयोगी

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निम्नानुसार हैं:

- बिहार ग्रामीण बैंक
- पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक

घ) सहयोगियों के साथ लेन-देन का प्रकटन एएस-18, 'संबंधित पार्टी प्रकटन' के पैरा-9 के मद्देनजर नहीं किया गया है क्योंकि उसमें राज्य नियंत्रित उद्यमों को ऐसी अन्य संबंधित पार्टियों के साथ, जो स्वयं राज्य नियंत्रित उद्यम हैं, किए जानेवाले लेन-देन संबंधी प्रकटन करने से छूट दी गई है।

9.6. प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस):

प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) का परिकलन / Calculation of EPS

	31.3.2014	31.3.2013
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (करोड़ ₹ में) Net profit after tax available for equity shareholders (₹ in crore)	1510.54	421.04
ईक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares	101,47,09,163	75,26,28,583
जोखिमधारित ईक्विटी शेयरों की संख्या Weighted Number of equity shares	77,69,62,419	67,04,93,041
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (राशि ₹ में) Nominal Value per Share (Amount in ₹)	10.00	10.00
प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड अर्जन (राशि ₹ में) Basic & Diluted Earnings per Share (Amount in ₹)	19.44	6.28

9.7 चूंकि सहयोगियों/संयुक्त उद्यमों में बैंक का सहयोगी या नियंत्रक हित नहीं है, अतः आईसीएआई द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरण से संबंधित एएस 21, समेकित वित्तीय विवरण में सहयोगियों में निवेश के लिए लेखा से संबंधित एएस 23 और संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित एएस 27 बैंक पर लागू नहीं हैं।

9.8 आय पर कर

क) वर्ष के दौरान लेखा मानक एएस-22 के अनुसार ₹9.92 करोड़ (₹6.00 करोड़) की निवल राशि की पहचान डेफरड टैक्स एसेट के रूप में की गई है।

c) Associates

Regional Rural Banks sponsored by the Bank are as under:

- Bihar Gramin Bank
- Paschim Banga Gramin Bank

d) The transactions with Associates have not been disclosed in view of Para -9 of the AS-18, "Related Party Disclosure" which exempts State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties, which are also State Controlled Enterprises

9.6. EARNINGS PER SHARE (EPS):

9.7 As the Bank does not have Subsidiaries or controlling interest in Associates/Joint Ventures, AS 21 relating to Consolidated Financial Statements, AS 23 relating to Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements and AS 27 relating to Financial Reporting of Interest in Joint Ventures issued by the ICAI are not applicable to the Bank.

9.8 Taxes on Income

a) During the year net amount of ₹9.92 Crore (₹6.00 Crore) has been recognised as Deferred Tax Liabilities as per accounting standard AS-22.

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2014	दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2013
आस्थगित कर आस्तियां / Deferred Tax Assets		
छुट्टी के नकदीकरण के लिए प्रावधान / Provision for leave encashment	110.85	102.80
उचित मूल्य में ह्रास / Diminution in fair value	177.08	92.81
वेतन संशोधन के लिए एएस-15 / Provision for AS-15	13.78	12.82
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard Assets	294.96	216.72
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on Fixed Assets	30.78	15.33
कपट / आकस्मिक देयता आदि के लिए प्रावधान Provision for Fraud/Contingent liability etc.	39.50	35.56
योग:/TOTAL :	666.95	476.04

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2014	दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2013
आस्थगित कर देयताएं/Deferred Tax Liabilities		
एएस-15 के अनुसार कर्मचारी हितलाभ का अपरिशोधित अंश Unamortized portion of employees benefit as per AS-15	51.94	103.88
बहियों एवं आय कर के बीच निवेश मूल्य में अंतर Difference in Investment valuations between books and Income Tax	437.57	184.80
योग:/TOTAL:	489.51	288.68
आस्थगित कर आस्तियां (निवल) / Deferred Tax Assets (Net)	177.44	187.36

ख) आईसीएआई द्वारा जारी "आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन न्यूनतम एकांतर कर की बाबत उपलब्ध ऋण हेतु लेखा संबंधी दिशानिर्देश नोट" के अनुसार चालू वर्ष के लिए ₹165.12 (₹350.64 करोड़) के न्यूनतम एकांतर कर ऋण को लाभ एवं हानि लेखा में "प्रावधान एवं आकस्मिकताएं" के अधीन जमा किया गया है और उसके लिए न्यूनतम एकांतर कर ऋण हकदारी लेखा को नामे डाला गया है क्योंकि प्रबंधन की यह राय है कि आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान न्यूनतम एकांतर कर ऋण को समंजित किया जा सकता है।

9.9 अमूर्त आस्तियां

अचल आस्तियों में कंप्यूटर साफ्टवेयर शामिल है जिसे आईसीएआई द्वारा जारी एएस-26 के अनुसार अमूर्त आस्तियां माना गया है। साफ्टवेयर आस्तियों की घट-बढ़ नीचे दी गई है:

b) In accordance with the "Guidance Note on Accounting for credit available in respect of MAT under the Income Tax Act, 1961" issued by the ICAI, the MAT credit for the current year amounting to ₹165.12 Crore (₹350.64 crore) has been credited to P&L Account under "Provisions and Contingencies" by debiting MAT credit entitlement Account since the management is of the opinion that the MAT credit can be set off during the specified period as per the Provisions of the Income Tax Act, 1961.

9.9 Intangible assets

Fixed Assets include computer software, which has been considered as intangible assets as per AS-26 issued by the ICAI. The movement in software asset is given below:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2014	दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2013
वर्ष के प्रारंभ में सकल ब्लॉक Gross Block at the beginning of the year	18.47	21.38
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	13.03	6.42
घटाएं: अमूर्त आस्तियों का पूर्णतः परिशोधित विमोचन Less: Retirement of intangibles fully amortised	7.42	9.33
योग/Total	24.08	18.47
घटाएं: अदयतित परिशोधन (परिशोधित आस्तियों की नेट ऑफ राशि) Less: Amortization up to date (Net of amount on assets retired)	11.66	10.03
घटाएं: अपसामान्य हानि Less: Impairment Loss	0.00	0.00
वर्ष के अंत में निवल ब्लॉक Net Block at the end of the year	12.42	8.44

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

परिशोधन Amortization	दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2014	दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2013
प्रारंभिक शेष/Opening balance	10.03	13.70
जोड़ें: अपसामान्य हानि/Add: Impairment Loss	Nil	0.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान मान्य परिशोधन/ Add: Amortization recognised during the year	9.05	5.66
घटाएं: विमोचित आस्तियों पर विनियोजन/ Less: Appropriation on assets retired	7.42	9.33
अंतिम शेष/Closing Balance	11.66	10.03

9.10 आस्तियों की अनर्जकता

लेखा मानक-28 "आस्तियों की अनर्जकता" के खंड 5 से खंड 13 तक के अर्थान्तर्गत तात्त्विक अनर्जकता के लक्षण नहीं दिखाई देने की बात को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष की बाबत अचल आस्तियों की अनर्जकता अपेक्षित नहीं है।

10.0 अतिरिक्त प्रकटन :**9.10 Impairment of Assets**

In view of the absence of the indication of material impairment within the meaning of clause 5 to clause 13 of Accounting Standard-28 "Impairment of Assets", no impairment of fixed assets is required in respect of current financial year.

10.0 Additional disclosures:

10.1 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

10.1 Provisions & Contingencies

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

लाभ-हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अधीन दर्शित 'प्रावधान एवं आकस्मिकताओं' का विश्लेषण Break up of 'Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान/Provision for depreciation on Investment	70.46	-120.75
अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान/Provision towards NPA	1419.84	1779.17
एनपीआई के लिए प्रावधान/Provision towards NPI	50.73	9.78
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision towards Standard Assets	267.83	163.08
कराधान के लिए प्रावधान Provision towards Taxation	378.67	379.22
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं (ब्योरे सहित) Other Provision and Contingencies (with details)		
विधिक मामले / आकस्मिकताएं / कपट / Legal Cases / Contingencies/Frauds	0.44	9.28
उचित मूल्य में हास / Diminution in Fair Value	259.71	85.48
आस्थगित कर आस्तियां/Deferred Tax Assets	0	0
न्यूनतम एकांतर कर ऋण / MAT Credit	-165.12	-350.64
बकाया वेतन पुनरीक्षण / Arrear Wage Revision	175.00	25.00
विविध प्रावधान / Miscellaneous Provision	972.29	759.27
योग / Total	3429.85	2738.89

10.2 आकस्मिक देयताएं

- क) तुलन-पत्र की अनुसूची 12 के क्रम सं. (1) यथाउल्लिखित देयताएं क्रमशः न्यायालय के निर्णय, माध्यस्थम पंचाट, न्यायालय से परे निपटारा, अपील के निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्व की शर्तें, न्यागत होने और संबंधित पार्टियों द्वारा की गई मांग पर निर्भर करती है तथा जहां बैंक के विरुद्ध दावा तर्कसंगत हो तो उस स्थिति में आवश्यक प्रावधान किया जाता है।
- ख) समान मुद्दों पर विभिन्न अपीली निर्णय के आधार पर/विवाद संबंधी समिति के अनुमोदन को लंबित रखते हुए अपील पर कार्रवाई करने हेतु आयकर की विवादित मांग, शास्ति, ₹10.66 करोड़ (₹90.91 करोड़) के ब्याज एवं ब्याज कर को अनुसूची 12 में आकस्मिक देयता के अधीन दर्शित किया गया है। प्रबंधन द्वारा इसका प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि ये मामले विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष अपील के लिए लंबित हैं। यह उल्लेखनीय है कि माननीय कलकता उच्च न्यायालय के समक्ष ₹3.38 करोड़ के ब्याज कर के लंबित मामले का निर्णय बैंक के पक्ष में किया गया है। आय कर विभाग से आदेश प्राप्त होने पर बैंक ब्याज के साथ पूरी राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। बैंक को इस मामले पर किसी उच्चतर फोरम/उच्चतम न्यायालय के समक्ष आय कर विभाग द्वारा अपील दायर किए जाने के संबंध में सूचना/नोटिस प्राप्त नहीं हुई है।

10.3 अस्थायी प्रावधान

शून्य

10.4 उपयोग के कारण आरक्षितियों में कमी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्र सं. डीबीओडी स. बीपी.95/21.04.048/2013-14 दिनांक 7 फरवरी, 2014 के अनुसार बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2013 को अपने पास रखे प्रति चक्रीय प्रावधान बफर के 33% का उपयोग कर लिया है। तदनुसार, दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार अपने पास रखे ₹210.32 करोड़ के प्रति चक्रीय प्रावधान में से ₹69.41 करोड़ की राशि का उपयोग अनर्जक आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधानों हेतु कर लिया है।

10.2 Contingent Liabilities

- a) Such liabilities as mentioned at Serial No. (I) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the judgement of court, arbitration award, out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, respectively and necessary provision is made where claim against the Bank is tenable.
- b) Based on various appellate decisions on identical issues / pending approval of Committee on Disputes for pursuing appeals, disputed demand of Income Tax, Penalty, Interest and Interest Tax amounting to ₹10.66 Crore (₹90.91 Crore) has been shown in Schedule 12 under Contingent Liability. No provision has been considered necessary by the Management as the matters are pending for disposal before various competent Authorities. It is pertinent to mention that Interest Tax issue pending before Hon'ble High Court of Kolkata amounting to ₹3.38 Crore has been decided in favour of the Bank. On receipt of order effect form Income Tax department, Bank shall be entitled to receive the entire amount along with interest. Bank has received no intimation/ notice regarding filing of appeal by Income Tax Department in any higher Forum/Supreme Court on this issue.

10.3 Floating Provisions

Nil

10.4 Draw Down From Reserves

Pursuant to Reserve Bank of India (RBI) Circular No. DBOD.No.BP.95/21.04.048/2013-14 dated 7th February 2014, Bank has utilised 33 % of its counter cyclical provisioning buffer held as at 31st March 2013. Accordingly, an amount of ₹69.41 Crore out of counter cyclical provision of ₹210.32 Crore held as on 31.03.2013 has been utilized towards specific provisions for non performing assets.

10.5 शिकायतों का प्रकटीकरण**10.5 Disclosure of Complaints**

अ) ग्राहक-शिकायतें :

A) Customer Complaints:

क	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	
A	No. of complaints pending at the beginning of the year	306
ख	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	
B	No. of complaints received during the year	4212
ग	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	
C	No. of complaints redressed during the year	4376
घ	मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	
D	No. of complaints pending at the end of the year March, 2014	142

आ) दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतों का अवधिवार वर्गीकरण

B) Age wise classification of pending complaints as on 31.03.14

30 दिन तक Upto 30 days	31 दिन से लेकर 3 माह तक 31 days to 3 months	3 माह से अधिक से लेकर 6 माह तक > 3 months to 6 months	6 माह से अधिक तक > 6 months	योग Total
52	68	22	0	142

इ) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड:

C) Awards passed by the Banking Ombudsman:

क	वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित नहीं किए गए अवार्डों की संख्या	
a	No. of unimplemented awards at the beginning of the year	6
ख	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्डों की संख्या	
b	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	35
ग	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अवार्डों की संख्या	
c	No. of Awards implemented during the year	38
घ	वर्ष के अंत में कार्यान्वित नहीं किए गए अवार्डों की संख्या	
d	No. of unimplemented Awards at the end of the year	3

10.6 चुकौती आश्वासन पत्र का प्रकटीकरण**10.6 Disclosure of Letter of Comforts**

बैंक अपने विभिन्न ग्राहकों की ओर से उनको संस्वीकृत ऋण सीमा के प्रति चुकौती आश्वासन पत्र जारी करता है। प्रबंधन की राय में बैंक द्वारा पहले एवं चालू वर्ष के दौरान जारी किए गए और फिलहाल बकाया चुकौती आश्वासन पत्र के अधीन किसी तात्त्विक वित्तीय प्रभाव तथा संचयी वित्तीय बाध्यता का अनुमान नहीं किया गया है। बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र के संक्षिप्त ब्योरे निम्नानुसार हैं:

The Bank issues Letter of Comforts on behalf of its various constituents against the credit limits sanctioned to them. In the opinion of Management, no significant financial impact and cumulative financial obligations have been assessed under LOCs issued by the Bank in the past, during the current year and still outstanding. Brief details of LOCs issued by the Bank are as follows:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

1	वर्ष 2013-14 के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र Letter of Comforts issued during the year 2013-14	8350.18
2	वर्ष 2013-14 के दौरान परिपक्व / रद्द किए गए चुकौती आश्वासन पत्र Letter of Comforts matured / cancelled during the year 2013-14	9780.78
3	दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार बकाया चुकौती आश्वासन पत्र Letter of Comforts outstanding as on 31.03.2014	5328.63

10.7 प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात

दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार प्रावधान कवरेज 57.02 % (52.08%) है।

10.8 बैंकाश्यूरेंस से आय

बैंक, बैंकाश्यूरेंस लाइफ कारोबार के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम और बैंकाश्यूरेंस नॉन-लाइफ के लिए रिलायंस जनरल इश्यूरेंस कंपनी लि. का कारपोरेट एजेंट है। बैंकाश्यूरेंस कारोबार से आय के ब्योने निम्नानुसार हैं :

10.7 Provisioning Coverage Ratio

The provision coverage as on 31.03.2014 works out to 57.02 % (52.08%).

10.8 Income from Bancassurance

Bank is a Corporate Agent of Life Insurance Corporation of India for Bancassurance Life and Reliance General Insurance Company Ltd for Bancassurance Non-Life business. Details of income from Bancassurance is given below:

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

कारोबार का प्रकार Type of Business	राशि Amount
लाइफ कारोबार Life Business	6.37
नॉन-लाइफ कारोबार Non Life Business	3.75

10.9 जमा, अग्रिम, ऋण का संकेंद्रण**क) जमाराशियों का संकेंद्रण****10.9 Concentration of Deposits, Advances, Exposures****a) Concentration of Deposits**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

बीस अत्यधिक बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां Total Deposits of twenty largest depositors	35208.15
बैंक की कुल जमाराशियों की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत Percentage of Deposits of twenty largest depositors to total Deposits of the bank	17.65%

ख) अग्रिमों का संकेंद्रण**b) Concentration of Advances**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम Total advances to twenty largest borrowers	28887.6
बैंक के कुल अग्रिम की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the Bank	16.54 %

ग) ऋण का संकेंद्रण**c) Concentration of Exposures**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण Total exposure to twenty largest borrowers/customers	28971.76
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए ऋण का प्रतिशत Percentage of exposures to twenty largest borrowers/customers to total exposure of the Bank on borrowers/customers	15.30%

10.10 अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण**10.10 Concentration of NPAs**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

ब्योरे/Particulars	2013-14	2012-13
चार बड़े अनर्जक आस्ति खातों को कुल ऋण Total Exposure to top four NPA accounts	1088.31	1174.12

10.11 क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियां

10.11 Sector wise NPAs

क्र.सं. Sl.No.	क्षेत्र Sector	उक्त क्षेत्र को दिए गए कुल अग्रिमों की तुलना में अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत Percentage of NPAs to Total Advances in that Sector
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप Agriculture & allied activities	6.80
2	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु) मझोले एवं बड़े Industry (Micro & small Medium and Large	7.34
3	सेवा क्षेत्र Services	6.06
4	वैयक्तिक ऋण Personal Loans	6.23

10.12 अनर्जक आस्तियों की घट-बढ़

10.12 Movement of NPAs

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

अनर्जक आस्तियाँ / Non-Performing Asset	
मर्दे / Item	2013-14
क) दिनांक 01.04.2013 की स्थिति के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियां (प्रारंभिक शेष) a) Gross NPAs as on 01.04.2013 (Opening Balance)	7130.09
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (नई अनर्जक आस्तियां) विनिमय अंतर जोड़कर b) Additions during the year (Fresh NPAs) plus Exchange Difference	3937.69 23.90
उप योग (अ)/Sub Total (A)	11091.68
ग/घटाएँ:/Less:	
(i) ग्रेड उन्नयन/Upgradations	1032.00
(ii) वसूली (ग्रेड बढ़ाए गए खातों से की गई वसूली को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	2014.87
(iii) बट्टे खाते डालना/Write-offs	1423.44
उपयोग (आ)/Sub total (B)	4470.31
दिनांक 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियां (अंतिम शेष) (अ-आ) Gross NPAs as on 31st March 2014 (Closing Balance) (A-B)	6621.37

10.13 विदेश स्थित आस्तियां, अनर्जक आस्तियां और राजस्व

10.13 Overseas Assets, NPA's and Revenue

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	2013-14	2012-13
कुल आस्तियां/Total Assets	20695.07	17134.78
कुल अनर्जक आस्तियां/Total NPA's	346.36	224.97
कुल राजस्व/Total revenue	462.57	406.95

10.14 तुलन पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी

10.14 Off-balance Sheet SPVs sponsored

बैंक ने किसी एसपीवी को प्रायोजित नहीं किया है।

Bank has not sponsored any SPVs.

10.15 अपरिशोधित पेंशन और उपदान देयताएं

10.15 Unamortised Pension and Gratuity Liabilities.

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	पेंशन/Pension	उपदान/Gratuity	योग/Total
31.03.2014 की स्थिति के अनुसार अपरिशोधित पेंशन Unamortised Portion as on 31.03.2014	101.56	58.50	160.06

10.16 मिलान

केंद्रीकृत बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के कार्यान्वयन से अधिकांश अंतर शाखा लेनदेन का समाधान अपने आप हो जाता है। अंतर शाखा लेखे एवं अंतर-बैंक शाखा लेखे में बहुत कम बैंक प्रविष्टियों के ही समाधान की आवश्यकता होती है जिसे सतत आधार पर किया जाता है।

दिनांक 31.03.2014 तक अंतर-शाखा लेखों और अंतर-बैंक लेखों के मामले में बकाया प्रविष्टियों का मिलान कर लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक नोस्ट्रो लेखों आदि सहित अंतर-बैंक लेखों और ड्राफ्ट, उचत लेखों, शाखा समायोजन, समाशोधन संबंधी लेन-देन, निधि अंतरण, तार अंतरण, आस्तियों के अधिग्रहण हेतु प्रदत्त अग्रिम से संबंधित शेष, विविध लेनदार जैसे अंतर-शाखा लेखों में बकाया प्रविष्टियों के मिलान का कार्य प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में राजस्व/आस्तियों/देयताओं पर उसका कोई तात्त्विक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

10.17 अचल आस्तियां

क) बैंक ने पूर्व में कतिपय अवसरों पर अपने परिसरों का पुनर्मूल्यन स्वतंत्र अर्हताप्राप्त मूल्यांककों द्वारा कराया था और उनकी मूल लागत की तुलना में अधिक उचित बाजार मूल्य को पुनर्मूल्यन आरक्षित में जमा किया गया था। आज की तारीख में पुनर्मूल्यन आरक्षित की (बिक्री की गई आस्तियों से संबंधित पुनर्मूल्यन को छोड़कर) कुल राशि ₹737.08 करोड़ (689.11 करोड़) है और उपर्युक्त पुनर्मूल्यन आरक्षित (बिक्री की गई आस्तियों से संबंधित पुनर्मूल्यन को छोड़कर) पर भारित पुनर्मूल्यन अंश पर मूल्यहास ₹149.68 करोड़ (₹144.41 करोड़) है।

ख) परिसरों में ₹2.12 करोड़ (₹2.23 करोड़) के मूल्यहासित मूल्य की आस्तियां शामिल हैं, जिनकी बावत प्रलेखीकरण/रजिस्ट्रीकरण का कार्य लंबित है।

ग) पूंजीगत लेखों पर जिन संविदाओं का (अग्रिम को छोड़कर) निष्पादन किया जाना शेष है, उनकी अनुमानित राशि ₹13.52 करोड़ (₹52.55 करोड़) है जिसका प्रावधान नहीं किया गया है।

घ) अहमदाबाद (भद्र शाखा -0007) में स्थित बैंक की भूमि तथा उसके भवन को अहमदाबाद निगम द्वारा दाय परिसर के निर्माण हेतु अनिवार्य रूप से अर्जित कर लिए जाने पर प्राप्त रु. 1.87 करोड़ की राशि उक्त परिसर के वर्ष 1962 में मार्जिन केए जाने के डब्ल्यूडीवी निश्चयन होने तक विविध लेनदार खाते में रखा गया है।

10.18 अनर्जक अग्रिमों के सुविधावार, प्रतिभूतिवार एवं क्षेत्रवार प्रावधान का विश्लेषण नहीं किया जाता है। जैसा कि तुलन-पत्र की अनुसूची-9 में कहा गया है, निवल अग्रिमों से आनुमानिक आधार पर उनकी कटौती की जाती है।

10.19 कोष्ठकों में पिछले वर्ष के आंकड़े दिए गए हैं। जहां भी जरूरी समझा गया है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/विन्यस्त/निर्धारित किया गया है।

10.16 Reconciliation:

Most of the inter branch transactions are reconciled automatically with implementation of Centralized Banking Solution (CBS). Very few entries under inter branch account & inter bank account requires reconciliation which is done on ongoing basis.

Reconciliation of entries outstanding has been drawn upto 31.03.2014 in case of Inter-Branch Accounts and in Inter-Bank Accounts. Elimination of entries outstanding in Inter-Bank Accounts including Reserve Bank of India, State Bank of India, NOSTRO Accounts etc. and in Inter-Branch Accounts viz. drafts, suspense, branch adjustment, clearing transactions, fund transfers, telegraphic transfers, balances pertaining to advances paid for acquisition of assets, sundry creditors etc. is in progress. In the opinion of the management, consequential effect of the above on the revenue/assets/liabilities will not be material.

10.17 Fixed Assets

A) Bank had revalued on few occasions in the past, its premises by independent qualified valuers and the excess of fair market value over the original cost was credited to revaluation reserve. As on date aggregate amount of revaluation reserve (net of revaluation relating to assets disposed of) is ₹737.08 crore (₹689.11 crore) and depreciation on the revalued portion charged to above revaluation reserve (net of depreciation relating to assets disposed of) is ₹149.68 crore (₹144.41 crore)

B) Premises including Assets with Written Down Value of ₹2.12 crores (₹2.23 crores), which were revalued at ₹23.03 crores in respect of, which documentation/registration is pending.

C) Estimated amount of contracts (net of advance) remaining to be executed on capital account and not provided for ₹13.52 Crore (₹52.55 crore)

D) Land & Building situated at Ahmedabad (Bhadra Branch - 0007) compulsory required by MCA for heritage complex for consideration of ₹1.87 Crore kept in sundry creditors pending ascertainment of WDV of the said premises which was acquired by the bank in 1962.

10.18. Break up of provision held against non-performing advances into facility-wise, security-wise and sector-wise is not ascertained. The same is deducted on estimated basis from gross advances in the various categories to arrive at the balance of net advances as stated in Schedule 9 of the Balance Sheet.

10.19. The bracketed figures indicate previous year's figures. Previous year's figures have been re-grouped /re-arranged/re-casted wherever considered necessary.

लेखा-परीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति

To

The President of India

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

Report On The Financial Statements

- हमने यूको बैंक की 31 मार्च, 2014 की संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31, मार्च, 2014 के तुलन-पत्र एवं लाभ और हानि लेखे तथा तत्संबंधी समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार तथा अन्य विवेचनात्मक सूचना सम्मिलित है। इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा लेखापरीक्षित एक कोष शाखा सहित 21 शाखाओं की, शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 914 शाखाओं की (सेवा शाखाओं सहित) तथा स्थानीय लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 4 विदेशी शाखाओं की विवरणियां शामिल हैं। हमारे द्वारा लेखापरीक्षित तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का बैंक द्वारा चयन लेखापरीक्षा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है। तुलन-पत्र में तथा लाभ और हानि लेखे में 1956 शाखाओं की विवरणियां भी सम्मिलित हैं जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गई है। इन गैर-लेखापरीक्षित शाखाओं का अग्रिमों में 8.70 प्रतिशत, जमाराशियों में 30.30 प्रतिशत, ब्याज आय में 7.02 प्रतिशत तथा ब्याज व्यय में 32.42 प्रतिशत अंश है।

We have audited the accompanying financial statements of UCO BANK as at 31st March, 2014, which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2014, and Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 21 branches inclusive of one treasury branch audited by us and 914 branches (including Service branches) audited by branch auditors and 4 foreign branches audited by overseas local auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 1956 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 8.70 per cent of advances, 30.30 per cent of deposits, 7.02 per cent of interest income and 32.42 per cent of interest expenses.

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

Management's Responsibility for the Financial Statements

- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुरूप इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमशः फार्म "ए" और "बी" में आवश्यकतानुसार सूचनाओं के प्रकटीकरण का दायित्व प्रबंधन का है। ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 से संबंधित निगम मामलों के मंत्रालय के सामान्य परिपत्र 15/2013 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं। इस दायित्व में वित्तीय विवरण, जो महत्वपूर्ण गलत व्याख्या, चाहे कपट या चूक के कारण हो, से मुक्त हों, के तैयार करने की संगत आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था, रखरेखा और उसे लागू करना शामिल है।

Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and to disclose the information as may be necessary to conform to forms 'A & B' respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949. These financial statements comply with the Accounting Standards notified under the Companies Act, 1956 read with the General Circular 15/2013 dated 13th September 2013 of the Ministry of Corporate Affairs in respect of Section 133 of the Companies Act, 2013. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

लेखापरीक्षकों का दायित्व / Auditor's Responsibility

- हमारा दायित्व हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करने तक है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लेखापरीक्षा पर जारी मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की आयोजना तथा उसका निष्पादन इस प्रकार करें कि वित्तीय विवरणों के संबंध में यह समुचित आश्वासन मिल जाए कि उनमें कोई महत्वपूर्ण त्रुटि नहीं है।

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

- लेखापरीक्षा में राशियों और प्रकटीकरण के बारे में साक्ष्य प्राप्त करने की कार्यनिष्पादक पद्धतियां निहित हैं। चयनित पद्धतियां सांविधिक लेखापरीक्षक के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों के गलत कथन, चाहे वे कपट के कारण हों या त्रुटि के, जोखिमों का निर्धारण शामिल है। उन जोखिम निर्धारणों को बनाने के लिए उपयुक्त परिस्थितियों के अनुसार लेखापरीक्षा पद्धतियों की डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणों के उचित प्रस्तुतीकरण तथा बैंक की तैयारी से संबद्ध आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा-नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन प्रबंधन द्वारा किए गए लेखा अनुमानों की तार्किकता और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

6. ध्यानाकर्षण/Emphasis of Matter

अपनी राय में परिवर्तन किए बगैर,
Without qualifying our opinion:

- क) हम वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की संख्या 9.2 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें राजस्व मान्यता से संबंधित लेखांकन मानक -9 (एएस-9) के अनुपालन में साख पत्र, जारी गारंटी पर अर्जित कमीशन एवं यूजेंस बिलों पर ब्याज के लिए लेखांकन नीति में परिवर्तन करके समायोजन आधार से संचित आधार पर करने की सूचना दी गई है। यदि लेखांकन नीति में यह परिवर्तन नहीं किया गया होता और समान लेखांकन नीति का अनुसरण किया गया होता तो चालू वर्ष के लिए बैंक का लाभ ₹142.88 करोड़ अधिक हुआ होता। जैसा कि बैंक ने उक्त नोट में सूचित किया है, नई प्रणाली को अपनाने के कारण पुरानी प्रणाली के तहत समायोजित लेनदेन के प्रभावों के मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है और समायोजन की आवश्यकता होने पर जैसे ही प्रभाव का निर्धारण हो जाता है, उसे कार्यान्वित कर दिया जाएगा।
- a) We draw attention to Note No. 9.2 in Schedule 18 to the financial statements stating changes in accounting policy for accounting of commission earned on Letter of Credit, Guarantee Issued and Interest on Usance Bills from realization basis to accrual basis in compliance with Accounting Standard -9 (AS-9) on Revenue Recognition. Had there been no such change in the said Accounting Policy and uniform accounting policy was followed, the profit of the Bank for the current year would have been increased by ₹142.88 crores. The Bank as stated, in aforesaid note, that exercise is under process for ascertaining the impact on account of transition to the new system pertaining to the transactions accounted for under the old system and the necessary adjustment, if any, will be carried out as and when the impact is ascertained.
- ख) हम वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की संख्या 9.3 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन के विकल्प को पुनः उपलब्ध कराने के संबंध में अपने परिपत्र संख्या डीबीओडी.बीसी/80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कर्मचारी सुविधाओं पर लेखांकन मानक- 15(एस-15) के प्रावधानों को लागू करने से छूट देने के फलस्वरूप बैंक के ₹160.07 करोड़ के पेंशन एवं उपदान के भुगतान दायित्व को स्थगित करने की सूचना दी गई है।
- b) We draw attention to Note No. 9.3 in Schedule 18 to the financial statements stating deferment of Pension and Gratuity Liability of the Bank to the extent of ₹160.07 crores pursuant to the exemption granted by Reserve Bank of India to the Public Sector Banks from application of the provisions of Accounting Standard – 15 (AS-15) on "Employee Benefits" vide its circular No. DBOD.BC/80/ 21.04.018/2010-11 dated 09.02.2011 on reopening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks

अभिमत/Opinion

7. हमारी राय में बैंक की लेखा बहियों में यथाप्रदर्शित तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :
In our opinion, as shown by books of the bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- (i) दी गई टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र सही एवं स्पष्ट तुलन-पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं और उसे समुचित रूप में इस प्रकार तैयार किया गया है कि वह भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन नीतियों के अनुरूप 31 मार्च, 2014 की स्थिति को बैंक के कार्यों की सही और सुस्पष्ट स्थिति दर्शाता है;
the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2014 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
- (ii) लाभ और हानि खाता उसके साथ पठित नोट भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वर्ष के लाभ का सही शेष दर्शाता है और;
the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
- (iii) नकदी प्रवाह विवरण उक्त तारीख को समाप्त वर्ष में नकदी प्रवाह की सही और सुस्पष्ट स्थिति दर्शाता है।
the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. हमारी राय में, तुलन-पत्र एवं लाभ और हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमशः फार्म 'ए' और 'बी' से लिए गए हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 से संबंधित निगम मामलों के मंत्रालय के सामान्य परिपत्र 15/2013 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

In our opinion, the Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949 and is in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949-read with the General Circular 15/2013 dated 13 September 2013 of the Ministry of Corporate Affairs in respect of Section 133 of Companies Act, 2013

9. उपर्युक्त अनुच्छेद 1 से 5 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधधीन तथा बैंककारी कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा यथाअपेक्षित एवं उनमें अपेक्षित प्रकटीकरणों की सीमाओं के अधधीन हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:
Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
- (क) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिए जो भी सूचना एवं स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे हमें प्राप्त हो गए हैं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।
(a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
- (ख) बैंक के लेनदेन जो हमारी जानकारी में आए हैं, वे बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हैं।
(b) The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.
- (ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाई गई हैं।
(c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
10. हमारी राय में, तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण (कैश फ्लो) लागू मानक लेखानीतियों के अनुरूप हैं।
In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

वास्ते एसबीए एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 308136E
For SBA Associates.
Chartered Accountants
Registration No. 308136E
(सीए एस मुखोपाध्याय)
भागीदार
सदस्यता सं. 011517
(CA S Mukhopadhyay)
Partner
Membership No. 011517

वास्ते वेद एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 012019N
For Ved And Company.
Chartered Accountants
Registration No. 012019N
(सीए पूजा गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 098551
(CA Pooja Gupta)
Partner
Membership No. 098551

वास्ते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 000112N
For Dass Gupta & Associates.
Chartered Accountants
Registration No. 000112N
(सीए पंकज मंगल)
भागीदार
सदस्यता सं. 097890
(CA Pankaj Mangal)
Partner
Membership No. 097890

वास्ते गुप्ता शर्मा एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 001466N
For Gupta Sharma & Associates.
Chartered Accountants
Registration No. 001466N
(सीए कुलदीप शर्मा)
भागीदार
सदस्यता सं. 080109
(CA Kuldeep Sharma)
Partner
Membership No. 080109

वास्ते ए. कायेस एंड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 311149E
For A. Kayes & Co
Chartered Accountants
Registration No. 311149E
(सीए अमरुल कायेस)
भागीदार
सदस्यता सं. 050363
(CA Amrul Kayes)
Partner
Membership No. 050363

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2014

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2014		31.3.2013 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2013	
	₹	₹	₹	₹
अ. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह:				
A. Cash flow from operating activities :				
कर पूर्व निवल लाभ /Net Profit before taxes		17240940		6467758
समायोजन / Adjustments for :				
अचल आस्तियों पर अवक्षयण हेतु / Depreciation on fixed assets		1096335		871467
निवेश पर अवक्षयण हेतु /Depreciation on investments		704600		(1490500)
अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालने/ अनर्जक आस्तियों की बाबत प्रावधान हेतु Bad debts written off / Provision in respect of non-performing assets		14198400		17791800
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान हेतु/ Provision for Standard Assets		2678300		1630800
अन्य मदों के लिए प्रावधान हेतु/ Provision for other items		14581800		9171042
अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/ हानि हेतु /(Profit)/Loss on sale of fixed assets		(5220)		(5371)
गौण ऋण पर ब्याज के भुगतान/प्रावधान हेतु (इसे अलग रखा गया) Payment/provision for interest on subordinated debt (treated separately)		2742967		2206397
अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश हेतु (इसे अलग रखा गया) Dividend received from subsidiaries/others (treated separately)		(106543)		(92132)
टियर-II बॉण्डों से प्राप्त ब्याज हेतु (इसे अलग रखा गया) Interest received from Tier-II Bonds (treated separately)		(78565)		(78573)
आईपीडीआई पर प्रदत्त ब्याज हेतु (इसे अलग रखा गया) Interest paid on IPDI (treated separately)		357550		356764
अपर टियर-2 ऋण लिखतों पर प्रदत्त ब्याज हेतु (इसे अलग रखा गया) Interest paid on Upper Tier-2 Debt Instruments (treated separately)		1469200		1466153
उप-योग /Sub-total		54879764		38295605
घटाव : प्रदत्त प्रत्यक्ष कर/Less: Direct Tax Paid		(4450000)		(3840000)
		50429764		34455605
समायोजन :/Adjustments for :				
निवेश में (वृद्धि)/कमी हेतु / (Increase)/Decrease in investments		(152772571)		(63243516)
अग्रिम में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in advances		(227211894)		(145220341)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in other assets		(11251479)		(1082695)
उधार में वृद्धि/(कमी) हेतु /Increase/(Decrease) in borrowings		112258114		(34089957)
जमा में वृद्धि/(कमी) हेतु /Increase/(Decrease) in deposits		261025025		194275559
अन्य देनदारियों एवं प्रावधान में वृद्धि/(कमी) हेतु Increase/(Decrease) in other liabilities & provisions		3259375		(5996520)
परिचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (अ) Net cash flow from operating activities (A)		35736334		(20901865)

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण (जारी)
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR
ENDED 31ST MARCH, 2014 (Contd.)

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2014		31.3.2013 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2013	
	₹	₹	₹	₹
आ. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह:				
B. Cash flow from investing activities :				
अचल आस्तियों की खरीद /Purchase of fixed assets		(2366272)		(1140799)
अचल आस्तियों की विक्री/निपटान / Sale/disposal of fixed assets		53332		21748
अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश /Dividend received from subsidiaries/others		106543		92132
टियर-II बांडों से प्राप्त ब्याज /Interest received from Tier-II Bonds		78565		78573
निवेश कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (आ)				
Net cash flow from investing activities (B)		(2127832)		(948346)
इ. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह/				
C. Cash flow from financing activities :				
ईक्विटी शेयरों का अधिमानी निर्गम/Preferential issue of Equity Shares		259101		879164
ईक्विटी शेयरों के निर्गम पर शेयर प्रीमियम /Share Premium on issue of Equity Shares		1740899		5930837
प्रदत्त लाभांश/Dividend Paid		(5141550)		(3977035)
गोण ऋण (निवल) से प्राप्तियां /Proceeds from Subordinated Debts (Net)		0		10000000
आईपीडीआई पर प्रदत्त ब्याज /Interest paid on IPDI		(357550)		(356764)
अपर टियर-2 ऋण लिखतों पर प्रदत्त ब्याज/Interest paid on Upper T-2 Debt Instruments		(1469200)		(1466153)
गोण ऋण पर प्रदत्त ब्याज/Interest paid on subordinated debts		(2742967)		(2206397)
वित्तपोषण कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (इ)				
Net cash flow from financing activities (C)		(7711267)		8803652
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (अ+आ+ इ)				
Net increase in cash & cash equivalents (A+B+C)		25897235		(13046559)
विदेशी मुद्रा की घट-बढ़ के लिए समायोजन/Adjustment for Foreign Exchange Fluctuation		781720		450868
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/Net increase in cash & cash equivalents		26678955		(12595691)
क्रमशः 1 अप्रैल 2013 और 2012 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य				
Cash and cash equivalents as at April 1,2013 & 2012 respectively		123441155		136036846
क्रमशः 31 मार्च 2014 और 2013 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य				
Cash and cash equivalents as at March 31,2014 & 2013 respectively		150120110		123441155
ई. वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य				
D. Cash and Cash Equivalents at the beginning of the Year				
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित)				
Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)		4365685		3084047
भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India		52687922		75031245
बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/ Balance with Banks and Money at Call and Short Notice		66387548		57921554
		123441155		136036846
उ. वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य				
E. Cash and Cash Equivalents at the end of the Year				
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित)				
Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)		5379736		4365685
भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India		75112389		52687922
बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balance with Banks and Money at Call and Short Notice		69627985		66387548
		150120110		123441155

**31.03.2014 की स्थिति के अनुसार यूको बैंक का
बासेल III पिलर 3 प्रकटीकरण**

**तालिका डीएफ-1:
प्रयोज्यता का कार्य-विस्तार**

बैंकिंग समूह के प्रमुख का नाम जिस पर संरचनागत ढाँचा प्रयोज्य है: यूको बैंक						
(i) गुणात्मक प्रकटीकरण:						
क. समेकन के लिए ग्रहण किए गए समूह निकायों की सूची - लागू नहीं.						
निकाय का नाम/ जिस देश में शामिल है	क्या निकाय समेकन के लेखांकन कार्यक्षेत्र में शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की कार्यविधि का विवेचन करें	क्या निकाय समेकन के नियमनकारी कार्यक्षेत्र में शामिल है	समेकन की कार्यविधि का विवेचन करें	समेकन की कार्यविधि में अंतर के कारणों का विवेचन करें	यदि समेकन की कार्यक्षेत्रों में से सिर्फ एक के तहत समेकन किया गया है तो इसके कारण का विवेचन करें
यूको बैंक						
भारत	नहीं	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ख. लेखांकन एवं नियमनकारी दोनों कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत समेकन के लिए ग्रहण नहीं किए गए समूह निकायों की सूची						
निकाय का नाम/ जिस देश में शामिल है	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का %	निकाय की पूँजी लिखत में बैंक के निवेशों का नियमनकारी उपचार	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(ii) प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण :						
ग. समेकन के लिए ग्रहण किए गए समूह निकायों की सूची						
निकाय का नाम/जिस देश में शामिल है (उपर्युक्त (i) क. के अनुसार)	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल तुलन पत्र आस्तियाँ (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)			
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं			
घ. सभी अनुबंधितियों में पूँजीगत कमियों की समग्र राशि, जो समेकन के नियमनकारी कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं की जाती, यानी जिसकी कटौती की जाती है:						
अनुबंधितियों का नाम/जिस देश में शामिल हैं	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूँजी की कमी		
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		
ड. बीमा निकायों में बैंक के कुल हितों की समग्र राशियाँ (उदाहरण चालू बही मूल्य), जो जोखिम भारित हैं:						
बीमा निकायों का नाम/जिस देश में शामिल हैं	बीमा निकायों का नाम/ जिस देश में शामिल हैं निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल ईक्विटी/मत देने की शक्ति के अनुपात में बैंक की धारिता का%	नियमनकारी पूँजी पर प्रमात्रात्मक प्रभाव, जोखिम भार देने की कार्यविधि बनाम पूर्ण कटौती कार्यविधि का उपयोग		
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		
च. बैंकिंग समूह के दायरे में निधियों या नियमनकारी पूँजी के अंतरण में प्रतिबंध या अवरोध: लागू नहीं						

**BASEL III PILLAR 3 DISCLOSURE AS ON 31.03.2014 OF
UCO BANK**

**Table DF-1:
Scope of Application**

Name of the head of the banking group to which the framework applies UCO BANK.						
(i) Qualitative Disclosures:						
Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
UCO Bank India	No	NA	No	NA	NA	NA
a. List of group entities considered for consolidation – Not applicable.						
b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation						
Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	
NA	NA	NA	NA	NA	NA	
(ii) Quantitative Disclosures:						
c. List of group entities considered for consolidation						
Name of the entity /country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)			
NA	NA	NA	NA		NA	
d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:						
Name of the subsidiaries / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Capital deficiencies		
NA	NA	NA	NA	NA		
e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:						
Name of the subsidiaries / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method		
NA	NA	NA	NA	NA		
f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group: Not applicable						

तालिका डी एफ -2

पूँजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण	
(क) विद्यमान क्रियाकलापों एवं भावी क्रियाकलापों को समर्थन करने हेतु अपेक्षित विभिन्न पूँजीगत लिखतों को जारी करने के लिए बैंक की योजना से निदेशक मंडल को समय-समय पर अवगत कराया जाता है। निदेशक मंडल द्वारा इसकी आवधिक समीक्षा भी की जाती है।	
प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण / Quantitative Disclosures (करोड़ ₹ में)	
(ख) ऋण जोखिम के लिए पूँजीगत आवश्यकता:	
मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यक्षीन पोर्टफोलियो	8902.02
प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	शून्य/Nil
(ग) बाजार जोखिम के लिए पूँजीगत आवश्यकता:	
मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	841.07
ब्याज दर जोखिम	751.74
विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित)	2.25
ईक्विटी जोखिम	87.08
(घ) परिचालनगत जोखिम के लिए पूँजीगत आवश्यकता:	
बुनियादी सूचक दृष्टिकोण	754.22
• मानकीकृत दृष्टिकोण (यदि लागू हो)	
(ङ) सामान्य ईक्विटी टियर 1, टियर 1 एवं कुल पूँजी अनुपात :	
सामान्य ईक्विटी टियर 1	8.62%
टियर 1	8.71%
कुल पूँजी अनुपात	12.68%
शीर्षस्थ समेकित समूह के लिए	लागू नहीं
महत्वपूर्ण बैंक अनुबंधियों हेतु (स्टैंड अलोन या उप-समेकित, जो इस पर निर्भर करेगा कि फ्रेमवर्क किस तरह लागू किया गया है।)	लागू नहीं

Table DF-2
Capital Adequacy

Qualitative Disclosures	
(a)	Board is apprised periodically of Bank's plan for raising different Capital instruments needed for supporting current activities and future activities. This is also reviewed periodically by the Board.
Quantitative Disclosures	
	(₹ in crore)
(b)	Capital requirements for Credit Risk : Portfolio subject to Standardized Approach Securitization Exposures
	8902.02 Nil
(c)	Capital requirements for Market Risk : Standardized Duration Approach Interest Rate Risk Foreign Exchange Risk (including Gold) Equity Risk
	841.07 751.74 2.25 87.08
(d)	Capital requirements for Operational Risk : Basic Indicator Approach • The Standardised Approach (if applicable)
	754.22
(e)	Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital ratios: Common Equity Tier I Tier I Total Capital ratios For the top consolidated group For significant bank subsidiaries(stand alone or sub-consolidated depending on how the Framework is applied)
	8.62% 8.71% 12.68% Not Applicable Not Applicable

डीएफ -3

ऋण जोखिम : सभी बैंकों हेतु सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) पिछला बकाया एवं अनर्जक खाते (लेखांकन प्रयोजन हेतु)

निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित बैंक की अनर्जक आस्ति प्रबंध नीति के अनुसार किसी आस्ति को निम्नांकित स्थिति में पिछला बकाया/अनर्जक आस्ति माना जाता है -

- i. मीयादी ऋण के मामले में ब्याज और/या मूल धन की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है।
- ii. ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/सीसी) के मामले में, नीचे दिए गए पैरा के अनुसार खाता 90 दिनों से अधिक समय तक 'आउट ऑफ ऑर्डर' रहता है।
- iii. खरीदे गए बिल एवं भुनाए गए बिल के मामले में, बिल 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है।
- iv. अल्पावधि की फसलों के लिए मूल धन की किस्त या उस पर ब्याज दो फसलों के मौसम तक बकाया रहता है।
- v. दीर्घावधि की फसलों के लिए मूल धन की किस्त या उस पर ब्याज एक फसल के मौसम तक बकाया रहता है।

किसी खाते को अनियमित माना जाता है जब

- i. बकाया शेष लगातार स्वीकृति सीमा-आहरण अधिकार से अधिक बना रहता है, तो खाते को अनियमित माना जाता है।
- ii. बकाया शेष लगातार स्वीकृति सीमा-आहरण अधिकार से कम होता है किंतु लगातार 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं की जाती है या जमा की गई राशि नामे किए गए ब्याज के लिए पूरी नहीं होती है।

ख) बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध नीति

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध पद्धति निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित नीतिगत निदेशों पर आधारित है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

- i. ऋण जोखिम अधिग्रहण - कार्यनीति एवं नीतियां
- ii. ऋण अनुमोदन प्रक्रिया
- iii. ऋण जोखिम निगरानी प्रक्रिया
- iv. ऋण जोखिम नियंत्रण प्रक्रिया

ऋण जोखिम के प्रबंध की सारी जिम्मेदारी निदेशक मंडल की होती है और निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति ऋण जोखिम प्रबंध एवं रिपोर्टिंग हेतु दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है और वह नीति के अनुरूप ऋण जोखिम प्रबंध प्रक्रिया, विवेकपूर्ण सीमा का निर्धारण तथा उसकी समय-समय पर समीक्षा एवं जोखिम के मापांक की सुदृढ़ता सुनिश्चित करती है। ऋण जोखिम प्रबंध समिति ऋण नीति एवं प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों को निपटाने तथा पूरे बैंक के आधार पर ऋण जोखिम की निगरानी तथा नियंत्रण के विश्लेषण हेतु उत्तरदायी है।

बैंक का ऋण जोखिम प्रबंध विभाग बैंक द्वारा निर्धारित जोखिम मानदंडों और विवेकपूर्ण ऋण सीमा लागू कराने और उसके अनुपालन की निगरानी करता है। यह विभाग जोखिम मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण तथा ऋण संविभाग की गुणवत्ता की निगरानी, समस्याओं की पहचान तथा त्रुटियों का सुधार और संविभाग मूल्यांकन सहित इस प्रयोजन हेतु एमआईएस का विकास भी करता है। ऋण जोखिम प्रबंध विभाग की ऋण संसाधन एवं ऋण निगरानी विभाग से अलग एक स्वतंत्र सत्ता है।

ऋणजोखिम का मूल्यांकन ऋण खातों के श्रेणी-निर्धारण के माध्यम से किया जाता है। बैंक में 25 लाख रु. से अधिक के एक्सपोजर वाले सभी खातों के श्रेणी निर्धारण के लिए (योजनागत ऋणों को छोड़कर) एक पद्धति विद्यमान है। बैंक श्रेणी निर्धारण माइग्रेसन का ध्यान रखता है तथा उसने सभी श्रेणी निर्धारण के लिए आंतरिक चूक दरें विकसित की हैं। चूक दरों का निर्धारण स्थापित श्रेणी निर्धारण एजेंसियों की चूक दरों के साथ भी किया जाता है। बैंक, जहाँ कहीं संभव और अपेक्षित होता है, उपयुक्त संपार्श्विक या गारंटीकर्ताओं के माध्यम से ऋण खातों से जुड़े जोखिमों को कम करने की हर संभव कोशिश करता है। इसके अतिरिक्त जिन शर्तों एवं निबंधनों के अधीन ऋण स्वीकृत किए जाते हैं, वे भी ऋण से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक होते हैं। जोखिमों को कम करने में खातों की नियमित निगरानी एवं नियंत्रण भी सहायक होते हैं। जोखिमों को कम करने के लिए बैंक ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए निर्यात ऋण गारंटी निगम एवं ऋण गारंटी निधि न्यास से योग्य खातों का आवश्यक बीमा भी करवाया है।

गुणात्मक प्रकटीकरण

(सभी संख्याएँ ₹ करोड़ में)

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण (सभी राशियां करोड़ में)	संवितरण	
	निधि आधारित	गैर निधि आधारित
(क) कुल सकल ऋण एक्सपोजर	153163.18	20759.16
(ख) ऋणों का भौगोलिक संवितरण		
देशी	140228.23	14639.17
विदेशी	12934.95	6119.99
ग) ऋणों के उद्योगवार संवितरण		

	संवितरण	
	निधि आधारित	गैर निधि आधारित
क. खदान और उत्खनन (क.1 अ क.2)	1131.69	69.61
क.1 कोयला	723.96	69.61
क.2 अन्य	407.73	0.00
ख. खाद्य प्रसंस्करण (ख.1 अ ख.2)	3467.39	101.45
ख.1 चीनी	635.41	0.45
ख.2 खाद्य तेल एवं वनस्पति	328.84	95.36
ख.3 चाय	453.83	0.00
ख.4 कॉफी	0.00	0.00
ख.5 अन्य	2049.31	5.63
ग. मादक पेय (चाय व कॉफी छोड़कर) एवं तंबाकू जिसमें से तंबाकू और तंबाकू उत्पाद	271.34 2.33	0.41 0.00
घ. वस्त्र (क से च तक)	3953.45	32.12
क. सूती वस्त्र	2186.09	21.44
ख. जूट	15.45	0.00
ग. हथकरघा/खादी (गैर प्राथमिक)	49.39	0.00
घ. सिल्क	0.31	0.00
ङ. ऊनी	34.84	0.00
च. अन्य	1667.37	10.68
घ (अर्थात् कुल वस्त्रोद्योग) में से कताई मिलों को	103.57	0.00
ङ. चर्म एवं चर्म उत्पाद	94.59	4.80
च. लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	861.32	24.86
छ. कागज एवं कागज उत्पाद	563.34	3.91
ज. पेट्रोलियम (गैर-प्राथमिक), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) और आणविक ऊर्जा	2462.69	0.00
झ. रसायन एवं रसायन उत्पाद (रंग, रंगलेप)	3397.45	62.56
झ.1 उर्वरक	1686.71	4.68
झ.2 औषध एवं फार्मास्यूटिकल्स	1020.50	6.07
झ.3 पेट्रो-केमिकल्स (बुनियादी ढांचागत छोड़कर)	36.15	0.45
झ.4 अन्य	654.09	51.36
ञ. रबड़, प्लास्टिक एवं उनके उत्पाद	213.23	28.00
ट. कांच एवं कांच के सामान	168.07	0.00
ठ. सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	662.96	0.00
ड. धातु एवं धातु उत्पाद (ड. 1अ ड.2)	11890.39	328.09
ड.1 लोहा एवं इस्पात	10470.97	318.09
ड.2 अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	1419.42	10.00
ण. समस्त इंजीनियरिंग	4916.45	40.50
ण.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	1094.65	2.67
ण.2 अन्य	3821.80	37.84
त. मोटरयान, यान के कलपुर्जे और यातायात उपकरण	925.00	10.01
थ. रत्न एवं जेवर	1414.96	212.47
द. विनिर्माण	2303.79	0.03
ध. आधार संरचना क्षेत्र (क से घ)	32997.43	210.48
क. यातायात (क.1 से क.6)	4394.83	0.00
क.1 पथ एवं पुल निर्माण	3633.21	0.00
क.2 बंदरगाह	245.00	0.00
क.3 अंतर्देशीय जलपथ	0.00	0.00
क.4 हवाईअड्डा	0.00	0.00
क.5 रेल पथ, सुरंग, वायडक्ट, पुल	316.14	0.00
क.6 शहरी सार्वजनिक यातायात (शहरी पथ यातायात के मामले में रोलिंग स्टॉक को छोड़कर)	200.48	0.00

	संवितरण	
	निधि आधारित	गैर निधि आधारित
ख. ऊर्जा (ख.1 से ख.6)	22587.95	209.48
ख.1 बिजली (उत्पादन)	13438.91	209.48
ख.1.1 केंद्रीय सरकार के उपक्रम	2013.44	0.00
ख.1.2 राज्य सरकार के उपक्रम (रा.बि. बोर्ड सहित)	2758.98	0.00
ख.1.3 निजी क्षेत्र	8666.50	209.48
ख.2 बिजली (संचारण)	4972.24	0.00
ख.2.1 केंद्रीय सरकार के उपक्रम	0.00	0.00
ख.2.2 राज्य सरकार के उपक्रम (रा.बि. बोर्ड सहित)	3593.93	0.00
ख.2.3 निजी क्षेत्र	1378.31	0.00
ख.3 बिजली (वितरण)	4175.90	0.00
ख.3.1 केंद्रीय सरकार के उपक्रम	0.00	0.00
ख.3.2 राज्य सरकार के उपक्रम (रा.बि. बोर्ड सहित)	3676.61	0.00
ख.3.3 निजी क्षेत्र	499.29	0.00
ख.4 तेल पाईपलाइन	0.00	0.00
ख.5 तेल/गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा	0.90	0.00
ख.6 गैस पाईपलाइन	0.00	0.00
ग. जल एवं सफाई का प्रबंध (ग.1 से ग.6)	637.29	0.00
ग.1 टोस अपशिष्ट प्रबंध	637.29	0.00
ग.2 जल-आपूर्ति पाईपलाईन	0.00	0.00
ग.3 जलशोधन संयंत्र	0.00	0.00
ग.4 अपशिष्ट संग्रहण, शोधन एवं निपटान प्रणाली	0.00	0.00
ग.5 सिंचाई (बांध, नहर, तटबंध आदि)	0.00	0.00
ग.6 बाढ़ जल निकासी प्रणाली	0.00	0.00
घ. संचार (घ.1 से घ.2)	2609.91	0.00
घ.1 दूरसंचार (नियत नेटवर्क)	393.73	0.00
घ.2 दूरसंचार टॉवर	2216.18	0.00
ङ. सामाजिक एवं व्यावसायिक बुनियादी सुविधाएं	2767.45	1.00
ङ.1 शिक्षण संस्थाएं (पूँजी स्टॉक)	432.86	1.00
ङ.2 अस्पताल (पूँजी स्टॉक)	0.00	0.00
ङ.3 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों के बाहर स्थित तीन सितारे वाले वर्गीकृत होटल	192.65	0.00
ङ.4 औद्योगिक पार्क, एसइजेड पर्यटन सुविधा एवं कृषि बाजार के लिए सामान्य बुनियादी सुविधाएं	2129.50	0.00
ङ.5 उर्वरक (पूँजी निवेश)	0.00	0.00
ङ.6 बागान एवं कृषि उत्पाद के भंडारण के लिए फसल कटाई के बाद कोल्ड स्टोरेज सहित भंडारणगत बुनियादी सुविधाएं	5.15	0.00
ङ.7 अंतिम बाजार	7.30	0.00
ङ.8 मिट्टी परीक्षण	0.00	0.00
ङ.9 शीत भंडारण की शृंखला	0.00	0.00
समस्त उद्योग (क से घ तक)	71695.53	1129.27

घ) आरिस्त का बकाया संविदागत परिपक्वता का खंडवार ब्योरा

विवरण	1 दिन	2 से 7 दिन तक	8 से 14 दिन तक	15 से 28 दिन तक	29 दिन से माह तक	3 माह से अधिक परंतु 6 माह तक	6 माह से अधिक परंतु 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक परंतु 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
जमा	1659.69	3582.24	4677.39	5889.83	31106.32	25092.81	38971.12	42756.57	4758.46	41039.12	199533.55
सकल अग्रिम	1930.77	993.57	783.40	1487.57	26807.47	14416.73	10261.61	34813.59	12904.30	48764.17	153163.18
निवेश	2.84	4.83	17.55	512.43	315.91	858.66	2534.03	6170.52	10176.25	47252.62	67845.64
ऋण	63.52	10120.41	149.79	649.15	3490.77	657.52	6.53	1395.88	104.76	4079.90	20718.23
विदेशी मुद्रा											
आरिस्तियां	2127.13	501.50	764.02	1111.45	5029.96	4583.95	2150.66	3348.56	1090.59	1359.42	22067.24
विदेशी मुद्रा											
देयताएं	582.24	67.27	1294.27	2269.54	4303.64	3482.70	2082.59	4212.26	663.88	3108.85	22067.24

च) एनपीए की राशि (सकल)	:	6621.37 करोड़
• अपमानक	:	2425.30 करोड़
• संदिग्ध 1	:	1028.30 करोड़
• संदिग्ध 2	:	2112.69 करोड़
• संदिग्ध 3	:	613.09 करोड़
• हानि	:	441.99 करोड़

छ) शुद्ध एनपीए :- **3556.43** करोड़

ज) एनपीए अनुपात: -		
• सकल अग्रिम पर सकल एनपीए	:	4.32%
• शुद्ध अग्रिम पर शुद्ध एनपीए	:	2.38%

झ) एनपीए की घट-बढ़ (सकल)		
• प्रारंभिक शेष	:	7130.09 करोड़
• वृद्धि	:	3961.59 करोड़
• कमी	:	4470.31 करोड़
• अंत शेष	:	6621.37 करोड़

ञ) एनपीए के प्रावधान की घट-बढ़		
• प्रारंभिक शेष	:	2816.42 करोड़
• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	:	1428.46 करोड़
• बढ़े खाते डालना	:	1423.44 करोड़
• अतिरिक्त प्रावधानों को वापस खाते में लेना	:	शून्य
• अंत शेष	:	2821.44 करोड़

ट) अनर्जक निवेशों की राशि :

113.78 करोड़

ठ) अनर्जक निवेशों हेतु धारित प्रावधानों की राशि :

113.41 करोड़

ड) निवेश अवमूल्यन के प्रावधानों की घट-बढ़

• प्रारंभिक शेष	:	207.60 करोड़
• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	:	140.19 करोड़
• बढ़े खाते डालना	:	शून्य
• विनिमय अंतराल	:	2.47 करोड़
• अतिरिक्त प्रावधानों को वापस खाते में लेना	:	69.73 करोड़
• अंत शेष	:	280.53 करोड़

Table DF-3
Credit Risk: General Disclosures for All Banks

Qualitative Disclosure

a) Past Due and Impaired Accounts (for accounting purpose):

In terms of Bank's NPA Management Policy duly approved by the Board of Directors, an asset is treated as Past due/impaired asset where –

- i. Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.
- ii. The account remains 'out of order' for a period of more than 90 days as given in para below, in respect of an overdraft/cash credit (OD/CC).
- iii. The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- iv. The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.
- v. The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An account is considered out of order when

- i. The outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power; the account is treated as out of order.
- ii. The balance outstanding is less than the sanctioned limit/drawing power but there are no credits continuously for 90 days or the credits are not sufficient to cover the interest debited.

b) Bank's Credit Risk Management Policy:

Bank's Credit Risk Management practices are based on policy directives duly approved by the Board which, inter-alia, encompasses the following :

- i. Credit Risk acquisition – strategies & policies,
- ii. Credit approval processes.
- iii. Credit Risk monitoring processes.
- iv. Credit Risk control processes.

Board of Directors has over all responsibility for management of Credit risk and Risk Management Committee of the Board is responsible for setting up guidelines for Credit Risk Management and reporting, ensuring that Credit Risk Management processes conform to the policy, setting up prudential limit and its periodical review and ensuring robustness of risk modules. Credit Risk Management Committee is responsible to deal with issues relating to Credit policy and procedures and to analyze monitoring and control credit risk on bank wide basis.

Credit Risk Management Department of the Bank enforces and monitors compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Bank. They also lay down risk assessment system, monitor quality of loan portfolio, identify problems and correct deficiencies, develop MIS for the purpose including portfolio evaluation. Credit Risk Management Department is independent of Credit Processing & Credit Monitoring Departments.

Assessment of Credit Risk is done through rating of credit accounts. The bank has a system of rating all accounts (excepting those under schematic lending) having exposure of above Rs 25 lacs. Bank tracks rating migration and has developed internal default rates across rating. The mapping of default rates is also carried out with default rate of established rating agencies.

The bank makes all possible efforts to mitigate risks associated with credit accounts through suitable collaterals or guarantors wherever it is considered feasible and desirable. In addition to that, terms and conditions under which credit is sanctioned also go a long way to mitigate risks associated with credit. Regular monitoring and control of accounts also add to the risk mitigation. In order to mitigate risk, the Bank has taken necessary cover for eligible accounts from Export Credit Guarantee Corporation and Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises.

Quantitative disclosures

(All figures in ₹ in Crores)

Quantitative Disclosures (all amount in Rs. Cr)	Exposure	
	Fund Based	Non Fund Based
a) Total Gross Credit Exposure	153163.18	20759.16
b) Geographical Distribution of Exposure		
Domestic	140228.23	14639.17
Overseas	12934.95	6119.99
c) Industry type distribution of Exposures		

Industry Name	Exposure	
	Funded	Non-Funded
A. Mining and Quarrying (A.1 + A.2)	1131.69	69.61
A.1 Coal	723.96	69.61
A.2 Others	407.73	0.00
B. Food Processing (B.1 to B.5)	3467.39	101.45
B.1 Sugar	635.41	0.45
B.2 Edible Oils and Vanaspati	328.84	95.36
B.3 Tea	453.83	0.00
B.4 Coffee	0.00	0.00
B.5 Others	2049.31	5.63
C. Beverages (excluding Tea & Coffee) and Tobacco	271.34	0.41
Of which Tobacco and tobacco products	2.33	0.00
D. Textiles (a to f)	3953.45	32.12
a. Cotton	2186.09	21.44
b. Jute	15.45	0.00
c. Handicraft/Khadi (Non Priority)	49.39	0.00
d. Silk	0.31	0.00
e. Woolen	34.84	0.00
f. Others	1667.37	10.68
Out of D (i.e., Total Textiles) to Spinning Mills	103.57	0.00
E. Leather and Leather products	94.59	4.80
F. Wood and Wood Products	861.32	24.86
G. Paper and Paper Products	563.34	3.91
H. Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	2462.69	0.00
I. Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.) (I.1 to I.4)	3397.45	62.56
I.1 Fertilizers	1686.71	4.68
I.2 Drugs and Pharmaceuticals	1020.50	6.07
I.3 Petro-chemicals (excluding under Infrastructure)	36.15	0.45
I.4 Others	654.09	51.36
J. Rubber, Plastic and their Products	213.23	28.00
K. Glass & Glassware	168.07	0.00
L. Cement and Cement Products	662.96	0.00
M. Basic Metal and Metal Products (M.1 + M.2)	11890.39	328.09
M.1 Iron and Steel	10470.97	318.09
M.2 Other Metal and Metal Products	1419.42	10.00
N. All Engineering (N.1 + N.2)	4916.45	40.50
N.1 Electronics	1094.65	2.67
N.2 Others	3821.80	37.84
O. Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	925.00	10.01
P. Gems and Jewellery	1414.96	212.47
Q. Construction	2303.79	0.03
S. Infrastructure (a to d)	32997.43	210.48
a. Transport (a.1 to a.6)	4394.83	0.00
a.1 Roads and Bridges	3633.21	0.00
a.2 Ports	245.00	0.00
a.3 Inland Waterways	0.00	0.00
a.4 Airport	0.00	0.00
a.5 Railway Track, tunnels, viaducts, bridges	316.14	0.00
a.6 Urban Public Transport (except rolling stock in case of urban road transport)	200.48	0.00

Industry Name	Exposure	
	Funded	Non-Funded
b. Energy (b.1 to b.6)	22587.95	209.48
b.1 Electricity (Generation)	13438.91	209.48
b.1.1 Central Govt PSUs	2013.44	0.00
b.1.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	2758.98	0.00
b.1.3 Private Sector	8666.50	209.48
b.2 Electricity (Transmission)	4972.24	0.00
b.2.1 Central Govt PSUs	0.00	0.00
b.2.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	3593.93	0.00
b.2.3 Private Sector	1378.31	0.00
b.3 Electricity (Distribution)	4175.90	0.00
b.3.1 Central Govt PSUs	0.00	0.00
b.3.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	3676.61	0.00
b.3.3 Private Sector	499.29	0.00
b.4 Oil pipelines	0.00	0.00
b.5 Oil/Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) storage facility	0.90	0.00
b.6 Gas pipelines	0.00	0.00
c. Water and Sanitation (c.1 to c.6)	637.29	0.00
c.1 Solid Waste Management	637.29	0.00
c.2 Water supply pipelines	0.00	0.00
c.3 Water treatment plants	0.00	0.00
c.4 Sewage collection, treatment and disposal system	0.00	0.00
c.5 Irrigation (dams, channels, embankments etc)	0.00	0.00
c.6 Storm Water Drainage System	0.00	0.00
d. Communication (d.1 to d.2)	2609.91	0.00
d.1 Telecommunication (Fixed network)	393.73	0.00
d.2 Telecommunication towers	2216.18	0.00
e. Social and Commercial Infrastructure (e.1 to e.9)	2767.45	1.00
e.1 Education Institutions (capital stock)	432.86	1.00
e.2 Hospitals (capital stock)	0.00	0.00
e.3 Three-star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million	192.65	0.00
e.4 Common infrastructure for industrial parks, SEZ, tourism facilities and agriculture markets	2129.50	0.00
e.5 Fertilizer (Capital investment)	0.00	0.00
e.6 Post harvest storage infrastructure for agriculture and horticultural produce including cold storage	5.15	0.00
e.7 Terminal markets	7.30	0.00
e.8 Soil-testing laboratories	0.00	0.00
e.9 Cold Chain	0.00	0.00
All Industries (A to S)	71695.53	1129.27

e) Residual contractual maturity breakdown of assets (₹ in Cr)

Particulars	1 Day	2 to 7 Days	8 to 14 Days	15 to 28 days	29 days and upto 3 months	Over 3 months and upto 6 months	Over 6 months and upto 1 year	Over 1 year and upto 3 years	Over 3 year and upto 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	1659.69	3582.24	4677.39	5889.83	31106.32	25092.81	38971.12	42756.57	4758.46	41039.12	199533.55
Advance Gross	1930.77	993.57	783.40	1487.57	26807.47	14416.73	10261.61	34813.59	12904.30	48764.17	153163.18
Investment	2.84	4.83	17.55	512.43	315.91	858.66	2534.03	6170.52	10176.25	47252.62	67845.64
Borrowing	63.52	10120.41	149.79	649.15	3490.77	657.52	6.53	1395.88	104.76	4079.90	20718.23
Foreign Currency											
-Asset	2127.13	501.50	764.02	1111.45	5029.96	4583.95	2150.66	3348.56	1090.59	1359.42	22067.24
Foreign Currency											
-Liability	582.24	67.27	1294.27	2269.54	4303.64	3482.70	2082.59	4212.26	663.88	3108.85	22067.24

f) Amount of NPAs (Gross)	:	6621.37 Cr
• Substandard	:	2425.30 Cr
• Doubtful 1	:	1028.30 Cr
• Doubtful 2	:	2112.69 Cr
• Doubtful 3	:	613.09 Cr
• Loss	:	441.99 Cr
g) Net NPAs	:	3556.43 Cr
h) NPA Ratios		
• Gross NPAs to gross advances	:	4.32%
• Net NPAs to net advances	:	2.38%
i) Movement of NPAs (Gross)		
• Opening balance	:	7130.09 Cr
• Additions	:	3961.59 Cr
• Reductions	:	4470.31 Cr
• Closing balance	:	6621.37 Cr
j) Movement of provisions for NPAs		
• Opening balance	:	2816.42 Cr
• Provisions made during the period	:	1428.46 Cr
• Write-off	:	1423.44 Cr
• Write-back of excess provisions	:	NIL
• Closing balance	:	2821.44 Cr
k) Amount of Non-Performing Investments	:	113.78 Cr
l) Amount of provisions held for non-performing investments	:	113.41 Cr
m) Movement of provisions for depreciation on investments		
• Opening balance	:	207.60 Cr
• Provisions made during the period	:	140.19 Cr
• Write-off	:	NIL
• Exchange Difference	:	2.47 Cr
• Write-back of excess provisions	:	69.73 Cr
• Closing balance	:	280.53 Cr

तालिका डीएफ-4

ऋण जोखिम : मानक दृष्टिकोण के अधधीन संविभागों हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण :

निम्नलिखित श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा किए गए ऋण श्रेणी-निर्धारण का उपयोग, मानक दृष्टिकोण के अधीन हमारे ऋण खातों के जोखिम भार-निर्धारण हेतु किया जाता है :

- 1) सीएआरई
- 2) सीआरआईएसआईएल
- 3) एफआईटीसीएच
- 4) आईसीआरए
- 5) बिक्रचर्क
- 6) एसएमईआरए

- श्रेणी-निर्धारक एजेंसियों ने कार्पोरेट एक्सपोजर का श्रेणी-निर्धारण किया है। उपर उल्लिखित श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा प्रदत्त सार्वजनिक निर्गम की श्रेणी पर आधारित खातों का श्रेणी-निर्धारण करने में बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र आरबीआई/2013-14/70 डीबीओडी.सं. बीपी.बीसी. 2/21.06.201/2013-14 दिनांक 1 जुलाई 2013 में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन किया है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण :

मानक दृष्टिकोण में जोखिम को कम करने के बाद एक्सपोजर

1)	100% कम का जोखिम भार	-	₹94485.82 Cr.
2)	100% जोखिम भार	-	₹28051.73 Cr.
3)	100% से अधिक का जोखिम भार	-	₹17577.44 Cr.
4)	कटौती	-	₹25971.19 Cr.
	योग	-	₹166086.19 Cr.

Table DF-4

Credit Risk: Disclosures for Portfolios Subject to the Standardised Approach

Qualitative disclosure:

Credit rating accorded by the following credit rating agencies has been used in assigning risk weights to our credit accounts under standardized approach:

- 1) CARE
- 2) CRISIL
- 3) FITCH
- 4) ICRA
- 5) Brickwork
- 6) SMERA

- Rating agencies have rated corporate exposures. In assigning rating to accounts based on public issue rating given by the above mentioned rating agencies, bank has followed the guidelines of Reserve Bank of India communicated vide their Master circular RBI/2013-14/70 DBOD.No.BP.BC.2 /21.06.201/2013-14 July 1, 2013.

Quantitative disclosure:

Exposure after risk mitigation in standardized approach:

1) Below 100% risk weight	-	₹ 94485.82 Cr.
2) 100% risk weight	-	₹28051.73 Cr.
3) More than 100% risk weight	-	₹17577.44 Cr.
4) Deduction	-	₹25971.19 Cr
Total	-	₹166086.19 Cr.

तालिका डीएफ-5

ऋण जोखिम प्रशमन : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण :

(अ) तुलन पत्र और उसके इतर के समायोजन का उपयोग जिस सीमा तक बैंक द्वारा किया जाता है उसका सूचक तथा उसके लिए नीति एवं प्रक्रिया

ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक - तुलन पत्र के समायोजन संबंधी

बैंक इस शर्त के अध्वधीन निवल ऋण एक्सपोजर के आधार पर पूंजी आवश्यकता की गणना करता है कि -

- बैंक के पास यह निष्कर्ष निकालने का एक सुनिश्चित विधिक आधार है कि चाहे काउंटरपार्टी दिवालिया अथवा शोधन अक्षम है अथवा नहीं, प्रत्येक संगत क्षेत्राधिकार में नोटिंग या ऑफसेटिंग करार प्रवर्तनीय है।
- बैंक किसी भी समय उसी काउंटरपार्टी के ऋण/अग्रिम एवं जमाराशियों को निर्धारित कर सकता है जो नेटिंग व्यवस्था के अध्वधीन है।
- बैंक निवल आधार पर संगत एक्सपोजर पर निगरानी रखता है और उनपर नियंत्रण करता है, ऋणों और अग्रिमों को एक्सपोजर के स्तर में माना जाता है और जमाराशि को संपार्श्विक प्रतिभूत के स्तर में माना जाता है।

ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक- गारंटी

- गारंटी को प्रत्यक्ष, स्पष्ट, अपरिवर्तनीय एवं शर्तरहित होना चाहिए
- प्रतिस्थापन व्यवस्था लागू की जाएगी। इस प्रकार काउंटरपार्टी की तुलना में कम जोखिम भार वाली कंपनी द्वारा जारी गारंटी से पूंजी भार कम होगा क्योंकि काउंटरपार्टी एक्सपोजर के संरक्षित अंश में गारंटीकर्ता का जोखिम भार समनुदेशित है जबकि असंरक्षित अंश में मूल काउंटरपार्टी का जोखिम भार प्रतिधारित है।
- गारंटी के लिए परिचालन अपेक्षाएं अवश्य पूरी की जानी चाहिए।
- योग्य गारंटीकर्ताओं (काउंटर गारंटीकर्ताओं) की श्रेणी

निम्नलिखित संस्था द्वारा दिए गए ऋण संरक्षण को मान्यता दी जाएगी।

- सरकार, सरकारी कंपनी (बीआईएस, आईएमएफ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, एमबीडी, एससीजीसी और सीजीटीएसएमई) बैंक एवं काउंटरपार्टी की तुलना में कम जोखिम भार वाले प्राथमिक व्यापारी;
 - 'ए' या उससे बेहतर रेटिंग वाली अन्य कंपनियां : इसमें मूल, सहायक एवं संबद्ध कंपनियों द्वारा दिया गया गारंटी कवर उस स्थिति में शामिल होगा, जब उनका जोखिम भार बाध्यताधारी से कम हो।
- v) संरक्षित अंश में संरक्षण प्रदाता का जोखिम भार समनुदेशित है।

(आ) संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंध के लिए पद्धति एवं प्रक्रिया

यदि संपत्ति को बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो एक बैंकर के स्तर में हम संपत्ति के उस बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हैं, जिसकी उम्मीद केता से की जाती है। मूल्यांकन आरिस्त मूल्यांकन पद्धति द्वारा किया जाता है, जो प्रतिभूति के स्तर में ली जाने वाली मूर्त आरिस्तियों के बाजार मूल्य को ध्यान में रखती है।

विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के मूल्यांकन की पद्धति

(i) भूमि एवं भवन का मूल्यांकन

बैंक की चालू सूची में शामिल पंजीकृत मूल्यांकनों द्वारा सभी भू-संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाए। भूमि का मूल्य अलग से लगाया जाएगा और नगरपालिका निकायों सहित सरकारी प्राधिकरणों द्वारा दर्ज मूल्यांकन से उसकी तुलना की जाएगी। उस भूमि पर किए गए निर्माण कार्य का मूल्यांकन अलग से किया जाएगा तथा उस संपत्ति का बीमा करने पर लगाए गए मूल्य से उसकी तुलना की जाएगी।

निम्नलिखित मदों को ध्यान में रखा जाएगा :

- निर्माण की प्रकृति
- भवन की आयु तथा उसकी विद्यमान मजबूती
- किराया से होने वाली आय
- निर्धारित /प्रदत्त कर की राशि
- भूमि एवं भवन का क्षेत्र
- निर्माण की लागत
- जगह का मूल्य

(ii) जंगम संपत्तियों का मूल्यांकन

दृष्टिबंधकित /गिरवी रखी गई आरिस्तियों का मूल्यांकन करते समय मूल्यांकन का आधार बीजक में दिए गए मूल्य या बाजार मूल्य को, इनमें से जो भी कम हो, ध्यान में रखा जाए।

(iii) शेयरों का मूल्यांकन :

बाजार मूल्य का परिकलन निम्न प्रकार से किया जाता है :

- शेयर का मौजूदा बाजार मूल्य -
- पिछले 52 सप्ताह के दौरान प्रतिभूति के उच्चतम एवं निम्नतम मूल्यों में से जो भी कम हो उसका औसत। म्यूचुअल फंड के यूनिट के मामले में (अनुमोदित सूची में केवल मास्टर शेयरों को शामिल किया गया है) निवल आरिस्त मूल्य (एनएबी) /पुनर्क्रय कीमत या बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, को लिया जाए।

(iv) एल आई सी पॉलिसी का मूल्यांकन

पॉलिसी का वर्तमान समर्पण मूल्य

जो भी प्रतिभूति ली जाती हो, इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसे पर्याप्त रूप से प्रभारित किया गया है और सभी आवश्यक विधिक औपचारिकताएं पूरी की गई हैं ताकि आपात स्थिति पैदा होने पर उसे बिना किसी कॉन्ट्रिब्यूट के वसूला जा सके। इसके अतिरिक्त अग्रिम के विद्यमान रहने तक प्रतिभूति पर लगातार निगरानी रखना जरूरी है।

(ग) बैंक द्वारा लिए जाने वाले प्रमुख संपार्श्विक निम्नलिखित हैं :

- (i) भूमि एवं भवन जैसी स्थावर संपत्तियों का साम्यिक बंधक/रजिस्ट्रीकृत बंधक
- (ii) संयंत्र एवं मशीनरी, फर्नीचर/जुड़नार जैसी जंगम आस्तियों का दृष्टिबंधन
- (iii) शेयरों/डिबेंचरो/ईक्विटियों/म्यूचुअल फंड यूनिटों को गिरवी रखना
- (iv) एलआईसी पालिसी का समनुदेशन
- (v) बैंक की अपनी सावधि जमा रसीदों पर ग्रहणाधिकार
- (vi) एनएससी/केवीपी को गिरवी रखना

(घ) प्रमुख प्रकार के गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी एवं उनकी ऋण शोधक्षमता

सामान्यतः बैंक निम्नलिखित प्रकार के गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी लेने हेतु अनुरोध करता है :

- i) भागीदारों/गैर-पेशेवर निदेशकों/अन्य पक्षकारों की वैयक्तिक गारंटी
- ii) कार्पोरेट गारंटी
- iii) राज्य सरकार की गारंटी

बैंक अपने स्वविवेक से मूल/धारक कंपनी से उस स्थिति में गारंटी प्राप्त कर सकता है जब ऋण सुविधा उसी समूह के उधारकर्ता यूनिटों को प्रदान की जाती है।

जब वैयक्तिक गारंटी मांगी जाती है तो व्यक्ति की अनुमानित अर्थक्षमता के औचित्यपूर्ण अनुपात को ध्यान में रखा जाए।

(ङ) प्रशमन के भीतर ऋण जोखिम संकेंद्रण के बारे में सूचना :

ऋण जोखिम को कम करने हेतु एक्सपोजर को पूर्णतः या अंशतः नकदी, प्रतिभूति या उसी काउंटरपार्टी से जमाराशियों, किसी तृतीय पक्ष की गारंटी द्वारा केन्द्रीकृत किया जाता है।

बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण बाजार जोखिम उत्पन्न होता है, जिसे बिक्री संविदा, उपभोक्ता को वित्तपोषण, वापसी खरीद शर्त एवं त्रुटि करार के माध्यम से कम किया जाता है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण:

मानक दृष्टिकोण के अधीन हेयरकट को लागू करने के बाद योग्य वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कुल ₹23,150.90 करोड़ के एक्सपोजर को सुरक्षित किया गया।

तालिका डीएफ-6

प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

लागू नहीं क्योंकि यूको बैंक के पास कोई प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर नहीं है।

Table DF-5

Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches

Qualitative disclosure:

(a) Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on and off balance sheet netting

Credit risk mitigation techniques- On Balance Sheet netting

The Bank computes capital requirements on the basis of net credit exposure subject to the conditions that the bank

- i) has a well founded legal basis for concluding that the netting or off setting agreement is enforceable in each relevant jurisdiction regardless of whether the counterparty is insolvent or bankrupt;
- ii) is able any time to determine loans/advances and deposits with the same counterparty that are subject to the netting arrangement;
- iii) monitors and controls the relevant exposures on a net basis; Loans and advances are treated as exposure and deposits are treated as collaterals.

Credit risk mitigation techniques- Guarantees

- i) Guarantees should be direct, explicit, irrevocable and unconditional.
- ii) Substitution approach will be applied. Thus guarantees issued by entities with lower risk weight than the counterparty will lead to reduce capital charge since the protected portion of the counterparty exposure is assigned the risk weight of the guarantor, whereas the uncovered portion retain the risk weight of the underlying counterparty.
- iii) Operational requirement for guarantees must be met.
- iv) Range of eligible guarantors (counter guarantors) Credit protection given by the following entities will be recognized:
 - a) Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank, MBDs, SCGC and CGTSME), Banks and Primary dealers with a lower risk weights than the counter party;
 - b) Other entities rated AA- better. This would include guarantee covered provided by parent, sub subsidiary and affiliated companies when they have a lower risk weight than the obligor.
- v) Protected portion is assigned the risk weight of the protection provider.

(b) Policies and processes for collateral valuation and Management

As a banker we are concerned with market value of the property that can be expected from a buyer if the property is put to sale. So valuation is made by Asset Valuation Methodology which takes into consideration the market value of tangible assets taken as security.

Method of valuation of various types of securities:

(i) Valuation of land and building

All landed properties must be valued by Registered valuers who are in the current empanelled list of bank. The value of the land will be assessed separately and would be compared with valuation on record by Govt. Authorities including Municipal Bodies. Construction on the said land would be valued separately and compared with value of insurance taken to cover the said property.

The following points are taken into consideration:

- i) Nature of construction
- ii) Age of the building and its present strength
- iii) Rental yield
- iv) Tax amount assessed/paid
- v) Area of land and building
- vi) Cost of construction
- vii) Value of site

(ii) Valuation of Movable properties:

In valuation of hypothecated/pledged assets, basis of valuation is invoice price or market price whichever is lower.

(iii) Valuation of shares:

Market value is calculated as below:

- a) Current market price of the share
- b) Average of high and low prices of security during last 52 weeks whichever is lower. In case of units of mutual funds (only Master Share has been included in the approved list) Net Asset Value (NAV)/Repurchase price or the market price, whichever is less, has to be taken.

(iv) Valuation of LIC Policy:

Present surrender value of the policy.

Whatever security is obtained, care should be taken to see that it is adequately charged and all necessary legal formalities are completed so that it can be realized without any difficulty, whenever an emergency arises. Moreover, during the lifetime of an advance constant watch over the security is necessary.

(c) Main types of collateral taken by Bank are –

- i) Equitable Mortgage/ Registered Mortgage of immovable properties like land and building.
- ii) Hypothecation of movable fixed assets like plant & machinery furniture/fixtures.
- iii) Pledge of shares/debentures/equities/units of Mutual Funds
- iv) Assignment of LIC Policies
- v) Lien over Bank's own Fixed Deposit receipts
- vi) Pledge of NSCs/KVPs

(d) The main types of guarantor counterparty and their credit worthiness

Normally Bank insists on following types of guarantor counterparty-

- i) Personal guarantee of partners/non-professional directors/third parties,
- ii) Corporate Guarantee
- iii) Guarantees of State Government

The bank may also obtain guarantees at its discretion from parent/holding Company when credit facilities are extended to borrowing units in the same group.

When personal guarantees are warranted, they should bear reasonable proportion to the estimated worth of the person.

(e) Information about credit risk concentrations within the mitigation taken –

In order to mitigate the credit risks, exposures are collateralized in whole or in part by cash, securities, deposits from the same counterparty, guarantee of a third party.

Market risks arise from movements in market prices which are mitigated through sales contracts, consumer financing, buy back clause and deficiency agreement.

Quantitative disclosure:

Total exposure covered by eligible financial collaterals after application of haircut under standardized approach ₹23,150.90 Cr.

Table DF-6

Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach

Not Applicable as UCO Bank is not having any securitization exposure.

तालिका डीएफ -7

क्रय-विक्रय बहियों में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण :

1. उद्देश्य एवं नीतियां:

निवेश और विदेशी मुद्रा लिखतों में बाजार जोखिम को सीमित करने हेतु। इसके लिए बैंक ने देशी और विदेशी शाखाओं हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां अपनाई हैं।

2. कार्यनीति एवं प्रक्रिया:

यह नीति एकसपोजर पर विभिन्न सीमाओं का प्रावधान करती है। विदेश स्थित केन्द्रों के लिए अनुमोदित नीति के अनुसार विदेश स्थित केन्द्रों की स्थानीय एएलसीओ समिति कार्यनीति और प्रक्रिया पर ध्यान देती है।

3. संबंधित जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठन:

निवेश से संबंधित निर्णय कार्पोरेट निवेश समिति द्वारा लिए जाते हैं। इस समिति में कार्यपालक निदेशक व फ्लैगशिप कार्पोरेट ऋण, मिड कार्पोरेट, वित्त एवं कोष शाखा, मुंबई के महाप्रबंधकगण शामिल हैं। विदेश स्थित केंद्रों पर केंद्रों के मुख्य कार्यपालकों के अधीन स्थानीय समिति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लेती है। बैंक में कठोर कार्यात्मक अलगाव हेतु फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एवं बैक ऑफिस कार्यरत हैं। जोखिम प्रबंधन विभाग, प्रधान कार्यालय समग्र संविभाग के लिए मिड ऑफिस के रूप में कार्य करता है।

4. जोखिम की रिपोर्टिंग और/या माप पद्धति का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप

देशी एवं विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए बैंक ऋण का पूरा विवरण समय-समय पर प्रधान कार्यालय को भेजा जाता है। जोखिमों के मूल्यांकन के साथ तिमाही आधार पर रिपोर्टिंग भी की जाती है। बैंक द्वारा तय की गई विभिन्न विवेकपूर्ण एवं अन्य सीमाओं से किसी तरह के विचलन की सूचना भी आवश्यक अनुमोदन हेतु प्रधान कार्यालय को दी जाती है।

5. जोखिमों से बचाव और/या उसे कम करने के लिए नीतियां एवं बचाव/कमी की अनवरत प्रभावकारिता पर निगरानी रखने हेतु कार्यनीति एवं प्रक्रियाएँ :

बैंक की नीति है कि विदेशी मुद्रा में लगभग समान स्थिति बनाए रखी जाए। तथापि, संबंधित करेंसियों में दिनरात, रातभर जैसी विभिन्न सीमाओं तथा समग्र रूपों से बैंक के भारतीय रूपों में रातभर की मुक्त स्थिति सीमा का निर्धारण किया गया है और उसकी निगरानी समय-समय पर की जाने वाली रिपोर्टिंग के आधार पर की जाती है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण / Quantitative disclosures:

(करोड़ ₹ में)

निम्नलिखित के लिए पूंजी की आवश्यकता	
ब्याज दर जोखिम	751.74
ईक्विटी स्थिति जोखिम	87.08
विदेशी मुद्रा जोखिम	2.25

TABLE DF-7

Market Risk in Trading Book

Qualitative Disclosure:

1. Objective & Policies:

To limit the market risk in Investment and Forex instruments. For this the Bank adopted policies approved by the Board for Domestic as well as Overseas Branches.

2. Strategies and Processes:

Policy provides various limits on exposures. Local ALCO Committee of overseas centers takes care of strategies and processes as per approved policy for overseas centers.

3. Structure and organization of the relevant risk management function:

Investment decisions are taken by Corporate Investment Committee comprising of Executive Director, General Managers of Flagship Corporate Credit, Mid Corporate, Finance and Treasury Branch, Mumbai. At overseas centers local committee under Chief Executives of the centers takes decision as per guidelines approved by the Board. The Bank has front office, mid office and back office for strict functional segregation. Risk Management Department at Head Office performs the function of mid office for overall portfolio.

4. The scope and nature of risk reporting and/or measurement system:

Periodic Reporting of full details of Bank's exposure undertaken by the domestic and overseas branches are sent to Head Office. Quarterly reporting with evaluation of risks are also made. Any breaches from various prudential and other limits fixed by the Bank are also referred to H.O for necessary approval.

5. Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedge/s militants:

The Bank's policy is to maintain near square position in Forex. However various limits like daylight, overnight in respective currencies as well as overnight open position limit in Indian rupees for the Bank as a whole have been fixed and the same is monitored through periodic reporting.

Quantitative Disclosures:

(₹ in crore)

Capital requirements for :	
Interest Rate Risk	751.74
Equity Position Risk	87.08
Foreign Exchange Risk	2.25

तालिका डीएफ-8

परिचालनगत जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने निम्नलिखित के लिए पद्धति, प्रक्रिया एवं निगरानी व्यवस्था कायम की है –

- सभी महत्वपूर्ण उत्पादों, क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं और पद्धतियों में विद्यमान परिचालनगत जोखिमों की पहचान तथा मूल्यांकन
- परिचालनगत जोखिम प्रोफाइल तथा हानि के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण एक्सपोजर पर निगरानी रखना तथा वरिष्ठ प्रबंधन एवं निदेशक मंडल को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना
- महत्वपूर्ण परिचालनगत जोखिमों को नियंत्रित करने तथा कम करने हेतु नीतियों, प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणाली का निर्माण करना

परिचालनगत जोखिम प्रबंधन के लिए सगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार से है –

- निदेशक मंडल
- निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति(सीओआरएम)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन कक्ष (ओआरएमसी)
- कारबार परिचालनगत जोखिम प्रबंधन (बीओआरएम)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञ(ओआरएमएस)
- जोखिम प्रबंधन विभाग

निदेशक मंडल सभी उत्पादों, क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों में परिचालनगत जोखिम के प्रबंध हेतु परिचालनगत जोखिम प्रबंध ढांचा, और उसके कार्यान्वयन एवं नीतियों, प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणालियों का अनुमोदन करता है।

जोखिम की सूचना और/या माप पद्धति का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप

बैंक की स्थापित नीतियों एवं प्रक्रियाओं की पर्याप्तता के स्वतंत्र मूल्यांकन एवं अनुपालन हेतु निरंतर निगरानी के अंग के रूप में पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है। निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति लेखापरीक्षा कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र एवं आवधिकता सुनिश्चित करती है। निरीक्षण विभाग आंतरिक कार्य का विकास एवं पर्यवेक्षण करता है।

सभी वित्तीय विभागों/कारोबार इकाइयों को सूचित किया गया है कि वे आरएमडी को नई गतिविधियों, नई पहलों, उत्पादों एवं परिचालनगत परिवर्तनों के बारे में पूरी तरह अवगत कराएं ताकि किसी भी आरंभिक स्थिति में सभी संबंधित जोखिमों की पहचान की जा सके।

बैंक ने विभिन्न हानि इवेंट प्रकार एवं व्यवसाय श्रेणियों के अधीन (बासल-II के अनुसार) सुसंगत परिचालन जोखिम हानि आंकड़ों के संग्रहण का कार्य प्रारंभ किया है ताकि परिचालनगत जोखिम के कारण पूंजी आवश्यकता का आकलन करने के लिए एक मॉडल का विकास किया जा सके।

परिचालनगत जोखिम पूंजी निर्धारण के लिए बैंक ने बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण का उपयोग किया है, जिसकी परिकल्पना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा “पूंजी पर्याप्तता एवं बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांत – नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे का कार्यान्वयन”, विषय पर उनके पत्र दिनांक 27 अप्रैल, 2007 में निहित है।

Table DF – 8

Operational Risk

Qualitative disclosure:

The Bank has put in place systems, processes and monitoring mechanism for -

- Identification and assessment of operational Risks inherent in all material products, activities, processes and systems,
- Monitoring operational risk profiles and material exposure to losses and reporting pertinent information to Senior Management and Board of Directors.
- Framing policies, processes and procedures to control and mitigate material operational risk.

The Organizational set up for operational risk management is as follows:

- The Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board (RMCB)
- Committee for Operational Risk Management (CORM)
- Operational Risk Management Cell (ORMC)
- Business Operational Risk Managers (BORM)
- Operational Risk Management Specialists (ORMS)
- Risk Management Department

Board of Directors approves Operational Risk Management framework, implementation and policies, processes and procedures for managing operational risk in all products, activities, processes and systems.

Scope and nature of Risk Reporting and/or measurement system:

In order to provide independent assessment of adequacy of and compliance with, bank's established policies and procedures adequate internal audit coverage is in place as a part of ongoing monitoring. The Audit committee of the Board ensures the scope and frequency of the audit programme. The Inspection department develops and oversees the internal function.

All financial departments/business units have been informed to keep the RMD fully informed of new developments, initiatives, products and operational changes to identify all associated risks at an early stage.

The Bank has commenced collection of relevant operational risk loss data under different loss event types as also different business lines (as per Basel-II) to develop a model to estimate capital requirement on account of operational risk.

For operational risk capital assessment the Bank used Basic Indicator approach as envisaged by Reserve bank of India in their communication dated 27th April, 2007 on the subject "Prudential guidelines on capital adequacy and market discipline – Implementation of New Capital Adequacy Framework".

तालिका डीएफ-9

बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने अपनी आस्ति देयता प्रबंध नीति तैयार की है जो बैंकिंग की बहियों में ब्याज दर जोखिम से संबंधित मुद्दों का निपटान करती है। बैंक चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि और साथ ही एक वर्ष की अवधि के लिए जोखिम पर अर्जन (ईएआर) के प्रयोजन एवं आकलन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज दर अस्थिरता के बारे में प्रत्येक माह विवरण तैयार करता है। बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन हेतु दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित अवधि का विवरण भी प्रत्येक महीने तैयार करता है और ईक्विटी में परिवर्तन का आकलन करता है। दोनों ही विवरणों की समीक्षा बैंक की निदेशक मंडल की आस्ति देयता प्रबंधन समिति/जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा की जाती है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

1) 100 आधार अंक के निम्नगामी (ऊर्ध्वगामी) दर शॉक के लिए अर्जन में अनुमानित वृद्धि (ह्रास)	± ₹ 274.44 Cr.
2) 100 आधार अंक के निम्नगामी (ऊर्ध्वगामी) दर शॉक के लिए आर्थिक मूल्य में अनुमानित वृद्धि (ह्रास)	± 7.43 % Risk Capital

Table DF-9

Interest Rate Risk in the Banking Books (IRRBB)

Qualitative disclosure:

Bank has in place Asset Liability Management policy that addresses issues related to Interest rate risk in Banking Books. Bank draws every month statement of Interest Rate sensitivity in accordance with the guidelines given by Reserve Bank of India for the purpose and estimates of Earnings at Risk (EaR) for the remaining period of the current financial year and as well as over one year horizon. Bank also draws every month statement of modified duration in accordance with the guidelines given for this purpose by Reserve bank of India and estimates Equity Var. Both the statements are reviewed by Bank's Asset Liability Management Committee/ Risk management Committee of the Board.

Quantitative disclosure :

1)	Estimated increase (decline) in earnings for Downward (upward) rate shock of 100 basis point	± ₹ 274.44 Cr.
2)	Estimated increase (decline) in economic value for Downward (upward) rate shock of 100 basis point	± 7.43 % Risk Capital

तालिका डीएफ-10

काउंटरपार्टी ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजर का सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

i) डेरिवेटिव कारोबार में जोखिम प्रबंधन की संरचना एवं संगठन:

संरचनागत ढांचे में कारपोरेट स्तर पर निवेश स्कंध निहित है जो कार्यपालक निदेशकों और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अंततः निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है। जोखिम प्रबंधन विभाग को, जब भी इस प्रकार के लेन-देन किए जाते हैं, उनके बारे में सूचित किया जाता है।

ii) जोखिम प्रबंधन, जोखिम रिपोर्टिंग एवं जोखिम निगरानी प्रणालियों का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति:

क) बैंक द्वारा संपन्न किए जाने वाले ब्याज दर स्वाप (आईआरएस), बचाव एवं कारोबार के प्रयोजन से हैं। उत्पाद के स्तर में डेरिवेटिव की पेशकश आरबीआई मानदंडों के अनुसार ग्राहक को भी की जाती है। ऐसे लेन-देन आरबीआई के दिशानिर्देशों के आधार पर बनाई गई बैंक नीतियों के अनुरूप संपन्न किए जाते हैं।

ख) ब्याज दर स्वाप संविदाओं की शेष अवधि की बेंचामार्क ब्याज दरों के उतार-चढ़ाव के अनुसार ब्याज दर डेरिवेटिव लेन-देन में जोखिम की माप की जाती है। जोखिम को मापने के प्रयोजन से सभी ब्याज दर डेरिवेटिव लेन-देन को शामिल किया जाता है। जोखिम आकलन करके प्राप्त रिपोर्टों को प्रतिदिन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कार्यपालक निदेशकों तथा नियत अवधि में निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है। ब्याज दर डेरिवेटिव लेन-देन की मार्क टू मार्केट स्थिति पर जोखिम की निगरानी आधारित की जाती है।

iii) जोखिम से बचाव और/या प्रशमन की नीतियां तथा बचावों/प्रशामकों की निरंतर सक्रिय प्रभावशीलता की निगरानी हेतु कार्यनीतियां एवं प्रक्रियाएं :

आईआरएस को वास्तविक ब्याज दर, जिसमें अस्तियां या देयताएं अंतर्निहित होती हैं, आकलित किया जाता है। नोशनल मूल राशि एवं बचाव की परिपक्वता राशि, सन्निहित आस्त/देयता के मूल्य एवं परिपक्वता से अधिक नहीं होती है। जोखिम की निगरानी बकाया ब्याज दर स्वाप संविदाओं के मार्क टू मार्केट आधार पर की जाती है तथा तुल्य ही बचाव की प्रभावशीलता का निर्धारण किया जाता है। आईआरएस में प्रवेश के लिए संपार्श्विक की जरूरत नहीं है। पूंजीगत आवश्यकताओं का निर्धारण करने हेतु आईआरएस की नोशनल मूल राशि का गुणा प्रासंगिक परिवर्तन घटक एवं काउंटरपार्टी के संबंधित जोखिम भार से करके हिसाब में लिया जाता है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण:

काउंटरपार्टी ऋण जोखिम का एक्सपोजर:

₹ करोड़ में

विवरण	
संविदाओं का कुल सकारात्मक मूल्य	0.00
नेटिंग लाभ	0.00
नेटेट चालू ऋण एक्सपोजर	0.00
धारित संपार्श्विक	0.00
शुद्ध डेरिवेटिव ऋण एक्सपोजर	0.00

₹ करोड़ में

मद	नोशनल राशि	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार चालू ऋण एक्सपोजर
क्रॉस सीसीवाई ब्याज दर स्वाप	0.00	0.00
अग्रगामी दर करार	0.00	0.00
एकल सीसीवाई ब्याज दर स्वाप	600.00	0.29
भविष्य ब्याज दर	0.00	0.00
ऋण डिफाल्ट स्वाप	0.00	0.00
कुल	600.00	0.29

Table DF-10

General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

Qualitative Disclosures

i) The Structure and organization for management of risk in derivatives trading:

The organization structure consists of Investment Wing at the Corporate level which report to the Executive Directors and Chairman & Managing Director and ultimately to the Board. Risk Management Department is informed of the transactions as and when they take place.

ii) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems:

a) The Interest Rate Swap (IRS) transactions undertaken by the Bank are for hedging and trading purposes. Derivative as a product is also offered to the customer as per RBI norms. Such transactions are undertaken as per policies of the bank formulated based on RBI guidelines.

b) The risk is measured in the interest rate derivative transactions depending on the movement of benchmark interest rates for the remaining life of the interest rate swap contracts. All interest rate derivative transactions are included for the purpose of risk measurement. The risk is evaluated and reports are placed to the CMD / ED daily and Board periodically. Risk is monitored based on the mark to market position of the interest rate derivative transactions.

(iii) Policies for hedging and /or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigrants:

IRS is undertaken on the actual interest bearing underlying assets or liabilities. The notional principal amount and maturity of the hedge does not exceed the value and maturity of underlying asset/liability. The risk is monitored on the mark to market basis of the outstanding interest rate swap contracts and accordingly the effectiveness of the hedge is determined. Collateral required upon entering into IRS is Nil. Notional principal amount of IRS multiplied by the relevant conversion factor and the respective risk weight of the counter party has been taken into account for determining the capital requirements.

Quantitative Disclosure:

Exposure of Counterparty Credit Risk:

Particulars	₹ in Cr	
	Amount	
Gross positive value of contracts	0.00	
Netting Benefits	0.00	
Netted current credit exposure	0.00	
Collateral held	0.00	
Net derivative credit exposure	0.00	

Item	₹ in Cr	
	Notional Amount	Current Credit Exposure As on 31.03.2014
Cross CCY Interest Rate Swaps	0.00	0.00
Forward Rate Agreements	0.00	0.00
Single CCY Interest Rate Swaps	600.00	0.29
Interest Rate Futures	0.00	0.00
Credit Default Swaps	0.00	0.00
Total	600.00	0.29

तालिका डीएफ -11

पूँजी की संरचना

भाग - II: 31 मार्च, 2017 से पूर्व उपयोग किया जानेवाला प्ररूप
(यानी बासेल- III नियमनकारी समायोजनों की संक्रमण अवधि के दौरान)

(₹ मिलियन में)

नियमनकारी समायोजनों के संक्रमण के दौरान उपयोग किया जानेवाला बासेल- III सामान्य प्रकटीकरण प्ररूप (यानी 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर, 2017 तक)	बासेल- III पूर्व उपचार के अधीन राशियाँ	संदर्भ
सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी : लिखत एवं आरक्षित निधियाँ		
1 सीधे जारी विशेषक साधारण शेयर पूँजी और संबंधित स्टॉक आधिक्य (शेयर प्रीमियम)	72,408	
2 प्रतिधारित उपार्जन	29,499	
3 संचित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षित निधियाँ)		
4 सीईटी 1 से चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सीधे जारी की गई पूँजी (केवल संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर प्रयोज्य)		
सार्वजनिक क्षेत्र के पूँजी प्रवेश 1 जनवरी 2018 तक संरक्षित		
5 सहायकों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टियों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूँजी (समूह सीईटी 1 में अनुमत राशि)		
सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी नियमनकारी समायोजनों से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी : नियमनकारी समायोजन		
7 विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन		
8 सुनाम (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
9 बंधक चुकौती अधिकारों के अलावा अमूर्त वस्तुएँ (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
10 आस्थगित कर आस्तियाँ	710	
11 नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि		
12 अपेक्षित हानियों के प्रावधानों में कमी		
13 बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ		
14 उचित मूल्यांकित देयताओं पर स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ एवं हानियाँ		
15 निर्धारित-लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियाँ		
16 स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र पर पहले ही प्रदत्त पूँजी से अलग न किया गया हो)		
17 सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक प्रतिधारिता		
18 बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं, जहाँ बैंक जारी की गई शेयर पूँजी के 10% से ज्यादा का स्वामी नहीं है (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
19 बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
20 बंधक चुकौती अधिकार (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
21 अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा, संबंधित कर देयता को छोड़कर)		

22	15% प्रारंभिक से अधिक राशि		
23	जिसमें से: वित्तीय निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश		
24	जिसमें से: बंधक चुकोती अधिकार		
25	जिसमें से: अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ		
26	राष्ट्रीय विशिष्ट नियमनकारी समायोजन (26क + 26ख + 26ग + 26घ)		
	26क जिसमें से: असमेकित बीमा सहायकों की ईक्विटी पूँजी में निवेश		
	26ख जिसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय सहायकों की ईक्विटी पूँजी में निवेश		
	26ग जिसमें से: प्रधान रूप से स्वाधिकृत वित्तीय निकायों की ईक्विटी पूँजी में कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।		
	26घ जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	640	
	बासेल III पूर्व उपचार के अधीन राशियों के संबंध में सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू नियमनकारी समायोजन		
	जिसमें से: [समायोजन यदि कोई हो]		
	जिसमें से: [समायोजन यदि कोई हो]		
	जिसमें से: [समायोजन यदि कोई हो]		
27	कटौतियों को पूरा करने में अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 एवं टियर 2 के कारण सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू नियमनकारी समायोजन		
28	सामान्य ईक्विटी टियर 1 को कुल नियमनकारी समायोजन		
29	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी (सीईटीआई)	100,557	
	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी: लिखत		
30	सीधे जारी विशेषक अतिरिक्त टियर 1 लिखत के साथ संबंधित स्टॉक आधिक्य (31+32)		
31	जिसमें से: प्रयोज्य लेखांकन मानकों के तहत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थायी असंचयी अधिमानी शेयर)	-	
32	जिसमें से: प्रयोज्य लेखांकन मानकों के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (स्थायी ऋण लिखत)	3,040	
33	अतिरिक्त टियर 1 से चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सीधे जारी पूँजी लिखत		
34	सहायकों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टी द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (एवं सीआईटी 1 लिखत जो पंक्ति 5 में शामिल नहीं है) समूह एटी1 में अनुमत राशि		
35	जिसमें से: चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सहायकों द्वारा जारी लिखत		
36	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी नियमनकारी समायोजन से पूर्व	3,040	
	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी: नियमनकारी समायोजन		
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश		
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखत में पारस्परिक प्रतिधारिता		
39	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं, जहाँ बैंक जारी की गई शेयर पूँजी के 10% से ज्यादा का स्वामी नहीं है (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
40	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
41	राष्ट्रीय विशिष्ट नियमनकारी समायोजन (41क + 41ख)		
	41क असमेकित बीमा सहायकों की अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में निवेश		
	41ख प्रधान रूप से स्वाधिकृत, वित्तीय निकायों की अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।		
	बासेल-III पूर्व उपचार के अधीन राशियों के संबंध में अतिरिक्त टियर 1 पर लागू नियमनकारी समायोजन	2,025	
	जिसमें से: [समायोजन यदि कोई हो उदाहरण डीटीए]		
	जिसमें से: [समायोजन यदि कोई हो, उदाहरण वर्तमान समायोजन जो टियर 1 से 50% पर काटे गए हैं]		
	जिसमें से: [समायोजन यदि कोई हो]		

42	कटौतियों को पूरा करने में अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर लागू नियमनकारी समायोजन		
43	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी को कुल नियमनकारी समायोजन	2,025	
44	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी (एटी1)	1,015	
44क	पूँजी पर्याप्तता के लिए निर्धारित अतिरिक्त टियर 1 पूँजी	1,015	
45	टियर 1 पूँजी (टी1 सीईटी 1 अ एटी1) (29 अ 44क)	101,572	
टियर 2 पूँजी: लिखत एवं प्रावधान			
46	सीधे जारी विशेषक अतिरिक्त टियर 2 लिखत के साथ संबंधित स्टॉक आधिक्य		
47	टियर 2 से चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सीधे जारी पूँजी लिखत	33,240	
48	सहायकों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टी द्वारा धारित टियर 2 लिखत(एवं सीईटीआई एवं एटी1 लिखत जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं है) समूह टियर 2 में अनुमत राशि		
49	<i>जिसमें से: चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सहायकों द्वारा जारी लिखत</i>		
50	प्रावधान	13,033	
51	टियर 2 पूँजी नियमनकारी समायोजन से पूर्व	46,273	
टियर 2 पूँजी: नियमनकारी समायोजन			
52	स्वयं के टियर 2 लिखत में निवेश		
53	टियर 2 लिखत में पारस्परिक प्रतिधारिता		
54	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं, जहाँ बैंक जारी की गई शेयर पूँजी के 10% से ज्यादा का स्वामी नहीं है (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
55	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं (पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर)		
56	राष्ट्रीय विशिष्ट नियमनकारी समायोजन (56क+56ख)		
56क	<i>जिसमें से: प्रधान रूप से स्वाधिकृत, वित्तीय निकायों की टियर 2 पूँजी में कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।</i>		
	<i>बासेल-III पूर्व उपचार के अधीन राशियों के संबंध में टियर 2 पर लागू नियमनकारी समायोजन</i>		
	<i>जिसमें से: [समायोजन यदि कोई हो उदाहरण वर्तमान समायोजन जो टियर 2 से 50% पर काटे गए हैं]</i>		
	<i>जिसमें से: [समायोजन यदि कोई हो]</i>		
57	टियर 2 पूँजी को कुल नियमनकारी समायोजन		
58	टियर 2 पूँजी (टी2)	46,273	
58क	पूँजी पर्याप्तता के लिए निर्धारित टियर 2 पूँजी	46,273	
58ख	टियर 2 के स्तर में ली गई अधिक अतिरिक्त टियर 1 पूँजी	-	
58क	पूँजी पर्याप्तता हेतु स्वीकार्य कुल टियर 2 पूँजी (58क + 58ख)	46,273	
59	कुल पूँजी (टीसीउ टी1 + टी2) (45 + 58ग)	147,845	
	<i>बासेल-III पूर्व उपचार के अधीन राशियों के संबंध में जोखिम भारत आस्तियाँ</i>		
	<i>जिसमें से: [समायोजन यदि कोई हो]</i>		
	<i>जिसमें से: (यदि कोई हो)</i>		
60	कुल जोखिम भारत आस्तियाँ (60क + 60ख + 60ग)	1,166,368	
60	<i>जिसमें से: कुल ऋण जोखिम भारत आस्तियाँ</i>	989,114	
60क	<i>जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारत आस्तियाँ</i>	93,452	
60ख	<i>जिसमें से: कुल परिचालन जोखिम भारत आस्तियाँ</i>	83,803	
60ग	<i>जिसमें से: कुल परिचालन जोखिम भारत आस्तियाँ पूँजी अनुपात</i>		
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	8.62%	
62	टियर1 (जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	8.71%	
63	कुल पूँजी (जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.68%	
64	संस्था विशिष्ट अतिरिक्त आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता के साथ पूँजी संरक्षण एवं प्रतिचक्रीय अतिरिक्त आवश्यकता, जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)		
65	<i>जिसमें से: पूँजी संरक्षण की अतिरिक्त आवश्यकता</i>		

66	जिसमें से: बैंक विशिष्ट प्रतिक्रमयी अतिरिक्त आवश्यकता		
67	जिसमें से: जी-एसआईबी अतिरिक्त आवश्यकता		
राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बासेल III से भिन्न हो)			
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न हो)		
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न हो)		
71	राष्ट्रीय कुल पूँजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न हो)		
कटौती के लिए प्रारंभिक से कम राशि (जोखिम भार-निर्धारण से पूर्व)			
72	अन्य वित्तीय निकायों की पूँजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश		
73	वित्तीय निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश		
74	बंधक चुकौती अधिकार (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
75	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
टियर 2 के प्रावधानों के शामिल होने पर प्रयोज्य अधिकतम सीमाएँ			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के योग्य प्रावधान (अधिकतम सीमा लागू होने से पूर्व)		
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 के प्रावधानों को शामिल करने पर लागू अधिकतम सीमा		
78	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण आधारित दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल करने योग्य प्रावधान (अधिकतम सीमा लागू होने से पूर्व)		
79	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 के प्रावधानों को शामिल करने पर लागू अधिकतम सीमा		

Table DF-11
Composition of Capital

Part II: Template to be used before March 31, 2017
(i.e. during the transition period of Basel III regulatory adjustments)

(₹ in million)

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)	Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	Ref No.
Common Equity Tier 1 capital: Instruments and reserves		
1 Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	72,408	
2 Retained earnings	29,499	
3 Accumulated other comprehensive income (and other reserves)		
4 <i>Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies¹)</i>		
Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018		
5 Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments		
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments		
7 Prudential valuation adjustments		
8 Goodwill (net of related tax liability)		
9 Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)		
10 Deferred tax assets	710	
11 Cash-flow hedge reserve		
12 Shortfall of provisions to expected losses		
13 Securitisation gain on sale		
14 Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities		
15 Defined-benefit pension fund net assets		
16 Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)		
17 Reciprocal cross-holdings in common equity		
18 Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)		
19 Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)		
20 Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)		
21 Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)		

22	Amount exceeding the 15% threshold		
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities		
24	of which: mortgage servicing rights		
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences		
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)		
	26a <i>of which:</i> Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries		
	26b <i>of which:</i> Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries		
	26c <i>of which:</i> Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
	26d <i>of which:</i> Unamortised pension funds expenditures	640	
	Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment		
	<i>of which:</i> [ADJUSTMENT IF ANY]		
	<i>of which:</i> [ADJUSTMENT IF ANY]		
	<i>of which:</i> [ADJUSTMENT IF ANY]		
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions		
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1		
29	Common Equity Tier 1 capital (CET1) Additional Tier 1 capital: instruments	100,557	
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)		
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	-	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	3,040	
33	<i>Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1</i>		
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties amount allowed in group AT1		
35	<i>of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out</i>		
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments	3,040	
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments		
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments		
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)		
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)		
	41a Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries		
	41b Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment of which: [ADJUSTMENT IF ANY e.g. DTAs] of which: [ADJUSTMENT IF ANY e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%] of which: [ADJUSTMENT IF ANY]	2,025	

42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions		
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	2,025	
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	1,015	
	44a Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy	1,015	
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)	101,572	
	Tier 2 capital: instruments and provisions		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus		
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	33,240	
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)		
49	<i>of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out</i>		
50	Provisions	13,033	
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	46,273	
	Tier 2 capital: regulatory adjustments		
52	Investments in own Tier 2 instruments		
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments		
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)		
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)		
	56b <i>of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank</i>		
	Regulatory Adjustments applied to Tier 2 in respect of amounts Subject to Pre-Basel III Treatment		
	<i>of which: [ADJUSTMENT IF ANY e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 2 at 50%]</i>		
	<i>of which: [ADJUSTMENT IF ANY]</i>		
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital		
58	Tier 2 capital (T2)	46,273	
	58a Tier 2 capital reckoned for capital adequacy	46,273	
	58b Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital	-	
	58c Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a + 58b)	46,273	
59	Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)	147,845	
	Risk Weighted Assets in respect of Amounts Subject to Pre- Basel III Treatment		
	<i>of which: [ADJUSTMENT IF ANY]</i>		
	<i>of which: (If Any)</i>		
60	Total Risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	1,166,368	
	60a <i>of which: total credit risk weighted assets</i>	989,114	
	60b <i>of which: total market risk weighted assets</i>	93,452	
	60c <i>of which: total operational risk weighted assets</i>	83,803	
	Capital Ratios		
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.62%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.71%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	12.68%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)		
65	<i>of which: capital conservation buffer requirement</i>		

66	<i>of which: bank specific countercyclical buffer requirement</i>		
67	<i>of which: G-SIB buffer requirement</i>		
	National minima (if different from Basel III)		
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)		
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)		
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)		
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)		
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities		
73	Significant investments in the common stock of financial entities		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)		
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)		
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2		
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)		
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach		
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)		
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach		

तालिका डीएफ – 12:

पूँजी की संरचना – समाधान की अपेक्षाएं

चरण - 1

		(₹ मिलियन में)	
		रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों में यथारूप तुलन-पत्र	रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार समेकन के विनियामक विस्तार के अंतर्गत तुलन-पत्र
क	पूँजी एवं देयताएं		
i	प्रदत्त पूँजी आरक्षित एवं अधिक निधि अल्प संख्य ब्याज कुल पूँजी	10147.09 102115.79 112262.88	
ii	जमाराशि जिसमें से : बैंक जमाराशि जिसमें से : ग्राहक जमाराशि जिसमें से : अन्य जमाराशि (कृपया उल्लेख करें)	386506.28 1608829.20	
iii	उधार जिसमें से: भा.रि. बैंक से जिसमें से: बैंकों से जिसमें से: अन्य एजेंसियों एवं संस्थाओं से जिसमें से: अन्य (भारत से बाहर) जिसमें से: पूँजीगत लिखत	90720.00 19984.95 42102.03 3625.40 50750.00	
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	76466.80	
कुल		2391247.54	
ख	आस्तियां		
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष अल्प सूचना और मांग पर और बैंक के पास शेष	80492.13 69627.99	
ii	निवेश : जिसमें से : सरकारी प्रतिभूति जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूति जिसमें से : शेयर जिसमें से : ऋणपत्र एवं बांड जिसमें से : सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम / सहायक जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूच्युल फंड आदि)	547463.24 532.23 3161.09 54961.87 1845.10 66553.40	
iii	ऋण एवं अग्रिम जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	1495842.14	
iv	अचल आस्ति	10617.58	
v	अन्य आस्तियां जिसमें से : साख एवं अमूर्त आस्तियां जिसमें से : आस्थगित कर आस्तियां जिसमें से : अन्य	1774.50 58376.27	
vi	समेकन पर साख		
vii	आय एवं व्यय खाते में नामे शेष		
कुल आस्तियां		2391247.54	

चरण - 1

		(₹मिलियन में)	
		रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों में यथारूप तुलन-पत्र	रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार समेकन के विनियामक विस्तार के अंतर्गत तुलन-पत्र
क	पूंजी एवं देयताएं		
i	प्रदत्त पूंजी जिसमें से : सीईटी 1 के लिए पात्र राशि जिसमें से : एटी 1 के लिए पात्र राशि आरक्षित एवं अधिक निधि अल्पसंख्य ब्याज कुल पूंजी	10147.09 10147.09 0.00 102115.79 112262.88	
ii	जमाराशि जिसमें से : बैंकों से जमाराशि जिसमें से : ग्राहक जमाराशि जिसमें से : अन्य जमाराशियां (कृपया उल्लेख करें)	386506.28 1608829.20	
iii	उधार जिसमें से : भा.रि. बैंक से जिसमें से : बैंकों से जिसमें से : अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियों से जिसमें से : अन्य (कृपया उल्लेख करें) जिसमें से : पूंजीगत लिखत	90720.00 19984.95 42102.03 3625.40 50750.00	
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान जिसमें से : साख से संबद्ध डीएलटी जिसमें से : अमूर्त आस्तियों से संबद्ध डीएलटी	76466.80	
	कुल	2391247.54	
ख	आस्तियां		
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष अल्प सूचना और मांग पर और बैंक के पास शेष और बैंक के पास शेष	80492.13 69627.99	
ii	निवेश जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां जिसमें से : शेयर जिसमें से : ऋण-पत्र एवं बांड जिसमें से : सहायक कंपनियों/ संयुक्त उद्यम / सहायक जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि)	547463.24 532.23 3161.09 54961.87 1845.10 66553.40	
iii	ऋण एवं अग्रिम जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	1495842.14	
iv	अचल आस्तियां	10617.58	
v	अन्य आस्तियां जिसमें से : साख और अमूर्त आस्तियां जिसमें से : साख अन्य अमूर्त आस्तियां (एमएसआर छोड़कर) आस्थगिक कर आस्तियां	58376.27 1774.50	
vi	समेकन पर साख		
vii	आय व व्यय खाते में नामे शेष		
	कुल आस्तियां	2391247.54	

सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखत एवं आरक्षित निधियां

		(₹मिलियन में)	
		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक	चरण 2 में से विनियामक विस्तार के अंतर्गत तुलन-पत्र के पत्रों/संदर्भों पर आधारित स्रोत
1	सीधे निर्गत विशेषक सामान्य शेयर(और गैर संयुक्त पूंजी कंपनियों के लिए समकक्ष) पूंजी प्लस संबद्ध शेयर आधिक्य	10147.09	ड
2	प्रतिधारित आमदनी	29499.37	
3	संचित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षित निधियां)	62260.91	
4	सीईटी 1 से चरणबद्ध स्म से (केवल गैर संयुक्त उद्यम कंपनियों पर लागू) बाहर किए जाने के विषयाधीन प्रत्यक्ष निर्गत पूंजी		
5	सहायक कंपनियों द्वारा जारी एवं अन्य पक्षकारों (ग्रुप सीईटी 1 में अनुमत राशि) द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी		
6	विनियामक समायोजनी के पूर्व सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी	101907.37	
7	विवेकसम्मत मूल्यांकन समायोजन	1350.10	
8	साख (संबद्ध कर दायित्व को घटाकर)		क-ग

Table DF – 12

Composition of Capital – Reconciliation Requirements

Step - 1

		(₹ in million)	
		Balance sheet as in financial statements As on reporting date	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date
A	Capital & Liabilities		
i	Paid-up Capital	10147.09	
	Reserves & Surplus	102115.79	
	Minority Interest		
	Total Capital	112262.88	
ii	Deposits		
	<i>of which:</i> Deposits from banks	386506.28	
	<i>of which:</i> Customer deposits	1608829.20	
	<i>of which:</i> Other deposits (pl. specify)		
iii	Borrowings		
	<i>of which:</i> From RBI	90720.00	
	<i>of which:</i> From banks	19984.95	
	<i>of which:</i> From other institutions & agencies	42102.03	
	<i>of which:</i> Others (Outside India)	3625.40	
	<i>of which:</i> Capital instruments	50750.00	
iv	Other liabilities & provisions	76466.80	
	Total	2391247.54	
B	Assets		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	80492.13	
	Balance with banks and money at call and short notice	69627.99	
ii	Investments:		
	<i>of which:</i> Government securities	547463.24	
	<i>of which:</i> Other approved securities	532.23	
	<i>of which:</i> Shares	3161.09	
	<i>of which:</i> Debentures & Bonds	54961.87	
	<i>of which:</i> Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	1845.10	
	<i>of which:</i> Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	66553.40	
iii	Loans and advances		
	<i>of which:</i> Loans and advances to banks		
	<i>of which:</i> Loans and advances to customers	1495842.14	
iv	Fixed assets	10617.58	
v	Other assets		
	<i>of which:</i> Goodwill and intangible assets		
	<i>of which:</i> Deferred tax assets	1774.50	
	<i>of which:</i> Others	58376.27	
vi	Goodwill on consolidation		
vii	Debit balance in Profit & Loss account		
	Total Assets	2391247.54	

		(₹ in million)	
		Balance sheet as in financial statements As on reporting date	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date
A	Capital & Liabilities		
i	Paid-up Capital <i>of which:</i> Amount eligible for CET1 <i>of which:</i> Amount eligible for AT1 Reserves & Surplus Minority Interest Total Capital	10147.09 10147.09 0.00 102115.79 112262.88	
ii	Deposits <i>of which:</i> Deposits from banks <i>of which:</i> Customer deposits <i>of which:</i> Other deposits (pl. specify)	386506.28 1608829.20	
iii	Borrowings <i>of which:</i> From RBI <i>of which:</i> From banks <i>of which:</i> From other institutions & agencies <i>of which:</i> Others (pl. specify) <i>of which:</i> Capital instruments	90720.00 19984.95 42102.03 3625.40 50750.00	
iv	Other liabilities & provisions <i>of which:</i> DTLs related to goodwill <i>of which:</i> DTLs related to intangible assets	76466.80	
	Total	2391247.54	
B	Assets		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India Balance with banks and money at call and short notice	80492.13 69627.99	
ii	Investments <i>of which:</i> Government securities <i>of which:</i> Other approved securities <i>of which:</i> Shares <i>of which:</i> Debentures & Bonds <i>of which:</i> Subsidiaries / Joint Ventures / Associates <i>of which:</i> Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	547463.24 532.23 3161.09 54961.87 1845.10 66553.40	
iii	Loans and advances <i>of which:</i> Loans and advances to banks <i>of which:</i> Loans and advances to customers	1495842.14	
iv	Fixed assets	10617.58	
v	Other assets <i>of which:</i> Goodwill and intangible assets <i>Out of which:</i> Goodwill Other intangibles (excluding MSRs) Deferred tax assets	58376.27 1774.50	
vi	Goodwill on consolidation		
vii	Debit balance in Profit & Loss account		
	Total Assets	2391247.54	

Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves

(₹in million)		
	Component of regulatory capital reported by bank	Source based on reference numbers/ letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1 Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	10147.09	e
2 Retained earnings	29499.37	
3 Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	62260.91	
4 Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)		
5 Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
6 Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	101907.37	
7 Prudential valuation adjustments	1350.10	
8 Goodwill (net of related tax liability)		a-c

तालिका डीएफ-13

नियमनकारी पूँजी लिखत की प्रमुख विशेषताएँ

नियमनकारी पूँजी लिखत की प्रमुख विशेषताओं का प्रकटीकरण ढाँचा

लिखत : इक्विटी शेयर	
1 जारीकर्ता	यूको बैंक
2 यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी. आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई691ए01018
3 लिखत को शासित करनेवाले नियम <i>नियमनकारी उपचार</i>	प्रयोज्य भारतीय संविधि एवं नियमनकारी आवश्यकताएँ
4 संक्रामी बासेल III नियम	कॉमन इक्विटी टियर 1
5 पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	कॉमन इक्विटी टियर 1
6 एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7 लिखत का प्रकार	इक्विटी — कॉमन शेयर
8 नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु. मिलियन में)	10,147.09
9 लिखत का सममूल्य	₹10/- प्रति कॉमन शेयर
10 लेखांकन वर्गीकरण	इक्विटी पूँजी
11 जारी करने की मूल तारीख	दिसंबर 1969 एवं उसके बाद की विविध तारीखें
12 स्थायी रूप से या तारीख पर	स्थायी
13 मूलभूत परिपक्वता तिथि	लागू नहीं
14 पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	लागू नहीं
15 वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16 परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
<i>कूपन/डिविडेंड</i>	डिविडेंड
17 नियत या चल डिविडेंड/कूपन	चल डिविडेंड
18 कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	लागू नहीं
19 डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	लागू नहीं
20 पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	पूर्णतया विवेकानुसार
21 प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	लागू नहीं
22 असंचयी या संचयी	असंचयी
23 परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	लागू नहीं
24 यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25 यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26 यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27 यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28 यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29 यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30 मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31 यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32 यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33 यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34 यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35 परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	सभी अन्य देनदारों के अधीनस्थ
36 गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37 यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत : प्रवर्तनकारी स्थायी ऋणलिखत ऋणकमलकककककक 9.50% शृंखला ।

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई691ए09094
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम नियमनकारी उपचार	भारतीय विनियमन अधिनियम ,1949
4	संक्रामी बासेल क्षेक्ष नियम	अतिरिक्त टियर 1
5	पश्च-संक्रामी बासेल क्षेक्ष नियम	अतिरिक्त टियर 1
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	प्रवर्तनकारी स्थायी ऋण लिखत
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु. मिलियन में)	1,200.00
9	लिखत का सममूल्य	₹ 10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	31.03.2006
12	स्थायी स्म से या तारीख पर	स्थायी
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	परिपक्वता नहीं
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	31.03.2016
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन/डिविडेंड	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	9.50%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	हाँ
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अंशतः विवेकानुसार
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा बैंक के जमाकर्ताओं, सामान्य देनदारों और अधीनस्थ ऋण के दावों के अधीनस्थ होगा
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत: प्रवर्तनकारी स्थायी ऋणलिखत 9.35% शृंखला II

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई691ए09102
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	भारतीय विनियमन अधिनियम,1949
	<i>नियमनकारी उपचार</i>	
4	संक्रामी बासेल III नियम	अतिरिक्त टियर 1
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	अतिरिक्त टियर 1
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	प्रवर्तनकारी स्थायी ऋण लिखत
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु. मिलियन में)	1,840.00
9	लिखत का सममूल्य	₹10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	01.06.2006
12	स्थायी ऋण से या तारीख पर	स्थायी
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	परिपक्वता नहीं
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	01.06.2016
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	<i>कूपन/डिविडेंड</i>	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	9.35%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	हाँ
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अंशतः विवेकानुसार
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें) इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा बैंक के जमाकर्ताओं, सामान्य देनदारों और अधीनस्थ ऋण के दावों के अधीनस्थ होगा
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत: अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड 9.35% शृंखला III

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई691ए09136
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	आरबीआई
	<i>नियमनकारी उपचार</i>	
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल II नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु. मिलियन में)	2,560.00
9	लिखत का सममूल्य	₹10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	22.12.2007
12	स्थायी स्म से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	22.12.2022
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	आबंटन की मान्य तारीख से 10वक? वर्ष के अंत में सममूल्य पर (आरबीआई की पूर्व अनुमति से)
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	22.12.2017
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	<i>कूपन/डिविडेंड</i>	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	0
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें) इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारी के दावों के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत: अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड 8.90% शृंखला IV

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई691ए09177
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम नियमनकारी उपचार	आरबीआई
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि(सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, ₹ मिलियन में)	4,000.00
9	लिखत का सममूल्य	₹ 10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	25.03.2010
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	25.03.2025
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	आबंटन की मान्य तारीख से 10वक? वर्ष के अंत में सममूल्य पर (आरबीआई की पूर्व अनुमति से)
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	25.03.2020
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन/डिविडेंड	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	8.90%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	रद्द
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत: अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड 8.70% शृंखला I

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई691ए09086
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	आरबीआई
	<i>नियमनकारी उपचार</i>	
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि(सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु. मिलियन में)	2,400.00
9	लिखत का सममूल्य	₹ 10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	22.03.2006
12	स्थायी स्म से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	22.03.2021
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	आबंटन की मान्य तारीख से 10व्व? वर्ष के अंत में सममूल्य पर (आरबीआई की पूर्व अनुमति से)
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	22.03.2016
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	<i>कूपन/डिविडेंड</i>	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	8.70%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत: अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड 9.28% शृंखला II

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई691ए09110
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	आरबीआई
	<i>नियमनकारी उपचार</i>	
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु. मिलियन में)	4,000.00
9	लिखत का सममूल्य	₹10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	03.07.2006
12	स्थायी स्म से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	03.07.2021
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग सममूल्य पर (आरबीआई की पूर्व अनुमति से)	आबंटन की मान्य तारीख से 10वक? वर्ष के अंत में
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	03.07.2016
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	<i>कूपन/डिविडेंड</i>	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	9.28%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत: अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय टियर -II बांड 7.25% शृंखला V

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई691ए09052
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम <i>नियमनकारी उपचार</i>	आरबीआई
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि(सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु. मिलियन में)	400.00
9	लिखत का सममूल्य	₹ 10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	31.01.2005
12	स्थायी स्म से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	30.04.2014
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों <i>कूपन/डिविडेंड</i>	लागू नहीं कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	7.25%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत: अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय टियर -II बांड 7.50% शृंखला VI

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई691ए09060
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	आरबीआई
	<i>नियमनकारी उपचार</i>	
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि(सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु. मिलियन में)	480.00
9	लिखत का सममूल्य	₹ 10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	15.09.2005
12	स्थायी स्म से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	15.04.2015
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	<i>कूपन/डिविडेंड</i>	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	7.50s
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत: अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय टियर -II बांड 7.85% शृंखला VII

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई691ए09078
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	आरबीआई
	<i>नियमनकारी उपचार</i>	
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि(सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु. मिलियन में)	800.00
9	लिखत का सममूल्य	₹ 10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	15.02.2006
12	स्थायी स्म से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	15.05.2015
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	<i>कूपन/डिविडेंड</i>	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	7.85%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत: अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय टियर -II बांड 9.25% शृंखला VIII

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई691ए09128
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	आरबीआई
	<i>नियमनकारी उपचार</i>	
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि(सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु. मिलियन में)	1,200.00
9	लिखत का सममूल्य	₹ 10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	07.08.2006
12	स्थायी स्म से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	07.04.2016
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	<i>कूपन/डिविडेंड</i>	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	9.25%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत: अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय टियर -II बांड 9.50% शृंखला IX

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई 691ए09144
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	आरबीआई
	<i>नियमनकारी उपचार</i>	
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि(सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु. मिलियन में)	800.00
9	लिखत का सममूल्य	₹ 10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	31.03.2008
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	30.04.2018
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	<i>कूपन/डिविडेंड</i>	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	9.50s
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत: अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय टियर -II बांड 9.75% शृंखला X

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या बिलुमबर्ग)	आईएननई691ए09151
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	आरबीआई
	<i>नियमनकारी उपचार</i>	
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर - II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु. मिलियन में)	2,200.00
9	लिखत का सममूल्य	₹10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	22.12.2008
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	22.04.2019
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	<i>कूपन/डिविडेंड</i>	9.75%
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	लागू नहीं
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत: अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय टियर -II बांड 8.92% शृंखला XI

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या बिलुमबर्ग)	आईएननई 691ए 09169
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	आरबीआई
	<i>नियमनकारी उपचार</i>	
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु. मिलियन में)	6,400.00
9	लिखत का सममूल्य	₹10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	08.03.2010
12	स्थायी स्म से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	08.03.2020
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	<i>कूपन/डिविडेंड</i>	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	8.92% m
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत: अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय टियर -II बांड 9.00% शृंखला XII

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई 691ए09185
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम <i>नियमनकारी उपचार</i>	आरबीआई
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	टियर - II
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर-II बांड
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु. मिलियन में)	8,000.00
9	लिखत का सममूल्य	₹10,00,000/-
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधारियाँ
11	जारी करने की मूल तारीख	28.12.2012
12	स्थायी स्म से या तारीख पर	तारीख पर
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	28.12.2022
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	<i>कूपन/डिविडेंड</i>	कूपन
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	नियत
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	9.00%
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अनिवार्य
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	रूट.
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	इन लिखत में निवेशकों का दावा करनेवाले निवेशकों से श्रेष्ठ होगा तथा ईक्विटी शेयरों की ईक्विटी में निवेश अन्य सभी देनदारों के दावे के अधीनस्थ होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

Table DF-13

Main Features of Regulatory Capital Instruments

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments		
INSTRUMENT: Equity Shares		
1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A01018
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian statutes and
	<i>Regulatory treatment</i>	Regulatory requirements
4	Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Equity – common share
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	10,147.09
9	Par value of instrument	₹10/- per common share
10	Accounting classification	Equity Capital
11	Original date of issuance	December'1969 and various dates thereafter
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	Not Applicable
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not Applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	Dividends
17	Fixed or floating dividend/coupon	Floating Dividend
18	Coupon rate and any related index	Not Applicable
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not Applicable
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Not Applicable
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Innovative Perpetual Debt Instruments 9.50% Series I

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09094
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Additional Tier 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Innovative Perpetual Debt Instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	1,200.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	31.03.2006
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	No maturity.
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	31.03.2016
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.50%
19	Existence of a dividend stopper	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partial Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinated to the claims of depositors, general creditors and subordinated debt of the bank.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Innovative Perpetual Debt Instruments 9.35% Series II

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09102
3	Governing law(s) of the instrument	The Banking Regulation Act, 1949
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Additional Tier 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Innovative Perpetual Debt Instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	1,840.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	01.06.2006
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	No maturity.
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	01.06.2016
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.35%
19	Existence of a dividend stopper	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partial Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinated to the claims of depositors, general creditors and subordinated debt of the bank.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

**INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds
9.35% Series III**

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09136
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	2,560.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	22.12.2007
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	22.12.2022
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	At par at the end of 10th year from deemed date of allotment (with the prior permission of RBI)
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	22.12.2017
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	0
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

**INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds
8.90% Series IV**

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09177
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	4,000.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	25.03.2010
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	25.03.2025
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	At par at the end of 10th year from deemed date of allotment (with the prior permission of RBI)
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	25.03.2020
16	Subsequent call dates, if applicable <i>Coupons / dividends</i>	Not Applicable Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.90%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument) creditors.	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds 8.70% Series I

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09086
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	2,400.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	22.03.2006
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	22.03.2021
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	At par at the end of 10th year from deemed date of allotment (with the prior permission of RBI)
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	22.03.2016
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.70%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds 9.28% Series II

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09110
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	4,000.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	03.07.2006
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	03.07.2021
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	At par at the end of 10th year from deemed date of allotment (with the prior permission of RBI)
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	03.07.2016
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.28%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 7.25% Series V

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09052
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	400.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	31.01.2005
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	30.04.2014
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	7.25%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 7.50% Series VI

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09060
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	480.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	15.09.2005
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	15.04.2015
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	7.50%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 7.85% Series VII

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09078
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	800.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	15.02.2006
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	15.05.2015
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	7.85%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.25% Series VIII

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09128
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	1,200.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	07.08.2006
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	07.04.2016
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.25%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.50% Series IX

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09144
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	800.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	31.03.2008
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	30.04.2018
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.50%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.75% Series X

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09151
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	2,200.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	22.12.2008
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	22.04.2019
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	9.75%
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	NA
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 8.92% Series XI

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09169
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	6,400.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	08.03.2010
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	08.03.2020
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.92%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.00% Series XII

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A09185
3	Governing law(s) of the instrument	RBI
	<i>Regulatory treatment</i>	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier - II
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	8,000.00
9	Par value of instrument	₹10,00,000/-
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	28.12.2012
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	28.12.2022
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	<i>Coupons / dividends</i>	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.00%
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claim of investors in these instruments shall be superior to the claims of investors in the equity in the equity shares and subordinate to the claim of all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

तालिका डीएफ-14

नियमनकारी पूँजी आवश्यकताओं के पूर्ण नियम एवं शर्तें

क्र.सं.	लिखत	संपूर्ण नियम एवं शर्तें
1	ईक्विटी शेयर (आईएनई691ए01018)	साधारण शेयर: असंचयी
2	प्रवर्तनकारी स्थायी ऋण लिखत 9.50% शृंखला I (आईएनई691ए09094)	जारी प्रमात्रा: ₹150 करोड़, आबंटन की तारीख: 31.03.2006, प्रतिदान की तारीख: स्थायी, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख 31.03.2016. ब्याज दर और आवृत्ति:9.50%, 31 मार्च एवं 30 सितंबर. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
3	प्रवर्तनकारी स्थायी ऋण लिखत 9.35% शृंखला II (आईएनई691ए09102)	जारी प्रमात्रा: ₹ 230 करोड़, आबंटन की तारीख: 01.06.2006, प्रतिदान की तारीख: स्थायी, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख 01.06.2016. ब्याज दर और आवृत्ति:9.35%, 1 जून एवं 01 दिसंबर. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
4	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड 9.35% शृंखला III (आईएनई691ए09136)	जारी प्रमात्रा: ₹ 320 करोड़, आबंटन की तारीख: 22.12.2007, प्रतिदान की तारीख: 22.12.2022, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख 22.12.2017. ब्याज दर और आवृत्ति:9.35%, 22 जून एवं 22 दिसंबर. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
5	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड 8.90% शृंखला IV (आईएनई691ए09177)	जारी प्रमात्रा: ₹ 500 करोड़, आबंटन की तारीख: 25.03.2010, प्रतिदान की तारीख: 25.03.2025, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख 25.03.2020. ब्याज दर और आवृत्ति:8.90%, 25 मार्च एवं 25 सितंबर. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
6	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड 8.70% शृंखला I (आईएनई691ए09086)	जारी प्रमात्रा: ₹300 करोड़, आबंटन की तारीख: 22.03.2006, प्रतिदान की तारीख: 22.03.2021, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख 22.03.2016. ब्याज दर और आवृत्ति:8.70%, 22 मार्च एवं 22 सितंबर. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
7	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर -II बांड 9.28% शृंखला II (आईएनई691ए09110)	जारी प्रमात्रा: ₹500 करोड़, आबंटन की तारीख: 03.07.2006, प्रतिदान की तारीख: 03.07.2021, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख 03.07.2016. ब्याज दर और आवृत्ति:9.28%, 3 जुलाई एवं 3 जनवरी. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
8	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ टियर -II बांड 7.25% शृंखला V (आईएनई691ए09052)	जारी प्रमात्रा: ₹ 250 करोड़, आबंटन की तारीख: 31.01.2005, प्रतिदान की तारीख: 30.04.2014, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख Not applicable . ब्याज दर और आवृत्ति:7.25%, 31 मार्च. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।

9	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ टियर-II बांड 7.50% शृंखला VI (आईएनई691ए09060)	जारी प्रमात्रा: ₹ 150 करोड़, आबंटन की तारीख: 15.09.2005, प्रतिदान की तारीख: 15.04.2015, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख: लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्ति:7.50%, 15 सितंबर. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूपा में।
10	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ टियर-II बांड 7.85% शृंखला VII (आईएनई691ए09078)	जारी प्रमात्रा: ₹ 250 करोड़, आबंटन की तारीख: 15.02.2006, प्रतिदान की तारीख: 15.05.2015, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख : लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्ति:7.85%, 15 फरवरी एवं 15 अगस्त. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
11	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ टियर -II बांड 9.25% शृंखला VIII (आईएनई691ए09128)	जारी प्रमात्रा: ₹ 250 करोड़, आबंटन की तारीख: 07.08.2006, प्रतिदान की तारीख: 07.04.2016, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख : लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्ति:9.25%, 7 फरवरी एवं 7 अगस्त. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूपा में।
12	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ टियर -II बांड 9.50% शृंखला IX (आईएनई691ए09144)	जारी प्रमात्रा: ₹100 करोड़, आबंटन की तारीख: 31.03.2008, प्रतिदान की तारीख: 30.04.2018, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख : लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्ति:9.50%, 31 मार्च : 30 सितंबर. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूपा में।
13	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ टियर -II बांड 9.75% शृंखला X (आईएनई691ए09151)	जारी प्रमात्रा: ₹ 275 करोड़, आबंटन की तारीख: 22.12.2008, प्रतिदान की तारीख: 22.04.2019, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख: लागू नहीं . ब्याज दर और आवृत्ति:9.75%, 22 दिसंबर. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूपा में।
14	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ टियर -II बांड 8.92% शृंखला XI (आईएनई691ए09169)	जारी प्रमात्रा: ₹800 करोड़, आबंटन की तारीख: 08.03.2010, प्रतिदान की तारीख: 08.03.2020, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख: लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्ति:8.92%, 8 मार्च. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूपा में।
15	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ टियर-II बांड 9.00% शृंखला XII (आईएनई691ए09185)	जारी प्रमात्रा: ₹1000 करोड़, आबंटन की तारीख: 28.12.2012, प्रतिदान की तारीख: 28.12.2022, सम मूल्य: ₹1 मिलियन, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख: लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्ति:9.00%, 28 दिसंबर. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूपा में।

Table DF-14

Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Sl. No.	Instruments	Full Terms and Conditions
1	Equity Shares (INE691A01018)	Ordinary Shares, non-cumulative.
2	Innovative Perpetual Debt Instruments 9.50% Series I (INE691A09094)	Issue Size: ₹150 Crore, Date of Allotment: 31.03.2006, Date of Redemption: Perpetual, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date 31.03.2016. Rate of Interest and frequency:9.50% 31st March and 30th September. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
3	Innovative Perpetual Debt Instruments 9.35% Series II (INE691A09102)	Issue Size: ₹230 Crore, Date of Allotment: 01.06.2006, Date of Redemption: Perpetual, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date 01.06.2016. Rate of Interest and frequency : 9.35%, 1st June and 01st December. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
4	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds 9.35% Series III (INE691A09136)	Issue Size: ₹320 Crore, Date of Allotment: 22.12.2007, Date of Redemption: 22.12.2022, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date 22.12.2017. Rate of Interest and frequency:9.35%, 22nd June and 22nd December. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
5	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds 8.90% Series IV (INE691A09177)	Issue Size: ₹500 Crore, Date of Allotment: 25.03.2010, Date of Redemption: 25.03.2025, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date 25.03.2020. Rate of Interest and frequency:8.90%, 25th March and 25th September. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
6	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds 8.70% Series I (INE691A09086)	Issue Size: ₹300 Crore, Date of Allotment: 22.03.2006, Date of Redemption: 22.03.2021, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date 22.03.2016. Rate of Interest and frequency:8.70%, 22nd March and 22nd September. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
7	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier-II Bonds 9.28% Series II (INE691A09110)	Issue Size: ₹500 Crore, Date of Allotment: 03.07.2006, Date of Redemption : 03.07.2021, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date 03..07.2016. Rate of Interest and frequency:9.28%, 3rd July and 3rd January. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
8	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 7.25% Series V (INE691A09052)	Issue Size: ₹250 Crore, Date of Allotment: 31.01.2005, Date of Redemption: 30.04.2014, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date Not applicable. Rate of Interest and frequency:7.25%, 31st March. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.

9	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 7.50% Series VI (INE691A09060)	Issue Size: ₹150 Crore, Date of Allotment: 15.09.2005, Date of Redemption: 15.04.2015, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date Not applicable. Rate of Interest and frequency:7.50%, 15th September. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
10	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 7.85% Series VII (INE691A09078)	Issue Size: ₹250 Crore, Date of Allotment: 15.02.2006, Date of Redemption: 15.05.2015, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date Not applicable. Rate of Interest and frequency:7.85%, 15th February & 15th August. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
11	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.25% Series VIII (INE691A09128)	Issue Size: ₹250 Crore, Date of Allotment: 07.08.2006, Date of Redemption: 07.04.2016, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date Not applicable. Rate of Interest and frequency:9.25%, 7th February & 7th August. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
12	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.50% Series IX (INE691A09144)	Issue Size: ₹100 Crore, Date of Allotment: 31.03.2008, Date of Redemption: 30.04.2018, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date Not applicable. Rate of Interest and frequency:9.50%, 31st March & 30th September. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
13	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.75% Series X (INE691A09151)	Issue Size: ₹275 Crore, Date of Allotment: 22.12.2008, Date of Redemption: 22.04.2019, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date Not applicable. Rate of Interest and frequency:9.75%, 22nd December. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
14	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 8.92% Series XI (INE691A09169)	Issue Size: ₹800 Crore, Date of Allotment: 08.03.2010, Date of Redemption: 08.03.2020, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date Not applicable. Rate of Interest and frequency:8.92%, 8th March. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.
15	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds 9.00% Series XII (INE691A09185)	Issue Size: ₹1000 Crore, Date of Allotment: 28.12.2012, Date of Redemption: 28.12.2022, Par Value: ₹1 Million, Put and Call Option: Call option date Not applicable. Rate of Interest and frequency:9.00%, 28th December. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form.

तालिका डीएफ-15

पारिश्रमिक की प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू नहीं हैं।

Table DF-15

Disclosure Requirements for Remuneration

Not applicable to Nationalised Banks.

शेयरधारकों से ग्रीन पहल के तहत अपील जो शेयरधारक

जो शेयरधारक डीमैट के रूप में शेयर धारण किए हैं उनसे अनुरोध है कि वे अपने जमाकर्ता के पास अपना ई-मेल आईडी दर्ज कराएँ। जो शेयरधारक अपने शेयर भौतिक रूप में धारण किए हुए हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट, कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. को निम्न प्ररूप में अपनी अनुमति भेजें :

मेसर्स कंप्यूटरशेयर प्रा. लि.
इकाई : यूको बैंक
17 से 24, विट्टल राव नगर,
माधापुर
हैदराबाद - 500 081

मै/हम _____, जो भौतिक रूप में बैंक के _____ शेयर धारण किए हुए हूँ/हैं, नीचे दिए गए ई-मेल आईडी पर नोटिसों, वार्षिक रिपोर्टों सहित सभी सूचना-पत्र प्राप्त करने का इच्छुक हूँ/के इच्छुक हूँ :

फोलियो न. _____ ई-मेल आईडी _____

प्रथम धारक के हस्ताक्षर

GREEN INITIATIVE APPEAL TO THE SHAREHOLDERS

The Shareholders holding shares in demat form are requested to register their e-mail id with their Depository. Shareholders holding shares in physical form are requested to send their consent to our Registrar and Transfer Agent, Karvy Computershare Pvt Ltd. on the following format.

M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd.
Unit : UCO Bank
17 to 24, Vittal Rao Nagar
Madhapur
Hyderabad - 500 081

Date : _____

I/We _____ holding _____ shares of the Bank in physical form intend

to receive all communications including notices, annual reports, through our e-mail id given hereunder :

Folio No _____ E-mail id _____

Signature of the first holder

यूको बैंक

फार्म "बी"

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700001

परोक्षी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरे एवं हस्ताक्षरित किए जाने हेतु)

ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक

दिनांक 30 जून, 2014

रजिस्ट्रीकृत फोलियो सं.

(यदि अमूर्तीकृत नहीं है)

डी. पी. पहचान सं.

ग्राहक की पहचान सं.

(यदि अमूर्तीकृत है)

मैं/हम, _____, निवासी _____, जिला _____, राज्य _____, जो यूको बैंक का/के शेयरधारक हूँ / हैं, एतद्वारा श्री/श्रीमती _____, निवासी _____, जिला _____, राज्य _____, को या उनकी अनुपस्थिति में श्री/श्रीमती _____, निवासी _____, जिला _____, राज्य _____ को सोमवार, दिनांक 30 जून, 2014 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेल्वेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता-700027 में या उसके बदले किसी अन्य स्थान पर आयोजित की जानेवाली यूको बैंक के शेयरधारकों की ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से मतदान करने हेतु अपना परोक्षी नियुक्त करता/करती/हूँ /करते हैं।

वर्ष 2014 के _____ की _____ तारीख को हस्ताक्षर किए गए

₹ 1 /- का
रसीदी
टिकट

परोक्षी के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

परोक्षी फार्म हस्ताक्षरित करने और जमा करने हेतु अनुदेश:

प्रथम नामित/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

- कोई परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक वह:
 - किसी व्यक्ति शेयरधारक के मामले में उसके या उसके ऐसे अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं जिसे लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो;
 - संयुक्त धारक के मामले में रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक या उसके ऐसे अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हो जिसे लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो;
 - किसी निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या उसके ऐसे अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हो जिसे लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो।
- कोई परोक्षी लिखत किसी ऐसे शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित समझी जाएगी जो किसी कारण से अपना नाम लिखने में अक्षम है यदि उसका चिह्न उसपर अंकित किया जाता है तथा उसे किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, बीमा रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या यूको बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाता है।
- परोक्षी फार्म और
 - मुख्तारनामा या प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अधीन वह हस्ताक्षरित किया गया है, अथवा
 - मुख्तारनामा या प्राधिकार की एक ऐसी प्रति जो किसी नोटरी पब्लिक या दंडाधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, वित्त विभाग (शेयर अनुभाग) 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तृतीय तल, कोलकाता-700 001 के पास वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व यानी बुधवार, दिनांक 25 जून, 2014 के कार्य-समय की समाप्ति पर या उसके पहले जमा की जाए।
- कोई भी परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जबतक फार्म 'बी' के अनुसार और सम्यक रूप से स्टांपित न हो।
- बैंक के पास जमा की गई परोक्षी लिखत अप्रतिसंहरणीय एवं अंतिम होगी।
- विकल्पतः दो अधिकारग्राहियों के पक्ष में प्रदान की गई परोक्षी लिखत के मामले में एक से अनधिक फार्म निष्पादित किया जाएगा।
- जिस शेयरधारक ने परोक्षी लिखत निष्पादित की है वह उस वार्षिक आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबधित है।
- कोई भी ऐसा व्यक्ति सम्यकरूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि या परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो यूको बैंक का अधिकारी या कर्मचारी है।

UCO Bank

Form "B"

Head Office : 10, B. T. M, Sarani Kolkata - 700 001

Proxy Form

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Eleventh Annual General Meeting

Dated June 30th, 2014

Regd. folio No.
(if not Dematerialised)

DP ID No.
Client ID No.
(if Dematerialised)

I/We _____ resident/s of _____ in the district of _____ in the state of _____ being a share holder/shareholders of UCO Bank, Kolkata hereby appoint Shri/ Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ or failing him, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ as my/or our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the **Eleventh Annual General Meeting** of the shareholders of UCO Bank, to be held on Monday the 30th June 2014 at 11.00 A.M. at Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700 027 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2014

Re. 1/-
Revenue
Stamp

Signature of Proxy

Name :

Signature of first named / sole Shareholder

Address :

Instructions for Signing the Proxy form:

- No instruments of proxy shall be valid unless,
 - In the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing;
 - In the case of joint holder, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing;
 - In the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing,
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto, and attested by a judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of UCO Bank.
- The proxy together with
 - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of UCO Bank, Finance Dept. (Share Section), 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata-700 001 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of Wednesday, the 25th June, 2014.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is as per **Form "B"** and is duly stamped.
- An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of UCO Bank.

यूको बैंक इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ईसीएस) -अधिदेश फार्म

दिनांक:

मे. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि.
प्लाट सं. 17 से 24, विट्टलराव नगर,
माधापुर,
हैदराबाद- 500081

प्रिय महोदय,

विषय : **ईसीएस अधिदेश**

उपर्युक्त के संदर्भ में मैं/हम सहर्ष इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) के विकल्प का प्रयोग करता हूँ /करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा के जरिए भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक खाते का विवरण नीचे प्रस्तुत कर रहा हूँ /कर रहे हैं : फोलियो सं.

बैंक का नाम (पूरा नाम)	
शाखा का नाम	
बैंक का पूरा पता	
बैंक द्वारा आपूरित चेक के एमआईसीआर पट्टी	
पर उल्लिखित 9 अंकों की कूट संख्या	
खाते का प्रकार(बचत/चालू /नकदी ऋण)	
खाता संख्या (चेक बुक पर यथाउल्लिखित)	

(कृपया बैंक का नाम,शाखा एवं कूट संख्या की विशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विधिवत निरस्त किए गए अपने बैंक के चेक की एक जेरॉक्स प्रति संलग्न करें)।

मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ /करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण सत्य एवं पूर्ण हैं। यदि अपूर्ण या असत्य सूचना के कारण लेनदेन में देर होती है तो मैं /हम कंपनी/रजिस्ट्रार को उत्तरदायी नहीं ठहराऊंगा/ठहराऊंगी/ठहराएंगे। मैं/हम उक्त योजना के अधीन सहभागी के रूप में मुझसे/हमसे अपेक्षित दायित्वों का निर्वहन करने का करार करता/करती हूँ /करते हैं ।

फोलियो सं.	रजिस्ट्रीकृत धारक का (के) नाम	प्रथम धारक के हस्ताक्षर

UCO BANK ELECTRONIC CLEARING SERVICES (ECS) – MANDATE FORM

Date :

M/S. Karvy Computershare Private Ltd
Plot No. 17 to 24, Vittalrao Nagar,
Madhapur,
Hyderabad – 500 081

Dear Sirs,

Re : ECS Mandate

With reference to above, I/We are pleased to exercise the option for Electronic Clearing Services (ECS) and furnish hereunder the particulars of bank account to receive payments through Electronic Clearing Services :

Folio Number									
Name of the Bank (Full Name)									
Name of the Branch									
Full address of the Bank									
9 digit code number appearing on the MICR Band of the cheque supplied by the Bank									
Account Type (Savings/Current/Cash Credit)									
Account Number (as appearing on the cheque book)									

(Please attach a photo copy of a cheque of your bank duly cancelled for ensuring accuracy of the bank name, branch and code number.)

I/We hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed because of incomplete or incorrect information, I/we would not hold the Company/ Registrar responsible. I/we agree to discharge the responsibility expected of me as a participant under the Scheme.

Folio No.	Name(s) of the Registered Holder	Signature of the First holder

यूको बैंक / UCO Bank
प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700001
 Head Office : 10, B. T. M. Sarani Kolkata - 700 001

उपस्थिति पर्ची / Attendance Slip (प्रवेश करते समय जमा करें) / (To be surrendered at the time of entry) दिनांक : सोमवार, 30 जून 2014, पूर्वाह्न 11.00 बजे स्थान : भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेल्वेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700 027 Date : Monday, 30th June, 2014 at 11.00 a.m. Venue : Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700 027
--

मैं एतद्द्वारा बैंक की ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूँ।
 I hereby record my presence at the Eleventh Annual General Meeting of the Bank

शेयरधारक/परोक्षी/उपस्थित प्रतिनिधि का नाम Name of the Shareholder/Proxy/Representative present	पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी / ग्राहक पहचान संख्या Regd. Folio / DPID/Client ID No.	शेयरो की संख्या Number of Shares	हस्ताक्षर Signature

उपस्थिति पर्ची / Entry Pass (प्रवेश करते समय जमा करें) / (To be surrendered at the time of entry)

सदस्य परोक्षी का नाम स्पष्ट अक्षरों में Name: (in BLOCK Letter) Member/Proxy	फोलियो / ग्राहक पहचान संख्या Folio / Client ID No.	शेयरो की संख्या Number of Shares	हस्ताक्षर Signature

उपस्थिति पर्ची / Entry Pass (मतदान करने के समय जमा करें) / (To be surrendered at the time of voting)
--


सदस्य परोक्षी का नाम स्पष्ट अक्षरों में Name: (in BLOCK Letter) Member/Proxy	फोलियो / ग्राहक पहचान संख्या Folio / Client ID No.	शेयरो की संख्या Number of Shares	हस्ताक्षर Signature

दिनांक : 30 जून 2014
 Dated : 30th June 2014

शेयरधारकों/परोक्षी, प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि वे सभा-भवन में प्रवेश हेतु इस उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करें। प्रवेश पत्र वाले अंश को शेयरधारकों/परोक्षी/प्रतिनिधियों को वापस कर दिया जाएगा जिसे वे बैठक चलने तक अपने पास रखें। फिर भी आवश्यकता समझे जाने पर अतिरिक्त सत्यापन/जांच के उपरान्त प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में सभा-भवन के प्रवेशद्वार पर कोई डुप्लिकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
 Shareholders/Proxy representatives are requested to produce this Attendance Slip-cum-Entry Pass signed, for admission to meeting hall. The Entry Pass portion will be handed back to the shareholders/proxy/representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission may, however, be subject to further verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance Slip-cum-Entry Pass be issued at the entrance to the meeting hall.

बुक पोस्ट

Book Post



सुपुर्दगी नहीं होने पर, कृपया इस पते पर लौटा दें
मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि.
(इकाई : यूको बैंक)
प्लॉट नं. 17 से 24, विट्टलराव नगर
माधापुर, हैदराबाद - 500 081

If undelivered, please return to :
M/s. Karvy Computershare Private Ltd.
(Unit : UCO Bank)
Plot Nos. 17 to 24 Vittal Rao Nagar
Madhapur, Hyderabad - 500 081

FORM A

Format of covering letter of the annual audit to be filed with the stock exchanges

1	Name of the company	UCO Bank
2	Annual Financial statement for the year ended	31 st March 2014
3	Type of Audit observation	Emphasis of Matter
4	Frequency of Observation	2011 Onwards

J K Garg

(J K Garg)
Executive Director

Arun Kaul

(Arun Kaul)
Chairman & Managing Director

Manoj Kumar Gupta

(Manoj Kumar Gupta)
Chairman-Audit Committee

Anil Kumar

(Anil Kumar)
General Manager & Chief Financial Officer

For SBA Associates.

Chartered Accountants
Registration No. 308136E

For Ved And Company.

Chartered Accountants
Registration No. 012019N

For Dass Gupta & Associates.

Chartered Accountants
Registration No. 000112N

(CA S Mukhopadhyay)
Partner
Membership No. 011517

(CA Pooja Gupta)
Partner
Membership No. 098551

(CA Pankaj Mangal)
Partner
Membership No. 097890

For Gupta Sharma & Associates.

Chartered Accountants
Registration No. 001466N

For A. Kayes & Co

Chartered Accountants
Registration No. 311149E

(CA Kuldeep Sharma)
Partner
Membership No. 080109

(CA Anmol Kayes)
Partner
Membership No. 050363

Place: Kolkata
Date: 21.05.2014

SBA ASSOCIATES
Chartered Accountants
27, Mirza Galib Street,
5th floor
KOLKATA – 700 016

VED AND COMPANY
Chartered Accountants
Ajanta Building,
Opp. Clock Tower,
G.T. Road,
Ghaziabad – 201 001

**DASS GUPTA &
ASSOCIATES**
Chartered Accountants,
B-4, Gulmohar Park
New Delhi – 110 049

**GUPTA SHARMA &
ASSOCIATES**
Chartered Accountants
Gr. Floor, 142 Sector -3
Trikuta Nagar,
Jammu-180 012,

A. KAYES & CO
Chartered Accountants
231, Kamalalaya Centre
(2nd & 3rd Floor)
156A, Lenin Sarani,
Kolkata – 700 013

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To
The President of India
Report On The Financial Statements


1. We have audited the accompanying financial statements of UCO BANK as at 31st March, 2014, which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2014, and Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended; and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 21 branches inclusive of one treasury branch audited by us and 914 branches (including Service branches) audited by branch auditors and 4 foreign branches audited by overseas local auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 1956 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 8.70 per cent of advances, 30.30 per cent of deposits, 7.02 per cent of interest income and 32.42 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and to disclose the information as may be necessary to conform to forms 'A & B' respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949. These financial statements comply with the Accounting Standards notified under the Companies Act, 1956 read with the General Circular 15/2013 dated 13th September 2013 of the Ministry of Corporate Affairs in respect of Section 133 of the Companies Act, 2013. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.



4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

6. *Emphasis of Matter*

Without qualifying our opinion:

a) We draw attention to Note No. 9.2 in Schedule 18 to the financial statements stating changes in accounting policy for accounting of commission earned on Letter of Credit, Guarantee Issued and Interest on Usance Bills from realization basis to accrual basis in compliance with Accounting Standard -9 (AS-9) on Revenue Recognition. Had there been no such change in the said Accounting Policy and uniform accounting policy was followed, the profit of the Bank for the current year would have been increased by Rs. 142.88 crores. The Bank as stated, in aforesaid note, that exercise is under process for ascertaining the impact on account of transition to the new system pertaining to the transactions accounted for under the old system and the necessary adjustment, if any, will be carried out as and when the impact is ascertained.

b) We draw attention to Note No. 9.3 in Schedule 18 to the financial statements stating deferment of Pension and Gratuity Liability of the Bank to the extent of Rs. 160.07 crores pursuant to the exemption granted by Reserve Bank of India to the Public Sector Banks from application of the provisions of Accounting Standard - 15 (AS-15) on "Employee Benefits" vide its circular No. DBOD.BC/80/21.04.018/2010-11 dated 09.02.2011 on reopening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks

Opinion

7. In our opinion, as shown by books of the bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:

(i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2014 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

(ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

(iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.



Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. In our opinion, the Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949 and is in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949-read with the General Circular 15/2013 dated 13 September 2013 of the Ministry of Corporate Affairs in respect of Section 133 of Companies Act, 2013

9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

(a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

(b) The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

(c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

For SBA Associates.
Chartered Accountants
Registration No. 308136E

(CA S Mukhopadhyay)
Partner
Membership No. 011517



For Ved And Company.
Chartered Accountants
Registration No. 012019N

(CA Pooja Gupta)
Partner
Membership No. 098551



For Dass Gupta & Associates.
Chartered Accountants
Registration No. 000112N

(CA Pankaj Mangal)
Partner
Membership No. 097890



For Gupta Sharma & Associates.
Chartered Accountants
Registration No. 001466N

(CA Kuldip Sharma)
Partner
Membership No. 080109



For A. Kayes & Co
Chartered Accountants
Registration No. 311149E

(CA Amrul Kayes)
Partner
Membership No. 050363



Place: Kolkata
Date: 21st May, 2014